राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 8वां दिवस [संख्या 6

सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 1968

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.5 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चुनाव, चिकित्सा व स्वास्थ्य, आबकारी, राजस्व वित्त, खाद्य, वन, देवस्थान, पंचायत, सिंचाई, उपनिवेशन, सामुदायिक विकास विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भगवानदास शास्त्री !

नगरपालिकाओं के चुनाव

116. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की नगरपालिकाओं के चुनाव मई, 1968 में करवाने की घोषणा सदन में करने के पश्चात् इन चुनावों को और आगे क्यों स्थगित किया गया ?

(2) अब चुनाव कब तक करवाने का विचार है ?

(3) क्या सरकार नगरपालिकाओं के वार्ड्स को समाप्त कर सिंगल वार्ड्स बनाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : 55 (1) नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न करने का प्रस्ताव था। उनकी सूची संलग्न है। और भी बाकी नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित किये गये हैं। बीकानेर नगरपालिका का भी चुनाव सभी नगरपालिकाओं के साथ अप्रेल के अन्त तक सम्पन्न कराने का विचार है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट कराने की कृपा करें, सुनने में बिलकुल नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : माइक देख लीजिये, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। वापिस पढ़ दीजिये।

श्री मुल्कराज थिन्द : (2) जिन नगरपालिकाओं का चुनाव सम्पन्न कराने का प्रस्ताव था उनकी सूची संलग्न है। और भी बाकी बीकानेर सहित नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित किये गये हैं। बीकानेर नगरपालिका का आम चुनाव सभी नगरपालिकाओं के साथ अप्रेल के अन्त तक सम्पन्न कराने का विचार है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

श्री भगवानदास शास्त्री : मई-जून, 68 के प्रथम सप्ताह में करवाने की पहले सरकार ने इसी सदन में घोषणा की थी 55 नगरपालिकाओं के चुनाव, फिर अब क्या कारण है नहीं कराने का ?

श्री मुलकराज चिन्द : यह सही है कि उस वक्त 55 नगरपालिकाओं के लिये कहा गया था लेकिन इनमें अनेक नगरपालिकाओं की सीमाओं का पूरा अंकन नहीं हुआ था। कुछ का सीमावर्धन होना था वह भी समय में नहीं हो सका और कुछ प्रशासनिक कारण भी थे जिनके कारण इनको आगे सरकाना पड़ा।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से उत्तर मिलना चाहिये जिससे मुझे सन्तोष हो।

श्री अध्यक्ष : उत्तर समाप्त कर दीजिये। और कुछ अवशेष है क्या ?

श्री मुलकराज चिन्द : (3) कुछ तो प्रशासनिक कठिनाइयां थीं और कुछ सीमाओं में सीमावर्धन-परिवर्तन करना था इसमें समय अपेक्षित था। इसलिये स्थगित हुए। अब अप्रेल के अन्त तक चुनाव कराने का विचार है। 141 का चुनाव जून में समाप्त होने जा रहा है इसलिए सरकार का विचार है कि सभी नगर परिषद् और नगरपालिकाओं के चुनाव एक साथ करा दिये जावें।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरे प्रश्न के तीसरे खण्ड का उत्तर आपने नहीं दिया।

श्री मुलकराज चिन्द : अध्यक्ष महोदय, डबल वार्ड्स पर ही चुनाव कराये जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ये कब तक करा दिये जावेंगे ?

श्री मुलकराज चिन्द : अप्रेल के अन्त तक करा दिये जावेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : नगरपालिकाओं के चुनाव समय पर नहीं कराने से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नगरपालिकाओं के लाखों रुपयों का दुरुपयोग और घोटाले हो रहे हैं तो क्या सरकार इनकी जांच करावेगी ? जैसे अजमेर नगरपालिका का घोटाला। जब चुने हुए प्रतिनिधि छोड़कर गये तो चालीस हजार रुपये बैंक में जमा छोड़कर गये थे। उसे अनाप-शनाप गलत तरीकों से खर्च करके मंगल द्वार बनवाकर खर्च कर दिया।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् के प्रशासक द्वारा अनियमितताएं बढ़ी हैं। सरकार की कमजोरी की वजह से जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है उसके लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री मुलकराज चिन्द : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। पर फिर भी माननीय सदस्या उसकी जानकारी देंगे तो जांच करवा लेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं सदस्या नहीं हूं, सदस्य हूं। लम्बा चौड़ा सदस्य हूं।

श्री मुलकराज चिन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर साइड से आया हूं मेरा प्रोनन्सियेशन पंजाबी है। इसलिए हिंदी नहीं जानने की वजह से या सही उच्चारण नहीं करने की वजह से सदस्य आपत्ति न करें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : आपने प्रशासनिक कठिनाइयां बताईं, इन कठिनाइयों को समय पर दूर नहीं करने के कारण क्या आपने प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कोई एक्शन लिया ?

दूसरा यह कि इन्हीं कारणों से आप फिर अप्रेल तक न करा सके तो इसकी क्या गारन्टी कि आप करा ही देंगे ? फिर आप प्रशासनिक कठिनाइयां बता देंगे ?

श्री मुल्कराज थिन्द : हमारे पास कुछ नगरपालिकाओं की चुनाव प्रणाली तैयार नहीं थी, उसे तैयार करने में समय लगा। बाकी मैं विश्वास दिलाता हूं अब इस तारीख में चुनाव हो जावेंगे।

इसलिये यह चुनाव की घोषणा थोड़ी लेट कर रहे हैं ताकि सारी कार्यप्रणाली तैयार हो सके।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री जुझारसिंह !

श्री श्रवणलाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह व्यवस्था चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कई हैं माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक ही प्रश्न है कि इस प्रकार से जो घोषणाएं मंत्रियों के द्वारा की जाती है चाहे चुनाव के संबंध में हों या किसी कार्य के संबंध में हो क्या उस संबंधित घोषणा को मद्देनजर नहीं रखते हैं वह मंत्री उनके खिलाफ भी यहां कोई निश्चय किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री जुझारसिंह !

फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत एक्सटेन्शन अधिकारी

117. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) : क्या मंत्री, परिवार नियोजन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत सरकार ने किन किन स्थानों पर फेमिली प्लानिंग एक्सटेन्शन अधिकारी नियुक्त किये हैं ? स्थानों व अधिकारियों के नाम बताने की कृपा करें।

(2) फेमिली प्लानिंग एक्सटेन्शन अधिकारियों की क्या योग्यतायें आवश्यक मानी गई हैं और उनका चयन किन आधारों पर किन के द्वारा किया जाता है ?

(3) फेमिली प्लानिंग एक्सटेन्शन आफिसर के क्या तनख्वाह व भत्ता दिया जाता है ?

(4) फेमिली प्लानिंग विभाग में टेक्निकल अधिकारियों सहित किन किन कार्यों हेतु दूसरे कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है ? जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने जो स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत किया है उसके अनुसार तीन स्टेजों पर एक्सटेन्शन एयूक्केटर्स के पद सृजित किये गये हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सटेन्शन एज्यूकेटर्स के पद सृजित है 50 हजार तक की नगरीय जन संख्या के लिए स्थापित परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए अर्बन एक्सटेन्शन एज्यूकेटर्स के 61 पद हैं। इन्हीं केन्द्रों पर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

61 पद महिला एक्सटेन्शन एज्यूकेटर्स के लिए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ जोड़े गये ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए ब्लॉक एक्सटेन्शन एज्यूकेटर्स के 232 पद सृजित किये गये हैं। राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट एक्सटेन्शन एज्यूकेटर्स तथा क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सृजित स्वास्थ्य जिला प्रसार अधिकारियों के पदों का एकीकरण कर उनका नया नाम परिवार नियोजन शिक्षा अधिकारी रख दिया है।

इन तीनों स्तरों पर जितने पद सृजित हैं उनके पेटे जो व्यक्ति वर्तमान में नियुक्त किये हुए हैं उनकी सूचना संलग्न परिशिष्ट 'ए' में अंकित है।

(2) जैसा उल्लेख किया जा चुका है इन एक्सटेन्शन एज्यूकेटर्स के पद तीन स्तरों पर स्वीकृत किये हुए हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता तथा वेतन शृंखला निम्न प्रकार है:—

(क) जिला परिवार नियोजन जिला अधिकारी-वेतन शृंखला 225-485 मंहगाई नियमानुसार।

(अ) सीधी भर्ती के लिए समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एम० ए०) या कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक तथा दो वर्ष का सामाजिक कार्य का डिप्लोमा प्राप्त।

(ब) पदोन्नति के लिए 5 वर्ष के सेवाकाल वाले नगर शिक्षा प्रसारक जो स्नातक हों।

(ख) परिवार नियोजन नगर जिला प्रसारक-वेतन शृंखला 170-385।

(अ) सीधी भर्ती के लिए: द्वितीय श्रेणी से कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक तथा साथ में एक वर्ष का सामाजिक कार्य या सामाजिक शिक्षा या अध्यापन या सामुदायिक विकास या आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का अनुभव। तृतीय श्रेणी होने पर अनुभव एक वर्ष की बजाय तीन वर्ष का आवश्यक होगा।

नोट:—यदि कोई उम्मीदवार समाज शास्त्र या समाज कार्य में एम० ए० हो तो उसके लिए अनुवादन की शर्त नहीं होगी।

(ब) पदोन्नति के लिए विकास खण्ड स्तर शिक्षा प्रसारक (ब्लॉक एक्सटेन्शन एज्यूकेटर्स) के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद न्यूनतम तीन वर्ष का सेवा-अनुभव आवश्यक।

(ग) विकास खण्ड स्तर शिक्षा प्रसारक-वेतन शृंखला 130-320।

(अ) सीधी भर्ती के लिए कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक तथा न्यूनतम दो वर्ष का सामाजिक कार्य या सामाजिक

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

शिक्षा या अध्यापन या सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अनुभव आवश्यक है।

(ब) पदोन्नति के लिए मट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक / मलेरिया निरीक्षक / कम्प्यूटर्स / स्वास्थ्य सहायक / ग्राम सेवक तथा परिवार नियोजन सामाजिक कार्यकर्त्ता।

नोट:—यदि किसी समय उक्त तीनों श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियों के लिए पदोन्नति की श्रृंखला में वांछित योग्यता के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो उस समय समस्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकेंगे।

(स) जो पद जन सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं उन पर प्रथमतः छः माह के लिए तथा शेष पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन सरकार द्वारा गठित परिवार नियोजन सेवा चयन समिति द्वारा किया जाता है।

(ग) अपने मुख्यालय से बाहर जाने पर इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता आदि भी दिया जाता है।

(3) इसका उत्तर प्रश्न संख्या 2 में विहित है।

(4) भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए जो स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित किया है उसका अवलोकन संलग्न परिशिष्ट 'ब' में किया जावे।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : आपने जितने एपाइन्टमेन्ट्स किये हैं सारी जो निर्धारित क्वालिफिकेशन्स बतायी हैं उसके माफिक ही किये हैं या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो क्वालिफिकेशन्स बताई हैं मेरे ख्याल से उसी के अनुसार पदों को भरा गया है।

श्री जुझारसिंह : आपने बताया है बहुत से लोग जिनकी एडीक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं हैं उनको इस लिस्ट में नहीं बताया गया है, और जिनकी एडीक्वेट क्वालिफिकेशन है उन्हीं को बताया गया है। तो जो बताये गये हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग उस क्वालिफिकेशन के नहीं हैं जिस क्वालिफिकेशन के आप एपाइन्ट करना चाहते ह।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो सीधी भर्ती के पद ह उनको सीधी भर्ती के द्वारा भरा गया है और जो पदोन्नति के हैं वहां भी अगर क्वालिफिकेशन के आदमी नहीं मिले तो उस सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जो प्रशिक्षण की योग्यता निर्धारित है उसी के अनुसार सभी पद भरे जायेंगे। इनके खाली होने की वजह यह है कि मई या जून तक इन्टरव्यूज हुए और उनके रिजल्ट्स अभी तक आउट नहीं किय गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके बारे में कोई पर्सेन्टेज नियत किया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के विचाराधीन है । उन्होंने अभी यह बताया है कि सीधी भर्ती के और पदोन्नति के पर्सेन्टेज कैसे होंगे लेकिन अभी डिपार्टमेन्ट में यह है 30 पर्सेन्ट सीधी भर्ती, 30 पर्सेन्ट जो नये इन्सपेक्टर्स आदि हैं उनमें से हैं और 30 पर्सेन्ट मलेरिया इन्सपेक्टर्स हैं उनमें से हैं ।

श्री जुझारसिंह : यह जो लिस्ट दी है उसमें नोट दिया है:—

"उक्त अंकित तीनों प्रकार के पदों पर अन्य कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं किन्तु वे इन पदों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते अत: उन्हें मूलरूप से नियुक्त नहीं माना गया है। निर्धारित योग्यता के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर इन कर्मचारियों को हटा दिया जायेगा ।"

इसका मतलब यह है कि इन्होंने एपाइन्टमेन्ट्स तो कर लिये हैं और जो एपाइन्टमेन्ट्स हुए हैं और जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन्स के आदमी हैं उनकी संख्या 24 है जबकि 200-300 आदमियों को भर्ती किया है । इस समय मेजोरिटी आफ दी पीपुल उस क्वालिफिकेशन्स के नहीं हैं और उनको परमानेन्ट तक नहीं किया लेकिन एपाइन्टमेन्ट्स कर लिए और एपाइन्टमेन्ट्स राजनैतिक आधार पर किये हैं । जिसको चाहा उसी को पकड़ लिया । उस क्वालिफिकेशन्स के नहीं मिलते हैं तो दूसरी क्वालिफिकेशन्स का आधार तो बनाया होगा आपने इनके एपाइन्टमेन्ट करने का ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को ही काम करने के लिए रखा गया है और उस समय तक के लिए रखा गया है जब तक कि उनकी भर्ती नहीं हो जाये और जो भर्ती होने का क्रम था उसमें इन्टरव्यूज हो चुके हैं और ज्यों ही रिजल्ट निकलेगा उनको उनकी जगह रख दिया जायेगा ।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही नहीं है कि उनको डिक्टेट करके जो सेक्रेटेरियट ने चाहा उनका नाम भरकर भेज दिया है और उनका एपाइन्टमेन्ट हो गया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री गिरधारीलाल व्यास !

चीफ नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट, आचार्य नर्सिंग महाविद्यालय तथा रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के पद

118. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसिन्द) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चीफ नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट, राजस्थान, आचार्य, नर्सिंग, महाविद्यालय और रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के तीन पदों पर कौन कौन कार्य कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह स ी है कि ऊपर वर्णित पदों पर कार्य करने वालों के समान योग्यता वाले व इससे भी उच्च योग्यता वाले कर्मचारी राजस्थान के नर्सिंग विभाग में नीचे के पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

(3) चीफ नर्सिंग सुपरिन्टन्डेन्ट आचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय और रजिस्ट्रार,

Page No. 7

(श्री गिरधारीलाल व्यास) राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के क्या क्या कार्य और जिम्मेदारियां हैं ? क्या इनको एक ही व्यक्ति सम्भालने में सक्षम हैं ?

(4) राजस्थान में पुरुष नर्स और स्त्री नर्सों की अलग अलग संख्या कितनी हैं ? इनकी पदोन्नति का अलग अलग क्या क्रम है और कितनी महिला नर्स और पुरुष नर्स किन किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान नर्सिंग महाविद्यालय बन्द किया जा रहा है ? यदि बन्द किया जा रहा है तो यह महाविद्यालय कब और किन किन कारणों से खोला गया और अब किन कारणों से बन्द किया जा रहा है ?

(6) क्या राज्य सरकार ने बी० एससी० नर्सिंग पास नर्सों को विशेष अग्रिम वेतन वृद्धि देने का प्रावधान रखा है, और क्या दूसरे राज्यों में इस प्रकार की योग्यता प्राप्त नर्सों के लिए विशेष अग्रिम वेतन वृद्धि के प्रावधान हैं ? क्या इस प्रावधान को राजस्थान में कार्यान्वित किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सुश्री एस० मिश्रा, नर्सिंग अधीक्षिका के पद पर कार्य कर रही हैं। योग्य व्यक्ति नहीं मिलने के कारण आचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय तथा रजिस्ट्रार, नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के पद रिक्त हैं एवं इन दोनों संस्थाओं के पद पर कार्य संचालन के लिए सुश्री एस० मिश्रा को ही अंशकालीन नियुक्त किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी नहीं।

(3) सूची संलग्न है—सामान्यतः नहीं। पर योग्य व्यक्तियों के अभाव में कार्य संचालन के लिये एक ही व्यक्ति से काम लिया जा रहा है।

(4) 2,920 पद मेल नर्स व 911 पद फीमेल नर्सों के हैं। इनकी पदोन्नति चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के अनुसार की जाती है। महिला नर्स और पुरुष नर्स जिन जिन पदों पर कार्य कर रहे हैं उनकी सूची संलग्न है।

(5) जी हां, आंशिक रूप से। महाविद्यालय जुलाई सन् 1963 से प्रारम्भ किया गया था। चूंकि राजस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की अत्यधिक कमी थी सिस्टर ट्यूटर, एवं बी० एससी० नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों को बाहर भेजा जाता था अब स्थानीय स्तर पर स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाया जाता है ताकि राज्य की उक्त प्रकार के नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके एवं प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की पदोन्नति भी की जावे।

उक्त महाविद्यालय को मितव्ययता कटौती में बन्द किये जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

(6) जी नहीं, पर यह मामला सरकार के विचाराधीन है। शेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने ववेरचन के पहले भाग में बताया कि एक ही व्यक्ति को पार्ट टाइम अलाउन्स दिया जाता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं क्या ऐसे व्यक्ति

Page No. 8

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
को दो पार्ट टाइम अलाउन्स दिये जा सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मेरा ख्याल है यह फाइनेंस डिपार्टमेन्ट का सवाल है। क्या दो अलाउन्स दिये जा सकते हैं ? दो अंशकालीन दो स्थानों पर हैं, और कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिये दो जगह हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दूसरे क्या आपके विभाग में ऐसे आदमी नहीं हैं, जिनसे ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मेरी जानकारी है, इसीलिए दो जगह पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया है। दो जगह पर एक व्यक्ति को दिया जा सकता है या नहीं, यह फाइनेंस डिपार्टमेन्ट की बात है, अगर नहीं दिया जा सकता है तो नहीं दिया जाएगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन दोनों रिक्त स्थानों के लिए आप के विभाग द्वारा क्या क्वालिफिकेशन्स निर्धारित की गई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग सवाल है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि अभाव के कारण नहीं दिया जा रहा है। मैंने यह प्रश्न पूछा था, क्या आप के विभाग में कोई क्वालिफाइड आदमी मौजूद है ? यह अलग से प्रश्न नहीं है। इसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है। प्रश्न मिला हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो फिर एडजोर्न कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : और कोई प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दूसरा प्रश्न यह कि आपने बताया, जो व्यक्ति आंशिक और पूरे तौर से काम कर रहा है उससे ज्यादा योग्यता वाले व्यक्ति आपके विभाग में हैं या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सूचना आप दें तो बड़ी अच्छी बात हो। विभाग ने हम को नहीं दी है विभाग ने अगर गलत तरीके हम को सूचना नहीं दी है तो मैं एक्शन लूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : परसों हमने एक प्रश्न पूछा है तो आप ने सारी जानकारी दी है। आज कहते हैं सूचना नहीं है। क्या बी० एससी० नर्सों की कमी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : परसों की बात हो गयी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या कारण है कि एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त न करके एक ही व्यक्ति से आप काम ले रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप नाम बता दीजिए जो योग्यता रखता हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो बी० एससी० क्वालिफाइड नहीं हैं उससे ज्यादा क्वालिफाइड होने पर भी आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्वालिफाइड हैं क्या ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : नाम बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं बताना चाहते हैं। गुप्त रखना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने जो एक प्रश्न पूछा था, उसका एपाइन्टमेन्ट कर दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मने आप से पूछा एक व्यक्ति तीन विभागों में कार्य कर रहा है। जब कि उससे ज्यादा क्वालिफाइड उस विभाग में हैं। उनसे आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं की है ?

श्री अध्यक्ष : मालूम होगा, माननीय मन्त्री महोदय को।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इनके पास सूचना ही नहीं है। पूरी सूची मंगवाइये। एग्जामिनिंग बॉडी के चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट अध्यक्ष बना लिये गये हैं। क्या राजस्थान के अलावा और कहीं भी ऐसा है किसी दूसरे राज्य में कि एग्जामिनिंग बॉडी के अध्यक्ष हैं, फिर प्रिन्सिपल भी वही एक हैं। चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट भी एक हो। क्या ऐसे ऑटोनोमस हो सकता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप अच्छी तरह से ब्रीफ्ड हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्व का है। माननीय मन्त्री एक एडवाइजरी कमेटी नियुक्त कर दें।

एक माननीय सदस्य : जिसमें इनको भी सदस्य रखें।

श्री अध्यक्ष : दोनों बातचीत कर के निर्णय कर लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक और प्रश्न है इस कालज के सम्बन्ध में जैसा कि आपने कहा है हमको ट्रेण्ड नर्स की आवश्यकता है। जब कि आप को इस काम के लिए डब्ल्यू० एच०ओ० और ए०आई० टी०यू०टी० यह जो मेडिकल की वर्ल्ड संस्थाएं हैं, वह पैसा देती हैं, इसके लिए सहायता देती है कि नर्सों को ट्रेण्ड कर सकें। फिर राजस्थान को क्या डिफीकल्टी आ रही है कि ट्रेनिंग सेण्टर बन्द कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब क्वालिफाइड होकर निकलेंगी तो नौकरी कहां पर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : एब्जोर्ब कहां से करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रश्न को पूरी जानकारी के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इनसे पूछो ये बूंदी से किसको भगाकर लाये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अच्छा, होली वाला अंक ले आयें दीखो।

प्रश्न संख्या 119

श्री अध्यक्ष : श्री बीरबल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह !

Page No. 10

सोप: ग्राम में आवंटित भूमि

120. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सोप ग्राम, तहसील अलीगढ़ में वर्ष 66–67 में भूमि आवंटन कमेटी की बैठक कब हुई थी ?

(2) इस बैठक में जो भूमि आवंटित की गई थी वह कुल कितनी थी और इसमें एप्लीकेंट्स कितने थे ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकतर जो भूमि दी गई थी वह पुलिस थाने के सिपाही व तहसील, अलीगढ़ के कर्मचारियों को दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि जो भूमि आवंटित की गई वह नाबालिग बच्चों व स्त्रियों के नाम आवंटित की गई है ? कृपया जिनको भूमि दी गई उनके नाम मय आयु के सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ता० 5 व 6 जून, 67 को।

(2) इस बैठक में प्रार्थियों की संख्या 150 थी जिसमें 105 व्यक्तियों को 977) बीघा भूमि आवंटित की गई थी।

(3) तहसील के किसी कर्मचारी को सोप में भूमि आवंटित नहीं की गई। केवल पुलिस विभाग के एक कर्मचारी को भूमि आवंटित की गई थी और यह आवंटित अनियमित होने से निरस्त भी किया जा चुका है।

(4) सोप में जिनको भूमि आवंटित की गई उनमें 8 स्त्रियां तथा 6 नाबालिग बच्चे थे। एक विधवा स्त्री के अलावा अन्य 7 स्त्रियों और 6 नाबालिग बच्चों का आवंटन अनियमित होने से निरस्त किया जा चुका है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दिग्विजयसिंह : यह आवंटन रिजेक्ट किया गया है, वह कब किया गया है ?

श्री गंगाराम : 9-2-68।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर

121. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्यात किये जाने वाले हस्तकला उद्योग पर सेल्स टैक्स मुस्तस्ना कर दिया गया था ?

(2) क्या इस मुस्तस्ना करने की मंशा यह थी कि ये वस्तुएं प्रतियोगिता में टिक सकें और बिक्री बढ़ सके ?

(3) क्या यह भी सही है कि निर्यात होने वाली इन वस्तुओं पर इतनी ही राशि का परचेज टैक्स लगा दिया गया है ?

(4) क्या सरकार ने इस टैक्स को लगाकर अपनी नीति को तोड़ा है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री बृज प्रकाश गोयल) : (1) यह सही नहीं है कि निर्यात किये जाने वाले उद्योगों को सेल्स टैक्स से राज्य सरकार ने मुक्त कर दिया था। यदि निर्माता अपने निर्मित सामान का

(श्री बृज प्रकाश गोयल)
स्वयं निर्यात करता है तो संविधान की धारा 286 के अनुसार कोई कर नहीं लगता।

(2) इसका प्रश्न नहीं उठता।

(3) यदि निर्माता स्वयं निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है तब क्रय कर निर्मित वस्तुओं पर लगने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) सरकारी नीति को तोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या यह सही नहीं है कि एक्सपोर्ट होने वाली चीजें बाहर जाकर प्रतियोगिता में ठहर सकें इसलिए सरकार द्वारा खास तौर से उस पर सेल्स टैक्स माफ किया गया था? उप-मंत्री महोदय कह रहे हैं, जी नहीं, तो किस कारण से सेल्स टैक्स बन्द किया गया था—यह फर्मायें?

श्री बृज प्रकाश गोयल : यह एग्जेम्प्शन नहीं है हस्तकला उद्योग पर।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या कहा आपने?

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि गंगानगर में आपको घेर लिया गया था हनुमानगढ़ में?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: माननीय सदस्य, इस प्रश्न को आप गम्भीरता से लें। आपने (उप-मंत्री) क्या उत्तर दिया?

श्री बृज प्रकाश गोयल : ऐसा एग्जेम्प्शन हस्त कला उद्योग पर नहीं है, इसलिए ऐसी रियायत देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, कैसे रियायत देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसके लिए खास तौर से रियायत की गई थी और उप-मंत्रीजी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केन्द्र ने ऐसा नियम बना रखा है कि जो रॉ-मैटिरियल बाहर से आता है और उस रॉ-मैटिरियल की कारीगर द्वारा चीजें बना कर एक्सपोर्ट की जाती हैं उसके ऊपर समुद्र का किराया माफ किया जाता है, रॉ-मैटिरियल को मंगाने की मद में जो खर्चा होता है उसको कारीगर को रिफन्ड किया जाता है, रेल्वे का फ्रेट उस पर माफ किया जाता है और इसी तरह से राजस्थान में सेल्स टैक्स माफ किया गया था। आप इसके बारे में कहें।

श्री बृज प्रकाश गोयल मैंने स्पष्ट कह दिया है, जैसा आपने पूछा कि माफ किया गया है, तो यह माफ नहीं किया गया।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि यहां के एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी सामान खरीदते हैं तो वह रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीदते हैं या अनरजिस्टर्ड डीलर्स से? इसके बारे में आपके रूल्स क्या कहते हैं?

श्री बृज प्रकाश गोयल : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है। मामला यह है कि सरकार ने यह नियम बना रखा है कि जब रजिस्टर्ड डीलर्स से कोई व्यापारी सामान खरीदता है तो उससे पर्चेज टैक्स नहीं लिया जाता है और अन-रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीदता है तो पर्चेज टैक्स लिया जाता है। लेकिन जयपुर में यह सवाल पैदा होता है कि हमारे यहां पर

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

मेन्युफेक्चरिंग मण्डी है, यहां पर बड़े व्यापारी नहीं हैं जो इस तरह की चीजें बनाते हों। हमारे यहां पर गरीब आर्टीजन्स हैं जो सौ, पचास, दो सौ रुपये का माल बनाते हैं और एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी को बेचते हैं। ऐसे डीलर्स को रजिस्टर नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमानुसार पांच हजार से ज्यादा बिक्री करता हो तो वह रजिस्टर हो सकता है। इसके अलावा रजिस्टर कराने में और झगड़े पड़ते हैं इसलिए किसी कारीगर की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह रजिस्टर हो। यह सबसे बडी दिक्कत है। मैं निवेदन करती हूं कि यह जो पर्चेज टैक्स लगाया जाता है यह जो बाहर माल एक्सपोर्ट होता है उसमें दिक्कत पैदा करता है, इसलिए इसको हटाये जाने के बाबत आप क्या कहते हैं?

श्री बृज प्रकाश गोयल : आपका जो यह सुझाव है इस पर विचार किया जा सकता है। अब जो स्थिति है वह मैंने बता दी है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि महीने, दो महीने पहले केन्द्र से एक विज्ञप्ति आई थी, राज्य सरकार को उसमें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले माल पर रियायत दी जाय? ऐसी विज्ञप्ति आई है या नहीं?

श्री बृज प्रकाश गोयल : इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट ऑफ आर्डर है। जब ऐसे सवाल हों तो मंत्री महोदय को, स्टेट मिनिस्टर को यहां पर हाजिर होना चाहिए क्योंकि उप-मंत्रीजी पॉलिसी मेटर का जवाब नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे अपनी तौहीन समझती हूं कि जब मेरा ऐसा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है तो उस वक्त यहां पर मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : हमारा क्या हाल होगा जब आप अपनी तौहीन समझती हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। यह प्रश्न अहम प्रश्न है, नीति से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। इसमें एक्सपोर्ट का सवाल है और उप-मंत्रीजी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए मंत्री महोदय इसका उत्तर दें और आयन्दा ऐसे प्रश्न के समय मंत्री महोदय हाजिर रहें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर!

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : तीन तीन मिनिस्टर हैं—स्टेट मिनिस्टर, फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। इनके अलावा दोनों मिनिस्टर हाजिर क्यों नहीं हैं—इसका आप फैसला दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह टी० ए० में हाजिर हैं।

श्री विजय सिंह : क्या महिलाओं के बाल और दांत की ओर निगाह करेंगे?

श्री अध्यक्ष : नहीं करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पाइन्ट ऑफ आर्डर रखा था उसके ऊपर व्यवस्था दे दीजिये

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
सदन में मिनिस्टर के हाजिर होने के बारे में और इस प्रश्न को दुबारा रखे जाने के बारे में।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री दौलतराम सारण !

चीनी के कोटे के लिए हल्फनामे का फार्म

122. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या रतनगढ़ व राजलदेसर के प्रत्येक हलवाई, चाय की दुकान वाल को सरकारी कोटे की चीनी लेने के लिए छपा हुआ हल्फनामा व अदालत तहसील, रतनगढ़ जिसमें तीन धारायें हैं, भरना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि यदि कोई हल्फनामा नहीं भरता है तो उसे कोटे की चीनी नहीं दी जाती ?

(3) क्या उस हल्फनामा की धारा (2) में छपा हुआ है कि "मैं हल्फनामा बयान करता हूं कि मैं किसी आन्दोलन में जो सरकार के खिलाफ हो, उसमें भाग नहीं लूंगा और न ही अपनी दुकान बन्द करूंगा" ?

(4) क्या यह हल्फनामा राज्य सरकार की अनुमति से छपा कर काम में लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो किस अधिकारी के आदेश से छपा है ? छपाई में कितना खर्चा हुआ और वह कहां से चुकाया गया ?

(5) क्या राज्य सरकार इस हल्फनामे को गैर कानूनी और अनुचित मानती है ?

(6) यदि हां, तो जिस अधिकारी ने इसे छपवाया है, काम में लिया है और ले रहा है उसके विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा):

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) प्रश्न ही नही उठता।

(5) प्रश्न ही नही उठता।

(6) प्रश्न ही नहीं रहता।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह प्रश्न कभी उठेगा भी नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह गलत है। यह हल्फनामा छपा है, यह राजलदेसर और रतनगढ़–दोनों जगह भरवाया गया था। इसकी कापी में इस सदन की मेज पर रखता हूं। मंत्री महोदय कैसे कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : छपा हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : छपा हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : पार्शियल कंट्रोल की नीति अपनाने के बाद में राजस्थान के अन्दर जितने हलवाई हैं या उनकी एसोसियेशन्स हैं राजस्थान सरकार उनको चीनी कंट्रोल में नहीं दे रही है इसलिए एक जनवरी, 1968 के बाद तो किसी हलवाई को राजस्थान में चीनी नहीं दे रहे हैं, इसलिए 1 जनवरी, 1968 के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। उससे पहले का प्रश्न था यह जो इस प्रकार

(श्री परसराम मदेरणा)
का एफीडेविट लिया जाता है–यह खबर राजस्थान पत्रिका में छपी थी और जब उस पत्र को जिलाधीश ने देखा तो जिलाधीश ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार–क्योंकि नवम्बर-अक्टूबर, 1967 में नायब तहसील दार ओफिसियेटिंग तहसीलदार का काम कर रहा था, उससे स्पष्टीकरण मांगा, उसने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें कहा है कि इस प्रकार का कोई हल्फनामा नहीं भरवाया है। एक बात जरूर है कि हलवाई एसोसियेशन ले जाती थी चीनी, उस समय किसी एक व्यक्ति को चीनी नहीं दे रहे थे, जहां पर एसोसियेशन थी तो उस एसोसियेशन को पूरी की पूरी चीनी दे देते थे, वह आगे जाकर उसे अपने मेम्बरों में वितरित करती थी। तो एक हल्फनामा जरूर एसोसियेशन ने तहसीलदार को दिया था, वह यह दिया था कि जब तक कंट्रोल से चीनी मिलती रहेगी तब तक स्टोल पर चाय बेचेंगे वह चाय पच्चीस नये पैसे की दर पर बेचेंगे, उससे ज्यादा वसूल नहीं करेंगे। वह यह हल्फनामा नहीं था जो एसोसियेशन ने तहसीलदार को लिख कर दिया है जो कि आपने अपने प्रश्न के भाग तीन में इन्वर्टेड कोमाज में राजनैतिक पार्टी का संबंध बताते हुए लिखा है। मुझे जो जानकारी मिली है उसम यह बताया गया है कि इस प्रकार का कोई हल्फनामा नहीं है कि राजनैतिक पार्टी में काम करने वाले को चीनी का कोटा नहीं दिया जायगा। एसा हल्फनामा न तो दिया है और राज्य सरकार ने छपवाया है, न किसी प्रकार का ऐसा आदेश सिविल सप्लाई आथोरिटीज को राजस्थान में दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि राज्य सरकार ने आदेश नहीं दिया होगा, जिलाधीश ने नहीं दिया होगा। लेकिन यह सही है कि हल्फनामा छपवाया गया है, जिसकी प्रतिलिपि मैंने सदन की मेज पर रखी है। माननीय मंत्री जी को इस हल्फनामे को केवल अपनी सूचना के आधार पर डिनाई नहीं करना चाहिए, इसकी उनको जांच करनी चाहिए। जिस तहसीलदार ने यह हल्फनामा छपवाया है वह चाहे इन्चार्ज तहसीलदार हो या चाहे रेगुलर सर्विस का तहसीलदार हो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। यह एक संगीन मामला है और इसमें संवैधानिक अधिकारों का सवाल है। मेरा निवेदन है कि यह साधारण प्रश्न नहीं है। इसके संबंध में आप कार्यवाही करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब हल्फनामे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख रहे हैं तो इसे लाइटली लेने का प्रश्न नहीं उठता। मैं इस प्रश्न में जांच करवाऊंगा, जो आपने प्रिन्टेड हल्फनामा दिया है उसको किसने छपवाया है, किस के आदेश से छपा है, इस प्रकार का राज्य सरकार का आदेश न होते हुए भी यदि हल्फनामा छपा है–इसमें यदि कोई दोषी पाया गया तो कार्यवाही की जायगी। इसमें जांच न करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 123।

श्री ललित सिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री विजय सिंह : 123। अध्यक्ष महोदय ललित सिंह जी के पेट में दर्द है, इसलिए 123 का उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष : 123 आगे बढ़ गया है। 124। श्री रामानन्द अग्रवाल ! देवस्थान।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : 125

श्री रामानन्द अग्रवाल : (सदन में आकर) अध्यक्ष महोदय, 124 !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, 125 का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री ! 125।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 123।

श्री अध्यक्ष : 123 इसके बाद में ले लेंगे।

निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति में सेल्स टैक्स की बकाया

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति में सेल्स टैक्स की रकम करीब पच्चीस हजार की बाकी है ? यदि हां, तो कब से और वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री बृज प्रकाश गोयल) : निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति के नाम से कोई समिति पंजीकृत नहीं है......

श्री जयनारायण सालोदिया : सुनाई नहीं दे रहा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माइक के करीब बोलें।

श्री जयनारायण सालोदिया : अच्छी तरह से बोलें, साहब !

श्री बृज प्रकाश गोयल : निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति के नाम से कोई समिति पंजीकृत नहीं है परन्तु निवाई क्रय विक्रय सहकारी समिति, निवाई के नाम से एक समिति पंजीकृत है जिसमें बिक्री कर के रुपये 24,067.67 बकाया है। यह राशि दिनांक 24-4-66 से बकाया है और बकाया राशि की वसूली के लिए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कार्यवाही किस स्टेज पर है ? अब क्या हो रहा है ? यह कार्यवाही कब से शुरू की आपने ?

श्री बृज प्रकाश गोयल : इस सहकारी समिति ने अपील की हुई है और अपील में उसको दो हजार रुपये जमा कराने की हिदायत की गई। उन्होंने यह रुपये जमा वक्त पर नहीं कराये इसलिए इस पर कुर्की की कार्यवाही हो रही है। इसके लिए प्रावीजन ऐसा है कि कमिश्नर की मंजूरी लेनी पड़ती है। वह कमिश्नर की मंजूरी हो चुकी है और इन्सपेक्टर के पास वारन्ट कुर्की के गये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामानन्द अग्रवाल ! देवस्थान मंत्री !

पुण्य फण्ड से सहायता

124. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतपूर्व अलवर राज्य तथा मत्स्य राज्य में कुछ असहाय महिलाओं के लए व कुछ मन्दिरों के लिए पुण्य फण्ड नाम

Page No. 16

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के मद से मासिक सहायता दी जाती थी ? यदि हां, तो जिनको पुण्य फण्ड से सहायता दी जाती थी, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस फण्ड में मुआफियात के ग्रामों के राजस्व का रुपया जमा होता रहता था ?

(3) क्या यह सही है कि अब कुछ वर्षों से इस फण्ड से महिलाओं एवं मन्दिरों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस फण्ड का रुपया जो पहले से जमा था, मत्स्य के राजस्थान में मिलने के पश्चात् किसी मिल आदि को ब्याज पर दिया गया है ? यदि हां, तो इस फण्ड का कितना रुपया जमा है ?

(5) क्या सरकार विधवाओं को तुरन्त पुराना बकाया वेतन दिलायेंगी और भविष्य में यह वेतन हर माह नियमित रूप से मिलता रहे इसकी व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

देवस्थान मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह मामला सरकार के विचाराधीन था, अब भुगतान आदेश जारी कर दिये हैं।

(4) स्वदेशी कॉटन मिल, उदयपुर को कर्जा देते समय रकम की कमी के कारण इस फण्ड के 9,789.85 रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अन्य सर्टिफिकेटों के साथ बैंक में रख कर रकम उधार ली गई थी। जो पहली किश्त आने पर बैंक से पुन: प्राप्त किये गये और इनकी अवधि समाप्ति होने पर भुनाये जाकर 14,000) रुपये पंजाब नेशनल बैंक, जयपुर में 6 पर्सेन्ट पर एक वर्ष के लिए जमा कराये गये थे। वह रकम मयाद समाप्ति पर वापिस ले ली गई और उसमें से रुपया 6,765) भुगतान के लिये निरीक्षक, देवस्थान, अलवर को भेजे गये है तथा 7,235) रु० राजस्थान बैंक, उदयपुर में 6 पर्सेन्ट ब्याज पर जमा हैं। जो पायन्दगान को उनकी ओर से प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दिये जावेंगे।

(5) भुगतान आदेश जारी कर दिये गये हैं परन्तु फण्ड के अभाव में भविष्य में भुगतान फण्ड होने पर होगा, बाकी बन्द हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस फण्ड में पहले माफियात का रुपया जमा होता था, अब माफियात खत्म होने पर इस फण्ड में रुपया कहां से आयेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो माफियात के बाद रकम रही वह इस कदर है :

विलिनीकरण के समय 9,789 रु० 85 नया पैसा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का 389 रु० और पी० डी० आर० के तहत 162 रु०—इस तरह 10,342 रु० 22 नया पैसा है। मंदिरों का, बेवाओं का 433 रु० 50 न० पै०, मासिक रकम का कुल 5,202 वार्षिक चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पैसा जो आपके पास है वह कुछ वर्षों के लिए है, इस रकम के खत्म हो जाने के बाद बेवाओं और मंदिरों को स्थाई रूप से पैसा कैसे मिलेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : स्थायी तौर से मिलने की व्यवस्था नहीं है, फंड्स हैं, तब तक मिलेगा बाद में अगर फाइनेन्स से मंजूरी आ जायगी तो देवस्थान देगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बकाया बीस वर्ष का है, इसे कब तक दिलाने का विचार है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह 32 महीने की रकम है, इसका भुगतान हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मत्स्य का 49 में विलीनीकरण हुआ, तब से अब तक की बकाया है न?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कुछ दिनों तक तो रकम का भुगतान करते रहे। गवर्नमेन्ट की आज्ञा संख्या 1,364, दिनांक 23-1-64 से बैलेंस रकम का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन नं० 126 बहुत इम्पोर्टेन्ट है, इसका उत्तर दिलवाया जाय। पूछा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पूछा नहीं जाना चाहिये?

श्री जुझारसिंह : पूछा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 126।

फोरेस्ट कमेटी

126. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) [श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) द्वारा पूछा गया] : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कानून के अनुसार हर जिले में तथा हर ब्लॉक (पंचायत समिति) में फोरेस्ट कमेटी का निर्माण होना जरूरी है?

(2) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले में तथा इस जिले की पंचायत समितियों में कोई फोरेस्ट कमेटियां काम नहीं कर रही हैं? यदि हां, तो इसमें किसका दोष है?

(3) ब्लॉक फोरेस्ट कमेटी तथा जिला फोरेस्ट कमेटी की सदस्यता किस किस की है तथा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है?

(4) क्या राज्य सरकार झुंझुनू जिले में इन फोरेस्ट कमेटियों का निर्माण करने तथा इन्हें सक्रिय करने की तरफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उप-मंत्री, वन (श्री कन्हैयालाल): (1) वन जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुच्छेद पर प्रचलित राज्यादेश संख्या एफ० 7(318) रा०क०/60, दिनांक 10-12-60 के अनुसार ऐसी समितियां नियुक्त हुई हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु०) : कुछ भी सुनाई नहीं देता·····

श्री जयनारायण सानोदिया : जोर से बोलो·······

एक माननीय सदस्य : पढ़ना तो आता ही नहीं है, हो गये खड़े पढ़ने····

श्री कन्हैयालाल : (1) वन जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुच्छेद पर प्रचलित राज्यादेश संख्या एफ० 7(318) रा० क०/60, दिनांक 10-12-60 के अनुसार ऐसी समितियां नियुक्त हुई हैं।

(श्री कन्हैयालाल)

(2) इसकी जानकारी सरकार को नहीं है ।

(3) लोकल कमेटी	जिला कमेटी
1. विकास अधिकारी (संबंधित क्षेत्र) (संयोजक)	1. जिले के जिलाधीश (संयोजक)
2. संबंधित क्षेत्र का तहसीलदार (सदस्य)	2. वन संरक्षक सदस्य

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले पढ़ कर आया करो ।

श्री कन्हैयालाल : अभी पढ़ देता हूं, सुनने की क्षमता रखिये ।

3. पंचायत समिति का प्रतिनिधि सदस्य	3. जिला कृषि अधिकारी सदस्य
4. मंडल वन अधिकारी या वन विभाग का अधिकारी जो मंडल उपवन अधिकारी के पद से नीचा न हो ।	4. जिला परिषद् का प्रतिनिधि सदस्य
5. कृषि प्रसार अधिकारी सदस्य	5. अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का एक विधान सभा सदस्य

6. अनुसूचित अथवा अनुसूचित जनजाति का एक सरपंच सदस्य। जहां इन जातियों का सरपंच न हो तो सलाहकार समिति का सदस्य पंच नियुक्त कर दिया जावे ।

बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व संयोजन अधिकारियों का है ।

(4) झुंझुनू जिले में ये समितियां सक्रिय हैं या नहीं, यह जानकारी सरकार को नहीं है । इस बारे में राज्य सरकार ने इन समितियों को सक्रिय बनाने हेतु सभी जिलाधीशों को समय समय पर परिपत्र जारी किये हैं ।

श्री जुझारसिंह : क्या जिला समितियां बनी हुई हैं, सभी जगह काम कर रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : झुंझुनू का बता रहे हैं ।

श्री जुझारसिंह : एम० एल० एज० भी इनमें मेम्बर हैं तो क्या वास्तव में एम० एल० एज० किसी भी जगह पर जिला समितियों में लिये हुए हैं ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : यह समितियां कई डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई हैं । इनके संयोजक समिति स्तर पर बी० डी० ओ० हैं और जिला स्तर पर कलेक्टर हैं । समय समय पर काम होता है तो इनको बुलाया जाता है । कई जगह यह समितियां नहीं बुलाई गई थीं, इसलिए जो ब्रोड लाइन सर्वे कमेटी द्वारा होना चाहिये था वह नहीं हुआ । इसीलिए समय समय पर सर्कूलर जारी किये गये हैं कि जहां जहां विचार करने का है वहां करें ।

श्री जुझारसिंह : फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी ने 59 में रिपोर्ट दी है, उस कमेटी के जो सजेशन्स हैं, उनको केबिनेट ने भी मंजूर किया है, केबिनेट के डिसिजन को कब बदला गया ? जो लिखित कमेटी की रिपोर्ट है उसमें समिति में एम० एल० ए० को चेयरमैन या प्रेसीडेन्ट बनाने का सुझाव कमेटी ने दिया था, जिसको केबिनेट ने मंजूर किया, उसको कब बदला ? यह फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी

(श्री जुझारसिंह)
की रिपोर्ट केबिनेट ने एप्रूव की है, इसको कब बदला गया ? बदला तो क्यों बदला ?

श्री नारायणसिंह : इस समय जिस प्रकार की कमेटियां हैं, वह आपको बता दी हैं। संयोजक जिला स्तर पर कलेक्टर हैं और समिति स्तर पर बी० डी० ओ० हैं।

श्री जुझारसिंह : मेरी जानकारी है कि 26 जिलों में कहीं एम० एल० एज० चेयरमैन नहीं हैं।

श्री नारायणसिंह : अनुसूचित जाति के कहा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अनुसूचित जाति के कहीं पर भी नहीं हैं।

श्री नारायणसिंह : नहीं हैं तो देख कर किये जायेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या अनुसूचित जाति के ही रहने चाहिए, अन्य जाति के नहीं रहने चाहिये ?

श्री नारायणसिंह : अनुसूचित जाति और जनजाति के रखने का यह मकसद है कि जो फोरेस्ट से लड निकले वह ऐसे लैंड लैस लोगों को दी जाय।

श्री जुझारसिंह : फोरेस्ट कमेटी ने डिटेल्ड-रिपोर्ट दी है, बहुत सी शर्तें मंजूर की हैं। फोरेस्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह वन पॉलिसी का आधार है, उसमें तब्दीली हो गई तो क्या फोरेस्ट कमेटी की सभी रिपोर्टों को चेंज कर दिया है ?

श्री नारायणसिंह : उसमें कोई तब्दीली नहीं की है, उस ही के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। कई जगह तो लैंड रिलीज की है।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट सु०) : न अनुसूचित जाति वालों को बुलाया जाता है और न अनुसूचित जनजाति वालों को ही बुलाया जाता है।

श्री नारायणसिंह : इस प्रकार की बात है तो सर्कूलर इश्यू करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जरूर बुलाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जब गवर्नमेन्ट ने सिफारिश को मान लिया तो अमल उसके खिलाफ क्यों हो रहा है ? अगर खिलाफ हो रहा है तो ओरिजिनल गवर्नमेन्ट ने रिकमण्डेशन को माना तो उसमें चेंज कब किया है ?

श्री नारायणसिंह : मेरी समझ में चेयरमैन एम० एल० ए० होना चाहिए यह इसमें नहीं है।

श्री जुझारसिंह : पैरा 23 ऑफ दी फोरेस्ट इन्क्वायरी रिपोर्ट। उसमें गवर्नमेन्ट ने मंजूर किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने रिपोर्ट पढ़ी भी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्रीजी को पूछें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में जो गवर्नमेन्ट ओर्डर है वह पढ़ कर सुनाता हूं। Para 23 of the Forest Enquiry Committee, 1950: "Government order of 3rd

Page No. 20

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

September, 1959 on the report of the Forest Enquiry Committee submitted with the Revenue Department Memo No. 318/258/ F. 15/163/ Revenue-A/58, dt. 3rd September, 1959 was taken up for consideration and approved with the following modifications:

23. It was decided to have a broad land survey what area should be set apart for grazing and for village forests. This survey should be undertaken by a committee at the tehsil level to be called the Local Committee. The committee should consist of an MLA, who will be the President, Pradhan of the Panchayat Samiti, DFO, Sub-Divisional Officer and the Agricultural Extension Officer;" फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की है उससे होगी। This decision is there. इसके मुताबिक ये कमेटियां बनी हैं। गवर्नमेन्ट का यह निर्णय है, इसके विरुद्ध यह अमल क्यों हो रहा है ?

श्री नारायणसिंह : इसी पैरा के अधीन गवर्नर के यहां से नोटिफिकेशन हुआ है:—

"Tehsildar of the area	Member,
Representative of the Panchayat Samiti,	Member,
Divisional Forest Officer or an Officer of the Forest Department or not below the rank of DFO,	Member,
Agricultural Extension Officer,	Member,

एवं अनुसूचित जाति का एक मेम्बर। इसी प्रकार से उसका गठन किया है। इसी प्रकार से जिला लेवल पर

"Collector of the District--	Convenor
Conservator of Forest	Member
District Agricultural Officer	Member
Representative, Zila Parishad	Member.

अनुसूचित जाति और जनजाति। इसके अन्दर कोई अन्तर नहीं हुआ है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अन्तर कैसे नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न इसमें स्पष्ट है कि फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी के मुताबिक क्या क्रियान्विति हुई ? उसमें यह दर्ज है कि एम० एल० ए० उसका प्रेसीडेन्ट होगा, क्रियान्विति हुई तो किस हद तक हुई और किस हद तक नहीं हुई ? इसका स्पष्टीकरण कर दें तो मैं आगे बढ़ सकूं।

श्री नारायणसिंह : यह मुझे स्पष्ट नहीं है एम० एल० ए० चेयरमैन की हैसियत से रखा गया है। यह मैं देख लूंगा। फोरेस्ट इन्क्वायरी को स्वीकार किया गया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह विवाद का विषय नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कहां तक इसकी क्रियान्विति हुई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राज्य सरकार ने निर्णय 3 सितम्बर, 1959 को लिया जिसका हवाला अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है उसको राज्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सरकार ने बदला ? नहीं बदला, तो क्या उस प्रकार की समितियों का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष एम० एल० ए० हो ?

श्री नारायणसिंह : फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी के मोटे निर्णय के अनुसार ही सारा निर्णय लिया गया है और यह नोटिफिकेशन उसी के तहत निकाला गया है। यह ब्राड लाइन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल कुछ और जवाब कुछ । पूछा कहां से आये ह ? तो कहा कि बैंगन लाया हूं। तबियत तो ठीक है ? तो कहा, भून कर खाऊंगा । उसी के अनुसार इनका गठन किया गया है ।

श्री नारायणसिंह : इसमें चेयरमन एम० एल० ए० हो यह कहां लिखा है ?

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : श्रीमान गलत उत्तर दिया जा रहा है । इस तरह की कोई कमेटी अजमेर जिले में काम नहीं कर रही है ।

श्री नारायणसिंह : अजमेर जिले में कमेटी काम कर रही है ।

श्री फतेहसिंह : मैं चुनौती देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सारा स्पष्ट है। इसके संबंध में जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनका स्पष्टीकरण हो जाय कि क्या कमेटियां सक्रिय हैं ? क्या जो कमेटियां बनवाई वह फोरेस्ट इन्क्वायरी रिपोर्ट में उल्लेखित हैं और राज्य सरकार ने मंजूर किया है उसी के माफिक है । खास कर झुंझुनू जिले में ये समितियां सक्रिय हैं या नहीं इसकी जानकारी नहीं । इन सारे प्रश्नों का स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने वाला है और वह फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पोस्टपोन करता हूं ।

श्री श्रवणलाल ।

गंगापुर तहसील का पटवार घर

127. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर तहसील, के पास पुराना पटवार घर था ? यदि हां, तो तहसीलदार ने उसको क्यों बेचा ?

(2) क्या यह सही है कि सूर्यप्रकाश, तहसीलदार, गंगापुर ने उक्त पटवार घर बगैर नीलामी का नोटिस जारी किये बेच दिया ? यदि हां, तो कितनी धनराशि में किसको बेचा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पटवार घर की कीमत उस समय दस हजार से भी अधिक थी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पटवार घर को यदि नीलाम किया गया होता तो राज्य सरकार को दस हजार रुपये से अधिक आय हो सकती थी ?

(5) नियम विरुद्ध बेचने वाले अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो न करने का क्या कारण है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त घटना की जानकारी सवाई माधोपुर, कलेक्टर को भी दी थी ?

(श्री श्रवणलाल)

(7) क्या इस तरह की सरकारी जायदाद को बेचने का अधिकार तहसीलदार को है ?

(8) क्या यह सही है कि सरकारी जायदाद को बेचने की स्वीकृति राज्य सरकार से लेने की आवश्यकता है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां । तहसीलदार ने उसे नहीं बेचा ।

(2) उक्त पटवार घर श्री सूर्यप्रकाश, तहसीलदार, गंगापुर ने बेचा ही नहीं इसलिए नोटिस जारी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(3) जी नहीं ।

(4) पटवार घर बेचा ही नहीं गया अत: 10,000) रु० की आमदनी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(5) जब बेचा ही नहीं गया, तो किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(6) उक्त पटवार घर का आदान प्रदान जिलाधीश, सवाई माधोपुर के आदेश द्वारा इस प्रकार का हुआ है कि 250 4/9 वर्ग गज जमीन नगरपालिका को देकर तहसील की बाउन्डरी के पास 260 वर्ग गज जमीन ली गई है ।

(7) जायदाद बेची ही नहीं गई है । इसलिए अधिकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(8) जायदाद बेची नहीं गई है इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रवणलाल : आपने जैसा बताया कि 250 वर्ग गज जमीन नगरपालिका को दी गई तो क्या यह जमीन उस पटवार घर की थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही है । यह जमीन नगरपालिका को दी गई ।

श्री श्रवणलाल : यह किस आधार पर नगरपालिका को दी गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : तहसील के निकट दूसरी खाली जमीन थी 260 वर्ग गज उसके बदले दी गई है । आदान प्रदान किया गया है ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जिस जगह पटवार घर बना हुआ था उस जगह वह जमीन जोइन्ट थी जो पटवार घर के साथ साथ और भी अन्य पटवार संबंधी ओफिस बनाये जाने को थे, उस दृष्टि से यह आवश्यक नहीं था कि यह जमीन नगरपालिका को उपलब्ध नहीं होनी चाहिये थी और नागरिकों ने इसका विरोध किया था ?

श्री गंगाराम चौधरी : नागरिकों ने विरोध किया उसकी सूचना मुझे नहीं है । पटवार घर के लिये ली गई जमीन तहसील के बिलकुल निकट है उसके बदले दूसरी जमीन दी गई है । राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ ।

श्री दौलतराम सारण : किसकी दरख्वास्त बदलाव किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : तहसीलदार के सुझाव पर कलेक्टर ने यह किया ।

श्री श्रवणलाल : यह ऐसी जगह थी कि यदि इसको नीलामी के रूप में बेचा जाता तो

Page No. 23

(श्री श्रवणलाल)
यह दस हजार की नहीं पच्चीस हजार की जमीन थी, इधर उधर पार करके कागजी कार्यवाही करके उसको बहाने मात्र से हड़प गये, तहसील के अन्दर किसी प्रकार की जमीन नहीं ली गई। यदि इसका आप निरीक्षण करावें तो मालूम होगा कि वास्तव में यह जमीन पटवार घर की है और बहानेबाजी से कन्वर्ट की गई है।

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है। 260 वर्ग गज के बदले यह ली गई है। तहसील के कब्जे में है। उसके ऊपर पटवार घर बनाया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

(12 मध्यान्ह)

रटलाई ग्राम में पम्पिंग सैट के लिये तकावी

128. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आम चुनाव 1965 में चुनाव से पहले झालरापाटन क्षेत्र के रटलाई ग्राम पंचायत के सरपंच व उसके भाई दीगर व्यक्तियों को पंचायत समिति द्वारा पम्पिंग सैट की तकावी की रकमें बांटी गई थीं ? यदि हां, तो किसको किसको कितनी कितनी रकम दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि पम्पिंग सैट आज तक नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां तो क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, बकानी का यह नियम है कि इंजिन आदि खरीद लिये जाने पर ही बिल देखकर रकम दी जाती है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सरपंच, रटलाई को रु० 3,300 व श्री देवलाल को रु० 3,000 का ऋण दिया गया। सरपंच के भाई को कोई ऋण नहीं दिया गया।

(2) श्री देवलाल ने पम्पिंग सैट लगा दिया है। सरपंच, श्री बद्रीलाल ने पम्पिंग सैट नहीं खरीदा।

(3) जी हां ऐसी प्रणाली अब अपनायी जाने लगी है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने जितना लोन दिया उसमें एक ही पम्पिंग सैट लगा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या सरपंच के भाई को लोन दिया गया और उसने भी पम्पिंग सैट नहीं लगाया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बिल्कुल असत्य है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : जिन लोगों ने पम्पिंग सैट के लिये ऋण लेकर भी नहीं लगाया क्या उनसे रकम पी० डी० आर० के तहत वसूल की जा रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रकम वसूल की जा रही है।

श्री जुझारसिंह : कितने आदमियों को ऋण दिया गया और कितनों ने पम्पिंग सैट लगाया ?

Page No. 24

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 11 आदमियों को सेंक्शन हुआ और चार ने लगाया है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : 7 ने क्यों नहीं लगाया ? उसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : नवम्बर, 1966 को पम्पिंग सैट के लिये 11 व्यक्तियों को ऋण दिया गया जिसमें से सात ने नहीं लगाया और 4 ने लगाया । जिन्होंने नहीं लगाया उनकी डिमान्ड बनाकर कलेक्टर के पास विकास अधिकारी ने मय पैनल ब्याज के वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं ।

सरपंच को जो 3,300 रुपया दिया गया उसको भी मय पेनल ब्याज के वसूल करने के आदेश दिये हैं उनमें सिर्फ 560 रुपये बाकी हैं जो एक हफ्ते में वसूल कर लिये जायेंगे, इसी आश्वासन पर सरपंच की अचल सम्पति को कुर्क नहीं किया गया । उन्होंने एक सप्ताह में चुकाने का आश्वासन दिया है अतः उनको एक सप्ताह की मोहलत दी गई है । इसी सप्ताह पूरी रकम वसूल कर ली जायगी ।

प्रश्न संख्या 129 ।

श्री अध्यक्ष : श्री राम चन्द्र आर्य ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 130 ।

श्री देवीदत्त गाडिया ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 131 ।

श्री रतन लाल रोत ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 132 ।

श्री दौलतराम आगरी ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

पंचायत समिति, डीडवाना के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

133. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना, जिला नागौर के प्रधान के खिलाफ कोई शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो 2 अक्टूबर, 1969 के बाद आज तक कौन कौन सी शिकायतें कब कब प्राप्त हुई तथा उन पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त शिकायतों में से किन्हीं शिकायतों में सरकार ने जांच करवाई है ? यदि हां, तो किन किन शिकायतों में कब कब किस किस अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई ? जांच की रिपोर्ट सरकार को कब कब प्राप्त हुई तथा उनमें क्या क्या कार्यवाही सरकार ने की ? सूची सदन की मेज पर मय जांच रिपोर्टों की प्रतियों के रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य के पुलिस विभाग ने किन्हीं मामलों में उपरोक्त समिति के प्रधान के खिलाफ केस चलाने की स्वीकृति पंचायत व विकास विभाग से मांगी ? यदि हां, तो कब कब किस किस मामलों में

(श्री हरजीराम बुरड़क)
और सरकार ने स्वीकृति दी या नहीं। अगर दी है तो कब कब और नहीं दी तो किन कारणों से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां सदन की मेज पर रखी गई सूची में है।

(3) केवल एक मामले में जिसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस मामले में एन्टी-करप्शन विभाग ने जो जांच की जिसका हवाला इस प्रश्न में है उसकी सूची सदन की मेज पर नहीं रखी गई है।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): प्रश्न के भाग 3 में जो मामला है उसकी जांच एन्टी-करप्शन ने की है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसकी जांच के क्या परिणाम निकले?

श्री परसराम मदेरणा : एन्टी-करप्शन विभाग से जांच का परिणाम निकला उसके अनुसार चैनाराम रिश्वत के मामले में दोषी है। उनको प्रोसीक्यूट करने के लिये इजाजत दी जाने को थी।

श्री भैरोंसिंह : यह इजाजत आज तक क्यों नहीं दी गई?

श्री परसराम मदेरणा : यह इजाजत दी गई।

श्री भैरोंसिंह : कब दी गई।

श्री परसराम मदेरणा : 30-3-67 को।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अब तक कोई मुकद्मा प्रोसीक्यूशन का नहीं किया गया?

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : यह क्यों नहीं हुआ?

श्री परसराम मदेरणा : यह इसलिये नहीं हुआ.....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपको याद होगा यह मामला पहले भी उठा था...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इसके फेक्ट्स यह हैं प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन देने के बाद एन्टी-करप्शन विभाग ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा कि जो प्रोसीक्यूशन सेंक्शन इशू की है उसके करने के अन्दर अलग अलग सेंक्शन्स इशू की हैं इनके इशू करने के साथ साथ कुछ फेक्ट्स और लिखे जाने चाहियें। हम भी ऐसा समझते हैं कि प्रोसीक्यूशन सेंक्शन प्रोपरली इशू नहीं हुई इसलिये प्रोपर सेंक्शन इशू की जानी चाहिये। इस बारे में राज्य सरकार ने प्रोपर सेंक्शन कैसे मानी जाय यह जानने के लिये इस बारे

(श्री परसराम मदेरणा)
में विधि विभाग की राय मांगी है और उन्होंने जो राय दी है उसके अनुसार राज्य सरकार किसी भी चुनी हुई बाडी के लिये सेन्सर रेकार्ड करती है तो तमाम एवीडेन्सेज सरकम्सटेन्शियल एवीडेन्सेज को देकर माइन्ड एप्लाई करना चाहिये। इसके अभाव में एन्टी-करप्शन एक्ट, 1958 के विरुद्ध पड़ता है फाइल देख कर के सेंक्शन एकोर्ड करनी चाहिये।

पिछली साल मैंने इन्वेस्टीगेशन की फाइल मंगाई। पहले एन्टी-करप्शन विभाग ने कहा हमारे पास नहीं, होम डिपार्टमेंट को भेजी गई। हमने होम डिपार्टमेंट को फाइल भजने के लिये कहा। लेकिन अभी तक फाइल नहीं आयी। फाइल आने पर मैं अपना माइन्ड एप्लाई करने के बाद ही कुछ कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन जिस समय राष्ट्रपति शासन था उस समय पंचायत विभाग ने राज्यपाल महोदय को सारी फाइल निरीक्षण के बाद उन्होंने अपनी कलम से दी थी उसके बाद वर्तमान मंत्रिमण्डल के पंचायत मंत्री ने इस सेंक्शन को विथड्रा करने की कोशिश की ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सेंक्शन का दूसरा मामला है जिसको आप इससे लिंक कर रहे हैं। एन्टी-करप्शन से जो केस आया है उसका प्रेसीडेण्ट रूल में पुनरावलोकन विकास विभाग ने नहीं किया। प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन दी थी वह सेंक्शन प्रोपर नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : प्रेसीडेन्ट रूल में जिस केस का जिक्र है क्या इस बारे में विकास विभाग के सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटर के सामने प्रस्तुत नहीं किया जिसमें भूतपूर्व पंचायत मंत्री द्वारा यह लिखा हुआ नहीं था कि प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन दे दी जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा वर्तमान पंचायत मंत्री इस मामले में प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन नहीं दे सकते। इन्होंने ही इस मामले को निर्बल करने का प्रयत्न किया है। यह मामला जिनसे सम्बन्ध रखता है वे एक पंचायत समिति के प्रधान है सरकार ने जो सूची दी है उसके अनुसार उनकी 18 मामलों में जांच हुई है, सरकार ने हर स्तर पर इस व्यक्ति को हर मामले में दोषी पाया है। सरकारी अधिकारी को पीटने का सवाल, रकम की गबन का सवाल हो, जीप को जलाने का मामला हो जिस जिस मामले की पुलिस विभाग ने जांच की है उसको उसमें दोषी पाया है। इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा अपराध नहीं किया जो ताजीरात हिन्द की दफा में न आता हो। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है इस सरकार ने मामूली मामूली अपराधों में पंचों, सरपंचों को सस्पेण्ड किया है। आप तहसील पंचायत की मीटिंग में कभी शामिल नहीं हुए, प्रधान ने आदेश दिया उसकी तामील नहीं की इसी बिना पर पंचों और सरपंचों को सस्पेण्ड किया गया है लेकिन इस चैनाराम को जो डीडवाना पंचायत समिति का प्रधान है ताजीरात हिन्द की प्रत्येक धारा में जो अपराध आता है वह सब अपराध इसने किये हैं लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती।

(श्री भैरोंसिंह)

जब राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटर का शासन था उस समय इनकी फाइल मंगाई गई थी। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उस समय के पंचायत मंत्री ने उस फाइल पर लिखा था कि इनका प्रोसीक्यूशन किया जाय, आज तक उनका प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ। जिस समय राष्ट्रपति शासन था उस समय मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को पत्र लिखा कि इनको प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन दी जाय। उस समय उन्होंने प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन दे दी लेकिन खेद है कि वर्तमान पंचायत मंत्री ने उसको विथहेल्ड कर दिया। यह निश्चित है कि जिस व्यक्ति ने राजस्थान के वर्तमान वित्त मंत्री को चुनाव में जिताया, जिन्हीं के कारण इस प्रधान की सारी हरकतें हुईं उनका प्रोसीक्यूशन वर्तमान पंचायत मंत्री के रहते होना नामुमकिन है। मैं मुख्य मंत्री और पंचायत मंत्री दोनों को चुनौती देकर कहता हूं कि जो जो भी शिकायतें इस प्रधान के खिलाफ हुई हैं जिनमें प्रत्येक में उसको दोषी पाया गया है यदि उनमें से एक भी शिकायत गलत साबित हो तो मैं सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा वरना मुख्य मंत्री सदन से त्याग पत्र दें। आज यह बड़े शर्म की चीज है कि एक तरफ तो मामूली अपराध पर ही पंच, सरपंचों को सस्पेण्ड कर दिया जाता है लेकिन जो प्रधान एक डाकू बैठा हुआ है जो बी० डी० ओ० को कुछ नहीं गिनता, विकास अधिकारी के जूते मार देता है, पंचायत समिति की जीप को जला देता है उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपके वित्त मंत्री को अनुचित तरीके से जिताया है। आज आपने ऐसे डाकू को प्रोटेक्शन दे रखा है। सुखाड़ियाजी आपके राज्य में यह एक ऐसा प्रधान है जिसको कोई भी अपराध करे सभी माफ हो सकते हैं। जो यह प्रधान है, वह दुनिया भर के अपराध कर सकता है। सुखाड़ियाजी के नाम पर अपराध किया है। उसके ऊपर, उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा, जो मौजूदा मंत्री हैं, उनसे तो मैं आशा नहीं करता हूं कि वे उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकेंगे। यह मामला सच्चा है, सीरियस है।

श्री परसराम मदरणा : जो मुद्दे माननीय सदस्य ने उठाये हैं, उनके उत्तर में मैंने यह बताया कि जो केस एण्टी-करप्शन के अन्दर चल रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट ने सेंक्शन नहीं दी है। इसको मैं करेक्ट करता हूं। यह सही है कि जनवरी, 66 की सेंक्शन को विथहेल्ड कर दिया गया। फिर यह कागज प्रेसीडेण्ट रूल के अन्दर दुबारा पेश हुआ। प्रापर सेंक्शन इश्यू हुई। जनवरी में इश्यू होने के आर्डर हुए किन्तु वह प्रचारित नहीं किया गया लेकिन उस पर स्थगन आदेश दे दिये गये थे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रधानों के ऊपर एक्शन लेने का सवाल है, पंच, सरपंच हैं, पंचायत समिति के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, उनके खिलाफ जो कार्यवाही की जाती है, वह पंचायत एक्ट और पंचायत समिति एक्ट के नीचे बने हुए नियमों के अनुसार की जाती है। (शोरगुल) नियमों के अन्दर प्रिलीमिनरी इनक्वायरी की जाती है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर .....

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस के सरपंचों के खिलाफ गवनमेंट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ....

(शोरगुल)

Page No. 28

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज.····

श्री देवीदत्त गाड़िया : जनसंघ के सरपंचों को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है । उनको जेल के अन्दर रख दिया जाता है । वहां कानून कहां गया ? पंचायत एक्ट कहां गया ? जनसंघ के सरपंचों को बिना किसी कलेक्टर की स्वीकृति के जेल में रखा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी का उत्तर सुन लीजिये, माननीय सदस्य ?

श्री मदनसिंह : आपकी व्यक्तिगत राय इसके सम्वन्ध में क्या है मंत्री महोदय ?

श्री परसराम मदेरणा : सरपंच, पंच या जो पंचायत समिति के सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुखों के खिलाफ जो जांच के मामले हैं, उसमें मैं कोई व्यक्तिगत राय नहीं रखता। प्रिन्सीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की फारमेलिटीज के बाद केस को देखा जाता है और अगर उसमें वह दोषी पाया जाता है तो उसको सजा दी जाती है । दोषी नहीं पाया जाता है तो उसको बरी किया जाता है । यह एक एक्जीक्यूटिव मामला है । ऐसे मामलों में प्रिन्सीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की फारमेलिटीज के बाद स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है । जिला परिषद् को कन्सलटेशन के लिये भेजा जाता है । यह सब होने के पहले कानून के नीचे कोई कार्यवाही नहीं कर सकते । जिला परिषद् को यह केस भेजा गया । जिला परिषद् ने कोई चार महीने से ज्यादा फाइल रखी । चार महीने बाद उसने राज्य सरकार को सलाह दी है । जो प्रश्न पूछा गया, उसमें तमाम जांच रिपोर्टस् को सदन की मेज पर रखने को कहा गया है । अध्यक्ष महोदय, यह कानूनी मामला था इसलिये मैंने इसको ला डिपार्टमेन्ट को रेफर किया । वहां से रात को ही फाइल आई है । वह फाइल मैं यहां लाया हूं और अध्यक्ष महोदय, इस फाइल को आपको दिखा सकता हूं । इसलिये एक दिन में कोई एक्शन लेने का प्रश्न नहीं उठता । मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक एण्टी-करप्शन का केस है वह फाइल मेरे पास पहुंचने के बाद यदि मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूं, तो प्रोसीक्यूट करने की इजाजत दे दूंगा । यदि नहीं होता हूं तो इजाजत नहीं दूंगा ।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : श्री दामोदरजी व्यास सेटिस्फाई हो गये, थे परन्तु मंत्री महोदय आप नहीं होंगे ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : परसरामजी आप हिम्मतवर नहीं हैं । आप डरते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने जो लिस्ट दी है, जो इनक्वायरी इन्स्टीट्यूट की है, डीडवाना पंचायत समिति के प्रधान, श्री चैनाराम के खिलाफ उसमें पहली शिकायत 28-9-62 की विकास अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार तथा अनियमित कार्य करना है । दूसरी 3-10-62 की इसी प्रकार है । 1-12-62, विकास अधिकारी व स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार, कोष का दुरुपयोग, अनियमित कार्यवाही तथा अनधिकृत कार्य । 7-1-63 की शिकायत में सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार तथा मनमानी कार्यवाही करना, नियमों के विरुद्ध मनमाना कार्य करना । मनमानी कार्यवाही क्या है, एक सदस्य की मूंछ उखाड़ दी । वह व्यक्ति एक सांसी है, शिड्यूल्ड कास्ट्स का था ।

(श्री भरोसिंह)

इसकी जांच की गई। कोर्ट में बयानात हुए। यह सांसी खूबसूरत था। चैनाराम की शक्ल का ही था। चैनारामजी ने कहा, यह सांसी कैसे मेरे बराबर मूंछे रख सकता है। उन्होंने कहा, मेरे एरिया में कोई व्यक्ति अगर मेरी जैसी मूंछें रखे तो उखड़वा दूंगा। उन्होंने उस सांसी की मूंछें उखड़वा दीं। तहसील, कोर्ट में बयान हुए। उन बयानों को आप देख लीजिये। फिर 7-1-63 को नियमों के विरुद्ध मनमाना कार्य करने की शिकायत हुई। 11-1-63 को विकास अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार, 1-2-63 को भी इसी प्रकार की शिकायत। 19-2-63 व 17-7-63 को मनमानी कार्यवाही तथा अभद्र व्यवहार। 15-9-63, 14-10-65, 15-4-65, 19-5-65 की भी शिकायत हैं। 22-9-65 को कोष का दुरुपयोग व अनियमित कार्यवाही करने की शिकायत है फिर 11-10-65, 13-1-66, 28-3-66 की शिकायतें हैं। 17-8-67 को कृषि प्रसार अधिकारी के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार की शिकायत है। अब चैनाराम के खिलाफ किस प्रकार के आरोप आप चाहते हैं। एक लिस्ट में ही ये सारे मामले आ गये हैं। कौनसे आरोप साबित नहीं हैं। कलेक्टर की जांच से साबित हो गये हैं। दूसरी जांच से साबित हो गये किन्तु अभी तक आपने इसको प्रोसीक्यूट नहीं कराया है। अध्यक्ष महोदय जो व्यक्ति इतना अन्याय कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। विरोधी दल का कोई पंच, सरपंच ऐसी बात कर दे तो उसे तुरन्त सस्पेन्ड कर दिया जाता है। आखिर चैनाराम के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार क्यों कतरा रही है? वर्ष गुजरने के बाद भी इस प्रकार की गलत कार्यवाही करने वाले के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही न करे तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगर इसी तरह से सरकार गलत व्यक्तियों को प्रोत्साहन देती रही तो पंचायतों का विकास नहीं कर सकेंगे····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ?

(व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम यह जुल्म अत्याचार नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बोल चुके हैं। मन्त्री महोदय····

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्रीजी ने यहां कहा ही है यह केस लॉ डिपार्टमेंट से उनके पास आया ही है अतः कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। उसको एग्जामिन करके, फरदर क्या····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फरदर इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसका एग्जामिन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो एक्शन लेने की आवश्यकता होगी, वह लेंगे।

(शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : जल्दी से जल्दी जैसी भाषा का प्रयोग कर आप इस केस को दबाना चाहते हैं। मुख्य मन्त्री महोदय हिम्मत हो तो आप न्याय करिये····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य, आप तीन बार बोल चुके हैं। आर्डर, आर्डर ।

श्री हरजीराम बुरड़क : इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तो मुख्य मंत्रीजी को····

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर, आर्डर ।

श्री सारण ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है। मुख्य मंत्रीजी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हम आशा करते हैं शायद कार्यवाही की जायगी। आशा इसलिए कहा है कि सन् 62 से लेकर 68 आ गया तब तक तो कार्यवाही हुई नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक मामूली सी रिपोट पर पंचायत समिति के प्रधान को सस्पेन्ड कर देते ह, बिना एन्क्वायरी के उनको दो-दो वर्ष तक सस्पेन्ड रखा जाता है। सरपंचों पर सवा-सवा रुपये, ढाई-ढाई रुपये और 5-5 रुपये की रोकड़ में भूल हो जाने के आधार पर आरोप लगाये जाते हैं दो-दो वर्ष से सस्पेन्ड पड़े हुए हैं और एक तरफ इतना गंभीर मामला है जिसकी कोई कार्यवाही नहीं होती। जिसके खिलाफ इतने चार्जेज लगाये गये हैं। वस्तुस्थिति का चित्रण तो यह है। यह सब राजनैतिक आधारों पर कार्यवाही की जाती है।

एक माननीय सदस्य : कानूनी कार्यवाही में तो देरी होगी ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन·····

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आन ए पाईन्ट ऑफ आर्डर सर। मेरा निवेदन यह है कि प्रश्नों के लिए जो है जितना प्रश्न पूछा जाता है, उतना जवाब दिया जाय·····

(शोरगुल, अश्रव्य)

मुझे कहने दिया जाय, अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्नों के लिये आध घंटे के लिये अलग से समय दिया जा सकता है लेकिन इस तरह······

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

तारांकित प्रश्न करते हैं और बहुत विस्तार से करते हैं। इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि प्रश्नों के समय भाषण मत करिये और एक एक माननीय सदस्य भाषण करे तो मैं समझता हूं कि उतना ही प्रश्न किया जाना चाहिये जितना तारांकित प्रश्न में दिया हुआ है।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाईन्ट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उसके लिये आप अलग व्यवस्था करें लेकिन इसके लिये सदन में·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह व्यवस्था का सवाल जो माननीय सदस्य ने उठाया है उसके लिए मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
महोदय जब आसन पर हैं और किसी सदस्य को अनुमति प्रदान नहीं करते हैं फिर भी माननीय सदस्य (श्री शंकरलाल) बाधा उपस्थित करते हैं तो यह सदन की व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था है। इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से सदन में सन्तोष नहीं हुआ और माननीय मंत्री महोदय ने राजनैतिक आधार पर 62 से 68 तक लगातार इतनी बार शिकायतें होने के बावजूद इस प्रधान के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। पिछले सत्र में जिस व्यक्ति की मूछें उखाड़ लीं वह सदन में आया था। सदन के अनेक माननीय सदस्यों को उखाड़ी गई मूछें बताईं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह की सारी कार्यवाही हुई है, उसका प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ। राजनैतिक आधार पर फाइल को दबा कर बैठ गये। प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन न दें, अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई आगे की जायगी यह थोथा आश्वासन है। इसको अबेक करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसको संरक्षण देना चाहते ह।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने माननीय रामदेव सिंह को काले झंडे दिखाये। उसको हथकड़ियां पहनाई गईं, उसको मुलजिम बनाया गया एक-एक रुपये के मामलों पर सस्पेन्ड किया गया। यह सब राजनैतिक आधार पर, राजनैतिक विद्वेष के कारण हथकड़ियां डाली गई और दूसरी तरफ जयनारायण, प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना के खिलाफ गंभीर आरोप हैं जो कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस सरकार के नेताओं को जिताने वाला है उसके प्रोसीक्यशन के कागजात को दबा दिया गया···

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

इसमें विधि विभाग की शरण ली जा रही है और मुख्य मंत्रीजी आप उस पर मोहर लगाना चाहते हैं। अपने अपने जैसे लोगों को जो ताजीरात हिन्द की दफा तोड़ते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

राजस्थान में कई मोहनलाल सुखाड़िया पैदा करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार का हम घोर विरोध करते हैं और हम इस सरकार की भर्त्सना करते हैं। ताजीरात हिन्द के तहत उसका प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह गंभीर मसला है। सिद्धान्तों का सवाल है, उसूलों का सवाल है। सरकार का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। ऐसे घोर अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इसी सिद्धान्त के आधार पर मैं और मेरे साथी सरकार की घोर निन्दा करते हुए, सरकार की भर्त्सना करते हुए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,······

श्री अध्यक्ष : बहिर्गमन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी से जरा यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप विरोधी पक्ष की पंचायत समितियों के प्रधानों के खिलाफ एक्शन लेते रहे हैं छोटी छोटी बातों

Page No. 32

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर । इस मामले में तो जितने तथ्य आपके सामने आये हैं क्या आप यह महसूस करते हैं कि ये सब तथ्य उसको सस्पेन्ड करने के लिये भी नाकाफी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम उनको फौरन सस्पेन्ड करने के आदेश दें ।

श्री अध्यक्ष : अब कोई स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : यह जो मौजूदा रवैया है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिलेवेन्ट नहीं है साहब ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! प्रश्न समाप्त हुए ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री हीरा भाई, एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर । यह जो प्रश्न लग गया है, इसको भी मैं स्थगित करता हूं । प्रश्न समाप्त हुए ।

(शोरगुल, व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री हीरा भाई : कम से कम इस परिस्थिति में गंभीरता से विचार करें यह मैं निवेदन करूंगा । हमारे सुखाड़िया साहब वहां पधारे, लोगों ने प्रदर्शन किया

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया है। मैं इसको वापिस ले लूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

माननीय सदस्य । स्थान ग्रहण करें । (श्री हीरा भाई के बराबर बोलते रहने पर) भाषण को रिकार्ड नहीं किया जाय । आर्डर आर्डर ।

(श्री परसराम मदेरणा, श्री दुर्गालाल बाढ़दार दोनों एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस जनतन्त्र की रक्षा करने की दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसी की बात को नहीं रखा है । एक छोटी सी बात है, एक साधारण सी बात और जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर यह उठाया गया है, जिस आदमी को लेकर

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः विचार करूंगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : विरोधी दल की ओर से मांग की जाती है तो आप....

श्री अध्यक्ष : बहिर्गमन पर है। बहिर्गमन पर कोई वक्तव्य नहीं होता ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बहिर्गमन पर जाना चाहते हैं लेकिन जाने से पहले यह बताना चाहता हूं कि हम न्याय की मांग करते हैं और एक छोटे से न्याय की मांग मंजूर नहीं होती तो हम क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार जनतन्त्र की रक्षा कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं इसका विरोध करते हुए अपने दल को निवेदन करते हुए बहिर्गमन करता हूं ।

Page No. 33

श्री अध्यक्ष : वहिर्गमन ।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

(शोर गुल, व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : एक सैकिन्ड, अध्यक्ष महोदय, जरा सा है । (कविता पढ़ी गई)

श्री अध्यक्ष : रेकार्ड नहीं किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : एक बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है साहब 135 नम्बर का ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न समाप्त हो गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न सं० 135 ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि मुझे इस प्रश्न का लिखित रूप से जवाब मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैं बाद में बता दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए प्वाईन्ट ऑफ आर्डर, सर । इस प्रश्न के बारे में जिस प्रकार की व्यवस्था है, वह समय के अभाव के कारण है या गवर्नमेन्ट से उत्तर नहीं आया तो इसको पोस्टपोन करना चाहते हैं । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि क्या सरकार ने इस प्रश्न के बारे में पोस्टपोन की मांग की है या सरकार आज ही उत्तर देने वाली है ।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : Which question ?

श्री सतीशचन्द्र : 135 ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित कर रहा हूं । उत्तर नहीं आया । उत्तर के अभाव में ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ठीक है ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीगंगानगर जिले की शराब की दुकानें

119. **श्री बीरबल** (संगरिया सु०) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि श्रीगंगानगर जिले के शराब के ठेकेदारों ने ग्रामों में बिना विभागीय स्वीकृति के शराब बेचने की दुकानें खोल रखी हैं और ऐसी दुकानों पर खुले आम शराब बेची जाती है ? अगर हां, तो ऐसी दुकानों के ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) विभाग से स्वीकृत शराब की दुकान जिले में किस किस गांव में है और उनको स्वीकृति कब कब दी गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(2) विभाग द्वारा स्वीकृत दूकानों की सूची संलग्न है । इनमें से 28 दूकानें एवं 20 उप-दूकानें बीकानेर स्टेट के समय से स्वीकृत हैं । शेष वर्ष 1962-63 से स्वीकृत हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

नाहर मगरा में लीज पर दी गई भूमि

123. **श्री ललितसिंह** (बड़ी सादड़ी) : क्या वन मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा 30 एकड़ जमीन श्री दुर्गेश जोशी को नाहर मगरा (मावली तहसील) में लीज पर दी गई ?

(2) यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ?

(3) क्या उक्त जमीन को लीज पर देने के पूर्व लीज डीड श्री दुर्गेश जोशी द्वारा लिखा गया ? यदि हां, तो उक्त जमीन की सालाना कितनी रकम लगान निर्धारित की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त लीज डीड का प्रारूप अभी तक विधि विभाग में परीक्षण हेतु पड़ा हुआ है ?

(5) क्या यह सही है कि लीज डीड के मुकम्मिल होने के पूर्व ही उक्त जमीन श्री दुर्गेश जोशी के कब्जे में दिये जाने को आदेश सी०ई०एफ० द्वारा दिये गए, जिसके फलस्वरूप वन अधिकारी ने मौके पर जाकर जमीन का कब्जा श्री जोशी को दिया ? यदि हां, तो क्या जिलाधीश को भी इस स्थानान्तरण से अवगत कराया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 5-7-68 को। शर्तें संलग्न हैं।

(3) जी हां, लगान की रकम अभी निर्धारित नहीं हुई।

(4) जी नहीं।

(5) राज्य सरकार ने 30 एकड़ भूमि वनौषधि उत्पादन केन्द्र स्थापित करने हेतु 10 साल की अवधि (जो आगे बढ़ाई जा सकती है) तथा जिलाधीश, उदयपुर की सम्मति के अनुसार प्रीमियम रेन्ट जो राजस्व विभाग द्वारा ऐसी भूमि का लिया जाता है निश्चित कर नियमानुसार लीज लिखवाकर देने की स्वीकृति दी। इसके लिये जिलाधीश को भी सूचित किया गया था।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

मलेरिया उन्मूलन विभाग

129. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नौहर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मलेरिया उन्मूलन विभाग में कितने कर्मचारी हैं ?

(2) इसमें दवाइयों का वार्षिक व्यय कितना है और कुल व्यय कितना ?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में मलेरिया रोग पैदा करने वाला मच्छर बहुत पैदा हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि इस विभाग को समाप्त करने की योजना बन रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के पास क्या क्या साधन उपलब्ध हैं ?

(6) क्या यह सही है कि मच्छरों को मारने के लिये जो दवाइयां काम में ली जाती हैं, वे घटिया किस्म की होने के कारण मच्छर मरता नहीं है ?

उत्तर

(1) कुल 3,390 कर्मचारी हैं ।

(2) दवाइयों का वार्षिक व्यय–28,52,812.58 न० पै० कुल 93,86,327 है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(5) आवश्यकतानुसार एवं केन्द्रीय मलेरिया उन्मूलन निदेशालय के आदेशानुसार सभी साधन उपलब्ध हैं ।

(6) जी नहीं ।

महुआ के जंगल का ठेका

130. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आज के करीब 4-5 वर्ष पूर्व शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम कैलवाड़ा में आदिवासियों, सहरियों की सहकारी समिति को महुआ के जंगल का ठेका दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो किस तारीख को कितने रुपयों में महुआ का ठेका दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि सहरिया सहकारी समिति, कैलवाड़ा को महुआ के जंगल के ठेके का कार्य सुपुर्द नहीं किया जाकर किसी व्यक्ति को ठेका दे दिया गया ? यदि हां, तो सोसाइटी को ठेका क्यों नहीं दिया है ? किसी अन्य व्यक्ति को ठेका कितने रुपयों में और किस नियम से दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि इस महुआ के जंगल के ठेके को लेकर राज्य सरकार के पास जंगलात विभाग के अधिकारी के विरुद्ध जांच हेतु शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(स्थगित किया गया)

सिंचाई योजनाओं का सब

131. **श्री रतनलाल रोत** (चौरासी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में छोटी एवं बड़ी सिंचाई की सर्वे की हुई कुल कितनी योजनाएं विभाग में पड़ी हुई हैं ?

(2) इन योजनाओं की अलग अलग लागत क्या है और उनको सम्पन्न करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता ही ?

(3) क्या जिला डूंगरपुर की छोटी एवं बड़ी सिचाई की कोई योजनाएं सर्वे की हुई हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनको कब तक सम्पन्न किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) 11 बड़ी व 21 छोटी ।

(2) सूची संलग्न है । इनको पूर्ण करने हेतु क्रमश: 917 लाख व 134 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी ।

(3) जी हां, एक बड़ी व 3 छोटी । यदि योजनाएं तकनीकी दृष्टि से लाभप्रद हों तो प्रशासनिक स्वीकृति के बाद धन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ की जा सकेंगी ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

रायपुर (जिला पाली) में सैनिकों के भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र

132. **श्री दौलतराम आगरी** (देसूरी-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रायपुर, जिला पाली में कुल कितने सैनिकों के भूमि आवंटित करने के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि एक बार इस बाबत कार्यवाही करने हेतु दिनांक 10-1-68 को सभा बुलाई गई थी एवं सदस्यगण उपस्थित होने की दशा में भी सभा स्थगित कर आगे रखी गई एवं आगे रखने के बावजूद भी निश्चित तारीख पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(दि० 9-9-1968 के लिये स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्टाम्प्स की बिक्री

122. **श्री दुर्गालाल बादवार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दो सौ रुपये तक के मूल्य के स्टाम्प्स लाइसेन्स्ड स्टाम्प विक्रेताओं को बिक्री के लिये दिये जाने की जो कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है वह किस स्टेज पर है और इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

एग्जीक्यूटिव वर्कर्स यूनियन का रजिस्ट्रेशन

123. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एक्जीक्यूटिव वर्कर्स यूनियन नाम से एक असिस्टेन्ट इन्जीनियरों और जूनियर इन्जीनियरों का एक संगठन निर्मित हुआ है जिसने इण्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स को दिया हुआ है ? यदि हां, तो यह प्रार्थना-पत्र कब दिया गया था ?

(2) क्या इस यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त यूनियन ने एक रिमाइन्डर दिनांक 2-2-68

Page No. 37

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स को भेजा है ? क्या इसका कोई उत्तर यूनियन को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। आर० एस० ई० बी० एग्जीक्यूटिव वर्कर्स यूनियन के नाम से एक संगठन का निर्माण हुआ है जिसका गठन दिनांक 18-12-67 को बतलाया गया है। उक्त संगठन ने अपना प्रार्थना-पत्र इण्डियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट, 1926 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु इस कार्यालय में दिनांक 3-1-68 को प्रस्तुत किया था।

(2) यूनियन का पंजीकरण नहीं किया गया है क्योंकि इन असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स को सुपरवाईजरी अधिकारों के अतिरिक्त मैनेजीरीयल नेचर के अधिकार भी प्राप्त हैं।

(3) जी हां। यूनियन से दिनांक 2-2-68 को एक रिमाइन्डर प्राप्त हुआ था। उक्त संबंध में यूनियन को रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पत्र संख्या एफ० 4 (4) 68/2984, दिनांक 20-2-1968 द्वारा उत्तर दे दिया गया है कि वे वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं।

(प्रति संलग्न है)

इस उत्तर के प्राप्त होने के पश्चात् उक्त यूनियन ने अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत पंजीयन के आदेश के विरुद्ध जिला जज के समक्ष अपील प्रस्तुत करदी है जो कोर्ट के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

माथुर कमेटी की सिफारिशें

124. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माथुर कमेटी की सिफारिशों को जो कि श्रमिक वर्ग के लिए मंहगाई भत्ते के बाबत थी अजमेर जिले के किन किन उद्योगों में लागू कराया गया ?

(2) अजमेर जिले में ऐसे कितने उद्योग हैं जिनमें 50 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं लेकिन उन उद्योगों में माथुर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं ?

उत्तर

(1) माथुर कमेटी की सिफारिशें अजमेर जिले में किसी भी उद्योग में लागू नहीं हुई हैं।

(2) अजमेर जिले में टैक्सटाइल उद्योग को छोड़कर चार प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनमें 50 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं और जिनमें माथुर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की गई है।

(श्री अमीनद्दीन)

राजा-महाराजाओं के शिकारगाहों की निगरानी

125. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या वन मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजा-महाराजाओं के जंगलों में शूटिंग परमिट नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और किस नियम के आधीन ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रक्खें।

(2) क्या यह सही है कि इन जंगलों में शिकार की देखभाल फोरेस्ट गार्डस द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) यदि इन जंगलों में कोई व्यक्ति शिकार करता है, तो वन विभाग की कहां तक और कितनी जिम्मेवारी है और किन नियमों के तहत ?

(4) क्या वन विभाग के लिये राजा-महाराजाओं के शिकारगाहों में निगरानी रखना फोरेस्ट एक्ट के तहत आवश्यक है ? यदि हां, तो किस धारा के अधीन ?

उत्तर

(1) जी हां, भूतपूर्व राज्यों के राजा-महाराजाओं के निजी वनों में वन विभाग द्वारा शूटिंग परमिट नहीं दिये जाते और न उन राजकीय वन खण्डों के लिये शिकार परमिट दिये जाते हैं जिनमें इन राजा-महाराजाओं तथा उनके कुटम्बियों को शिकार के केन्द्रीय सरकार ने एकाधिकार (एक्सक्लूजिव शूटिंग राईट्स) दिये गये हैं। राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 87 तथा शिकार नियमां, 1957 के नियम 4 के अनुसार। प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(2) जी हां, निजी वनों को छोडकर जिन वनों में केवल शिकार के एकाधिकार का प्रावधान है वे राजकीय सम्पति माने गये हैं अतः उनकी सुरक्षा हेतु वन रक्षक रखे जाते हैं।

(3) वन विभाग की जिम्मेदारी राज्यादेश तथा सम्बन्धित नियमों की पालन कराने तक है। अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) शिकारगाह राजकीय वन होने के कारण उनकी सुरक्षा वन अधिनियम की धारा 26 तथा 30 के अनुसार की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

वनों से आय

126. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में हर साल वनों से कितनी आमदनी होती है और कितना खर्चा ? क्या इस आमदनी को बढ़ाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) विभाग की कितनी राशि कब से किस किस में बकाया है और उसकी वसूली के लिये क्या प्रयत्न चल रहे हैं ?

(3) वन जीवों के संरक्षण के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य में हर साल वनों से औसतन आमदनी एक करोड़ तेरह लाख सैंतालीस हजार पांच सौ अठारह व औसतन खर्चा एक करोड़ दस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बानवे होता है। आय बढ़ाने के लिये सरकार ने कटे हुए वनों को सुधारने के लिये और नये वन लगाने की योजना बना रही है जिस पर पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार कार्यवाही हो रही है।

(2) दिनांक 31-3-68 को होने वाली बकाया की स्थिति की सारिणी संलग्न करदी है। वसूली के लिये पी०डी०आर० एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट व सहकारी समितियों के माल की बिक्री से बकाया की वसूली की जा रही है इसके लिये वन अधिकारी भी प्रयत्नशील हैं।

(3) वन सीमा में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 1953 के अधिनियम के अन्तर्गत नियम बने हुए हैं जिसके अनुसार बिना अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जीवों का शिकार नहीं हो सकता वन सीमा के बाहर राजस्थान पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत निषेधकाल घोषित किया गया है जिसमें उन जीवों को मारना या पकड़ना अपराध है। इसके अतिरिक्त वन जीवों की सुरक्षा के लिये नौ वन पशु पक्षी विहार स्थापित किये हुए हैं व पांच चिड़िया घर भी हैं। जहां दुर्लभ वन जीवों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

कन्सेन्ट्रेटेड एरियाज में चराई की दरें

127. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमण्डी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा, झालावाड़ व बारां फोरेस्ट डिवीजन में कौन कौन से ब्लॉक चराई की दृष्टि से कैटल कन्सेन्ट्रेटेड एरियाज घोषित किये जा चुके हैं ? कृपया तफसील बताने का कष्ट करें ?

(2) कन्सेन्ट्रेटेड एरियाज में अलग अलग किस्म के मवेशियों पर किन रेटों पर क्या क्या रकम वसूल की गई है ?

(3) लाडपुरा रेन्ज में घोषियान व काश्तकारान से अलग अलग क्या चराई रेट ली जाती है और दोनों मदों में कितने जानवरों पर क्या चराई वसूल की गई है ?

(4) कोटा डिवीजन में ऊंटों की चराई की क्या रेट है और इस मद में कितनी आमदनी महकमे को हो रही है ?

(5) सेंक्च्यूरी की हद में बसने वाले मवेशियों के हक चराई व रेट क्या होंगे ? व कोटा डिवीजन के कितने गांवों की सरहद सेंक्च्यूरी की हद में आई हुई है ?

उत्तर

(दिनांक 9-9-1968 के लिये स्थगित किया गया)

सांकड़ ग्राम पंचायत के व्यक्तियों के राशन कार्ड

128. **श्री आईदान सिंह** (भीनमाल) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला जालौर के सांकड़ ग्राम पंचायत के करीब 27 व्यक्तियों के राशन कार्ड सन् 1967 में एन्फोर्समेंट

(श्री आईदान सिंह)

ऑफिसर, भीनमाल ने फर्जी रजिस्टर में दर्ज करने के कारण अपने कब्जे में लिये थे ? यदि हां, तो उस पर खांड के लाइसेन्सदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(दिनांक 9-9-1968 के लिये स्थगित किया गया)

मौजा सरनाऊ के व्यक्तियों के राशन कार्ड

129. **श्री आईदान सिंह** (भीनमाल): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के पुर पंचायत के खांड के दूकानदार द्वारा फर्जी मांडने के विषय में सन् 1967 में एन्फोर्समन्ट ऑफिसर, भीनमाल ने मौजा सरनाऊ के कुछ व्यक्तियों के राशन कार्ड अपने कब्जे में लिये थे ? यदि हां, तो उस विषय में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि शक्कर के रजिस्टर में खांड खर्च बताई गई है वह राशन कार्ड पर दर्ज नहीं है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं , तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसे करीब 60 राशन कार्ड जिन पर शक्कर देने का इन्द्राज नहीं था एन्फोर्समेंट ऑफिसर द्वारा इकट्ठे किये गये थे तथा पुर पंचायत के सम्बन्धित दूकानदार से रेकार्ड मांगा गया था। दूकानदार द्वारा रेकार्ड नहीं दिये जाने की वजह से जांच पूरी नहीं हो सकी है।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समिति, पुर के रेकार्ड की जांच न होने से अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि सोसायटी के विक्रय रजिस्टर में शक्कर का खर्चा दर्ज है या नहीं। वर्तमान में जांच की कार्यवाही चालू है।

बीकानेर की हलवाई समिति

130. **श्री केदार नाथ** (श्रीगंगा-नगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर में हलवाई समिति के कुल कितने सदस्य हैं तथा उन्हें गत एक वर्ष में कुल कितनी कितनी चीनी एवं मैदा तथा आटा मिला ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) हलवाई समिति ने चीनी तथा अन्य सामान का वितरण किस प्रकार से व किसको किस किस महीने में किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या सरकार ने जो कन्ट्रोल की वस्तुएं उन्हें वितरण के लिये दीं उसकी कभी जांच की गई है ? यदि हां, तो कब और उनकी क्या रिपोर्ट है ?

(4) क्या हलवाई समिति अपने सदस्यों से चन्दा वसूल करती है ? यदि हां, तो उसका क्या तरीका है और उसने अब तक कितना रुपया जमा किया तथा वह किसके पास है ?

(5) क्या इस समिति का कोई विधान है ? यदि हां, तो विधान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें तथा बतायें कि इसका चुनाव प्रति वर्ष किस प्रकार होता है ?

उत्तर

(1) हलवाई समिति, बीकानेर के वर्तमान सदस्यों की संख्या 421 है । गत साल सदस्यों की अधिकतम संख्या 482 थी । चीनी, मैदा, सूजी तथा आटे का जो आवंटन समिति को दिया गया है उसकी सूची संलग्न है । चीनी का आवंटन अक्टूबर, 67 के बाद तथा सूजी व आटे का आवंटन दिसम्बर, 67 के बाद समिति को नहीं किया गया ।

(2) उपरोक्त सूची में यह सूचना भी सम्मिलित है ।

(3) जी हां, जूनियर जिला रसद अधिकारी बीकानेर द्वारा हलवाई समिति को जो कन्ट्रोल की वस्तुऐं दी जाती हैं उसका वितरण आदि किस तरह किया जाता है उसकी जांच 14-11-67 को की गई । जांच में यह पाया गया कि समिति अपने सदस्यों में उनके व्यापारिक स्तर को दृष्टि में रखते हुए चीनी तथा अन्य वस्तुओं का वितरण करती है । इस अधिकारी ने खास कर यह भी उल्लेख किया है कि समिति द्वारा नियंत्रित वस्तुओं का वितरण करते समय सदस्यों से विशेष चन्दा प्राप्त किया जाता है ।

(4) प्रश्न 3 के उत्तर में उल्लेखित विशेष चन्दे के अतिरिक्त समिति के स्मृति पत्र की धारा 3 (ज, झ) के अन्तर्गत प्रति सदस्य मासिक 1) चन्दा किया जाता है तथा राजस्थान हलवाई समिति के लिये भी इस समिति के सदस्यों से 1) सालाना चन्दा लिया जाता है । समिति के कोष में 11,716) की रकम जमा है जो कोषाध्यक्ष के पास रहती है ।

(5) समिति का विधान बना हुआ है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । विधान के नियमांक 20 से 22 के अनुसार चुनाव होते हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

नागौर-इन्दरणा सड़क कार्य का फर्जी हिसाब

131. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दिनांक 6-7-67 को जिलाधीश नागौर ने नागौर-इन्दरणा सड़क के कार्य का जो अकाल सहायता के अन्तर्गत चल रहा था, निरीक्षण किया और मौके पर फर्जी हिसाब पकड़ कर केस पुलिस को सौंपा गया ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई तथा यह केस किन किन व्यक्तियों पर चलाया गया तथा उसका फैसला क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि जिलाधीश, नागौर ने नागौर-इन्दरणा सड़क पर अकाल सहायता के अन्तर्गत चल रहे कार्य पर गलत हाजरियां भरकर जो हिसाब तैयार किया गया था , उसके लिये इन्चार्ज के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत पुलिस को लिखा था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा हस्ब दफा 408,467,468 ताजिरात हिन्द दर्ज कर तफतीश शुरू की थी, जो अभी चालू है ।

लाडनू एवं डीडवाना के अभावग्रस्त गांवों में रिलीफ कार्य

132. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनू और डीडवाना जिला नागौर में इस वर्ष कोई गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए थे ? यदि हां, तो कौन कौन से और उक्त ग्रामों में कितना कितना नुकसान हुआ था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गांवों में कोई फैमिन रिलीफ का कार्य नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । तहसील लाडनू व डीडवाना जिला नागौर में इस वर्ष तहसील लाडनू के 6 ग्राम एवं डीडवाना के 2 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं । नुकसान उनके सामने अंकित हैं :—

तहसील लाडनू

नाम ग्राम	**नुकसान**
1. छवड़ा	8 आने से अधिक लेकिन 10 आने से कम ।
2. बालसमन्द	8 आने से अधिक लेकिन 10 आने से कम ।
3. झकरिया	8 आने से अधिक लेकिन 10 आने से कम ।
4. रायधनू	8 आने से अधिक लेकिन 10 आने से कम ।
5. उदरासर	8 आने से अधिक लेकिन 10 आने से कम ।
6. कुशलपुरा	8 आने से अधिक लेकिन 10 आने से कम ।

तहसील डीडवाना

1. भामासी	8 आने से अधिक लेकिन 10 आने से कम ।
2. खारड़िया	8 आने से अधिक लेकिन 10 आने से कम ।

2. गांवों की बहुत कम संख्या और उनके छितरे होने के कारण कोई सहायता कार्य चालू करना उचित नहीं समझा गया ।

औषधियों का रिपैकिंग तथा उसका लाईसेन्स

133. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में जितनी भी औषधियों की रिपैकिंग करने वाली मैडिकल फर्में हैं उन सबके पास रिपैकिंग लाईसेन्स हैं ? यदि हां, तो किन किन के पास है ? यदि नहीं, तो किन किन के पास नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि रिपैकिंग लाईसेन्स प्राप्ति के बाद लाईसेन्स का रिन्यूअल करना पड़ता है ? यदि हां, तो किस किस फर्म ने रिन्यूअल कब कब कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) क्या यह सही है कि रिन्यूअल न कराने पर इश्यूइंग ऑथिरिटी उक्त फर्म को बन्द कर देती है ? यदि हां, तो कब किस फर्म को बन्द किया गया है ? यदि नहीं किया गया तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार के ध्यान में है कि एच० एस० आर० फार्मा, जयपुर बिना लाइ-सेन्स के चल रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस फर्म के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया ?

(5) एसी कितनी फर्में सरकार के ध्यान में हैं जिन पर सैन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स तथा अन्य कर बाकी हैं ? क्या सरकार इन्हें तुरन्त बन्द करके अन्य पेन्डिग फर्मों को रिपैकिंग लाईसेन्स देकर जन स्वास्थ्य तथा सरकार को आर्थिक हानि से बचा-वगी ?

उत्तर

(1) जी हां। चाही गई सूची संलग्न है।

(2) जी हां। प्रश्न भाग 1 के अनु-सार संलग्न सूची में वर्णित सभी फर्मों ने रिन्यूअल करा लिया है तथा मैसर्स पी० एस० कैमिकल्स को अभी हाल में नया लाईसेन्स दिया गया है जो 31-12-69 तक वैध है।

(3) ड्रग्स कोसमेटिक रूल्स के अन्तर्गत लाईसेन्स की अवधि संबंधी नियमों के अनुसार अगर कोई फर्म समय पर रिन्यूअल के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं देती है तो उसका लाईसेन्स स्वतः रद्द समझा जाने का प्रावधान है। केवल एक फर्म मैसर्स पी० एस० केमिकल्स ने समय पर रिन्यूअल का प्रार्थना-पत्र मय ट्रेजरी चालान के समय पर प्रस्तुत नहीं किया था अतः उस संस्था का लाईसेन्स रद्द कर दिया गया।

(4) मैसर्स एच० एस० आर० फार्मा०, जयपुर द्वारा स्थान परिवर्तन करने से उनका लाईसेन्स रद्द किया जा चुका है और वह औषधियों का रिपैकिंग नहीं कर रहे हैं।

(5) किन किन फर्मों पर सैन्ट्रल एक्साईज ड्यूटी व अन्य कर बाकी है इस प्रकार की सूचना इस विभाग के पास नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम बूंटोली में आंखों का आपरेशन

134. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अल-वर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक डॉक्टर के० एन० शर्मा ने अपने आपको भिवानी का मशहूर नेत्र विशेषज्ञ जाहिर करते हुए एक पर्चा छपवाकर दिनांक 12 और 13 दिसम्बर, 1967 को आंखों का मुफ्त इलाज करने के बहाने ग्राम बूंटोली, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में स्थानीय सरपंच श्री जंगीराम के सहयोग से एक कैम्प लगाया और 46 मरीजों की आंखों के आपरेशन किये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डॉक्टर ने स्थानीय सरपंच की सहायता से इन मरीजों से 5) रु० से लेकर 52) रु० प्रति मरीज वसूल करके करीब 1500) रु० वसूल किया ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त डॉक्टर दवा पट्टी वगैरह लाने का बहाना लेकर आपरेशनों से अगले दिन 14-12-67 को सुबह 8 बजे ही वहां से चला गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि डॉक्टर उस ग्राम में एक अनट्रेण्ड सा कम्पाउन्डर छोड़ गया था जो भी 18-12-67 को चुपचाप वहां से चला गया ?

(5) क्या यह सही है कि इस घटना की एक लिखित सूचना ग्रामवासियों की ओर से प्रधान चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को दिनांक 20-12-67 को की गई थी जिसमें आपरेशन किये हुए मरीजों को तुरन्त संभालने और डॉक्टर तथा कैम्प की व्यवस्था करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही और कब कब की गई ? क्या मरीजों को समय पर संभाल लिया गया और उन्हें अनावश्यक हानि से बचा लिया गया ?

(6) क्या इस प्रकार गैर सरकारी आपरेशनों के कैम्प खोलने के लिये राज्य सरकार से पूर्व आज्ञा अथवा लाईसेन्स लेने का कोई नियम है ? यदि हां, तो क्या उक्त डॉक्टर ने यह कैम्प खोलने से पूर्व आवश्यक इजाजत प्राप्त करली थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस प्रकार के कैम्प लगाने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिसमें डॉक्टर की योग्यता तथा कैम्प लगाने की क्षमता के संबंध में पहले ही जांच पड़ताल हो सके ?

उत्तर

(1) जी हां। पर इस कैम्प में स्थानीय सरपंच श्री जंगीराम का कोई सहयोग ज्ञात नहीं होता ।

(2) जी नहीं । ग्राम वालों ने अपनी इच्छा से ही उक्त डाक्टर को प्रति केस के 15) रु० दिये थे ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां ।

(5) जी हां । प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर ने तुरन्त ही एक डॉक्टर व एक कम्पाउन्डर को ग्राम बूंटोली जाने के आदेश दिये इनके द्वारा कैम्प के मरीजों को चिकित्सा के संबंध में पूरी राहत दी गई । इसके अलावा मामले की जांच आरक्षी अधीक्षक, अलवर द्वारा की गई । संबंधित दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर एडीशनल जज अलवर के अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया है । वह प्रगति पर है ।

(6) जी नहीं, अभी ऐसी कोई व्यवस्था राज्य के विचाराधीन नहीं है कि जिसके तहत डॉक्टर की योग्यता तथा कैम्प लगाने की क्षमता के संबंध में जांच पड़ताल कराना जरूरी हो ।

एलोपैथिक व होमियोपैथिक फार्मेसीज

135. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में एलोपैथिक व होमियोपैथिक दवाइयां बनाने वाली कितनी फार्मेसीज

Page No. 45

(श्री रामचन्द्र आर्य)
हैं ? और उनमें प्रति वर्ष कितनी दवाइयां तैयार होकर सरकार को दी जाती हैं और कितनी फ्री सैल में बेचने का कारखाने वालों को अधिकार है ?

उत्तर

राजस्थान में एलोपैथिक औषधियां बनाने वाली लाईसेंस्ड फार्मेसीज (निर्माण शालाओं तथा रिपैकिंग करने वाली संस्थाओं) की सूची संलग्न है राज्य में अभी तक होमियोपैथिक दवाइयां बनाने हेतु किसी भी संस्था को लाईसेन्स नहीं दिया है।

इस विभाग द्वारा समय समय पर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं को औषधियों की सप्लाई हेतु विभिन्न फर्मों को Approve किया जाता है संलग्न सूची में दी गई संस्थाओं को गत वर्ष 1967-68 के लिए औषधियां सप्लाई करने हेतु तय किया गया था।

ऐसी कोई पाबन्दी उक्त फर्मों पर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाई जाती कि वे अपने उत्पादन में से कितना राज्य को दें व कितना फ्री सैल में बेचें। राजकीय संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार Approved फर्मों से दवाई खरीदी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

भूमि आवंटन कमेटी की बैठक

136. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सं० एफ० 6(19)राज०/ख67/ दिनांक 23 जून, 1967 को भूमि आवन्टन संबंधी आदेश में यह कहा है कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो उस समय भूमि आवन्टन कमेटी की बैठक नहीं रखी जाये और 20 जून से 5 जुलाई के बीच में बैठकें रखी जायं ?

(2) क्या उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि 20 जून से 5 जुलाई से पहले आवन्टन कमेटी की बैठक हो चुकी हो तो उसके निर्णयों के बारे में अगर किसी विधायक को कोई आपत्ति हो तो संबंधित विधायक से पुनः विचार विमर्श किया जावे ? यदि हां, तो इस पुनः विचार विमर्श का तात्पर्य क्या है ? तथा इसके संबंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? कृपया सविस्तार सूचना दें।

(3) क्या किसी विधायक को आपत्ति होने पर भूमि आवन्टन रद्द कर दिया जायेगा और भूमि का नये सिरे से आवन्टन किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां यदि किसी विधायक को इस अवधि के बीच बैठक के निर्णयों के बारे में आपत्ति हो तो पुनर्विचार हेतु तहसीलदार को पत्र लिखना चाहिये।

(3) आवंटन नियमानुसार ही निरस्त किया जा सकता है।

ग्राम बाबरा में भूमि पर अवैध कब्जा

137. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम बाबरा, तहसील रायपुर, जिला पाली में वृद्धालाल पुत्र सहदेव,

(श्री दिग्विजय सिंह)
कौम ब्राह्मण की जमीन करीब 30-35 बीघा थी और वुद्धालाल जो पिछले 40 वर्षों से हैदराबाद दक्षिन में रहता था का देहावसान हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वुद्धालाल के कोई वारिस न होने की वजह से उपरोक्त भूमि कानून के अनुसार राज्य सरकार के कब्जे में आनी चाहिये थी लेकिन इसे कुन्दनमल पुत्र गुलाबचन्द महाजन ने हस्तगत करली है ?

(3) क्या उपरोक्त विषय में पुखराज पुत्र भूरालाल महाजन ने जिलाधीश, पाली को सन् 1965 में शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या उपरोक्त विषय में राज्य सरकार शीघ्र कार्यवाही कर भूमि को अपने कब्जे में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, मृत श्री वुद्धालाल पुत्र सहदेव ब्राह्मण निवासी बाबरा के खातेदारी में 40 बीघा भूमि थी।

(2) तहसील रायपुर के नामान्तरकरण की पत्रावली के देखने से पाया जाता है कि वुद्धालाल की जमीन का नामान्तरकरण उसके लड़के जसराज के नाम पंचायत द्वारा स्वीकृत हुआ और श्री जसराज द्वारा रु0 1,000) में उक्त कृषि भूमि में से 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि श्री कुन्दनमल को हस्तान्तरित की गई है।

(3) श्री पुखराज पुत्र भूरालाल द्वारा सन् 1965 में तथाकथित शिकायत किया जाना नहीं पाया जाता।

(4) जब वुद्धालाल लावल्द फौत नहीं हुआ है तो उसकी जायदाद सरकार द्वारा नहीं ली जा सकती है।

कृषि भूमि पर मकान

138. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनू में बहुत से मकान कृषि भूमि में बने हुए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से मकान किस किस कृषि भूमि में किस किस ने कब कब कितनी कितनी भूमि में बनाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह भी सही है कि मकानों के अलावा चारदीवारी में पानी के हौज, कुए आदि उपरोक्त क्षेत्र में की कृषि भूमि में बनाये हैं जिनकी पूर्व स्वीकृति नियमित रूप से नहीं ली गई ? यदि हां, तो किस किस ने किस किस की कृषि भूमि में कब कब बनाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) यह सत्य है कि कस्बा लाडनू में बहुत से मकान कृषि भूमि में बने हुए हैं एवं अधिकांश भूमि के इमारती पट्टे भूतपूर्व जागीरदार लाडनू द्वारा जारी किये हुए हैं। मकान किस किस भूमि में कब कब किसने बनाये जिसकी सूची संलग्न है। (अ)

(2) यह भी सही है कि मकानों के अलावा चारदिवारी में पानी के हौज कुए

(राजस्व मन्त्री)
आदि कृषि भूमि में बनायें जिसकी सूची संलग्न है । (बी)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

ग्राम बाबरा में बालाजी के मन्दिर के पास की भूमि पर नाजायज कब्जा

139. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बाबरा, तहसील रायपुर जिला पाली में श्री चौथमल ब्राह्मण ने ग्राम के बाहर बावड़ी और बालाजी के मन्दिर के पास से गुजरते हुए आम रास्ते के पूर्व में सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर पत्थर आदि डलवा दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम के पटवारी ने उपरोक्त मामले में कोई शिकायत नहीं की ? यदि यह सही है तो पटवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त नाजायज कब्जे को हटा कर भूमि को अपने कब्जे में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम बावरा, तहसील रायपुर जिला पाली में हनुमानजी के मन्दिर के सामने बावड़ी के पास ख० नं० 899 रकबा 5 बीघा भूमि, किस्म ग० मु० ठरडा में चौथमल पुत्र शिवलाल ब्राह्मण का बाड़ा बना हुआ है, यह बाड़ा बहुत पुराना बना हुआ बतलाया गया है।

(2) जी हां, यह सही है कि उपरोक्त ग्राम के तत्कालीन पटवारी द्वारा इस मामले में कोई शिकायत नहीं की गई है, वर्तमान पटवारी की नियुक्ति इस हल्के में दिनांक 7-8-67 को हुई है, पटवारी द्वारा दिनांक 5-4-68 से पूर्व रिपोर्ट न करने का जवाब पृथक मांगा गया है जो प्राप्त होने पर सी० सी० ए० रूल्स के तहत कार्यवाही की जायगी।

(3) इस संबंध का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और दिनांक 22-4-68 को इसकी पेशी बमुकाम बाबरा रखी गई थी लेकिन कार्यवश तहसीलदार वहां नहीं जा सके, गैर सायल को नोटिस बेदखली व वजह जाहिर करने का जारी किया गया है व बाद समायत उज्र व सुनवाई (अतिक्रमणकारी) मुकदमा फैसल कर यदि चौथमल का कब्जा नियमन योग्य न पाया गया तो नाजायज कब्जा हटा कर कार्यवाही बेदखली कर भूमि कब्जा सरकार के ली जायगी ।

एस० डी० एम० हिन्डौन द्वारा दौरे

140. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एस. डी. एम. हिण्डौन ने जब से हिण्डौन एस० डी० एम० का चार्ज (कार्यभार) संभाला तब से दिसम्बर, 1967 तक कितने दिन हैडक्वार्टर से बाहर रहे हैं और कहां कहां ?

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त समय में वे अधिकतर महुआ व टोडाभीम के दौरे पर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कारण था ?

(श्री श्रवणलाल)

(3) क्या यह सच है कि उनके हर समय वाहर रहने से किसानों व अन्य लोगों को बहुत परेशानी हुई है ? यदि हां, तो इसका कौन जिम्मेवार है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

दिनांक 9-9-68 के लिये स्थगित किया गया

झालरा पाटना मे ट्रेसपासर्स के मामले

141. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालरापाटन तहसील (जिला झालावाड़) में कितने ट्रेसपासर्स के केस, सन् 66 व 67 में हुए ?

(2) इन मामलों में सन् 66 व 67 में कितनी कितनी पैनल्टी लगाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि इनमें सब करीब करीब पन्द्रह बीघा जमीन वाले काश्तकार हैं ? यदि नहीं, तो पन्द्रह बीघा काश्त करने वालों की तादाद क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील में छोटे किसानों के भूमि अतिक्रमण के मामले रेगुलराइज नहीं किये गये ?

उत्तर

(1) तहसील झालरापाटन में सन् 66 में 4,066 व सन् 67 में 4,799 केसेज ट्रेसपासर्स के दायर हुए ।

(2) सन् 1966 में 90,809 रु० 38 पैसे तथा सन् 1967 में 54,772 रु० 61 पैसे पैनल्टी लगाई गई ।

(3) जी नहीं । रजिस्टर में ऐसा इन्द्राज भी नहीं होता ।

(4) सन् 66-67 में खातेदारान के खेतों से मिले हुए छोटे टुकड़ों का नियमन अवश्य किया गया है तथा आदेश 5-10-67 के तहत अब तक 79 केसेज का नियमन किया गया है ।

चित्तौड़ में कृषकों द्वारा प्रदर्शन

142. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 29 जनवरी, 68 को चित्तौड़ में कलेक्टर कार्यालय के सामने जिले भर के हजारों किसानों ने अनार्थिक छोटी जोतों पर से माफ किये गये लगान को पुन: लागू कर दिये जाने के विरुद्ध जोर जबरदस्ती बचत बॉण्ड लिये जाने, खुशहाली कर, रिश्वतखोरी, पक्षपात, अन्याय और प्रशासनिक दुर्व्यवहार के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन किया था ?

(2) क्या यह सही है कि लिखित पर्चा छपवाकर मांगें अंकित की गई थीं, पर्चा जिले के अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों के नाम से निकाला गया था ?

(3) क्या कलेक्टर चित्तौड़ को प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें लिखित में प्रस्तुत की थीं ? यदि हां, तो वे मांगें क्या थीं ? उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । करीब 100 किसान इकट्ठे हुए थे ।

(राजस्व मन्त्री)

(2) जी हां। उस पर केवल 8 काश्तकारों के हस्ताक्षर हैं।

(3) जी हां।

(1) छः एकड़ तक भूमि पर जो लगान लिया गया है वह किसानों को वापस लौटाया जाय,

(2) लेवी की वसूली बंद की जाय,

(3) अल्प बचत के बान्ड्ज किसानों को जबरन नहीं दिये जावें।

तहसील सांचोर में नामान्तरकरण के मामले

143. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांचोर, जिला जालोर में नामान्तरकरण के कितने मामले पेण्डिग हैं? तथा कौन कौन सा मामला कब से पेण्डिग है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) नामान्तरकरण (म्यूटेशन) के मामले इतने समय तक क्यों पड़े रहते हैं? ऐसे मामले शीघ्र निपटाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

(3) उपरोक्त पेण्डिग म्यूटेशन के मामले कब तक निपटा दिए जावेंगे? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील सांचोर, जिला जालोर में नामान्तरकरण के इस समय 46 मामलें पेण्डिग हैं। चूंकि असल म्यूटेशन का फैसला पटवारियान या पंचायतों के पास रहने के कारण जिलाधीश जालोर द्वारा उनसे सूची मांगी गई है, अतः आने पर भेजी जा सकेगी। यह मामले लगभग दो माह के भीतर के पेण्डिग बताये गये हैं।

(2) नामान्तरकरण (म्यूटेशन) के मामले देरी से निपटाने का कारण यह है कि नामान्तरकरण पटवारी द्वारा भरे जाकर पंचायत की स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं और पंचायत की मीटिंग समय पर न होने से या पंचायत का कोरम न होने से नामान्तरकरण के मामल पेण्डिग पड़े रह जाते हैं। सरकार द्वारा इस प्रणाली पर पुर्नविचार किया जा रहा है यदि आवश्यकता हुई तो संशोधन भी किया जायगा।

(3) उपरोक्त पेण्डिग म्यूटेशन के मामले जल्दी निपटा दिये जावेंगे। निश्चित अवधि बताने में असमर्थता है क्योंकि स्वीकृति पंचायतों द्वारा होती है।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के नाम पर दी गई भूमि

144. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के नाम पर सन् 51-52 व उसके बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों में कई व्यक्तियों व फर्मो आदि को खेती के लिए लीज पर व अन्य आधार पर काश्त की पड़त भूमि दी थी? यदि हां, तो किस किस जिले के किस किस गांव में किस किस व्यक्ति या फर्म को किस किस तारीख को किन शर्तों पर कितनी कितनी बीघा भूमि आवंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) क्या सरकार ने आवंटित भूमि के संबंध में कभी यह भी जांच करवाई थी कि उक्त भूमि पर प्राप्तकर्ता अन्न उत्पादन के लिए खेती करता भी है या नहीं ? यदि हां, तो कब कब जांच करवाई और उसकी जांच रिपोर्ट पर सरकार ने कब कब क्या क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि जिन शर्तों के आधार पर प्राप्तकर्ताओं ने भूमि प्राप्त की उन शर्तों का उन्होंने पालन नहीं किया और भूमि का वेचान कर दिया ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गिलोलिया बांध का निर्माण

145. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली तहसील में गांव गिलोलिया बांध का निर्माण कब तक हो जाएगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि उसका सर्वे और इन्वेस्टीगेशन हो चुका है ?

(3) क्या सरकार गिलोलिया बांध के निर्माण का कार्य इस वर्ष शुरू कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(2) जी हां ।

(3) योजना का तखमीना अभी तैयार किया जा रहा है ।

हाथिया पिकअप वेयर

146. **श्री विद्यासागर** (खैरवाड़ा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाथिया पिकअप वेयर की मौजूदा ऊंचाई क्या है ? क्या राज्य सरकार इसकी पाल को ऊंचा उठाने का इरादा रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि इससे पीवल होने योग्य बहुत भूमि है ? क्या राज्य सरकार ने इसका कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) यदि सर्वे नहीं कराया है तो क्या सरकार अब इसका सर्वे करायेगी ? यदि हां, तो कब तक सर्वे करा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि अमर सागर (भूदर) तालाब से छूटने वाली सम्पूर्ण जमीन हाथिया पिकअप वेयर से पीवल हो सकती है ?

(5) हाथिया पिकअप वेयर से सन् 1967-68 में कितनी जमीन कौन कौन से गांव की पीवल हुई ?

(6) नहर सर्वे के अनुसार कितना एरिया पीवल होने को है ?

उत्तर

(1) मौजूदा ऊंचाई 14 फीट है । ऊंचा उठाने की कोई योजना नहीं है ।

(2) इस पिकअप वेयर से कोई खास कमाण्ड एरिया पीवल होने दिगर नहीं जचता पहाड़ी की तलहटी में कुछ भूमि जो

(सिंचाई मन्त्री)

सिर्फ लम्बाई में है बचती है, पर कोई सर्वे नहीं कराया गया ।

(3) तालाब में पानी नहीं बचने के कारण सर्वे करने का कोई विचार नहीं है ना ही आवश्यक है ।

(4) जी नहीं ।

(5) इससे एक गांव पावेडी की भूमि पीवल हुई जो कि 35 एकड है ।

(6) नहर की सर्वे अनुसार लगभग 158 एकड़ एरिया सिंचित होने का है ।

सीकरी बांध

147. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकरी बांध तथा उससे निकलने वाली नहरों का प्लान बनवाया गया है ?

(2) उक्त प्लान कितनी लागत का बना है ?

(3) क्या इसकी मन्जूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या इसके टेन्डर हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस ठेकेदार को ठेका दिया है, और कार्य चालू कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) 5,20,406/- का

(3) (1) जी हां ।

(2) सीकरी बांध 14 नहरों व 3 वन्दलियों के टेन्डर हो चुके हैं । ठेकेदारों के नाम सूची में संलग्न हैं । कार्य चालू किया जा चुका है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

खटकड़ से गेन्डोली-लाखेरी सिंचाई नहर का सर्वे

148. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला बूंदी में खटकड़ से गेन्डोली-लाखेरी होती हुई सिंचाई नहर निकालने का सर्वे करा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में यह कार्य चालू करने का इरादा रखती है ?

(2) यह योजना कितनी राशि की मंजूर की जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, सर्वेक्षण किया जा चुका है। कार्य चालू करने के बारे में योजना की स्वीकृति होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा ।

(2) अनुमानित लागत 190 लाख रुपये हैं ।

सिंचाई योजनाएं

149. **श्री रतनलाल रोत** (चौरासी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में बड़ी, मध्यम एवं छोटी सिंचाई योजनाएं कितनी चालू हैं और ये योजनाएं कब तक पूर्ण हो सकेंगी ?

(श्री रतनलाल रोत)

(2) इन योजनाओं में कितना धन व्यय होगा और उनसे कितने एकड़ भूमि राजस्थान में सींची जा सकेगी ?

(3) बड़ी योजनाओं में ऐसी योजनायें कितनी हैं जहां बिजली पैदा हो सकेगी ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सिधमुख नहर योजना

150. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नौहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिधमुख नहर की योजना बन चुकी है ? यदि हां, तो इस योजना में कितने ग्राम रखे गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के ग्राम भी इस योजना में रखे गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने गांव तहसील नोहर के इस योजना में हैं और उन ग्रामों की कुल कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

पाली जिले की पंचायतों का ऑडिट

151. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आज तक पाली जिले में जिन जिन पंचायतों का ऑडिट हुआ है और आडिट रिपोर्ट्स के आधार पर जो जो रकम बकाया निकाली गई हैं उसमें से किसी की भी वसूली आज तक नहीं हुई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन ऑडिट रिपोर्टों पर आज तक पंचायत समितियों ने मार्जिन निश्चित करके नहीं भिजवाया है और इस कमी के कारण कलेक्टर वसूली करने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कुछ पंचायत समितियों ने मार्जिन निश्चित करके रिपोर्टों को जिलाधीश कार्यालय में नहीं भेजी हैं । जिन पंचायत समितियों से ऐसे मार्जिन निश्चित कर रिपोर्ट भेजी गई है उन पर जिलाधीश पाली द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । जिलाधीश द्वारा ऐसे आक्षेपों के संबंध में 447.54 न० पै० धनराशि वसूल भी की गई है । अन्य मामलों में नोटिस धारा 67 (4) पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये हैं । इस संबंध में विस्तृत विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । विभाग ने इस संबंध में उप-जिला विकास अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के लिये निर्देश दिये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

पंचायत समिति राहट द्वारा ट्रैक्टर की खरीद

152. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, रोहट ने कितने ट्रैक्टर कितनी धनराशि से कब कब खरीदे हैं ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(2) उन ट्रैक्टरों पर कितना खर्चा लागत का हो चुका है ?

(3) ट्रैक्टरों पर जो ड्राइवर रखे गये हैं उनका व डीजल का व अन्य मरम्मत आदि का कुल खर्चा आज तक कितना हुआ है ?

(4) उन ट्रैक्टरों से आमदनी कुल कितनी हुई है ?

उत्तर

(1) कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत समिति, रोहट द्वारा गायों व भेड़ों को खरीदने के लिये कर्जा

153. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रोहट पंचायत समिति में आज तक किन किन व्यक्तियों को गायें व भेड़ें खरीदने के लिये कर्जा दिया गया और कितना कितना दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) उन व्यक्तियों ने सही तौर पर उस धनराशि का उपयोग किया या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(2) जिन लोगों ने उपयोग किया उनका उल्लेख सूची में कर दिया गया है । उपयोग नहीं करने वालों से एकमुश्त रकम मय ब्याज के वसूल करने की कार्यवाही चल रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति पाली द्वारा गायों व भेड़ों को खरीदने के लिए कर्जा

154. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) पाली पंचायत समिति में आज तक किन किन व्यक्तियों को गायें व भेड़ें खरीदने के लिये कर्जा दिया गया ? और कितना कितना दिया गया ? उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ब) क्या यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन व्यक्तियों ने सही तौर पर उस धनराशि का उपयोग किया या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(अ) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(ब) सूची में धनराशि के उपयोग करने अथवा नहीं करने के संबंध में भी विवरण दे दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

पंचायत समिति महुवा का ऑडिट

155. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, महुवा की सन् 1965 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार

Page No. 54

(श्री श्रवण लाल)
जो अनियमितताएं ऑडिट ने अंकित की हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध भी गम्भीर आरोप लगाये गये ? यदि हां, तो किस किस के खिलाफ और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) कलेक्टर सवाईमाधोपुर अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं । विभागीय जांच में 29-8-68 निश्चित की थी ।

(2) जी हां । विकास अधिकारी, कार्यवाहक विकास अधिकारी तथा लेखा-लिपिक के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के लिये टिप्पणी दी गई है और कलेक्टर प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं ।

कुआ निर्माण का यूटिलाईजेशन सर्टीफिकेट

156. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव डाढोता (परबतसर) सरपंच ने कुआ खुदाने हेतु कितनी रकम ली और कुआ खुदाया या नहीं ?

(2) कुआ खुदाया है तो कौनसी भूमि पर ? उसका खाता नम्बर और खसरा नम्बर क्या है ?

(3) क्या उस रकम का यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट पंचायत समिति ने सरपंच से प्राप्त कर लिया है ?

(4) उपरोक्त कुए पर 1966-67 में कौनसी फसल बोई गई और कितनी कितनी फसल हुई ?

उत्तर

(1) रकम 2000) रु० दी गई । कुआ खुद चुका है ।

(2) कुआ मोडो गांव में पंचोली नाम के खेत में खुदा है खसरा नं० 315 है ।

(3) जी हां ।

(4) कोई फसल नहीं बोई गई ।

ग्राम पंचायत, सरवाना को पीने के पानी का टांका निर्माण के लिए दी गई धनराशि

157. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सरवाना, पंचायत समिति, सांचोर को पीने के पानी का टांका बनाने के लिये कुछ रकम दी गई थी ? अगर हां, तो कितनी व किस वर्ष में ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि एस्टीमेट के अनुसार मन्जूरशुदा रकम का कार्य पूरा नहीं किया गया ? अगर हां, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है ? अब कब तक कार्य पूरा किया जावेगा ?

(3) अगर टांके की मन्जूरशुदा रकम का पूरा उपयोग नहीं किया गया है तो क्या उसकी जांच शीघ्र की जावेगी ? अगर रकम का दुरुपयोग किया गया है तो उस बारे में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(पंचायत मन्त्री)

उत्तर

(1) सन् 1965 से 1967 तक दस हजार रुपये दिये गये ।

(2) जी नहीं । कार्य पूरे हो गये ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायत समिति, जहाजपुर का ओवरसियर

158. **श्री कल्याणमल** (जहाजपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जहाजपुर में ओवरसियर का एक ही स्थान है ? यदि हां, तो फिर दो ओवरसियर क्यों कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बी०एण्ड आर० के ओवरसियर को रिलीव करने के लिये कई बार उच्च अधिकारियों ने आदेश दिये ? यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं रिलीव किया गया ? आदेश आने के बाद जो वेतन ओवरसियर को दिया गया उसका उत्तरदायित्व किसका है ?

उत्तर

(1) जी हां । एक ही स्थान है और दो ओवरसियर कार्य कर रहे हैं । ऐसा पी० डब्ल्यू० डी० (बी० एण्ड०आर०) के ओवरसियर को सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर (सिंचाई) द्वारा अपने विभाग में नहीं लेने से हुआ है ।

(2) जी हां, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर (सिंचाई) ने ओवरसियर को अपने विभाग में नियुक्ति देने को तैयार नहीं हुऐ इस लिये उन्हें रिलीव नहीं किया गया । एक अतिरिक्त ओवरसियर को वेतन देने का उत्तरदायित्व पंचायत समिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग का है ।

सरप्लस ग्राम सेवकों का एब्जोर्पशन

159. **श्री भरतलाल** (हिण्डोन-सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जुलाई, 1967 को कितने ग्राम सेवकों को सरप्लस घोषित किया गया था ?

(2) क्या सरकार का विचार इन सरप्लस घोषित ग्राम सेवकों को उसी जिले में वापस नियुक्त करने का है, जिनमें ये कार्य कर रहे थे ?

(3) अब तक कितने ग्राम सेवकों को एब्जोर्ब किया जा चुका है और उनमें से कितनों को उसी जिले में रखा गया है जिनमें वे कार्य कर रहे थे और कितनों को अन्य जिलों में लगाया गया है ?

(4) सरकार ने उक्त ग्राम सेवकों को किस किस विभाग में एब्जोर्ब किया है अथवा आगे करने का विचार है ?

उत्तर

(1) 470 ग्राम सेवक सरप्लस घोषित किये गये थे ।

(2) सरप्लस घोषित किये गये सभी ग्राम सेवकों को उसी जिले में नहीं लगाया जा सका जहां वे कार्य कर रहे थे ।

(3) सभी सरप्लस किये गये ग्राम सेवकों का समावेश किया जा चुका है ।

(पंचायत मन्त्री)

360 को उन्हीं जिलों की पंचायत समिति में लगाया है जहां से वे सरप्लस हुए थे एवं 210 ग्राम सेवकों को अन्य जिलों की पंचायत समितियों में लगाया गया है।

(4) विकास विभाग में ही समावेश किया गया है।

(12.30 म०प०)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री पृथ्वीसिंह, श्री हरिवल्लभ शर्मा, श्री रामकिशन, श्री भैरोंसिंह, श्री दिग्विजयसिंह, श्री श्रवणलाल, श्री दौलतराम सारण, श्री केसरी सिंह हाडा, श्री नत्थीसिंह व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने मुख्य शासन सचिव श्री के०पी०यू० मेनन को सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाकर सदन को सूचित किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने ग्राम मिलकपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर में किसी गूजर के मकान में गत 25 व 26 अगस्त की रात को डाका डाले जाने तथा हत्या की जाने सम्बन्धी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में गृह विभाग को लिखा जा रहा है। जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायगा।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव श्री श्रवणलाल व श्री केसरीसिंह हाडा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि तहसील हिण्डौन में खेडा सबस्टेशन होते हुए भी वहां की जनता को बिजली नहीं दी गई है जिससे जनता में रोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को मेरे निर्णय से सूचित किया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर, वित्त मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य सचिव श्री के०पी०यू० मेनन को सतर्कता आयुक्त नियुक्त करने के सम्बन्ध में विरोधी दल ने संयुक्त रूप से, स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ, कम्यूनिस्ट, प्रजा समाजवादी, भाक्रान्द आदि सभी दलों के प्रतिनिधियों की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना शुक्रवार को आपकी सेवा में प्रस्तुत की थी।

अध्यक्ष महोदय, आपने उस सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी है, मैं उस सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहना चाहता पर एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके पीछे सभी दलों की सामूहिक रूप से एक ही भावना है कि मेनन की सतर्कता आयोग के आयुक्त पद पर नियुक्ति की जा रही है कितने दिनों से राजस्थान सरकार इस प्रकार की सूचना आपको प्रेषित करेगी। मैं समझता हूं कि ऐसे गम्भीर प्रश्न पर जो सामूहिक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, उसे दिये तीन दिन हो गये। तीन दिनों में भी किसी प्रकार की सूचना सदन में नहीं आई है। इसका

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि राजस्थान की सरकार इस सदन में दिये गये प्रस्तावों पर कितनी उदासीन रहती है। इसका हमें खेद है और राजस्थान सरकार के इस प्रकार के रवैये की घोर निन्दा करते हैं।

हम आपसे आशा तो यह करते थे कि मुख्य मंत्रीजी से आप कोई वक्तव्य इस पर दिलवाएंगे और तुरन्त ही वे स्थिति का स्पष्टीकरण देंगे। सम्पूर्ण विरोधी दल की सामूहिक रूप से यह इच्छा थी और सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अनेकों आरोप समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए, अनेकों आरोप सदन में लगाये गये। ऐसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर बहुत गम्भीर आरोप हैं, अपने पद के दुरुपयोग के आरोप हैं, एक ऐसे ऊंचे पद पर किसी निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिये, जिसके चरित्र पर किसी को डाउट न हो, जिसकी इन्टेग्रिटी पर डाउट न हो उसको नियुक्त करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का एक सवाल आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी आ रहा है। उनके खिलाफ सी० आई० डी० की रिपोर्ट है प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी से साबित हो गया है, इसी प्रकार से एक महिला एडवोकेट को चार हजार रुपया नाजायज तौर से दिलवा दिये, फर्म को किसी को सीमेंट देने के सिलसिले में उनके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं, चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चैयरमेन की हैसियत में जिस तरह से फर्मों को धोखा देने में घोटाला किया, जिस तरह से लेडी एडवोकेट को चार हजार दिये गये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये उनके कृत्य घोर निन्दनीय हैं। उनकी सदन भर्त्सना करे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जो आपने यहां से सूचना चाही थी, मैं समझता हूं वह सूचना भी राज्य सरकार की तरफ से पहुंचवा दी गई ह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां पहुंचवा दी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल इतवार था। एक आध रोज का समय ऐसे मामलों में ज्यादा लगना स्वाभाविक था।

तब भी हमने सूचना देदी है। मैं समझता हूं जो भी लिखा है उसका जवाब माननीय सदस्य देख लेंगे। इसके बाद यहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी के लिये कुछ कहते तो ठीक होता। आप स्वयं उसको देखेंगे तो मालूम होगा कि ये बातें सब निराधार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उत्तर आज तक समय में आया नहीं है। आपका उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुझे सदन में खबर मिली है कि जानकारी आ गई है। अब उसको मैं स्वयं देखकर निर्णय दूंगा। इसलिये इस प्रश्न पर अधिक बहस नहीं होगी। जब प्रश्न सदन के सामने नहीं है तो आगे बहस करना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न तो सदन के सामने आ गया है। मुख्य मंत्री ने जवाब भी दे दिया।

श्री अध्यक्ष : जानकारी मेरे पास आ गई है। मैं अवसर चाहता हूं। उसे देख कर अपना निर्णय देने के लिये, जहां तक एडमिशन का प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : 22 गोदाम के निकट जो हरिजन बस्ती के 25 घरों को तोड़कर बेघर उन परिवारों को बना दिया गया था उसके सम्बन्ध में तारीख 24 को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैंने उसकी जानकारी प्राप्त की है। आते ही निर्णय दूंगा

श्री भैरोंसिंह : यह मालूम हो जावे कि कलेक्टर जयपुर ने जानकारी दी या नहीं। या आप के सेक्रेटरियट में विथहैल्ड हुई पड़ी है। 24 तारीख को यह प्रस्ताव दे दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : मेरे यहां पर विथहैल्ड नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आज दो तारीख हो गई है। आपको हाउस को कान्फीडेन्स में लेना चाहिये, आपके द्वारा 24 तारीख को लिख दिया गया। राज्य सरकार जवाब न दे। फिर हम किस लिये बैठे हैं यहां ?

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं आग्रह कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आग्रह नहीं, जितनी शीघ्र हो, जानकारी मिले। सदन को कान्फीडेन्स में लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सचिवालय में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात सही है कि आपके सचिवालय में जानकारी नहीं है। पर अगर राज्य सरकार जवाब नहीं देती है तो आप छः इन्च पीछे खिसक कर बैठ जाइये। हम सरकार से निपट लेंगे।

क्या इस बारे में आज या कल वक्तव्य दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं सुन नहीं पाया। क्या कह बैठे आप ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार अगर आपको जवाब नहीं देती है, तो आप छः इन्च अपनी कुर्सी से पीछे खिसक कर बैठ जाइये। हम सरकार से निपट लेंगे।

श्री अध्यक्ष : म बैठ जाऊंगा तो आप निपट नहीं पावोगे।

यह संविधान का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यहां मैं इस मामले में एक निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू विभाग के आदेश होते हुए भी और हमारे एडजोर्नमेन्ट मोशन का विषय है यह गवर्नमेन्ट के आदेश हैं राजस्व विभाग के इसके बावजूद तहसील और कलेक्टर ने मिलकर 500 पुलिस लेकर 25 हरिजन परिवारों को रात के रात उजाड़ दिया। तीस तारीख तक का राजस्व विभाग की तरफ स्थगन आदेश था। तारीख निकल गई। कलेक्टर की तरफ से उस तारीख को जानबूझ कर निकालने के लिए यह जवाब रोका जा रहा है इस एडजोर्नमेन्ट मोशन का। नहीं तो क्या कारण है आज तक इसका जवाब नहीं मिलने का ? अगर सरकार को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
यह अधिकार दे दिया कि वह जवाब न देकर उन पीड़ितों को चुप कर दे तो सदन भी नहीं रोक पावेगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल पर सदन तय करे कि इसका शीघ्रातिशीघ्र उत्तर दिलवाने के लिए कौनसी चीज है जो बाधक है । इसका जवाब टेलीफोन पर आ सकता था । चपरासी को भेजकर मंगवाया जा सकता था । कलेक्टर को बुलाया जा सकता था ।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न को समझ गया हूं । अपनी ओर से कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आज किसी समय इसका उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री दौलतराम सारण : एक मिनिट । माननीय अध्यक्ष, यहां जयपुर कलेक्टर का सवाल है । यहां सारी राजधानी विराजमान है । मुख्य मंत्री की फौज विद्यमान है सारी की सारी । टेलीफोन सब जगह लगे हुए हैं । इनके टेलीफोन तो आजकल अफसर सुनते नहीं हैं पर जाकर मालूम किया जा सकता है आज दो तारीख हो गई । जयपुर कलेक्टर का जवाब नहीं आया और आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस होने जा रही है उसमें ऐसे प्रश्न लोग उठाने चाहेंगे । इस जैसे गम्भीर मसले पर भी सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है तो किसकी अपेक्षा करेंगे । स्थगन प्रस्ताव के अलावा हमारे पास क्या जरिया है कि इन सवालों का जवाब प्राप्त कर सकें । इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इसमें मदद करें !

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य !

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था जरूर मानूंगा लेकिन परिस्थिति यह है कि हरिजनों के अलावा कोई और होता या पूंजीपति होता और उस का मकान उजाड़ दिया जाता तब तो राज्य सरकार सतर्क हो जाती लेकिन जयपुर में हरिजनों के कच्चे मकान और उनकी बस्तियों को राज्य सरकार उजाड़ती है । एक तरफ तो उनके लिए स्टे आर्डर देती है दूसरी तरफ वहां की कच्ची बस्तियों को कलेक्टर व्यक्ति विशेष से सहायता लेकर पक्षपात के आधार पर हरिजनों को अपनी फौज ले जाकर उखाड़कर फेंकता है और कभी वोट के टाइम पर मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम मानवीय दृष्टिकोण को भूलते नहीं हैं······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय····

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री हीराभाई : लेकिन 25 हरिजनों की झोंपड़ियां तोड़ी गई हैं और उनके साथ ज्यादती की गई है उसके लिए या तो मुख्य मंत्रीजी देखें या काला पट्टा बांधकर अपने घर चले जायें·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी तो जब रेवेन्यू मिनिस्टर आयेंगे तब देंगे लेकिन मेरा ख्याल है कि यह उस जमीन का झगड़ा है कि जहां पर एक प्लाट मेजर खन्ना, जो पिछली बार पाकिस्तान की लड़ाई में मारे गये थे, को राज्य सरकार ने अलोट किया था । उस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
पर रातों रात कुछ लोगों ने अनाथोराइज्ड कन्सट्रक्शन किया था–शायद वह मामला उससे संबंधित मामला है । अगर कोई अनाथोराइज्ड़ पजेशन करे, चाहे कोई भी हो, उसको तो सरकार नहीं मानेगी ।

श्री हीराभाई : वह जमीन हरिजनों की थी । ऐसे मामले में मिलिट्री वाला मर जाये और जो गरीब की जमीन है फिर भी दूसरों को दी जाये क्या ऐसी मुख्य मंत्री महोदय की धारणा है ? मैं यह नहीं कहता हूं कि मिलिट्रीमैन को नहीं दी जाये लेकिन हरिजनों को बरबाद करके और उनकी प्रॉपर्टी को बरबाद करके फिर दी जाये, क्या यह आपकी योजना है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी कहा है वह गलत तथ्यों के आधार पर है । जिन हरिजन फैमिलीज का जिक्र है अलॉटमेन्ट होने के कितने ही वर्ष पूर्व वह पहले से आबाद थे । यह बात हो सकती है कि उनको कन्सट्रक्शन के अधिकार नहीं हों लेकिन वह वहां कई सालों से रहते आये हैं । कुछ भी हो लेकिन वह पहले से आबाद हुए हैं और दूसरे को जमीन एलाट कर दी····

श्री अध्यक्ष : इस स्थगन प्रस्ताव को लिया जायगा तब सवाल आयेगा और उसी पर बार बार चर्चा कर रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कह कर गलत इम्प्रेशन हाउस में क्रियेट करने की कोशिश की है । मिलिट्री के लोगों को आप दें लेकिन······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से उत्तर आये या नहीं आये; लेकिन जितने स्थगन प्रस्ताव इस प्रतीक्षा में हैं मैं उनका स्वयं जैसी स्थिति होगी निर्णय करूंगा और मैं राज्य सरकार को भी सजग करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को देखते हुए जितनी सतर्कता बरती जाये उत्तर देने में उतनी बरतनी चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बिजली संघ के कर्मचारियों के संबंध में और उनकी भूख हड़ताल के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था । भूख हड़ताल आज से शुरू हो गई है और मैंने चार-पांच रोज पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था····

श्री अध्यक्ष : उसका भी मैं इसी तरह से निर्णय ले लूंगा । मैं एडमीशन के संबंध में आज ही निर्णय दे दूंगा । आये या नहीं आये तब भी ।

श्री मथुरादास माथुर, वित्त मंत्री सदन की मेज पर अधिसूचनायें प्रस्तुत करेंगे ।

भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री बालकृष्ण कौल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच संबंधी व्यवस्था का प्रश्न व अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय । अब तक इस सदन के अन्दर सरकार ने उत्तर नहीं दिया, सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई इस प्रकार की स्थिति होती रही है लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

आज इस सदन में मैं अध्यक्ष महोदय से भी इसकी जानकारी करना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय कृपापूर्वक इस बात की जानकारी देंगे कि 18 जुलाई, 1967 को इस सदन में नसीराबाद में अकाल राहत के कार्यों की रकम भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने अपने चुनाव के सिलसिले में खर्च की-इस प्रकार का विवाद इस सदन में उठाया गया था। सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि इस प्रश्न को लेकर विवाद इतना गंभीर बन गया था कि अध्यक्ष महोदय को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में तय हुआ कि इस सारे मामले की जांच अध्यक्ष महोदय स्वयं कर लेंगे। सरकार की ओर से सारी पत्रावलियां और फाइलें उनके समक्ष प्रस्तुत की जायें और फिर वे सरकार को सलाह दें कि सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस आसन के प्रति जिस प्रकार का विश्वास प्रकट किया जाता है, यह सदन आशा लेकर चलता था कि आसन की तरफ से तुरन्त ही इस संबंध में सरकार को सलाह दी जायेगी, जिन व्यक्तियों की एवीडेन्स इसमें लेना आवश्यक समझें वह ली जायेंगी और इसका निर्णय लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसको आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि यह मामला राज्य सरकार के पास जांच के लिए होता या राज्य सरकार कोई नया कमीशन नियुक्त करती या इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट के जज को नियुक्त किया जाता तो आज तक इस संबंध की जांच राज्य सरकार से प्राप्त हो जाती और उसके ऊपर किस प्रकार की कार्यवाही की जाये उसको लेकर राज्य सरकार को कार्यवाही करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि यह जांच राज्य विधान सभा के सदस्यों के विश्वास के कारण अध्यक्ष महोदय को दी गई थी–हम विशेष तो इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते लेकिन यह अपेक्षा कर सकते थे कि यह आसन ही जिस प्रकार से इस मामले में ढिलाई करता है उस प्रकार की ढिलाई नहीं करेगा और इस प्रश्न के ऊपर अविलम्ब जो कुछ भी सरकार को सलाह अध्यक्ष महोदय को देनी हो वह सरकार को देंगे। इस संबंध में जो भी अध्यक्ष महोदय को जानकारी हो उसको सदन में बतायें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न पर स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। यह सही है कि इस सदन में मुझको श्री बालकृष्ण कौल भूतपूर्व वित्त मंत्री के संबंध में जो अनियमिततायें नसीराबाद में कुछ गांवों को अकाल घोषित करने के संबंध में थीं उसकी जांच करने के लिए दी गई। मैंने भी सतर्कता से इस सारे प्रश्न पर जो शहादतें लेनी थीं, गवाहियां लेनी थीं, जो दस्तावेज और फाइलें मंगानी थीं मंगा कर जांच सम्पन्न कर दी। मेरे सम्मुख सिर्फ एक प्रश्न था कि क्योंकि ऐसे तथ्य भूतपूर्व वित्त मंत्री के संबंध में आये थे कि जिन तथ्यों पर स्पष्टीकरण उनसे भी किया जाता। क्योंकि रिपोर्ट देने के पूर्व यह आवश्यक है कि यदि कोई निर्णय किसी व्यक्ति के विरुद्ध जाता है तो उससे स्पष्टीकरण कराने का अथवा करने का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है और नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। मैंने इस जांच के संबंध में क्योंकि सदन की ओर से कोई प्रोसीजर या यों कहें कि कोई ऐसे प्रोसीजर की ओर संकेत नहीं था कि जिसके आधार पर इसकी जांच की जाय। अतः जो प्रोसीजर परम्पराओं के आधार पर लोकसभा अथवा दूसरे सदनों

(श्री अध्यक्ष)

में आधारित हुआ है उसी प्रोसीजर को मैंने 'एज ए कोर्ट ऑफ आनर' की तरह से एडाप्ट किया और मैंने कार्यवाही आरम्भ करके उसका समापन कर दिया ।

एक मुख्य प्रश्न इस संबंध में यह रहता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह कार्यवाही है उनका स्पष्टीकरण उनके विरुद्ध तथ्यों का उनके द्वारा किया जाना चाहिए । इस संबंध में मैंने उनको आग्रहपूर्वक लिखा कौल साहब को कि वे यहां आकर जो तथ्य हैं उनका स्पष्टीकरण कर दें । यह मैंने उचित और न्यायसंगत इसलिए समझा कि वे यदि स्पष्टीकरण कर दें तो मुझको सहूलियत अपना निर्णय देने में हो सकती थी । श्री बालकृष्ण कौल ने इस संबंध में आने से इन्कार किया । मैंने आग्रह किया और वे फिर भी नहीं आये । सदन यह समझ सकता है कि मैं सारी इन्क्वायरी का समापन करूं उनकी अनुपस्थिति में तो मेरी स्थिति और इस प्रोसीजर की स्थिति क्या होती है ? मैं इस वैधानिक और कानूनी द्वन्द में रहा । मैंने यह सोचा कि उनको आना आवश्यक था । नहीं आने पर भी मैं रिपोर्ट दूं इस पर विचार करने के लिये थोड़े दिनों तक इसमें विलम्ब करता रहा । ऐसे प्रश्नों पर जब कि कोई व्यवस्था प्रोसीजर के संबंध में नहीं है और इस संबंध में मैंने अधिक से अधिक सोचा । अंत में इसी निष्कर्ष पर आया कि मैं सदन के अन्दर वापिस आऊं और उससे निवेदन करूं कि इस परिस्थिति में जो संवैधानिक या कानूनी स्थिति इस कोर्ट ऑफ ऑनर के सम्मुख है इस संबंध में मुझको क्या करना चाहिए यह बात रखूं । यदि श्री बालकृष्ण कौल उपस्थित नहीं हों तो प्रश्न उठता है कि मैं क्या उनकी अनुपस्थिति में निर्णय दे दूं ? यदि निर्णय देता हूं तो वह कहां तक उचित होता है, यदि नहीं देता हूं तो उनकी उपस्थिति को यहां एनफोर्स करने के लिए मेरे पास क्या माध्यम है और यदि मैं एन्फोर्स करूं भी और वे उसकी अनुपालना नहीं करें तो फिर मेरे पास दूसरा क्या माध्यम है कानूनी कि जिससे मैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकूं । यह कई प्रश्न इसमें सन्निहित हैं । इसलिए मेरे पास एक ही उपाय रह जाता है कि मैं सदन को इस संबंध में सजग करूं इस ओर कि सदन मुझको इस दिशा में क्या निर्देशन देता है ? क्या सदन अधिकार देता है कि मैं उनको बुलाऊं और बुलाने का मतलब सदन के अधिकारों की अनुपालन करना । नहीं आने का मतलब भी दूसरा होता है । कानूनी रूप में इस प्रश्न को लेकर मैं बैठा हुआ था । मुझको उचित रूप से सदन के सम्मुख आना चाहिये सारी परिस्थितियों को रखते हुए, ताकि सदन उस पर विचार कर ले और जो मुझे सदन संकेत दे सके वह दे दे । लेकिन इसके अभाव में, उनका स्पष्टीकरण नहीं आता है तब भी मैं इन्क्वायरी की रिपोर्ट को सम्पन्न करने की स्थिति में हूं । इसलिए मैं दोनों प्रश्नों को अलग अलग रखते हुए सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 15 दिन के भीतर भीतर मैं अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि आपने जो व्यवस्था बताई, इस व्यवस्था से न केवल आपका अपमान हुआ है अपितु वह सदन का भी अपमान है । अध्यक्ष महोदय, कमेटी के अधिकार और सदन के अधिकार कम नहीं हैं । उनमें से कोई अधिकार रोका नहीं जा सकता है । बालकृष्ण कौल आये नहीं, यह आपका अपमान ही नहीं सदन का अपमान हुआ है ।

(श्री भैरोंसिंह)
मुझे तो आश्चर्य है कि आप इस अपमान को को लेकर बैठे रहे। अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रूल्स में है और कन्वेंशन है। जो किसी को भी विटनेस के लिए कमेटी में बुलाया जाये। बालकृष्ण कौल सोने की चिड़िया नहीं थे कि उनको नोटिस दिया जाता और वह नहीं आते। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न, एक मोशन बालकृष्ण कौल के खिलाफ प्रस्तुत किया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न गम्भीर है। महत्व का है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब यह नहीं है। बालकृष्ण कौल को बुलाया जाये और वह आयें नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री बालकृष्ण कौल एक सिटीजन हैं।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी या अध्यक्ष उनको बुलाना चाहते हैं तो उनको आना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कमेटी और सदन दोनों का दायित्व है। इसकी जानकारी करने के बाद भी मुझे सन्तोष नहीं हुआ। अन्य कार्यवाही नहीं की। नहीं तो मैं कर सकता था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक इस मसले पर जिस पर काफी वाद-विवाद हुआ था। वाद-विवाद के बाद जो नसीराबाद चुनाव क्षेत्र में भूतपूर्व वित्त मन्त्री द्वारा अकाल सहायता का दुरुपयोग किया गया था उसको लेकर सदन में काफी उत्तेजना थी तब यह निर्णय हुआ और यह सारी जांच कार्यवाही आपको सौंपी गई। मेरी मान्यता यह है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में वहां विधान सभा द्वारा, 28 जजेज के खिलाफ गिरफ्तारी के वारन्ट निकले थे, उत्तर प्रदेश विधान सभा इलाहाबाद के 28 जजेज के खिलाफ जब अरेस्ट के वारन्ट निकाल सकती है तो मैं नहीं समझता कि सदन के अधिकार आपको दिये जायें और आप यह लाचारी प्रकट करें। बालकृष्ण कौल को गवाही नहीं देनी है हमारे भारतीय संविधान और इस सदन का स्पष्ट अपमान है यदि कोई उपस्थित नहीं होता है- श्री बालकृष्ण कौल की गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया आपने क्यों नहीं अपनाई ? जो कमेटी आपने निर्धारित की है, बालकृष्ण कौल को उसमें आना पड़ता। यह पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज हैं जिनकी लेटेस्ट कमेंटरी निकली है, उनमें यह व्यवस्था दी गई है। यह जांच करना आपका अधिकार है। यह हाउस का मोशन था। हाउस ने पूरी ऑथोरिटी आपको दी थी। सारी सैंक्शन आपके पास थी। सारे अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार था। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई ? बालकृष्ण कौल ने कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस का सवाल खड़ा किया है। इस पर सदन में मोशन लाया जा सकता है। यह चेम्बर का सवाल नहीं है। चेम्बर में आकर क्या, सदन के इस बार में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन बहुत समय से हमारे माइण्ड को एजीटेट कर रहा है। ब्यावर के गोल्ड का सवाल किया गया। विजीलेंस कमीशन को रेफर करने का सवाल खड़ा हुआ। राजस्थान सरकार डेढ़ साल तक सोचती रही। मैं चाहूंगा कि इसकी विस्तृत व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बालकृष्ण कौल के संबंध में अनियमितताओं का मामला इस सदन ने आप के सुपुर्द किया था । मैं समझता हूं कि जो कमेटी आपके द्वारा नियुक्त की जाती है, आपके द्वारा निर्वाचित की जाती है उस कमेटी में दूसरे गवाहों को बुलाने का अधिकार दिया है । नहीं आने पर कार्यवाही की जाती है ।

(1 म० प०)

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय इस सदन का था आपके द्वारा इस मामले में जांच करने का, तो जब इस सदन की एक कमेटी को, जो इस सदन का एक छोटा हिस्सा होती है, वह अधिकार है तो आपको जो यह मामला सौंपा गया, जो इस पूरे सदन के द्वारा मामला सौंपा गया और आपमें वह तमाम सदन की सत्ता निहित है जो इस सदन को वैधानिक तौर पर प्राप्त है, तो इस रूप में जब एक छोटी कमेटी को, एक स्टैंडिंग कमेटी को किसी विटनेस को बुलाने का अधिकार प्राप्त है, उससे कहीं अधिक अधिकार इस सदन को प्राप्त हैं और इस सदन के द्वारा आपको जांच करने का अधिकार देने के नाते से वह अधिकार आपको भी प्राप्त थे । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, श्री कौल ने आपके समन्स पर नहीं आकर क्लीअर कट कन्टेम्प्ट आफ हाउस किया है, ब्रीच ग्रॉफ प्रिविलेज किया है, इसलिए उनके खिलाफ इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हमारे रूल्स ग्रॉफ प्रोसीजर के रूल 307 की तरफ भी मैं इंगित करना चाहता हूं, इस रूल 307 में आपको रेसिडुअरी पावर दी गई हैं, जिनका स्पष्ट तौर से उल्लेख अन्य प्रावधानों में नहीं है, वह रूल 307 में रेसिडुअरी पावर दी हुई है, जिसके तहत दी गई पावर्स को आम तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, एक विटनेस को मजबूर करना आने के लिए, इस सदन में जैसा मैंने निवेदन किया, एक कमेटी उसको बुला सकती है, सदन बुला सकता है और उस रूप में इस सदन की सत्ता आपके हाथ में होने के नाते आपको वह पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है जो एक कमेटी को है और इस सदन को है । इस नाते, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री कौल ने आपके समन्स पर नहीं आकर क्लीयर कट आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है और उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कार्यवाही की जानी चाहिए और इस तरह से उनको मजबूर करके हाजिर होने के लिए आपको इस संबंध में अपनी रिपोर्ट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न पर·····

श्री केदार नाथ : मुझे, अध्यक्ष महोदय, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर जो व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में आपने रूलिंग दी है । इस सदन ने आपको इस संबंध में पावर्स दी है, कान्स्टीट्यूशन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर–इन दोनों को अन्डरमाइन आपने किया है । यह कमजोरी आपमें नहीं होनी चाहिए । मुझे अफसोस हुआ यह जानकर कि आप किसी व्यक्ति को बुलायें और वह आये नहीं और इसके ऊपर आप लाइट एटीट्यूड ले लें । यह आपका पर्सनल मामला नहीं है । अगर आपका पर्सनल मामला हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं । यह इस हाउस का मामला है । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप पूरी पावर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि अध्यक्ष के अधिकार, स्पीकर की रूलिंग और ट्रेडीशन्स हमेशा के लिए लोगों के लिए एक मिसाल की तरह कायम रहें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं और संकेतों को समझ लिया है अतः उसके आदेश के अनुसार अब, जैसा कि मैंने निवेदन किया, जो भी रिपोर्ट है उसको जो मैंने अवधि बतला दी है उसके अन्तर्गत राज्य सरकार को पेश कर दूंगा ।

सदन पट पर रखे जाने वाले पत्र

आगे का प्रश्न, श्री मथुरादास माथुर, वित्त मंत्री, वित्त विभाग की दो अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री बृजप्रकाश गोयल (उप-मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 5(117) एफ० डी० (सी० टी०) /67, दिनांक 30 अप्रेल, 1968 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियम, 1968 प्रकाशित किये गये हैं, तथा

(2) वित्त (आबकारी) विभाग की अधिसूचना सं. प० (88) एफ० डी०/एक्स/67/2705, दिनांक 25 जुलाई, 1968 जिसके द्वारा उक्त विभाग की अधिसूचना सं० प० 1 (26) एफ० डी०/एक्स/65, दिनांक 1 नवम्बर, 1965 में संशोधन किये गये हैं ।

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : व्यक्तव्य । राजस्थान में पंचायतों के चुनाव के संबंध में पंचायत मंत्री वक्तव्य देंगे ।

श्री केदार नाथ : एक जानकारी प्राप्त करनी थी । मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज की हड़ताल के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव पर, जिसको श्री भैरोंसिंहजी, श्री रामानन्द अग्रवाल और मैंने रखा था, 29 तारीख को शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देना था । अब शिक्षा विभाग का कार्यभार किसके पास है ?

श्री अध्यक्ष : जैसा सदन को मालूम है, शिक्षा मंत्री के त्याग पत्र पर उस प्रश्न को मुल्तवी करना पड़ा । अब मैं जल्दी ले लूंगा ।

श्री केदार नाथ : अब शिक्षा मंत्री कौन हैं, साहब ?

श्री अध्यक्ष : जो होंगे वह बोल जायेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : श्री बरकतुल्ला ।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री ।

श्री जयनारायण सालोदिया : पंचायत मंत्री तो पंचायत करने चले गये ।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री महोदय ! राजस्थान में पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में पंचायत मंत्री वक्तव्य देंगे ।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की आज सूचना नहीं है कि यह वक्तव्य मुझे आज देना है । चुनाव मंत्री के पास शायद यह भेजा होगा । उन्होंने मुझे इस बात की सूचना नहीं दी ।

इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स को सरप्लस घोषित किये जाने सम्बन्धी वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को कल के लिए स्थगित करता हूं। इंजीनियरिंग

(श्री अध्यक्ष)
सबोर्डिनेट्स को सरप्लस घोषित किये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री भैरोंसिंह शेखावत एवं अन्य माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव द्वारा सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि हाल ही में 47 इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स को सरप्लस घोषित किया गया है उससे इन्जीनियर्स में बड़ा असंतोष फैला हुआ है और इस कारण स्थिति गम्भीर हो गई है। इसलिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा की जाय। इस स्थिति के तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

राजस्थान की पंचायत समिति में एक इंजीनियर सबोर्डिनेट रखा जाना आवश्यक था। आरम्भ में जब इन जगहों के लिए भर्ती की गई तो यह निर्माण विभाग द्वारा की गई और यह सब अमला निर्माण विभाग का ही समझा गया। इसके पश्चात डवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यह निर्णय लिया कि इनमें से बहुत सी जगहों पर इरिगेशन इन्जीनियरिंग सबोर्डिनेट्स भी रखे जावें लेकिन चूंकि उस समय इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स की कमी थी इस कारण इन जगहों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स ही कार्य करते रहे।

अब यह स्थिति इस प्रकार उत्पन्न हुई कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी अपने इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स के लिये जगहों की तलाश हुई और उन्होंने जिद्द की कि जो जगह डवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इरिगेशन इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स के लिये मुकर्रर की हैं उन जगहों पर उनके विभाग के व्यक्तियों को ही रखा जाय। इस स्थिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स को पंचायत समितियों से वापस बुलाना पड़ा और मजबूरी की हालत में 47 इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स को सरप्लस करना पड़ा। चूंकि इसमें सीनियरिटी का लिहाज आवश्यक था इसलिए विभाग के जूनियर इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स को ही सरप्लस किया गया। इस निर्णय से न तो किसी इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट की नौकरी खत्म हुई है और न ही उनकी नौकरी में ब्रेक पड़ा है। फिर भी यह कोशिश की जा रही है कि यह 47 सरप्लस इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स शीघ्र ही किसी न किसी जगह पर नियुक्त कर दिये जायें। फिलहाल इन इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट्स ने अपने आपको जी.ए.डी. में नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया है और यह कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इन सबको सार्वजनिक निर्माण विभाग में एब्जोर्ब कर लिया जाय।

एक अमली कदम यह भी उठाया गया है कि भविष्य में निर्माण विभाग द्वारा इमारतों की तामीर का अधिकतर कार्य विभाग द्वारा ही कराया जाय। इसके लिये डिवीजन मंजूर हो जाने पर इन लोगों को एब्जोर्ब करके खाली जगहों को भर लिया जायगा। अगर फिर भी किसी मजबूरी के कारण कुछ लोगों को निर्माण विभाग में जगह न मिली और उन्हें इरिगेशन विभाग में जाना पड़ा तो सरकार का यह निर्णय है कि जब भी कोई जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग में खाली होगी इन लोगों को उस पर लगा दिया जायगा और इसके लिये उनके सर्विस हकूक पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(श्री अमीनद्दीन अहमद)

मेरा ऐसा विचार है कि मेरे इस बयान से सदन की तसल्ली हो जायगी और जो चिन्ता इस सम्बन्ध में उत्पन्न हुई होगी वह समाप्त हो गई होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय को चर्चा

राजस्व मण्डल द्वारा श्रीमती विष्णु प्रभा शर्मा, एडवोकेट को दिये गये मेहनताने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय की चर्चा।

राजस्व मण्डल में सरकार बनाम टी० एन० सहानी के मुकदमें में श्रीमती प्रभा शर्मा, एडवोकेट के मेहनताने के बारे में दी गई स्वीकृति सम्बन्धी विषय पर थोड़े समय की चर्चा श्री भैरोंसिंह उठायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावलि के नियम 127 के अन्तर्गत में सदन का ध्यान एक ऐसे मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो मसला अपने आपमें महत्वपूर्ण है और इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न प्रस्तुत करने से पहले में सदन को इस प्रश्न की भूमिका बता देना चाहूंगा। जयपुर के पास जहां मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, यह भूमि एक जागीरदार की थी, उस जागीरदार की मृत्यु के बाद जिस समय जागीर रिजम्प्शन हुआ उस रिजम्प्शन के पहले इस जमीन में से कुछ जमीन 185 बीघा श्री टी० एन० सहानी नामक एक व्यक्ति ने जागीरदार से खरीद ली। अब यहां से यह जो विवाद है, यह दो महत्वपूर्ण पहलुओं में अलग होता है, एक मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन को एक्वायर करना और दूसरा इस बात का विवाद कि जागीरदार को जमीन बेचने का हक था या नहीं था और जो जमीन जागीरदार ने बेची है उस बेचान के आधार पर टी०एन० सहानी को खातेदारी हक प्राप्त हो सकते थे या नहीं? यह दो प्रश्न इस विवाद के अलग अलग चले हैं। पहला विवाद जिसमें कम्पेन्सेशन का प्रश्न था, यह रेफरेन्स के लिए, एक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रेफर किया गया और दूसरे विवाद की भूमि कुछ ऐसी है कि सबसे पहले सांगानेर के तहसीलदार से श्री टी० एन० सहानी को धारा 91 का नोटिस गया कि इस जमीन पर तुमने खातेदारी का हक प्राप्त करने की दरख्वास्त बहुत पहले दी है लेकिन तुम खातेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। तुम ट्रेसपासर हो। जब वह ट्रेसपासर है तो उसके सम्बन्ध में तहसील में कार्यवाही चलानी पड़ी, उसी बीच में राजस्व मण्डल के भूतपूर्व अध्यक्ष एम० यू० मैनन ने उस तहसीलदार का वहां से स्थानान्तरण कर दिया और दूसरे तहसीलदार की वहां पर नियुक्ति कर दी, जिस तहसीलदार ने, जो पहले वाले तहसीलदार ने स्वयं नोटिस दिलवाया था, उसके विपरीत इस बात का फैसला कर दिया कि यह ट्रेसपासर नहीं है और इस जमीन को जो जागीरदार से क्रय किया है और जिस तरह की कार्यवाही हुई है वह वाजिब है। तहसीलदार के इस फैसले के विरुद्ध सरकार ने ए० डी० एम० के सामने अपील दायर की है और ए० डी० एम० ने

(श्री भैरोंसिंह)

इस मामले में सरकार के पक्ष में फैसला कर दिया है कि यह मामला ट्रेसपासर का था, यह ट्रेसपासर है और जिस जमीन का क्रय करना बताया है उस पर टी० एन० सहानी को खातेदारी हक नहीं मिल सकते।

इसके बाद यह मसला रेवेन्यू अपीलेट ऑथेरिटी में गया, वहां सरकार हार गई। सरकार के हार जाने के पश्चात् इस मामले को रेवेन्यू बोर्ड में भेजा गया। यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है, रेवेन्यू बोर्ड में मामले की पैरवी की जाने लगी तो विचार हुआ कि किस व्यक्ति को गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिये नियुक्त किया जाय। यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जिस समय ए० डी० एम० के कोर्ट में मामला लाया गया तो श्री श्यामबिहारीलाल अग्रवाल को इसके लिये नियुक्त किया गया, और उनकी पैरवी से यह मामला वहां कामयाब हुआ, उसके बाद अपीलेट ऑथोरिटी में मामला ले जाया गया, वहां गवर्नमेंट हार गई तो मामला रेवेन्यू बोर्ड में ले जाया गया, और रेवेन्यू बोर्ड में गवर्नमेंट की ओर से इस मामले की पैरवी का सवाल पैदा हुआ तो रेवेन्यू बोर्ड में गवर्नमेंट की ओर से केसेज की पैरवी के लिये गवर्नमेंट एडवोकेट्स मुकर्रर हैं, पैनल बना हुआ है, उनमें से सरकार किसी को योग्यता के आधार पर पसन्द करके अपने किसी मामले की पैरवी के लिये नियुक्त करती है। सरकार यह समझ कर चल रही थी कि मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज की भूमि के सिवा टी०एन० सहानी ने जमीन पर अधिकार कर लिया है, यदि यह फैसला हो जाय रेवेन्यू बोर्ड से कि सारी जमीन बेचने का जागीरदार को अधिकार नहीं था तो 47 बीघा भूमि सरकार के अधिकार में तो आने से रही, जागीरदार के अधिकार में जाने वाली है, फिर सरकार ने देखा कि ट्रेसपासर मान कर निकाल दिया तो न जाने क्या होगा, तो मैं नहीं कह सकता कि किस कारण से सरकार ने यह निर्णय लिया। इस जमीन के मामले में राजस्थान राजस्व मंडल के एम० यू० मेनन को प्रिमेच्योर रिटायरमेंट पर जाना पड़ा, पर यह मामला एक मेनन को खा कर खत्म नहीं हो रहा है, दूसरे मेनन को इन्वॉल्व किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लॉ मिनिस्टर रहे हुए हैं, इस मंत्रिमंडल के कई सदस्य, हेरफेर की वजह से विधि विभाग के मिनिस्टर रहे, वे अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार के पक्ष की पैरवी के लिये वकील किस प्रकार मुकर्रर किये जाते हैं। सरकार ने इसके लिये नियम बना रखें हैं, सर्क्यूलर इश्यू कर रखे हैं, उनके अनुसार वकीलों की नियुक्ति सरकारी पक्ष की पैरवी के लिये सरकार की ओर से की जाती है। इस मामले में गवर्नमेंट एडवोकेट को स्पेशली क्यों नियुक्त किया, यह सरकार के सोचने का सवाल है। हो सकता है कि इस मामले में किसी प्रकार की कमी न रहे इसलिये गवर्नमेंट ने एडवोकेट को मुकर्रर किया, पर यह समझ में नहीं आता कि प्रभा शर्मा को उनकी असिस्टेन्स के लिये वकील कैसे मुकर्रर किया। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट एडवोकेट की सहायता के लिये यदि किसी की सहायता की आवश्यकता थी तो सरकार के एडवोकेट गवर्नमेंट एडवोकेट की असिस्टेन्स के लिये रेवेन्यू बोर्ड में खड़े होते। उनकी सहायता के लिये श्री श्याम बिहारीलाल अग्रवाल, जिन्होंने ए०डी०एम० कोर्ट में सरकार की पैरवी कर के केस को जीता, को मुकर्रर किया

(श्री भैरोंसिह)

जा सकता था, तो फिर ऐसे एडवोकेट को असिस्टेन्ट के रूप में क्यों नियुक्त किया गया ? कितना मेहनताना प्रभा शर्मा को दिया गया इसे में थोड़ी देर बाद सदन में लाऊंगा । सरकार को यह भ्रम है कि प्रभा शर्मा ने गवर्नमेंट के पक्ष की पैरवी की पर वास्तव में वे आपकी पैरवी नहीं कर रही थी, टी० एन० सहानी की तरफ से उनकी पैरवी हो रही थी । प्रभा मिश्रा क्षमा करें!

विष्णु प्रभा शर्मा को इस मुकदमें की पैरवी के लिये असिस्ट करने को मुकर्रर किया गया तो विष्णु प्रभा शर्मा सरकार का पक्ष नहीं ले रही थीं, उन्होंने टी० एन० सहानी से सौदा किया उन्होंने टी०एन० सहानी को कहा कि जिस प्रकार का मूल्य तुम बताना चाहते हो, उसमें मेरी तरफ से कोई रोड़ा नहीं अटकाया जायगा सिर्फ शर्त यह है कि 47 बीघा जमीन में से मुझे एक प्लाट दे दिया जायगा । यह सदन इस बात का विश्वास नहीं करेगा पर जो स्टाम्प्स प्रभा शर्मा ने खरीदे, जो क्रय का पत्र लिखा, 102 रुपये के स्टाम्प्स खरीदने का उल्लेख किया गया, सदन के माननीय सदस्य इसे पढ़ना चाहें तो पढ़लें, देखना चाहें तो देख लें । पर बाद में टी० एन० सहानी ने उसको ऑब्लाइज करने से इन्कार कर दिया । रेवेन्यू बोर्ड से जीत कर आते ही उन्होंने कहा कि कम्पेन्सेशन का एक सेट प्रोसीजर है, उसके आधार पर मुझे पूरा कम्पेन्सेशन मिलेगा, मैं अपनी जमीन का एक भी टुकड़ा तुम्हें दे कर ऑब्लाइज नहीं कर सकता । इसका उन दोनों के बीच विवाद चला, उन्होंने टी० एन० सहानी को नोटिस दिया कि 102 रुपये के स्टाम्प्स मेरे द्वारा खरीदवा दिये, 3 हजार रुपये नकद ले लिये और मुझे मेन्टली टोर्चर किया यह नोटिस दिया गया तो अब टी० एन० सहानी के एडवोकेट की तरफ से विष्णु प्रभा शर्मा को नोटिस दिया गया है । यह कहा जा सकता है कि स्टाम्प्स विष्णु प्रभा शर्मा की तरफ से नहीं खरीदे गये, भानुप्रतापसिंह के नाम से खरीदे गये हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि प्रभा शर्मा ने भानुप्रतापसिंह से शादी कर ली है, वह उनके साथ में यू० पी० गई और रानी बन कर गई, उसने अपने पहले वाले पति, जो कि डीवाई० एस० पी० थे, को छोड़ दिया है, आज भी वह भानुप्रतापसिंह के साथ रहती हैं, तो आप इस भ्रम में न रहें कि भानुप्रतापसिंह यह कोई अलग था । ऐसी स्थिति में मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि जिस एडवोकेट ने इस प्रकार की उल्टी पैरवी करके, ब्लैक मेलिंग करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा कर कम्पेन्सेशन की आड़ में इस प्रकार प्लाट लेने की कोशिश की, उस एडवोकेट को एडवोकेट जनरल की सहायता के लिये रेवेन्यू बोर्ड में सरकारी पक्ष पैरवी करने के लिये नियुक्त किया ।

(1.18 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और उसको किस प्रकार मेहनताना दिया गया ।

बड़े बड़े वकीलों की क्या फीस है ? श्री सीतलवाड, श्री दफ्तरी, श्री छागला, इनके पास मेरा जाने का मौका आया, मैंने जाकर थोड़ी जानकारी की कि बड़े बड़े एडवोकेट्स की फीस क्या है तो उन्होंने कहा कि 1750 रुपया हमारी एक दिन की फीस है । हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में छागला, दफ्तरी, सीतलवाड़ जैसे व्यक्ति साढ़े सतरह

(श्री भैरोंसिंह)

सौ रुपये में एक एक दिन के लिये मुकदमे की पैरवी के लिये खड़े किये जा सकते हैं, पर इस मामले में श्रीमती विष्णु प्रभा शर्मा को 4 हजार रुपये मेहनताना दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप तो प्रभा प्रभा बोले जायें।

श्री भैरोंसिंह : प्रभा मिथ्या नहीं कहूंगा।

जब यह फाइल लॉ डिपार्टमेंट को गई तो एक हजार रुपया मेहनताना देने का कहा। फाइनेन्स डिपार्टमेंट में जब फाइल गई तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने एतराज किया कि एक हजार भी नहीं दिया जाय। क्यों ऐसा एतराज किया मैं नहीं कह सकता। फिर लॉ डिपार्टमेंट ने एक हजार की सिफारिश कर दी। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल गई, अमूमन ऐसे मामलों में चीफ सेक्रेटरी सेंक्शन नहीं देते हैं। वित्त विभाग हो, विधि विभाग हो, मिनिस्टर के ऑर्डर हो जाने पर फाइनल हो जाता है पर इस मामले में चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल गई और ऑर्डर लिख दिया चीफ सेक्रेटरी ने कि 4 हजार का पेमेंट कर दिया जाय। मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि इबारत यह लिखी गई है कि 'आफ्टर स्क्रूटिनी' 4 हजार का पेमेंट कर दिया जाय। पर मैं रोष के साथ कहना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि इस मामले को विधान सभा में उठाया गया तो बाद में दो वर्डस और एड कर दिये गये। 'may be paid' के बाद फुलस्टॉप था, फुलस्टॉप की जगह कामा कर दिया और उसके आगे 'after scrutiny' ये दो शब्द और जोड़ दिये। चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया कि चार हजार का पेमेंट किया जाय। मैं यह नहीं समझता कि विधि विभाग ने यह राय कैसे दी? विधि विभाग ने एक हजार के पेमेंट की राय दी। उसकी जगह चार हजार रुपये का पेमेंट राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने किस प्रकार से कर दिया? साम्भर साल्ट प्रोडक्ट को लेकर, उसकी इनकम को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद खड़ा हुआ था और आर्बीट्रेशन के नाते आर्बीट्रेटर को पेश किया। एडवोकेट जनरल ने उसकी पैरवी की। उनको लाखों रुपयों का फायदा हुआ। उन्हीं गुलाबचन्द कासलीवाल ने इस राजस्थान की सरकार से दो लाख का क्लेम किया। इसी राजस्थान की सरकार ने उनको एडहॉक बेसिस पर पचास हजार का पेमेंट किया। इसी राजस्थान की सरकार के मुख्य सचिव श्री भगवतसिंह मेहता ने इन्हीं गुलाबचन्द कासलीवाल को लाखों रुपयों का फायदा पहुंचाया उनको केवल पांच हजार रुपया देकर संतुष्ट किया। जिसमें लाखों रुपयों का फायदा हुआ, पांच हजार रुपया और दे दिया। रेवेन्यू बोर्ड में पैरवी वाले और उस दिन उपस्थित व्यक्ति यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि श्रीमती विष्णु प्रभा शर्मा ने एक शब्द भी रेवेन्यू बोर्ड के सामने नहीं रखा, एक रूलिंग भी और कोई कोटेशन भी रेवेन्यू बोर्ड के सामने नहीं रखा, एक शब्द भी रेवेन्यू बोर्ड के जजेज के सामने नहीं रखा, आखिर उसको राज्य सरकार के मुख्य सचिव किस बात की खैरात दे रहे हैं जबकि दूसरी और ब्लेक मेलिंग करके, राजस्थान की इस सरकार को धोखा देकर निजी फायदा उठाने की चेष्टा की जा रही है।

गवर्नमेंट एडवोकेट के एपॉइन्टमेंट को लेकर किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिफारिश करे उसके लिये एक प्रोसिजर है। श्रीमती विष्णु प्रभा शर्मा के नाम की सिफारिश

(श्री भैरोंसिंह)

की तो डाइरेक्ट मुख्य सचिव ने एप्लीकेशन ली और उसको मंजूर किया। न तो जयपुर के कलेक्टर ने और न ही विधि विभाग ने सिफारिश की, फाइल के बीच में किस प्रकार से विष्णु प्रभा शर्मा का नाम किस प्रकार से एड किया यह महत्वपूर्ण मसला है। एप्लीकेशन देने का ढंग, डाइरेक्ट जाकर एप्लीकेशन दी गई कि अमुक मामले में पैरवी के लिये ले लें, रूल्स ऐसे नहीं हैं और प्रोसिजर के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री के० पी० यू० मेनन ने चार हजार रुपया श्रीमती विष्णु प्रभा शर्मा को देकर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया और सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला गम्भीर ही नहीं है, एक तरफ तो सीनियर एडवोकेट जनरल हैं, असिस्टेन्स की आवश्यकता ही नहीं है, यदि असिस्टेन्स की जरूरत होती तो रेवेन्यू बोर्ड में एडवोकेट थे वे मदद करने को तैयार थे, यदि वे तैयार नहीं थे तो श्याम बिहारीलाल जिनको 250) रु० मेहनताना के बतौर दिया जाता है वे उस मसले के लिये तैयार थे। सरकार यह उत्तर देकर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है कि चार हजार रुपये डी० ए० टी० ए० में खर्च हो गये। सर्किट हाउस का खर्चा, कार लेकर गयी उसका खर्चा हुआ और बाकी का खर्चा हुआ। यह कोई दलील नहीं है। मैं राजस्थान सरकार से पूछता हूं चार हजार रुपये की सैंक्शन दी गई, उसके लिये आदेश दिये गये थे क्या? उस दिन कोई इस प्रकार के आदेश नहीं दिये गये। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि ऐसी हालत में क्या सरकार के यह नोटिस में था कि चार हजार रुपयों का अधिक मेहनताना दिया गया जबकि रेवेन्यू बोर्ड में पैरवी करने के लिये अलग एडवोकेट है, तो स्पेशल एडवोकेट को एडवोकेट जनरल की सहायता के लिये किस प्रकार एपॉइन्ट किया गया? साथ ही यह सरकार यह भी उत्तर देगी कि चार हजार रुपयों का मापदंड क्या था? किस बात पर निर्धारित किया गया था। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और साथ ही सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार एडवोकेट्स के एपॉइन्टमेंट के सम्बन्ध में धांधली कर रही है उसका यह नमूना है। उस की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं यह प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इसका ताल्लुक है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: It is very difficult for you to defend.

श्री बरकतुल्ला खां: श्रीमती विष्णु प्रभा शर्मा है वह पेनल लॉयर के अन्दर 9-8-66 को पेनल लॉयर एपॉइन्ट की जा चुकी थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: On what date she was appointed?

श्री बरकतुल्ला खां: श्रीमती विष्णु प्रभा शर्मा जो पेनल लॉयर में थी वह 9-8-66 को ही पेनल लॉयर एपॉइन्ट हो चुकी थी। पेनल लॉयर थी, उसके साथ साथ यह जो जमीन का केस था यह सेशन कोर्ट में रेफर हुआ था, इस तरीके के केसेज को सेशन कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेन्ट कर

(श्री बरकतुल्ला खां)

रही थी । मैं यह यकीन दिलाता हूं कि वह ऑलरेडी थी, एडहॉक बेसिस पर नहीं एपॉइन्ट किया गया था ।

जहां तक स्टाम्प ड्यूटी का ताल्लुक है मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे नॉलेज में ऐसी चीज नहीं थी कि वह और उनके किसी साथी ने इस प्रकार की तैयारी की और उन्होंने किसी के साथ बैठ कर बातचीत की । 300 बीघा जमीन के आसपास का क्वेश्चन था जो मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज के पास की थी । एडवोकेट जनरल इसकी पैरवी कर रहे थे जो उस दिन किसी केस में दिल्ली में थे, उन्होंने एक एडवोकेट असिस्टेंस के लिए मांगा । उसके लिये श्रीमती विष्णु प्रभा को एडवोकेट बनाया गया ताकि वह इन्डिपेन्डेन्टली कोर्ट में एपीयर हो । एडवोकेट जनरल ने खुद ने यह एडमिट किया है कि श्रीमती विष्णु प्रभा ने एफेडेविट बनाने में और ड्राफ्टिंग में उनकी मदद की । माननीय सदस्य जो जयपुर से आ रहे हैं उन्होंने यह एलीगेशन लगाया । चीफ सेक्रेटरी का नोट पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा, इस तरह की कार्यवाही नहीं हुई है जिसमें एडीशन किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'After scrutiny' शब्द बढ़ाये हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : पहले लॉ डिपार्टमेन्ट ने तय किया उसके बारे में गलतफहमी हो रही है । लॉ डिपार्टमेन्ट ने यह तय किया था कि एक हजार रुपया एडहॉक बेसिस पर पेमेन्ट कर दिया जाय । यह फाइनल पेमेन्ट नहीं था । इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा लेना है तो ज्यादा ले सकती हैं, फिलहाल एडहॉक बेसिस पर एक हजार रुपया दे दिया जाय यह लॉ डिपार्टमेन्ट ने रिकमन्ड किया । उसके बाद यह प्रश्न उठा था कि उनका बिल था एक केस का वह 3,040) रु० के आस पास आता था श्रीमती विष्णु प्रभा का....

श्री रामकिशन : औरत के लिए उसके पति का नाम लेना जरूरी नहीं है ।

श्री बरकतुल्ला खां : एक हजार रुपया एडहॉक बेसिस पर लॉ डिपार्टमेन्ट ने पेमेन्ट करने का प्रस्ताव किया । उसका काफी लम्बा चौड़ा बिल था आखिर में यह तय हुआ कि चार हजार रुपये में बिल सेटल कर लिया जाय और वह भी फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और लॉ डिपार्टमेन्ट की स्क्रूटिनी पर । दोनों इसी निर्णय पर पहुंचे कि दोनों केसेज में फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट हो जाय तो अच्छा है । लेकिन, जैसा मैं समझता हूं, न तो हमारी मंशा थी कि उनको ज्यादा दिया जाय । एडवोकेट जनरल ने एडमिट किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडवोकेट जनरल का क्या बिल है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह आया नहीं वे इकट्ठे ही बिल बनाते हैं । 250) रोज उनकी एपीयरेन्स का होता है ।

श्री भैरोंसिंह : ए०जी० 250) लेगा और यह दो हजार रुपया ?

श्री बरकतुल्ला खां : कुछ ड्राफ्टिंग में असिस्ट किया है और एफेडेविट तैयार करने में मदद की । लेकिन इन्डिपेन्डेन्टली एपीयर हुई है । उसके जाने के बाद टी०ए०डी०ए० का खर्चा हुआ । दस पर्सेन्ट क्लर्क के, यह सब मिलाकर जो बिल बना है, उसे चार हजार में सेटल किया है । तीन सौ बीघा

(श्री बरकतुल्ला खां)
जमीन का केस है जो जयपुर शहर के लिए कीमती जमीन थी इसलिये यह जरूरी समझा गया कि एडवोकेट जनरल को, उनकी असिस्टेन्स के लिये कोई न कोई मुकर्रर किया जाय। हमेशा ऐसा करते आये हैं। इसलिये इनका नाम रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम कैसे आया? किस जगह से इनीशियेट हुआ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण दूं। इनका नाम लॉ सैक्रेटरी ने रिकमण्ड किया है, चीफ सैक्रेटरी ने भी रिकमण्ड किया। इस तरह लॉ सैक्रेटरी और चीफ सैक्रेटरी दोनों ने रिकमण्ड किया है। बल्कि यह हुआ कि ज्वाइंट एल० आर० और लॉ सैक्रेटरी की बात हुई और उन्होंने इसका हवाला दिया है। इसके बाद चीफ सैक्रेटरी की अप्रूवल हुई। यह लॉ सैक्रेटरी और चीफ सैक्रेटरी दोनों के जरिये हुआ। मैं यह आपको......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिहजी ने जो सवाल खड़ा किया है, उसे मैं यहां स्पष्ट कर दूं। उनका सवाल स्पष्ट समझ गया हूं कि इस केस का अगर रेवेन्यू बोर्ड में फैसला न होता तो यह जमीन जागीरदार की हो जाती और सहानी की जमीन थी? इससे सरकार को क्या लाभ? कहने का तात्पर्य कि जमीन जागीरदार की होगी। दरअसल इसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो ज्यादा गम्भीर है और माननीय भैरोंसिहजी भी कह चुके हैं कि एडीशनल कलेक्टर के यहां यह जमीन सरकारी बतायी गई और उसके बाद रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी के अन्दर इसको दो व्यक्तियों–श्री द्वारकादास व श्री सहानी–की जमीन बतादी गई। इसके बाद समय पर जबकि लिमिटेशन का पीरियड खत्म हो रहा था, लॉ सैक्रेटरी और चीफ सैक्रेटरी ने इनीशियेटिव लेकर इस केस को स्पेसीफिकली मेहनत करके एडवोकेट जनरल के पास भेजा और विष्णु प्रभा शर्मा को लगा कर इस केस की जल्दी से जल्दी पैरवी करवाई। मैं समझता हूं और सदन को भी खुश होना चाहिये कि जिस जमीन को एक्वायर करने में लाखों रुपयों का कम्पेन्सेशन देना पड़ता, वह रेवेन्यू बोर्ड में सरकार की साबित हो गई है। यह वह जमीन है जिसके ऊपर ओ० टी० एस० मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ हिस्सा बना है, कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है इस तीन सौ बीघा जमीन के अन्दर। यह कितनी वेल्यूएबल लैण्ड है। चीफ सैक्रेटरी ने समय पर ध्यान देकर जो व्यक्ति गलत पट्टे के आधार पर इसका कब्जा कर रहा था, उसको रोका। मेरी समझ में लॉ सैक्रेटरी और चीफ सैक्रेटरी को इसके बारे में अगर कुछ कहा जा सकता है तो धन्यवाद दिया जा सकता है कि वक्त के ऊपर उन्होंने केस को पुटअप करके लाखों रुपये सरकार के बचाये। इस केस के लिए विष्णु प्रभा ने पैरवी की, रिपोर्ट बनाने में मदद की और 4000 रुपये उन्हें दिये गये, जहां लाखों रुपये की जमीन सरकार के पास आयी, अगर इस तरफ ध्यान दें तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। यह लाखों रुपये का केस था। अगर गवर्नमेन्ट ने कुछ ज्यादा भी दे दिया तो यह फुल्ली जस्टीफाइड है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो प्रश्न प्रस्तुत किया गया है और जिसके संबंध में विधि मन्त्री महोदय ने अभी उत्तर दिया है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कुछ मुद्दों के संबंध में। उसके संबंध में मुख्य मन्त्री महोदय ने भी जवाब दिया है इसको एक दूसरा टर्न देकर। इस चार हजार के पेमेन्ट को बचाने की कोशिश की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक और निवेदन कर दूं। चार हजार के पेमेण्ट में मेरा यह ख्याल था कि यह चीफ सेक्रेटरी के आर्डर से हुआ। इसको फाइनेन्स कमिश्नर ने भी देखा है। लॉ मिनिस्टर ने भी देखा और उनकी अप्रूवल है उसके ऊपर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सारे केस की जानकारी मुख्य मन्त्रीजी के पास है, ऐसा आभास होता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यहां पर जो लाखों रुपयों का है वह नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय को भी ध्यान में होगा, इस सदन के भी ध्यान में होगा, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की तीन सौ बीघा जमीन, जिसका रकबा 10 लाख गज होता है, जिसको कनवर्ट करके आबादी के प्लाट्स में रखें और 10 रुपये फी गज से बेचें तो एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा इस जमीन की कीमत होगी। इसका मसला सदन में पहले मैंने उठाया था। मैंने रेफर किया था। प्रश्न यह नहीं है कि करोड़ों रुपयों की जमीन को बचा लिया तो आप चीफ सेक्रेटरी को काम्पलीमेन्ट्स पे करना चाहते हैं कि उन्होंने इस केस की अपील रेवेन्यू बोर्ड में करायी। इनडाइरेक्टली आप यह इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे यहां का लॉ डिपार्टमेन्ट इतना निकम्मा है कि एक केस के अपील करने की लिमिट निकली जा रही है, विभाग का उस तरफ ध्यान नहीं है। जो निर्णय खिलाफ में हुआ है, उसकी अपील करने की तीन महीने की मियाद है। यह एक गंभीर प्रश्न है। राजस्व अधिकारी के फैसले के बाद तीन महीने में तीन दिन रह गये किन्तु विभाग के किसी अधिकारी को यह ध्यान नहीं आया कि राजस्व अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करनी है। राजस्थान के उच्च अधिकारी, लॉ डिपार्टमेन्ट क्या सोते रहे ? कलेक्टर क्यों नहीं जागरूक रहा ? यह एक गंभीर मामला है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में यह स्पष्ट क्यों नहीं कर लिया लॉ डिपार्टमेन्ट से ? लॉ डिपार्टमेन्ट् के रूल्स बने हैं, एडवोकेट जनरल के जो जूनियर असिस्टेन्ट्स मुकर्रर होंगे उनको क्या दिया जायेगा। रूल्स में साफ है कि एडवोकेट जनरल, जयपुर शहर में पैरवी के 200) रु० बाहर के 330) रु०, अजमेर के 250) रु० लेंगे। यह प्रावधान किया गया है। एडवोकेट जनरल को अजमेर में पैरवी करने के लिये 250) रु० दिये जाते हैं। उनकी असिस्टेन्स के लिये जो एडवोकेट्स रखे जाते हैं, इसके लिये जो नियम बने हुए हैं, जो कन्वेन्शन है, उसके अनुसार एडवोकेट जनरल के जूनियर की फीस 1/3 होती है। सीनियर की फीस निर्धारित नहीं हुई फिर किस आधार पर जूनियर को पेमेण्ट कर दिया गया ? अगर एडवोकेट जनरल फीस के 2000) रु० क्लेम करता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जूनियर का क्लेम 700) रु० का ही होगा। जब तक एडवोकेट जनरल, सीनियर बिल का वेरीफिकेशन नहीं करता तक तब किस प्रकार भुगतान किया जा सकता है ? विधि मंत्री महोदय ने इस सदन में स्वीकार किया है कि एडवोकेट जनरल ने अभी अपने बिल नहीं दिये हैं। सीनियर का बिल नहीं आया, तो जूनियर ने कितनी पैरवी की, कितनी असिस्टेन्स की, उसका फाइनल वेरीफिकेशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सीनियर के विल के आधार पर ही होता है। उसकी सैंक्शन सीनियर के विल के बाद ही होती है। तो किसी प्रकार से भी जूनियर को भुगतान नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी ने प्रावीजनल चार हजार की सैंक्शन की। वर्ड्स हैं, 'May be paid-' संक्षेप में यहां बता रहा हूं कि इसमें फूलस्टाप का कामा करके, उसके आगे लिखा गया है **'after scrutiny'** इस तरह से इसको फाइनल कर दिया गया। फाइल को देखने पर आपको सब मालूम हो जायेगा कि इसमें कामा है। यह गंभीर मामला है। फूलस्टाप के बाद कामा बनाकर सरकारी कागजों में हेरफेर की गई है। परन्तु मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, चार हजार का पेमेण्ट कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य मंत्रीजी का महिलाओं के लिए उदार दिल है। वे तो इतने उदार हैं कि चार हजार की जगह चालीस हजार का भुगतान करना पड़े तो करा देंगे .....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(एक साथ अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गये)

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो टेम्पर करके किया गया, यह सही नहीं है। यह फाइल मेरे पास है। मैंने इसको अच्छी तरह देख लिया है। लड्ढाजी ने भी देखा है।

अनेक माननीय सदस्य : लड्ढाजी को किस लिए दिखाया ?

श्री बरकतुल्ला खां : इस प्रकार का आरोप चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लड्ढाजी सदन में नहीं हैं ? फिर कहां दिखाया ? आप सेन्टेन्स पढ़ दीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप लॉ मिनिस्टर हैं। दामोदरजी से राय क्यों ले रहे हैं ? इन्डिपेन्डेन्ट काम करिये....

श्री बरकतुल्ला खां : सेन्टेन्स नहीं है। यह मैं विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से इसको इन्टरप्रेट कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री भैरोंसिंह : क्या है बतायें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री भैरोंसिंह : वह पढ़ दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : इसमें कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ऊपर की लाइन पढ़ दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : ऊपर की लाइन नहीं है इसमें।

श्री भैरोंसिंह : क्या शब्द है, क्या शब्द नहीं यह बता दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : यह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह सेन्टेन्स है या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह भी नहीं है।

(फाइल श्री दामोदर लाल व्यास, गृह मंत्री को दिखाई गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो इन्डिपेंडेन्ट मिनिस्टर हैं । उनसे (श्री दामोदर लाल व्यास) राय क्यों लेते हैं ? दामोदर लाल जी से क्यों दबते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह सेन्टेन्स बिल्कुल नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या है फिर ?

श्री बरकतुल्ला खां : सारे को पढ़ाना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पढ़ा दीजिये ।

श्री बरकतुल्ला खां : I would only say that this is a case in which Government's financial interests were of that of several lacs of rupees or even over a crores and in the successful outcome of the case the contribution of Smt. Prabha has been very considerable. After L. M. has seen and approved of the above line of action the file will be sent to F. D. for further necessary action.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल चार हजार वाला कहां है । वह पढ़ें ।

श्री बरकतुल्ला खां : वह भी पढ़ देता हूं ।

श्री लादूराम सुलानियां : यह फाइल तो दूसरी नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दामोदर जी का असर आ रहा है । आप जरा इधर आ जाव ।

श्री बरकतुल्ला खां : She has now presented her bill for two cases in which she has appeared which is for 3,040/- each or for a total of Rs. 6,080/-. I am not in a position to comment on the various items but in the course of discussion she has made a sporting offer that she is prepared to accept a lump sum fee in each case of Rs. 2000 or a total of Rs. 4,000. I personally feel that this is a reasonable proposition and should be immediately accepted. Since I have not the slightest doubt that if she were to seek to enforce her claim for fees she is bound to get certainly more even if not the entire amount claimed. If necessary the point may also be verified in consultation with Shri Anop Singh who had actually discussed and finalised the terms in consultation with me.

श्री भैरोंसिंह : फाईनल ऑर्डर नहीं है । यह फाइल ऑर्डर नहीं है । आन ए पाईन्ट ऑफ ऑर्डर सर ।

श्री बरकतुल्ला खां : 26-8-68 को मुझे लिखा है । मैंने यह आर्डर दिया है । 'I agree with him.'

फिर फाईनेन्स में गया और फिर मेरे पास वापिस आया......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार हजार....

श्री बरकतुल्ला खां : मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं वह मैंने बताया श्रीमती विष्णु प्रभा वाली बात ' अनूप सिहजी से डिसकस हुई है, सी० एस० से डिसकस हुई है और इसका प्रपोजल, एडवोकेट जनरल को असिस्ट करना था, ज्वाईन्ट एल० आर० ने दिया। डिसकस करके दिया। इसमें मैं स्पष्टीकरण कर दूं यह सी० एस० का सजेशन था। वे मेरे पास आये और उनसे ही सहमति करते हुए लॉ डिपार्टमेंट में भेजा और फिर बाद में फाईनेन्स को भेजा गया। इसको कम्पलीट करने के बाद...

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो पाईन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है, इस प्रश्न के संबंध में वाद-विवाद चल रहा है और यह वाद-विवाद इस सीमा तक चला गया कि चीफ सेक्रेटरी चार हजार एग्री थे उसमें बाद में संशोधन किया गया। इसको स्पष्ट करते हुए माननीय मंत्री महोदय सदन की मेज पर एक्सट्रेक्ट रखें। नियमानुसार जिस फाइल का रेफरेन्स दिया जाय उसको यहां रखा जाय इसलिए उस फाइल को सदन की मेज पर रखा जाय और उसके तथ्यों को सामने लाया जाय ताकि सरकार को बाध्य किया जाय और असलियत का पता लग जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सदस्य महोदय, मैंने एक्सट्रेक्ट रखा है और मैं अभी इस फाइल को स्पीकर साहब को दिखा देता हूं ताकि आपको और मुझे कोई गलतफहमी न रह जाय। आप ज्यादा जानते हैं। आप रात-दिन फाइलें देखते हैं। मैं डिप्टी स्पीकर साहब की सेवा में अभी पेश करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : टेबिल पर नहीं।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय को दे दीजिये। अध्यक्ष महोदय जैसा बता रहे थे। चार हजार रुपये एड-हॉक बेसिस पर पेमेन्ट करना था। ज्यादा पेमेन्ट हो गया है। एडवोकेट होने की पैरवी करना, उनकी नियुक्ति करना आदि। फाइल का मुलाहिजा अध्यक्ष महोदय कर लें और बाद में हमें बता दें तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए पाईन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट से संबंधित मामलों पर जो विशेष तौर पर इस वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के साथ राजस्थान में जो अत्याचार हुआ है उस संबंध में मैंने एक सब्सटेन्टिव मोशन दिया था और उस संबंध में यह बात हुई थी कि वह इसी रिपोर्ट के साथ रख दी जाय और इसी पर साथ साथ व्यवस्था हो जायगी। सब्सटेन्टिव मोशन है, उसमें मैंने जांच कमीशन की मांग की है। जो अत्याचार हरिजनों पर हुए हैं उन पर जांच कमीशन बैठाया जाय, ऐसा मेरा निवेदन है, इससे सदन का समय भी बचेगा। जो संबंधित प्रस्ताव है उसको रख दिया जाय।

श्री बी० एन० जोशी : आन ए पाईन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।, उपाध्यक्ष महोदय, अभी 5 मिनट पहले आपका जो मोशन है, उसकी सूचना मिली है। मैं अभी इसको पूरा पढ़

(श्री बी० एन० जोशी)

भी नहीं पाया हूं । ये दोनों अलग अलग मामले हैं । मैं माननीय सदस्य से चाहता हूं कि इसके साथ इसको विचार नहीं किया जाय । इसको अलग से लिया जाना चाहिये । जो फेक्चुअल रिपोर्ट है उसको······

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने 25 तारीख को मोशन दिया है । मैंने जनरल स्थिति बताई है जो राजस्थान में हरिजनों के प्रति जगह जगह अत्याचार हुए हैं । कोई जमीन के बारे में है, कई स्त्रियों के अपहरण के बारे में हैं, कई पुलिस के अत्याचार के बारे में हैं–इस तरह की घटनाएं सामने आयेंगी । उन तमाम बातों के बारे में माननीय मंत्री महोदय के भाषण के.बीच में उल्लेख किया जाय । मैंने यह निवेदन किया है कि जांच कमीशन नियुक्त किया जाय । यह बिल्कुल उपयुक्त होगा, गवर्नमेन्ट को साथ ही रिप्लाई देना चाहिये । बहरहाल अध्यक्ष महोदय ने इसको स्वीकृत किया था । मैंने इस संबंध में अध्यक्ष महोदय से बात की थी, उन्होंने एग्री किया था । इस पर बहस होनी चाहिये ।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : जो प्रस्ताव अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जातियों का प्रस्तुत किया है इसमें यह जोड़ दिया जाय, पिछले दो महीनों में राजस्थान के कई भागों में, विशेषकर जयपुर जिले में जो अत्याचार हुआ है उस पर विचार करने के लिये माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है उनको विचारार्थ नहीं लिया गया । इस अवसर पर उन सारी की सारी बातों पर विचार करलें और इस बहस को एक दिन और बढ़ा दिया जाय तो यह हो जायगा । दूसरा निवेदन यह करूंगा, हम यह मानते हैं कि राजस्थान में परिगणित जाति······

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं आप समय ले रहे हैं । सीधे विषय पर आ जायं ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं निवेदन कर रहा था 64-65 की रिपोर्ट······

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट पर आप विचार कर लीजिये । आपका नाम पुकारते हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : यह परम्परा रही है और ऐसी मेरी मान्यता है·····

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप वाद-विवाद शुरू कर दीजिये और अपनी बात कह दीजिये । प्रस्ताव आपका आ जायगा ।

श्री बी० एन० जोशी (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1964-65 एवं 1965-66 के प्रतिवेदनों को, जिनकी प्रतियां दिनांक 4 अप्रेल, 1968 को सदन की मेज पर रखी गई हैं, जहां तक उनका राज्य सरकार से संबंध है, विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानियां ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वह भी पिछले सत्र में की गई थी उसको उसी वक्त सदन में विचारार्थ लिया जाना था लेकिन नहीं लिया, इसके अलावा अभी जो विचार होने वाला है इसकी भी सूचना दो तीन रोज पहले मिलनी थी लेकिन वह भी नहीं दी गई । ताकि हम इस पर विचार कर सकते और अपने सुझाव रख सकते । कई लोगों ने तो इसको देखा तक नहीं है फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री लादूराम सुलानियां)

कि जो रिपोर्ट 64-65 में दी गई थी उस पर 66 में ही विचार हो जाना चाहिये था लेकिन उस पर 67 में ही नहीं आज 68 में विचार हो रहा है यह हरिजनों का दुर्भाग्य है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य सरकार हरिजनों के प्रति जागरूक नहीं है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और जो अभी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इसमें कई तथ्य हीन बातें हैं और बहुत निराधार बातें हैं। वे उन तथ्यों पर आधारित हैं कि जो तथ्य राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं उसमें असलियत होनी चाहिये। कमीशन जो जांच करे वह असलियत में जांच करनी चाहिये।

(सदन में कांग्रेस के पक्ष के सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर)

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : यह प्रगतिशील कांग्रेसियों का हाल है जो हरिजनों को ऊपर उठा रहे हैं।

श्री बी० एन० जोशी : I am here. मैं यहां पर हूं मुझे जवाब देना है।

एक माननीय सदस्य : आपको तो तनख्वाह मिलती है। आपको तो यहां रहना ही पड़ेगा।

श्री लादूराम सुलानियां : आप भी पधार जायं तो हमें कोई दुख होने वाला नहीं है....

एक माननीय सदस्य : गान्धी जी के अनुयायियों का यह हाल है।

श्री बी० एन० जोशी : जवाब मुझे देना है, I am here,

श्री रामकिशन (वैर) : आप तो गाली गलोज की भाषा को ज्यादा पसन्द करते हैं वह हो तो आप सब उपस्थित रहें, आपसे तो उसी भाषा में बोलना चाहिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०) : ऑन ए पाईन्ट ऑफ इनफार्मेशन, सर, उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जन-जाति एवं आदिम जातियों की रिपोर्ट पर बहस हो रही है इसमें हमारा राजस्थान का जहां पर हवाला आया है उस हवाले में कई विभागों को संबोधित किया गया है। इसलिये माननीय सदस्य हरेक विभाग के बारे में कहेंगे इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बहस के समय सारे मिनिस्टर्स हों ताकि उनके विभाग से संबंधित बातों का वे जवाब दे सकें। सारे मिनिस्टर्स की उपस्थिति में ही इस रिपोर्ट पर अच्छी तरह बहस हो सकती है अगर सभी उपस्थित होकर सुनें तो अच्छा रहेगा।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान में हरिजनों के प्रति राज्य सरकार के जो कर्त्तव्य हैं उनको निभाने में राज्य सरकार असमर्थ रही है इसके मुख्य तथ्य यह हैं। जैसे भूमि के आवंटन को ही ले लीजिए। इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस भूमि आवंटन के बारे में राज्य सरकार ने कई सक्यूलर्स जारी किये हैं जिससे स्पष्ट है और राज्य सरकार ने बार बार घोषणा की है कि हरिजनों को भूमि देने में प्राथमिकता दी जायगी। जो भी भूमि हरिजनों को अलॉट हुई है एक तो ऐसी जगहों पर हुई है जो ऊंबड़ खाबड़ है, जिसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, जो काबिले काश्त नहीं है। और ऐसी भूमि अलॉट हुई है जिस पर दूसरे लोग काबिज थे। उस भूमि को तहसीलदार ने हरिजनों को अलाट कर दिया उसके लिये

(श्री आदूराम सुलानियां)

मुकदमें चले और उस जमीन का पट्टा कराने में हजारों रुपयों का व्यय हरिजनों को उठाना पड़ा।

भूमि अलॉटमेन्ट में भी अनियमितता बरती जाती है। समय पर लिस्ट प्रकाशित नहीं होती, नोटिस बोर्ड पर नोटिस नहीं लगाया जाता, अलॉटमेन्ट कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जाती। यदि इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जाता तो मुकदमें भी दायर नहीं हो सकते। वैसे ही हरिजन पहले भी पढ़े लिखे नहीं हैं फिर तहसीलदार द्वारा जो भूमि अलॉट होती है उसका सारा खमियाजा हरिजनों को उठाना पड़ता है। एक साल, डेढ साल बाद वे मुकदमें हार जाते हैं और उस भूमि को ले लिया जाता है उसके बाद फिर उस भूमि को अलॉट किया जाता है। एक एक भूमि को दस दस दफा अलॉट किया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी में बान्दी क्षेत्र में सिवाय चक की 400 बीघा भूमि चार दफा अलॉट हुई। ऐसी सैकडों मिसालें हैं। तहसीलदार कलेक्टर जो खामियां होती हैं उनको पूरा नहीं करते, उसका खमियाजा हरिजनों को भुगतना पड़ रहा है। भूमि अलॉटमेंट में अनियमितता बरती जाती है, समय पर इनका प्रकाशन नहीं होता इस कारण भी हरिजन लोग अन्धेरे में रह जाते हैं।

अब मैं छुआछूत के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। रिपोर्ट में जो आंकड़े बताये गये हैं मेरा यह मानना है कि ये आंकडे सही नहीं हैं। छुआछूत के मामले आज राजस्थान में बीस वर्ष पहले जितने थे उससे भी किसी हद तक कम नहीं हुए हैं। आज भी राजस्थान में ऐसे इलाके हैं जहां छुआछूत अब भी उसी मात्रा में विद्यमान हैं। आज भी हरिजनों के साथ छुआछूत का व्यवहार उसी प्रकार चल रहा है जो आजादी के पहले था। देव दर्शन के मामले को लीजिये आज भी हरिजनों को देव दर्शन में भी रुकावटें हैं इसमें भी राज्य सरकार बहुत पीछे रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के उद्धार के लिए जो रुपया दिया जाता है वह पड़ा रह जाता है। इसका उपयोग नहीं दुरुपयोग होता है। इसका कारण क्या है, इसके लिये जांच कमेटी बिठायी जाय ताकि सही मसला सामने आ सके। आज जितने भी हरिजन समाज कल्याण के कार्य होते हैं उनके लिये सहायता नहीं मिल पाती। वे सहायता से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं।

मैं सारे सदन के माननीय सदस्यों को एवं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, बीस वर्ष की आजादी के बाद भी हरिजनों को जितनी भी भूमि अलॉट हुई है उसमें पचास प्रतिशत भी पट्टे नहीं मिले हैं। तहसील का नोटिस मिलता है कि सिवाय चक की भूमि है, गोचर की भूमि है इस लिये उन जगहों से उखाड़ने में वे तत्पर रहते हैं। मिसाल की तौर पर निवेदन करूं जयपुर के पडौस में ही 8 मील दूर बकराणा में हरिजनों को 1954 में बसाया गया था। पहले जब बसाया गया तो उनको आश्वासन दिया गया कि तुमको इस जगह के तमाम अधिकार दे दिये जायेंगे। उस समय ऐसा वातावरण चला, बस्तियां बन रही हैं, जमीन के मुरब्बे दिये जा रहे हैं, फ्री पट्टे दे रहे हैं। मैं निवेदन करूं 1954 में बसी इस बस्ती में तहसील की तरफ से कोई सुविधा नहीं।

60 में ऑर्डर दिया तोड़ दिये जावे ये मकान। अपील की। इस बस्ती का जितना

(श्री लादूराम सुलानियां)

रुपया मकान बनाने में खर्च नहीं हुआ उससे अधिक पैरवी करने, वकीलों को करने और भागदौड़ करने में खर्च हुआ है । ऐसी स्थिति में हरिजनों के फायदे की बातें करना कोरा धोखा है । तहसील का आज भी उनको नोटिस मिलता है कि यह जमीन सिवाय चक की है। अगले दिन दूसरा नोटिस मिलता है कि यह जमीन गोचर भूमि की है ।

(२ म० प०)

54 में सांगानेर में एक बस्ती बसाई आपने । आज दिन तक उसे आबादी लैंड में कनवर्ट नहीं किया । न उनको पट्टे दिये गये । हजारों दरख्वास्तें उनकी मिनिस्टरों के पास और कलेक्टोरेट और तहसील में पड़ी हैं । शायद माननीय मंत्रीजी को भी जानकारी होगी । उनका उधर से रास्ता पड़ता है ।

ऐसी एक नहीं हजारों मिसालें हैं कि हरिजनों को आबादी लैंड में बसाने के बाद पट्टे नहीं दिये । झोटवाड़ा ग्राम की बात बताऊं। भंगी लोगों की बस्ती है । समाज कल्याण विभाग से उनको एक एक हजार मिला। उनको भी पट्टा नहीं मिला । उल्टे तहसील का नोटिस मिलता है कि सिवाय चक की जमीन है । अब कभी वे बिचारे स्टे लाते हैं, कभी इनकी खुशामद करते हैं। माननीय मंत्री जो पहले हरिजन मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया स्टेज पर खड़े होकर दो वन माला पहन कर कि पट्टा मिल जावेगा। मकान नहीं तोड़ेंगे । पर आज तहसील का नोटिस मिला है । मकान हटाओ वरना तोड़ दिये जावेंगे । यह सरकार का हमारे प्रति बर्ताव है । सरकार अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है ।

ये केवल शिडयूल्ड कास्टस की रिपोर्ट पर योंही विधान सभा की मोहर लगाना चाहते हैं । यह लगेगी । मैं जानता हूं । पर इस तरह की झूठी मोहरों से अगर आप महात्मा गांधी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो वह नहीं हो सकेगा । आपको एक बार अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा । हमें हमारा अधिकार जो संविधान में मिला है, देना पड़ेगा ।

57-58 में भीलवाड़ा जिले में हरिजनों पर सवर्णों का अत्याचार हुआ । कुओं पर उनको पानी नहीं भरने देते थे । पहले फसल का कुआ होता था तो उससे सारा गांव पानी भरता था । अब लोग कहते हैं मेरा कुआ हो गया है । मेरी खुशी है जिसको चाहूं पानी भरने दूं, जिसको न चाहूं न भरने दूं ।

पिछले महीने भीलवाड़ा जिले में आतंक छाया तीस चालीस गांवों में । इसकी सूचना माननीय मंत्रियों से लेकर सारे उच्चाधिकारियों से की गई । पर अफसोस की बात है कि भीलवाड़ा के एस०डी०एम० ने उल्टे बुलाकर कहा कि आपस में राजीनामा कर लो, नहीं तो पानी नहीं भरने देंगे । लिखित शिकायत इसकी मंत्रीजी को की गई, पर कुछ नहीं हुआ । दम दिलासा देने के लिये कह देते है कि कार्यवाही हो रही है । पर होता कुछ नहीं । तो इस अन्याय का निराकरण होना चाहिये । कोरे कागज लिखने से कुछ नहीं होता । आठ आठ दिन तक लोग बाहर नहीं निकल सके । किसी ने उनकी कुछ नहीं सुनी ।

इस साल भीलवाडा के अलावा चितौड़ में भी ऐसा ही हुआ । वहां उनको कुछ जमीन मिल गई है, अपनी काश्त करते है और

(श्री लादूराम मुलानियां)

थोड़ा अच्छा रहन-सहन रखते हैं तो इसकी जलन हुई । उनके शादी विवाह रोकते हैं । उनको तंग करते हैं । सरकार कड़ाई से कार्यवाही नहीं करती । उससे आज हमारे देश में छूआछूत की भयंकर बीमारी ज्यों की त्यों है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों जयपुर जिले में हरिजनों सवर्णों को लेकर कतल हुए, मारपीट हुई । करीब डेढ महीना हो गया । आज तक भी उसमें पुलिस ने किसी को मुलजिम नहीं ठहराया । प्रभावित परिवार को सरकार ने कोई राहत नहीं दी । अगर कोई और होता तो मुख्य मंत्री कोष से रुपया मिल जाता, सहायता मिल जाती, पर हरिजन को दिन दहाड़े हमला करके कतल कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, उन टुकड़ों को जगह जगह से बीनकर दाह संस्कार किया जावे, उसके परिवार के नन्हे नन्हे बच्चे, औरतें तड़पते रहें - उनको कोई राहत के लिये पूछे नहीं । क्या यही हरिजनों के साथ बर्ताव है ? इससे ज्यादा क्या धोखा होगा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर लालसोट और बस्सी तहसील, चाकूस तहसील के हिस्से में, इन जगहों में एक नया झगड़ा चल रहा है और आज भी उसको नहीं समेट पा रहे हैं । कई लोग भय और आतंक से घर छोड़ कर भाग गये । उनकी फसलें नष्ट हो गईं । औरतें और बच्चे दर दर के हो गये । पर राज्य सरकार की ओर हमारे समाज कल्याण मंत्री की नींद नहीं उड़ी । आप ज्यादा से ज्यादा हंस लें । मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हंसने से काम चलने वाला नहीं है ।

अपने अपने अधिकार सबको चाहियें । ये अधिकार हम कोई आपसे भीख में या मांग कर नहीं ले रहे हैं । हमारा देश आजाद हुआ है । भारत के संविधान ने हमें ये अधिकार दिये हैं । अब संविधान का पालन करने का, उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व सरकार का है । अब तक तो इसके प्रति सरकार ने पूरा निकम्मापन प्रकट किया है । राजस्थान में हरिजनों को जो बीस वर्षो से अधिकार मिलने चाहियें, नहीं मिल पाये हैं । यह सरकार तो अब भी बीस साल तक नहीं दे सकेगी । उनकी तो एक आवाज है । हरिजनों की सेवा करते हैं । भंडारा खोल रखा है उसके द्वारा हरिजनों के एक बहुत बड़े परिवार को पाल पोस रहे हैं ।

पर, उपाध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट चित्र हमारे सामने पिछले आम चुनावों में आया है कांग्रेस हरिजनों की 30 में से 10 सीटें ले पाए हैं । हरिजन आज असन्तुष्ट हैं क्यों कि उनको कोई अधिकार यह राजस्थान सरकार नहीं दिला पाई है । हरिजन कब तक इन्तजार करेंगे ? आप निरीक्षण करें कि हरिजनों के साथ छूआछूत का भूत समाप्त हुआ है क्या ? तो आपको पता लगेगा कि हरिजनों की हालत वाकई में खराब है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करदूं कि अभी गंगानगर के अन्दर एक लाख बीघा जमीन सुरक्षित कर दी कि राजस्थान के हरिजनों को एक लाख बीघा भूमि सुरक्षित है और वह उनको दी जायेगी । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस एक लाख बीघा भूमि में से एक बीघा भी उनको नहीं मिली है । यह भूमि असाढ में अलॉट होनी चाहिए थी और आज उस पर फसल होनी चाहिए थी और

(श्री लादूराम सुलानियां)
उससे राजस्थान का हरिजन वर्ग लाभान्वित होना चाहिए था और उनके लिए यह भूमि सुरक्षित रहनी चाहिए थी लेकिन आज तक एक बीघा जमीन उनको अलॉट नहीं हुई। राजस्थान की सरकार और माननीय समाज कल्याण मंत्री इस ताने बाने में लगे हुए हैं कि हमारे रिश्तेदार कौन हैं, हमारे चेलचाटी कौन है। पहले उनको दे दें, हरिजनों को तो बाद में दे देंगे।

इसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए रेवेन्यू एक्ट की धारा 46 और 49(क) के अन्दर है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीन जो खातेदारी की है अगर वह लोग पर्चेज नहीं कर सकते हैं और किसी प्रकार से उनकी खातेदारी में वह जमीन परिणत नहीं हो सकती है और न उनका नामांकन हो सकता है इस बात को लेकर कि राजस्थान के हरिजनों को जो कुछ जमीन मिली हुई है वह बची रहे और वही उनकी पूंजी है इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक्ट में यह धारा जोड़ी गई थी। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अफसोस के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के हरिजनों के पास कुछ जमीन मौके पर रोड साइड पर जयपुर के नजदीक अच्छी जमीन है और उसके पास में किसी बड़े आदमी का बंगला है तो वह चाहता है कि हरिजन नहीं रहे और उससे यह जमीन छीनी जाये। मैं आपको अभी पिछले साल की ही मिसाल दूं। अजमेर रोड पर एक जमीन एक बलाई के पास 9 बीघा की थी। उसको पर्चेज करने की लोगों ने कोशिश की। लोगो को इसका रास्ता नहीं मिला। उसको छीनने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक षड़यंत्र रचा गया और वह षड़यंत्र यह था कि उस बलाई को अजमेर में ले गए और वहां गिरजे में ले जाकर उसको ईसाई बनाया गया और उसको बाइबल पढ़ाई गई। उसके बाद में वह हरिजन नहीं रहा और उसको उसके बाद जयपुर लाये और उससे उस जमीन की रजिस्ट्री कराई। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस खाते में वह जमीन थी क्या वह ईसाई जमीन बन गई? क्या ईसाई बनने के बाद जमीन छीन ली तो आपको कोई आनन्द आ गया? हरिजनों की सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। उससे जमीन क्यों छीनी जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरिजन के ईसाई बनने के बाद उसका खाता परिवर्तित हो गया और उसकी जमीन ईसाई बनने के बाद छीन ली जाये···

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया रिपोर्ट पर बोलें। यह तो आप कभी भी बोल सकते हैं।

श्री विश्वम्बर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी तक रिपोर्ट के किसी एक प्रावधान का भी जिक्र नहीं किया है।

श्री लादूराम सुलानियां: उनके अधिकारों की क्या दशा हो रही है यह मैं आपके द्वारा सदन को निवेदन कर रहा हूं। 15 मिनट का रास्ता है माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ चलें और मैं उनको दिखा दूंगा। इसी तरह से धर्म के ठेकेदार जो यह कहते हैं कि हम तो धर्म निर्पेक्ष राज्य करते हैं इसकी एक

(श्री नादूराम सुलानियां)

शकल दिखा रहा हूं कि हरिजनों की जमीन किस प्रकार से हड़पी जाती है। अभी अभी सदन में थोड़ी ही देर पहले प्रश्न के टाइम में एक चर्चा आई थी और उसमें यह था कि एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति की मूछें उखाड़ लीं इसलिए कि वह सवर्ण के बराबर मूछें नहीं रख सकता है। यह तो अकबर और नादिरशाह के जमाने में भी नहीं हुआ जो कि कांग्रेस के राज्य में लोगों की मूछें उखाड़ी जाती हैं। अफसोस की बात तो यह है कि यह मूछें रखें और बराबर का वल लगायें और फिर मूछों वाले को सजा दें। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि कार्यवाही करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि 64 में यह मामला हुआ और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।

सरकार दिखाने के लिए तो छात्रावास खोलती है ताकि हरिजनों के बच्चों को शिक्षा दी जा सके, उनको खाना, कपड़ा और किताबें दी जा सकें। किसी विद्यार्थी को यह सब चीजें मिल जायें तो वह विद्यार्थी पूरी शिक्षा प्राप्त कर सकता है लेकिन मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में जितने भी छात्रावास हैं उनकी दशा देखें कि क्या हालत है वहां। वहां के लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार है। सदन में भी माननीय सदस्यों ने आटा और रोटियां पेश की हैं कि यह उन लड़कों को खिलाया जाता है। अगर स्वस्थ बच्चा होस्टल में भर्ती कराया जाये तो वह बीमार पड़ जायें। जयपुर में दो तीन होस्टल हैं वहां जाकर देखें कि क्या हालत है। बाजार से मिलिट्री के उतरे हुए कपड़े और जो बोर्डर पर मर जाते हैं उनके जिन कपड़ों को नीलाम किया जाता है और जो कबाड़ी खरीद कर ले आते हैं वह कपड़े खरीद कर बच्चों को पहनाये जाते हैं। यह राजस्थान सरकार की शकल है। अगर उनको जूते पहनाये जाते हैं तो बाटा के जूते नहीं पहनाये जाते और न लोकल मोचियों से बने पहनाये जाते बल्कि मिलिट्री के उतरे हुए जूते पहनाये जाते हैं जो कि बाजार में 1½ रुपये के मिलते हैं। खाना, कपड़ा और विद्या छोड़ दीजिए उनके लिए कोई वाचनालय और पुस्तकालय नहीं है। उनसे होस्टल में झाड़ू लगवाई जाती है, रोटियां लड़कों से बनवाई जाती हैं। अफसोस की बात है। ऐसे मिनिस्टरों को और सरकार को डूब मरना चाहिए जो कि संविधान में दी गई सहूलियतों की अवहेलना करती है और 20 साल के सारे अधिकार यह खाये बैठे हैं। आज यह हालत है हरिजनों के विद्यार्थियों की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्याध्ययन के बारे में यह निवेदन कर दूं कि 20 साल में कितने आफिसर्स आपने बनाये? क्या 20 साल में उनको होस्टलों में पढाया? दो सौ, पांच सौ विद्यार्थी भी नहीं निकाल सकते थे? मैं बता दूं कि छात्रावास में पढ़ने वाले लड़के दसवीं क्लास से ऊपर नहीं जायेंगे और चले भी गये तो इन्टर में फेल होंगे और किसी ने बी० ए० भी कर लिया तो भी नौकरी नहीं मिलेगी।

और नौकरी अगर मिल गई तो उसको तीन दिन से ज्यादा एक स्थान पर टिकने नहीं देते हैं। उसका रिजल्ट यह रहता है कि वह सोचते हैं कि यहां हम इसके साथ कैसे बैठेंगे। फिर उसकी बदली करते हैं। कहते हैं यह हमारे ऊपर ताने देते हैं। हरिजन विद्यार्थियों के बारे में राजस्थान सरकार ने यह योजना बना रखी है कि ये हरिजन विद्यार्थी कहीं विद्वता प्राप्त नहीं कर ले। अगर वह

(श्री लादूराम सुलानियां)

समझदार हो गये तो अपना अधिकार मांगेंगे। उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाये। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि गवर्नमेंट का छात्रावासों पर धन लगा हुआ है तो जो कालेजेज के छात्रावासी हैं उनमें उनको परिणित क्यों नहीं करते हैं ताकि उनके रहन-सहन में परिवर्तन आ सके, जिससे कि वह यह समझ सकें कि जिस तरह से दूसरे इन्सान हैं उसी तरह से हम को भी अधिकार है। अभी वह महसूस करते हैं कि हम नीचे हैं हम को दूर रखा जाता है। जैसा कि मनुस्मृति म लिखा है कि अगर हरिजन ओम का उच्चारण सुन ले या गायत्री मंत्र सुन ले तो उसके कान में सीसा घोलकर डाल दिया जाये। पढ़ने के लिए स्कूल 6-8 और 20 मील तक की की दूरी पर हैं। वहां विद्यार्थी पढ़ने के लिए जायें। आज जयपुर में जितने छात्रावास हैं, वहां पढ़ने के लिए कितने आते हैं? समाज कल्याण विभाग का क्या हाल है? आज एक पत्र लिखो तो तीन साल में भी उत्तर नहीं मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पंचायत राज की बात चल रही है। पंचायत राज में हरिजन सीट भी सुरक्षित है। एक हरिजन गांव का आ गया तो बस समझ लेते हैं कि कोटा पूरा हो गया। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप को बता देना चाहता हूं कि पंचायतों का चुनाव हुए तीन चार साल हो गये है, अब चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। पंचायत में भी उस एक आदमी की उपेक्षा की जाती है। कहने की बात यह है कि जब तक उस मीटिंग में वह बैठे नहीं तब तक उसकी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। सरकार का कानून है लेकिन कानून में अधिकार मिला हुआ है। फिर भी सरकार हम को वंचित रखती है। यह चाहते हैं कि ये अधिकारों से वंचित रह कर अपना टाइम पूरा कर लें। लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि वह दिन दूर नहीं है कि यह घोटालेबाजी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। यह वंचित रखने की बात करते हैं, यह राजस्थान के हरिजन हरिजन नहीं है, 20 साल तक आपने जाग्रति नहीं दी है। लेकिन हमारे बड़े नेता, भारत का विधान जिनकी देन है, डा० अम्बेडकर जिन्होंने भारत का विधान लिखा है, उन्होंने हमको अधिकार दिलाए है। इतने वर्ष तक हम को अंधेरे में रखा। कहते है कि समझदार को इशारा काफी है। इशारे में इन्सान समझता है। यह सरकार इशारे में समझने वाली नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन की रिपोर्ट राजस्थान के प्रति हमारे सामने रखी है। मैं निवेदन कर दूं कि जो बातें तय होने की हैं, उस रिपोर्ट की जांच के लिये एक कमेटी बनाई जायें, उसमें दोनों दलों के लोग हों। मैं यह नहीं कहता कि शिडयूल्ड कास्स के ही सदस्य हों। सवर्ण भी हों। माननीय समाज कल्याण मन्त्री भी हों। खुशी की बात यह हो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी हों। मुझे भी सदस्य कायम करें। अगर यह रिपोर्ट सत्य है तो मेरी बात मानी जाये। इस रिपोर्ट को मान्यता दें। हरिजनों के प्रति यह हमारी राजस्थान की सरकार जिस बात की दुहाई देकर चलती है, वह पूरा नहीं हुआ है। इसके अन्दर एक मुख्य मसला और है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है इसलिए संक्षेप में बोलें।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मिनट बोलूंगा मुझे तो अभी पता नहीं था कि माननीय मन्त्री शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप को कार्य सूची भेज दी गई थी।

एक माननीय सदस्य : यह ध्यान रखना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सूची आपने पढ़ी है ?

श्री लादूराम सुलानियां : पढ़ी है ।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : बातों से ऐसा लगता है कि रिपोर्ट भी आपने नहीं पढ़ी है । आपने रिपोर्ट की किसी एक भी सिफारिश का हवाला नहीं दिया है।

एक माननीय सदस्य : रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि आपने पढ़ी नहीं है ।

श्री लादूराम सुलानियां : आज हम जिन अधिकारों से वंचित हैं, वह अधिकार हमको नहीं मिले । अधिकारों से वंचित रखने वाले लोग यह सोचते हैं, कि हम बहुत बड़े हैं लेकिन हम लोग उठ गये हैं । अभी कितने ही हमारे हरिजनों ने भारत सरकार के सामने प्रदर्शन किया। चार पांच सौ आदमी गिरफ्तार हुए। उन्होंने इस बात की मांग की है कि राजस्थान में जो अत्याचार हो रहा है वह बन्द होना चाहिए । लेकिन राजस्थान सरकार चुप बैठी हुई है । आज तक किसी प्रकार का सन्तोषप्रद उत्तर नहीं है । हमें यह मालूम होता है कि जान बूझ कर करवाते हैं । वह इलाका भी हमारे समाज कल्याण मन्त्री का है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि 1958 में इस प्रकार के हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ था ...

श्री उपाध्यक्ष : इस बात पर आप चर्चा कर चुके हैं अपने भाषण के दौरान में । इस पर दुबारा चर्चा न करें । इसको दोहरायें नहीं ।

श्री लादूराम सुलानियां : दिल्ली में जो एजीटेशन हुआ या उसके सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन राजस्थान की मांग को लेकर भारत सरकार के सामने एजीटेशन चलायें और राजस्थान सरकार उसके सम्बन्ध में आंख मूंद कर बैठी रहे—इससे ज्यादा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या अफसोस की बात हो सकती है ?

चार पांच रोज पहले की बात है, चार रोज पहले की बात है, यहां ग्राम खाड़िया के पास हरिजनों की एक बहुत बड़ी बस्ती है, वहां पर करीब ढाई सौ, तीन सौ परिवार बसे हुए हैं । वहां पर रात को अचानक आकर लोग मार पीट कर चले गये । वहां पर लोग चोरियां करके चले जाते हैं। जब उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, हां भाई करेंगे । तुम कौन हो ? उन्होंने कहा—हरिजन हैं साहब । तो कहते हैं—अरे अरे, बाहर बैठो । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने इनको प्रेस्टिज दी क्या है जिस पर आप शान के साथ यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और सोचते हैं, जैसे आपने बहुत बड़ा कुबेर का खजाना लुटा दिया है, बहुत बड़े अधिकार हरिजनों को दे दिये हैं ? मैं निवेदन करना चाहता

(श्री लादूराम सुलानियां)

हूं कि पिछले बीस साल के दरम्यान, पिछले बीस सालों में आपने इनकी स्थिति में अन्तर क्या किया है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीस साल पूर्व की घटना ह .....

श्री जयनारायण (लसाड़िया सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं, इनके लिए समय नियत कर दिया जाय ।

श्री लादूराम सुलानिया : उसने आपको मालूम होगा कि बीस साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज !

श्री जयनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए समय निर्धारित कर दिया जाय तो पीछे बोलने वाले जो माननीय सदस्य होंगे उनको भी समय मिल सकेगा और वह भी इस रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा पन्द्रह मिनिट ! (श्री लादूराम सुलानियां से) आप कृपया स्थान ग्रहण करें । तीन मिनिट और हैं आपके ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत सेशन में भी इस रिपोर्ट पर विचार नहीं हो सका था । दो दिन तो इस रिपोर्ट पर वाद-विवाद करने के लिए बहुत ही कम है क्योंकि इस पर बोलने वाले अधिक हैं । पिछले सत्र में कई माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा कि इस रिपोर्ट को इसी सत्र में पेश करना चाहिए और इस प्रश्न पर सदन में काफी उत्तेजना भी उत्पन्न हुई थी, किन्तु उसके बाद भी, इतनी उत्तेजना पैदा होने के बाद भी इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया । अब इस रिपोर्ट के ऊपर वाद-विवाद करने का अवसर दिया गया है, इस समय भी यदि आप समय सीमा पन्द्रह मिनिट की लगाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह हमारे बर्दाश्त के बाहर की बात है मैं निवेदन करूं कि इस पर दो दिन लगें, तीन दिन लगें, चार दिन लगें, जो भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें उन्हें पर्याप्त समय मिलना ही चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात समझ में आ गई । आर्डर प्लीज !

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको अपने विचार रखने का पूरा अवसर देना चाहिए ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, पन्द्रह मिनिट तो वास्तव में कम रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : पन्द्रह मिनिट कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो पन्द्रह मिनिट में तो सब कुछ कह सकते हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना है, और मेरा निवेदन है कि इस रिपोर्ट को सामने रख कर इस सदन में विचार करते समय माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वह अच्छी तरह से इस बात का अध्ययन कर विचार प्रकट करें कि आज से बीस वर्ष पहले हमारे देश के अन्दर , गांवों के अन्दर हरिजनों की क्या हालत थी और आज बीस वर्ष के बाद में उनकी स्थिति में क्या अन्तर आया है, कितना उनको ऊंचा उठाया है, कितने उनको अधिकार मिले हैं ? केवल एक यही बात हमें इसमें देखनी है,

(श्री लादूराम सुलानियां)
लेकिन इस रिपोर्ट के इधर के पन्ने से उधर के पन्ने तक पढ़ लें कहीं भी इसका नाम तक नहीं मिलता है। यह सारी रिपोर्ट जो बनाते हैं इसमें हर योजना का नक्शा वह देते हैं, छोटे बड़े खम्भे बना कर, इस साल इतने बढ़े, फिर दूसरी साल वह खम्भे इतने घट गये और फिर तीसरी साल वह खम्भे बढ़ गये। लेकिन हरिजनों को बढ़ाने या घटाने की जो बात है वह इसमें नहीं दी है। यह बात क्यों नहीं दी है, यह स्पष्ट है। वह देते कैसे, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि देने जैसा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसका उल्लेख वह इसमें करते।

तो मैं बीस साल पहले के बारे में आपको एक मिसाल देता हूं, मैं माननीय मंत्रीजी को बीस साल पहले की बात याद दिला दूं, वैसे उनके अलावा इस सदन के माननीय सदस्यों को तो मालूम होगा कि बीस साल पहले हरिजनों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होता था, उस वक्त कांग्रेस का राज्य नहीं था, उस वक्त देश आजाद नहीं था, उस समय देश परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश उस वक्त लेकिन अंग्रेजों का गुलाम होते हुए भी, देश पर उनका शासन होते हुए भी राजस्थान में जिनका शासन था वह राजस्थान के राजपूतों का और राजाओं का शासन था। उस समय किसी हरिजन पर कोई अत्याचार होता था और वह उसकी दरख्वास्त देता था या उसकी पुकार करता था तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको तुरन्त राहत मिलती थी। मैं मिसाल देकर जोशी जी को बतला दूं, उस समय आप वकालत करते थे, शायद आपको मालूम होगा। पइली गांव में गोविन्द राम बैरवा ने मृत्यु भोजन में लड्डू किये थे और उस समय सवर्णों ने कहा कि हम तुमको लड्डू नहीं करने देंगे। इस बात को लेकर उस समय संघर्ष चला। सवर्णों ने कहा कि तुम हरिजन हो इस लिए तुम लड्डू नहीं कर सकते और हरिजनों ने कहा कि हम लड्डू करेंगे। उस वक्त जो राज्य सरकार थी, उस वक्त राजाओं का राज्य था, तो उनके सामने जब दरख्वास्त आई और उनको कहा कि यह हमें हमारे अधिकार से वंचित रखते हैं तो उस वक्त का जो शासन था उस शासन ने इन्तजाम किया और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : उस समय जो इसकी खिलाफत करने वाले लोग थे उन पर गोलियां चलीं, लाठियां चलीं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्हें अभी जोश आ रहा है।

श्री लादूराम सुलानियां : आपस में बड़ा झगड़ा हुआ और उस समय कुछ लोगों को आजन्म कारावास का दण्ड दिया गया। वह लोग आज भी जेल के सिकंजो में हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! आसन अपने पैरों पर खड़ा है। आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री जयनारायण सालोदिया!

श्री लादूराम सुलानियां : मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ है। मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना चाहता हूं। मैं केवल दस मिनिट बोलूंगा। मुझ आप टाइम से वंचित न करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! आसन अपने पैरों पर खड़ा है। आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बातें कहनी हैं इसलिये मैं थोड़ा समय और चाहता हूं, वरना मैं ज्यादा टाइम देने के लिए मजबूर न करता। मुझे कुछ बातें कहनी हैं जो असलियत में सत्य हैं, उससे कोई माननीय सदस्य चिढ़ें हों....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : मंत्री जी चिढ़े हों, कोई चिढ़ा हो–मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : कि उस समय कोई इस तरह की बात करते थे तो वह आजन्म के लिए जेलों में पटक दिये जाते थे। लेकिन आज जो छूआछूत की बात करते हैं, और आज जो स्थिति होती है उसकी जब पुलिस के सामने रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस के सिपाही उनसे बात तक नहीं करते......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजन लोग उस वक्त सुरक्षित थे। आज शासन दुहाई देता है कि हम हरिजनों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वह आज बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि यह शासन का कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखे। मैं निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ ! माननीय सदस्य !

श्री लादूराम सुलानियां : दस मिनिट में मेरा भाषण कैसे हुआ। यह अफसोस की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य !

श्री लादूराम सुलानियां : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानियां : मैं निवेदन करूंगा कि मुझे दस मिनिट का समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप एक मिनिट भी नहीं बोल सकेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : आपकी इजाजत से मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अब बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : मुझे दस मिनिट का समय और दिया जाय। मुझे अफसोस है। मुझे दस मिनिट का समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं दिया जायगा।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं आपको बाध्य नहीं करता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के अधिकार उस समय सुरक्षित थे । उस समय हरिजन सोचते थे कि जब भारत आजाद होगा तो हरिजनों के अधिकार और सुरक्षित होंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री लादूराम सुलानियां : लेकिन आज भी उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं । यह बड़े अफसोस की बात है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

बड़े अफसोस की बात है, आर्डर प्लीज ! बार बार आसन की ओर से समय की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है । आप इस सदन के पुराने सदस्य हैं आप नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं । आपके भाषण की समाप्ति की घोषणा कर दी लेकिन फिर भी आप बोलते जा रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि हरिजनों की रिपोर्ट आये और हरिजन सदस्य इस सदन में बोलें तो उनकी इस प्रकार से अवहेलना होती है....

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! कृपया समय का ध्यान रखें और आसन ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजनों की रिपोर्ट पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है । मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे दस मिनिट...

श्री उपाध्यक्ष : आपने चालीस मिनिट ले लिये हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय मंत्री जी के इशारे पर आसन चले-मैं इससे सहमत नहीं हो सकता । मैंने राजाओं का नाम लिया तो मुझे बैठने को कहा जा रहा है । यह हमारे साथ न्याय नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजन राजाओं के राज्य में सुरक्षित थे, लेकिन आज सुरक्षित नहीं हैं । आज के शासन ने राजाओं के हाथ से राज्य लिया है तो हरिजनों को भी सुरक्षा देनी पड़ेगी । यह एक तरह से इन्होंने वायदा किया है । मेरा निवेदन है कि जयपुर जिले के हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनको दूर करके....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप तीन बार कह चुके हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि हरिजनों के पन्द्रह घर उजाड़ दिये लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनिट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर मध्याह्न पश्चात् 2.38 बजे सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनिट के लिये स्थगित हुई ।)

(सदन की कार्यवाही पुनः मध्याह्न पश्चात् 3 बजे प्रारम्भ हुई)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण चालू रखें। पांच मिनिट में, संक्षेप में कहें।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की रिपोर्ट....

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइंट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय, कोई मन्त्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह उचित नहीं है। संबंधित मन्त्री महोदय, जो इस विभाग से संबंधित हैं वे शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित हों।

आरम्भ कीजिए।

(सदस्यों द्वारा अव्यवस्था–अश्रव्य)

आर्डर ! आर्डर प्लीज.।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय, बात तो हरिजनों की थी। दुर्भाग्य हरिजनों का है। दुर्भाग्य ! के हरिजनों के मन्त्री हैं, उन्हें यहां होना चाहिये। यह स्वाभाविक है। यह तो परम्परा रही है। यह कोई नयी बात नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके अनुसार मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आयुक्त ने हरिजनों के, राजस्थान में बसने वाले हरिजनों के संबंध में....

श्री बी०एन० जोशी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय सदस्य पैंतालीस मिनिट पहले बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय अध्यक्ष महोदय, 40, 45 मिनिट की बात नहीं है। बोलना शुरू किया था। हरिजन सदस्यों को, जो हमारे इस सदन में, विधान सभा में हैं, समय कम मिलता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आयुक्त की रिपोर्ट में राजस्थान के हरिजनों के प्रति राजस्थान सरकार की जो जागरूकता रहनी चाहिये थी, वह नहीं रही है, उसमें कमी रही, उसको रिपोर्ट में प्रकाशित किया है। इसमें एक बात यह प्रकाशित हुई है, हमारी आजादी के बाद जो बड़े बड़े लीडर देश में हुए हैं, उनके नाम से हम बस्तियां बसाते हैं। उनके नाम से औषधालय खोलते हैं। स्कूलें खोलते हैं। इसी परम्परा को लेकर बीकानेर के अन्दर विनोबा भावे के नाम से एक कालेज खुला है। इसमें 100 विद्यार्थी होंगे और 100 विद्यार्थियों का बजट पास किया लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग के मन्त्री, उच्च अधिकारी और विकास अधिकारी, विकास विभाग, और वहां के जिलाधीश, जिन्होंने हरिजनों के उत्थान का ठेका ले रखा है, ने इसका निरीक्षण नहीं किया। इस स्कूल में 15 छात्र हैं। जहां 100 की जगह है, वहां 15 छात्र। इसके बदले में हम जयपुर शहर में देखें। जहां 60 छात्रों की जगह है, वहां 200 आते हैं। उनमें से 40 को एडमिशन देते हैं और बाकी को भगा देते हैं। कहते हैं मन्त्रीजी का टेलीफोन आयेगा तो रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे। तीन तीन महीने में निरीक्षण करने की व्यवस्था है।

(श्री लादूराम सुलानियां)
डेढ़, दो साल हो जाते हैं किन्तु कोई उधर नहीं जाता है। इस प्रकार की कमजोरियां हमारे विभाग की हैं। राज्य सरकार के हुक्म और उनके आर्डर्स प्रसारित होते हैं किन्तु उनके अन्दर खामियां रह जाती हैं, जिससे हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

आयुक्त ने, अध्यक्ष महोदय, अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि राजस्थान में पेय जल की समस्या है। राजस्थान सरकार बीस सालों में इसे हल नहीं कर पायी है। इसका परिणाम यह है कि गांवों में हरिजनों को पानी मुहैया नहीं है। पीने का पानी जो सरकार नहीं दे सकती, हरिजन हो या सवर्ण हो, वह सरकार कुर्सी पर बैठने की अधिकारी नहीं रहती। हमको विशेष अधिकार दे रखे हैं जिस प्रकार कि जेल में जेलर को विशेष अधिकार हैं, घी, तेल, आटा, नमक कैदी को ज्यादा देने का, किन्तु वह नहीं देता। यही हालत हमारी है। हरिजनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पीने के पानी के लिये कुए बनाने के लिये सहमति दे दी है। उससे कुए बनाये जा सकते हैं। पानी की समस्या हल की जा सकती है। आज तक लोगों की यह समस्या हल नहीं हुई। पीने का पानी राजस्थान के हरिजनों को उपलब्ध नहीं है। आये दिन इस बात को लेकर झगड़े होते हैं। इससे निपटने में राजस्थान पीछे रहा है।.

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

(व्यवधान)

आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानियां : केवल पांच मिनिट और दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। श्री शंकरलाल।

श्री लादूराम सुलानियां: मैं प्रार्थना करता हूं, माननीय अध्यक्ष, केवल दो मिनिट बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री लादूराम सुलानियां : यह मेरा अधिकार है····

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री लादूराम सुलानियां : मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा अधिकार है। मुझे आप····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर ! आर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की रिपोर्ट 1964-65, 1965-66 की जो आयुक्त ने भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा मन्त्री द्वारा राष्ट्रपति को पेश की और ये दोनों रिपोर्ट्स आज सदन के समक्ष हमारे राजस्थान के समाज कल्याण मन्त्री द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं, उस संबंध में सर्व प्रथम निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1964-65 की रिपोर्ट है, जो आयुक्त द्वारा 24 नवम्बर, 1965 को राष्ट्रपति को पेश की गई थी, 65 के बाद कितनी ही बार हमारी इस राजस्थान विधान सभा की बैठकें हुई होंगी लेकिन 64-65-की रिपोर्ट, 65-66, की रिपोर्ट, दोनों एक साथ पेश की गई। मैं समझता हूं यह हमारे लिए एक उचित बात

(श्री शंकरलाल)

नहीं है। यह हम नहीं चाहते हैं। 64-65 की रिपोर्ट 65 के अन्दर प्रस्तुत कर दी गई, उसके बाद 66 गुजर गया, 67 गुजर गया, यह हमारी विधान सभा में क्यों नहीं रखी गयी? समझ में नहीं आता। ढाई साल के बाद यह रिपोर्ट हमारे सामने आती है। दोनों रिपोर्ट्स एक साथ आती हैं। समय पर अगर सामने आ जाती तो उसके ऊपर विचार किया जाता, सिफारिश की जाती और उस पर राजस्थान ने कितनी प्रगति की, यह देख लिया जाता। जो सुझाव आयुक्त ने रिपोर्ट में राजस्थान के संबंध में दिये हैं, उनका कहां तक पालन हम राजस्थान में कर पाये हैं, उनके संबंध में पुनर्विचार कर पाते यदि समय के ऊपर रिपोर्ट इस सदन में पेश कर दी जाती। यह बहुत ही अफसोस की बात है। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा आयुक्त की यह रिपोर्ट्स इतने समय के पश्चात् सदन में क्यों प्रस्तुत की गई हैं? अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है, वह पूरे हिन्दुस्तान के बारे में, उसके अलग अलग प्रान्तों के विषय में, आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के विषय में जो भी प्रगति की गई है इन वर्षों के अन्दर उस बारे में लेखा जोखा पेश किया गया है। इसके बारे में जब हम राजस्थान के संबंधित विषयों को देखते हैं तो सर्व प्रथम मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके अन्दर एक प्रावधान बताया गया है कि जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है वहां के क्षेत्रों की रिपोर्ट है वह वहां के राज्यपालों द्वारा पेश की जाती है और इस सदन के अन्दर जो भी इस संबंधित प्रावधान है उस

(3.12 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

प्रावधान के अनुसार हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा समय पर पेश नहीं हुई है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा। सर्वप्रथम 1964-65 की रिपोर्ट है उसके पेज 185 की ओर मैं राजस्थान के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 182 पेज पर यह लिखा गया है कि संविधान के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान में कुछ क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहा गया है और इन सभी क्षेत्रों के प्रतिवेदन के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट आनी चाहिये! राज्यपाल महोदय के प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नहीं होते हैं। इनके प्रतिवेदन की रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंचनी चाहिये। इस बारे में जो स्थिति है वह नीचे लिखी जाती है। अगर हम प्रदेशों की स्थिति को देखें तो पेज 183 संख्या 8 पर है उसमें बताया गया है –64-65 की राज्यपाल महोदय की कोई रिपोर्ट आई तो लिखा है–कुछ नहीं। हमारे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित की जानी चाहिए वह नहीं की गई है। मैं समझता हूं यह एक बहुत गंभीर मसला है। मैं राज्यपाल महोदय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्यों नहीं भेजी गई? 64-65 की रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 64-65 में गुजरात और मध्य प्रदेश से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इन प्रतिवेदनों की टिप्पणी प्रस्तुत हुई है। उसमें भी राजस्थान

(श्री शंकरलाल)

का नाम नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार यह 64-65 का जो उल्लेख किया गया है, 65-66 की रिपोर्ट को देखें, तो उसमें पेज 81 पर उल्लेख किया गया है। उस 81 पेज पर यह कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा की 65-66 व 66-67 की राज्यपालों की रिपोर्ट 66 की समाप्ति पर पहुंचनी चाहिये परन्तु पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हमारे यहां के राज्यपाल महोदय को अनुसूचित क्षेत्र की जो रिपोर्ट देनी चाहिये वह नहीं गई। दूसरे इस संबंध में जो आवश्यक बात है संविधान के अन्तर्गत इन जातियों को जो अधिकार दिये गये हैं, इनकी जो अवहेलना की है और राजस्थान से जो संबंधित बातें हैं, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, 64-65 है उसमें बताया गया है हरएक राज्य के अन्दर समन्वय समितियों का गठन किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में भी हुआ है 64 में। 64-65 की जो रिपोर्ट है उसके 5 पेज पर अगर आप देखें तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की समन्वय समितियों का जो गठन प्रत्येक राज्य में हुआ है और राजस्थान में यह गठन 14-7-64 को हुआ है परन्तु 63-64 में कोई बैठक नहीं हुई। 64-65 में कोई बैठक हुई, इसकी सूचना नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा इस प्रकार की यह जो सूची है इसके बारे में आप पढ़कर बतायें क्योंकि आंकड़ों से पता लगता है कि राजस्थान में 63-64 में कोई मीटिंग नहीं हुई। 64-65 की सूचना उपलब्ध नहीं है। दूसरे साल बैठक हुई इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। इससे संबंधित जो राज्य मंत्री हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो समन्वय समिति गठित की गई है, उसका क्या तात्पर्य था। बैठक हुई या नहीं हुई उसकी सूचना भारत सरकार को नहीं भेज सके तो ऐसी समन्वय समिति गठित करने की क्या आवश्यकता थी? एक मूल्यांकन समिति गठित करने का भारत सरकार का आदेश था और कई प्रदेशों के अन्दर मूल्यांकन समिति गठित की गई और अपने यहां भी गठित की गई जो पेज 8 पर है। पहली समन्वय समिति, दूसरी मूल्यांकन समिति जो वेल्यूऐशन करती है पेज 8 पर है। पेज 8 के अन्त में लिखा है कि उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थापित की गई सेलों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उसकी बैठक हुई या नहीं हुई, कोई सूचना नहीं। समन्वय समिति की सूचना नहीं, मूल्यांकन समिति की सूचना नहीं।

मैं अब निवेदन करना चाहूंगा अलग अलग मदों के बारे में। उत्थान के जो मद हैं उसमें क्या उत्थान राजस्थान का भारत के चित्रण में रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, 64-65 की रिपोर्ट पेज 26 पर अगर राज्य मंत्री देखेंगे तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये एक लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान है इसके प्रचार के लिए लेकिन मार्च, 64 तक एक पैसा खर्च नहीं किया गया है, केवल 64-65 में चार हजार दो सौ खर्च किये गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता, अगर आप पेज 26 को देखें तो राजस्थान के बारे में उन्होंने लिखा है– "ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रचार कार्य राज्य स्तर पर समाज कल्याण के निदेशालय में नियुक्त प्रचार अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाता है। पर खेद है कि

(श्री शंकरलाल)

यद्यपि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये प्रचारार्थ एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी, पर मार्च 1964 तक उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया गया था । 1964-65 में एक पत्रिका के, जिसका पहला अंक अप्रैल, 1965 को निकला था, केवल चार हजार दो सौ रुपये खर्च किये गये ।"

सभापति महोदय, 1 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था थी और उसमें केवल चार हजार दो सौ रुपये खर्च किये जायं । क्या इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान को अस्पृश्यता उन्मूलन की कोई आवश्यकता नहीं थी ? क्या समाज कल्याण विभाग इस उपयुक्तता को महसूस नहीं कर रहा था ? प्रश्न यह नहीं, प्रश्न यह है कि समाज कल्याण के अधिकारी इसके प्रति उदासीन हैं, वे अपने कर्त्तव्य को नहीं निभा सकते । वे अपने कर्त्तव्य को भूले हुए हैं । जितना कार्य किया जाय, उसकी आवश्यकता है । मैं समझता हूं इस पैसे को खर्च नहीं करना राजस्थान के प्रति अच्छी बात नहीं है और उसके लिये यह कहा जाय कि हमारा समाज कल्याण का जो विभाग है और उसके जो अधिकारी हैं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, लापरवाह हैं—उन्होंने अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाया । आगे, सभापति महोदय मैं यह कहना चाहूंगा, अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में राजस्थान में क्या स्थिति है । इसके अन्दर क्या लिखा गया है और क्या स्थिति है, उसके बारे में निवेदन करूं । इस रिपोर्ट के पेज 210 में लिखा है हमारे राजस्थान में मंदिरों के प्रवेश के लिए छूआछूत किया जा रहा है । रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा मन्दिर नाथद्वारा का है उसके अन्दर हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता है । पेज 210 के अन्दर उल्लेख किया गया है, सभापति महोदय, पिछली कुछ रिपोर्टों में यह पहले ही बताया जा चुका है कि अनुसूचित जाति के लोगों को मन्दिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है । इसलिये यह वांछनीय है कि राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करे कि राज्य में उक्त अधिनियम के उपबन्ध यथा-सम्भव पूरी तरह लागू किये जाते हैं । मैं जानना चाहूंगा सम्बंधित मंत्री महोदय से कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है इस रिपोर्ट पर ? आज इस 1964-65 की रिपोर्ट को ढाई साल हो गए । इतने वर्षो के बाद भी उन्होंने क्या किया ? आज स्थिति क्या है ? पाली जिले में सहकारी विभाग के एक आडीटर हैं जिसका नाम जकेटियाजी है । उन्होंने एक सर्क्यूलर निकाला । उनके विभाग के अन्दर एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी है, वह पानी के मटके को हाथ नहीं लगा सकता । अपनी पवित्रता बताने के लिए सर्क्यूलर में लिखा कि कोई भी आदमी मटके को हाथ नहीं लगा सकता इसलिए चपरासी के मार्फत पानी मंगाया जाय । उस सर्क्यूलर की कापी इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन वह जयपुर जरूर लाया हूं, वह कापी मंत्री महोदय को पेश करूंगा । क्योंकि उसके विभाग में अनुसूचित जाति का आदमी है इसलिए सर्क्यूलर निकाला कि वह उसके मटके को हाथ नहीं लगा सकता । इसलिए सर्क्यूलर निकाला । तो आज यह स्थिति पाली की है । तो कहने का मतलब है कि आज अस्पृश्यता निवारण की जरूरत है ।

(श्री शंकरलाल)

मैं अब कानूनी सहायता के बारे में कहना चाहता हूं। कई राज्यों के अन्दर और राजस्थान में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या जनजति के लोग हैं उनके बारे में झगड़े होते हैं जमीनों के और भी कई झगड़े होते हैं। तो सरकार कानूनी सहायता देने के लिए उनके लिए वकील मुकर्रर करती है लेकिन जब हम दूसरे राज्यों के और राजस्थान के आंकड़े देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यहां पर इस धनराशि का कोई उपयोग नहीं किया गया और इसलिए 1964-65 की रिपोर्ट के पेज 30 की तरफ मैं राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके अंदर लिखा है कि योजना के अंदर एक लाख की व्यवस्था थी उसका दसवां हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया। पंजाब में भी एक लाख की व्यवस्था की गई । वहां 0.455) खर्च किया गया। 1964-65 के जो आंकड़े बताए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि कानूनी सहायता का लाभ जो शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। इसका कारण यह है कि स्पष्ट आदेश नहीं निकले। लोगों को जानकारी नहीं। समाज कल्याण विभाग इसकी जानकारी नहीं देता कि तुम्हारे लिए कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। वहां पर वकीलों को मुकर्रर नहीं किया जाता। कम से कम हर एक जिले में एक वकील हो जो अनुसूचित जाति के लोगों के मुकदमों की पैरवी करे। समाज कल्याण विभाग जिसके लिए उचित समझे कि यह गरीब आदमी है, इसका बेदखली का मामला है, इसके पास पैसा नहीं है·····

श्री विशम्भरनाथ जोशी : कुछ एपाइन्ट किए गए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नोट करें।

श्री शंकरलाल : लेकिन स्थिति रिपोर्ट में साफ है कि एक लाख का प्रावधान था और दसवां हिस्सा भी खर्च नहीं कर सके। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग आते हैं, उनके पास पैसा न होने के कारण अदालतों के अन्दर झगड़ा मोल नहीं लेते।

हम राजस्थान में विकास खंडों पर खर्च करते हैं जो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए है। उनके अन्दर स्थिति यह है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के पश्चात् जो धनराशि उन लोगों के लिए विकास खंडों पर खर्च की जानी चाहिए थी, वह पंचायत समितियों को ट्रांसफर की गई और पंचायत समितियों में धनराशि का उपयोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए क्या किया गया, वह इस रिपोर्ट के अन्दर है 1964-65 रिपोर्ट पेज 79 व 1966-67 पेज 168। दोनों की तरफ मैं आपका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। 1964-65 की रिपोर्ट में पेज 79 पर लिखा है :

राजस्थान—8.50 बताया जाता है कि राजस्थान सरकार ने 1964-65 के लिए नियत 19 लाख रुपए की कुल राशि उसी साल खर्च कर दी थी। पर यह बात ठीक दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि जो रुपया सरकार ने दिया था और जिसे केवल पंचायत समितियों के पी०डी० लेखे में स्थानान्तरण कर दिया गया था परन्तु जिसका उस वर्ष उपयोग नहीं किया गया था, उसे भी खर्च किया हुआ दिखाया गया है।"

अगर इस रिपोर्ट को मैं सही मानता हूं तो इसका मतलब राज्य सरकार गलत रिपोर्ट दे देती है आयुक्त को। आगे लिखा है कि :

(श्री शंकरलाल)

"वर्ष 1964-65 में आदिम जाति विकास खंडों में वास्तव में उपयोग की गई राशियों का पता लगाने के प्रयत्न किए गए थे, पर अभी तक वह सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी ह ।"

श्री रघुनाथ विश्नोई : कहीं दूसरे मुद्दों पर तो खर्च नहीं किया गया ?

श्री शंकरलाल : इसका जवाब मंत्री महोदय देगें। 1964-65 की रिपोर्ट विकास खंडों की तो दी लेकिन 1965-66 का भी यही हाल है। पेज 168 में भी यह बार्ता कही गई है ।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : उससे आगे जो लिखा है उसको भी पढ़ लो ।

श्री शंकरलाल : प्राय "प्रति वर्ष नए ब्लाक खोलने तथा स्वीकृति देने में देर होती है जिसके फलस्वरूप व्यय की प्रगति बहुत कम रहती है और धनराशि पंचायत सिमितियों के निजी खातों में स्थानान्तरित कर दी जाती है। 1965-66 के वर्ष में जो चार ब्लाक स्वीकृत हुएँ थे वह मार्च 1966 में जाकर साकार हो सके । इसलिए राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि प्रतिवर्ष खुलने वाले ब्लाकों की स्वीकृति देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए ताकि वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही इन ब्लाकों को धनराशि स्वीकृत करदी जाय जिसके परिणामस्वरूप अच्छी कार्य व्यवस्था सुनिश्चित होगी।"

मंजूरियां देरी से होती हैं । देरी से होने के बाद में राशि का उपयोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए उपयोग हुआ है या नहीं, इसकी जांच नहीं। जब आयुक्त ने जांच की तो पाया गया कि उपयोग में नहीं आती ।

एक बड़ा ही दिलचस्प मामला बताता हूं । सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बड़ी बड़ी रकम पढ़ाई के लिए दी जाती है। लेकिन हमें खेद इस बात का है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लोग नहीं है वे लोग भी प्रवेश पाने के लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स बन जाते हैं । इससे अनुसूचित जाति के लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए था वह उनको नहीं मिल पाता। मैं एक कान्क्रीट एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ...

श्री मूलचन्द डागा : सभापति हैं ।

श्री दौलतराम सारण : सभापतिजी, यह पार्टी के बीच अनबन क्यो प्रकट हो रही है ।

श्री राम किशन : पहली बार डागा साहब ने अकल की बात कही वह भी नहीं मानी ।

श्री शंकरलाल : जोधपुर के अंदर श्री नरेन्द्र कुमार हैं गजराजसिंह भाटी का लड़का उसको मेडीकल के अंदर प्रवेश नहीं मिला, वह अनुसूचित जाति का नहीं है । तब उसने क्या किया कि अदालत में जाकर एक भांभी के गोद चला गया और भांभी हो गया । रजिस्ट्रेशन करा दिया । आज वह एम०बी०बी०एस० में सेकण्ड इअर में पढ रहा है । दरअसल जाति का भांभी नहीं है, केवल प्रवेश पाने के लिए ऐसा किया है। मुझे मालूम नहीं राजस्थान में इस प्रकार कितने उदाहरण होंगे लेकिन यह बात सही है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे मामलों में प्रासीक्यूशन होना चाहिए ।

श्री शंकरलाल : ऐसे कितने उदाहरण हम कह सकते हैं ।

मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे भूमि के बारे में । इनकी दशा सुधारने के लिये यह सही है कि गांवों में उनको भूमि दी जावे । सभापति महोदय, जहां तक भूमि देने का प्रश्न है और उसका जैसा उल्लेख इस रिपोर्ट में है उससे तो लगता है राजस्थान में सबसे अधिक भूमि इनको दी गई है केवल महाराष्ट्र को छोड़कर । पेज 90 पर लिखा है कि राजस्थान में 8,82,927 एकड़ भूमि इनको दी गई जब कि इसके मुकाबले में आन्ध्र में 15,425 एकड़, आसाम में 4,431 एकड़, बिहार में 1,04,032 एकड़, महाराष्ट्र में 17,85,000 गुजरात में 63,222 एकड़, जम्मू काश्मीर में 127, केरल में 125, मध्यप्रदेश में 2,97,230 एकड़, मद्रास में 55 हजार, मैसूर में 20,240, उड़ीसा में 12,344 एकड़ दी गई है ।

तो, सभापति महोदय, आंकड़ों से तो राजस्थान में सबसे अधिक भूमि दी गई है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके साथ संख्या भी बता दें तो स्पष्ट हो जावेगा ।

श्री शंकरलाल : पर यह देखना है कि भूमि आवंटित की जाती है वह नियमों के अनुसार की जाती है या नहीं, और उसका फायदा उनको मिलता है वास्तव में या नहीं, या उनकी आड में उसका लाभ दूसरे ही वर्ग के लोग उठा ले जाते हैं और ये आंकड़े केवल धोखा ही है ? यह देखना है ।

वैसे राजस्थान में भूमि आवंटन के नियम बने हैं । उसमें प्रावधान है कि 25 प्रतिशत भूमि इनको दी जावेगी । पर देखा यह जाता है आम तौर पर इन नियमों का पालन नहीं होता । इसको कभी सरकार ने देखा है कि इस प्रावधान का कहां तक पालन हुआ है ? अगर आप जांच करेंगे तो वास्तव में राजस्थान को पछताना पड़ेगा कि इस नियम का पालन नहीं हुआ । इसकी आड़ में दूसरे लोग भूमि हड़प ले जाते हैं ।

इसके अलावा टीनेन्सी एक्ट में प्रोवीजन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग अगर भूमि बेचना चाहें तो व शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को ही बेच सकेंगे, दूसरे को नहीं । पर जैसा मैं उदाहरण आपको बताऊंगा लोग इसमें से भी गली किस तरह से निकाल लेते हैं और सरकार की मंशा पूरी नहीं होने देते । भ्रष्टाचारी लोग किस सीमा तक चले जाते हैं ।

यहां जयपुर के आसपास, मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, पर अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सके वे, यह मामला मेरे पास भी आया । राजस्थान के सचिवालय के एक भूतपूर्व सचिव, जिम्मेदार आदमी, उनको एक जमीन लेनी थी । उनकी नजर इनकी जमीन पर गई । वह जमीन चार शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों के पास थी । अब उन्होंने तरकीब निकाली इस जमीन को हड़पने की । उस जमीन को तीन आदमियों से एक के नाम करवाई । फिर उस एक आदमी को ले जाकर ईसाई मत में उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया और फिर वह जमीन खुद के नाम से बेचान करवा ली ।

श्री दौलतराम सारण : यह किस्सा गत वर्ष बहस के लिये रखा गया था सदन में ।

श्री शंकरलाल : मैं जानना चाहूंगा यह गत वर्ष भी मामला सदन में रखा गया तो फिर सरकार ने अब तक इसम क्या किया ? क्या सरकार ने जांच की और क्या एक्शन लिया ? अगर इस तरह से धर्म परिवर्तन तक कराकर नियमों में से रास्ता निकाल लिया जावे तो फिर इन नियमों का आधार क्या रह जाता है ? इस तरह से तो जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये । अन्यथा तो इन पिछड़ी जाति के नाम पर समाज के कुछ मुट्ठी भर चालाक भ्रष्टाचार में प्रवीण लोग ही लाभ उठावेंगे और शोषण ही होगा हरिजनों का ।

इसी तरह से भ्रष्टाचारी लोग अलॉट-मेंट में भी उनके साथ बर्ताव करते हैं । उनके नाम से अलॉट करवा लेते हैं और खेती दूसरे ही करते हैं । तो इन नियमों का पालन पूरी कड़ाई से किया जाना चाहिये । इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जरूरत हो तो नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिये, कानून की भी जरूरत हो तो वह भी बनाया जाना चाहिये ।

सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भी कानून का पालन नहीं हो रहा है । जहां गांवों में भूमि उपलब्ध नहीं है, कुछ लोग अधिक लेकर बैठ गये हैं तो इसके लिये सीलिंग का कानून आपने पास किया । फिर सात जून को कह दिया कि तीस स्टेण्डर्ड एकड़ के बजाय 90 होना चाहिये । आपने 90 एकड़ कर दिया । इसके बाद भी आप इस पर अमल नहीं करा पाये । कितनी भूमि आपने ली आज तक इस के अन्तर्गत । यह बता दीजिये । पाली जिले में तो एक भी एकड़ नहीं ली गई । हालांकि बेची है लोगों ने । उनके म्यूटेशन भी हो जाते हैं, रजिस्ट्रियां भी हो जाती हैं । हालांकि इसके लिये सरकार की रोक है । आज भी म्यूटे-शन होते हैं, रजिस्ट्रियां होती हैं । फिर समझ में नहीं आता कहां से आप शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीन दे पावेंगे । अगर सरकार के सीलिंग के कानून का बराबर कड़ाई से पालन नहीं किया जा सकता तो लाखों हरिजन आदिम जाति और अनुसूचित जाति के लोग भूमिहीन ही रहेंगे । ये पूंजी पति बड़े बड़े लोग सैंकड़ो बीघा जमीन आज भी लेते हैं और लेकर खेती करते हैं । ऐसे कई उदाहरण पाली जिले के मैं पेश कर सकता हूं कि बड़े बड़े सरकारी कर्मचारियों ने जमीनें वहां ली हैं । पर वह विषय से बाहर की बात होगी । अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और पिछड़े वर्ग को जमीनें देनी हैं तो सीलिंग के कानून का सख्ती से पालन करना पड़ेगा और उनको जमीनें इससे ही मिल सकेंगी । रिकार्ड में आंकड़े देने से कुछ नहीं होगा ।

सहकारिता के बारे में कहा गया । ऐसा मालम होता है कि यह भी एक बोगस मामला है । इसके लिये रिपोर्ट पढ़ता हूं तो इसके पेज 116 पर 64/65 में बताया है कि सहकारिता के बारे में चित्तौड़ जिले में प्रतापगढ तहसील के एक कर वादी खेडी ग्राम में 4500) की मन्जूरी होती है गोदाम के लिये । पर उस मन्जूरी के अनुसार अगस्त तक काम शुरू नहीं हुआ । लोगों ने जांच की तो मालूम हुआ संस्था की ऐसी कोई योजना ही नहीं थी । ऐसे ही रकम मन्जूर

(श्री शंकरलाल)

कर दी । समझ में नहीं आता जिस सहकारिता समिति की योजना न हो उसको कैसे रकम मन्जूर कर दी ? फिर क्या भला करेंगे आप उनका ? क्या आपने जांच की है ?

दूसरा उदाहरण यह दिया है सावणिया गांव तहसील मावली, जिला उदयपुर 4700 का अनुदान वहां एक सहकारिता समिति को दिया गया सरकार का कानून है कि वहीं सहकारिता समिति शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स की कहलावेगी जिसमें 80 प्रतिशत लोग उस जाति के हों । इसकी जांच की गई तो 60 पर्सेन्ट भी नहीं पाये गये ।

पाली जिले में बाली तहसील में गिरासिया लोग हैं उनके नाम पर कुछ ठेकेदार समितियां बना लेते हैं और सहकारिता के जरिये जहां उनको लाभ पहुंचाने की बात है, अनुदान देने की बात है, तो वह फायदा उनको न देकर ये ठेकेदार उनकी आड़ में खुद उठाते हैं । उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं ।

मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे किसी मद का पैसा हो जिस पैसे का शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए खर्च करने का प्रावधान है जो सुविधायें इन जातियों के लिए हैं वह उनके ऊपर खर्च नहीं किया जाता है और इनके नाम पर दूसरे स्थान पर उसका दुरुपयोग होता है तो ऐसे मामलों में आपको बहुत कठोरता से देखना चाहिए और लोगों को ऐसे मामलों में सजा दी जानी चाहिए ताकि इस प्रकार से वह दूसरी जगह पैसे को खर्च नहीं करें ।

एक बात और, सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा और अधिक समय नहीं लूंगा और यह बहुत ही जरूरी मसला है । हमारे विधान के अन्दर प्रावधान किया गया है, विधान सभाओं के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के रिजर्वेशन रखा गया है कि 20 साल तक यह रिजर्वेशन रहेगा । वह 20 साल की अवधि अब 26 जनवरी, 1970 में समाप्त हो रही है जिसके जरिये हमारी विधान सभाओं के अन्दर इन जातियों के लोग रिजर्वेशन के नाम पर चुन कर आते थे । सभापति महोदय, इस रिपोर्ट में थोड़ा सा संकेत किया गया है और वह यह किया गया है कि जो हालत इन लोगों की 20 साल पहले थी और 20 साल के बाद देखते हैं तो वह हालत नहीं आ पाई है कि जिससे कहा जाये कि इनका रिजर्वेशन नहीं रहता है तो क्या वह जनरल सीटों के ऊपर भी चुनकर आ सकेंगे ? मैं समझता हूं कि जिस अनुपात से दिखाया गया है उस अनुपात से 50 प्रतिशत लोग भी नहीं आ सकेंगे । यह बड़ा गम्भीर मसला है, सभापति महोदय, और मैं कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट के ऊपर विचार करते समय इस मसले को लिया जाये कि राजस्थान के अन्दर अभी रिजर्वेशन कायम रहना चाहिए या नहीं , इस पर विचार करना चाहिए और उसके बाद में अपनी सिफारिश भारत सरकार के पास भेजी जाये क्योंकि हमारे यहां राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का बहुत बड़ा क्षेत्र है और जहां तक मेरा प्रश्न है म कहना चाहूंगा कि केवल पिछड़े हुए लोगों का ही नहीं सारे लोगों का रिजर्वेशन रखा जाये औ रसाथ में उस तबके के लोगों का भी रखा जाये ...

(श्री शंकरलाल)

(3.44 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि रिजर्वेशन को कायम रखने के बारे में हमें यहां विचार करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और जरूरी बात है जो मैं कहना चाहता था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और आदि जाति और पिछड़ी जाति के अलावा बहुत सी ऐसी घुमक्कड़ जातियां हैं जिनके बारे में इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । लेकिन हम अगर राजस्थान सरकार के द्वारा उठाये गये कदमों की ओर ध्यान दें तो ऐसा मालूम होता है कि राज्य सरकार घुमक्कड़ जाति के प्रति बड़ी उदासीनता बरतती आई है और उनके लिए कुछ करना चाहती है इसमें हमें सन्देह है । मैं 65-66 की रिपोर्ट है उसके पेज 182 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । उसमें यह बताया गया है कि हमने घुमक्कड़ जातियों के लिए कितना खर्च का प्रावधान रखा और उसमें से कितना खर्च किया गया । इसमें यह बताया गया है कि राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन जातियों के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था लेकिन हमें खेद इस बात का है कि तृतीय योजना के काल में 2 लाख 84 हजार रुपया ही हम खर्च कर पाये हैं । 25 लाख में से पूरी योजना काल में 2 लाख 84 हजार रुपया ही खर्च कर पाये । इसका मतलब यह है कि यहां घुमक्कड़ जातियां नहीं ह । गाड़िया लुहारों के अलावा बन्जारे लोग, जिसको एक तरह से घुमक्कड़ ही कहना चाहिए, जब हमारे यहां आने जाने के साधन नहीं थे तो गधों के ऊपर और दूसरे दूसरे जानवरों के ऊपर वह बोझा ढोया करते थे । आज उनकी ट्रान्सपोर्ट की आय खतम हो गई क्योंकि रेल, मोटरें और बसें हो गईं । आज उनके लिए हमें सोचना पड़ेगा । हमारे यहां ऐसे कितने परिवार हैं बन्जारे जाति के वह नहीं देख पाये ह । आज उनको बसाने की बात करते हैं तो उसका विरोध करते हैं । उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि पाली तहसील के अन्दर बन्जारा जाति है। वहां एक गांव में 17 परिवार थे उनके सभी साधन खतम हो गए और उन्होंने गांव वालों को कहा कि हम बसना चाहते हैं लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हम नहीं रहने देंगे। कहां जायें वे ? गांव वाले उनको ठहरने देते नहीं दूसरी जगह बसने का जरिया नहीं। क्या सरकार का ऐसी जातियों की तरफ ध्यान नहीं जाता है ? भाट, बन्जारे और गाड़िया लुहार कई घुमक्कड़ जातियां हैं । इसलिए मैं कहना चाहता था कि हम देखते ह तो राजस्थान के अन्दर सबसे कम पैसा खर्च हुआ है। इन जातियों के ऊपर दूसरे प्रान्तों का मुकाबला करें तो हमारे यहां बहुत ही कम खर्च हुआ है। गुजरात में इनके लिए 18 लाख का प्रावधान था जिसमें से 22 लाख खर्च किया और राजस्थान में 25 लाख में से 2 लाख ही खर्च किया। जम्मू और कश्मीर में इनके लिए 21 लाख का प्रावधान था जिसमें से 10 लाख खर्च किया और केरल में 17 लाख था जिसमें से सारा का सारा खर्च कर दिया बल्कि 17 लाख के स्थान पर 28 लाख खर्च किया। याने जितना प्रावधान था उससे ज्यादा खर्च किया। लेकिन राजस्थान ही एक ऐसी रियासत है जिसमें 25 लाख में से 2 लाख ही खर्च किया। " कहना चाहूंगा कि आप समाज कल्याण विभाग के द्वारा सुधारें उनको । विभाग

(श्री शंकरलाल)

के अधिकारियों को देखना चाहिए था। आप इस रिपोर्ट को देखें राजस्थान के अन्दर घुमक्कड़ जाति के लोगों की दशा को देखें और इसको स्वीकार कीजिये कि राजस्थान सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर सकी।

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि हमारी रिपोर्ट के अन्दर जो बातें दी गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमने यह पाया है कि राजस्थान के अन्दर इन जातियों के लिये पैसों का प्रावधान कर दिया जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता। कमेटियों का गठन कर दिया जाता है लेकिन उन कमेटियों की बैठकें नहीं होतीं। इसके अलावा विधान के अन्दर यह है कि राज्यपाल महोदय को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की रिपोर्ट भेजनी पड़ती लेकिन वह रिपोर्ट नहीं पहुंचती है। इन जातियों के रिजर्वेशन की तरफ भी सरकार को देखना चाहिए। और इसके बाद में अगर राजस्थान सरकार इस बात को स्वीकार करती है और सुझावों के रूप में कुछ बातें स्वीकार की जाती हैं तो मैं समझता हूं कि इन जातियों का भला हो सकेगा। अगर आपके द्वारा गठित कमेटियों की बैठकें होती हैं, अगर आपके नियमों का पालन होता है, अगर उनको जमीनें मिलती हैं और आर्थिक दृष्टि से दूसरे आदमियों को दुरुपयोग करने से रोका जाता है तो उनकी जातियों का उत्थान हो सकता है अन्यथा प्रावधान और आंकड़ों से कुछ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासहाय !

श्री गंगासहाय (कठूमर सु०): उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियां आज से नहीं तो हजारों वर्षों से अपेक्षित रही हैं और आज भी उपेक्षित हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि 1964-65 और 65-66 की रिपोर्ट सदन में अप्रेल में आकर उसी समय विवाद होना चाहिए था वह आज हो रहा है। दूसरी बात तो उपेक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं वह यह है कि इस रिपोर्ट में विभिन्न विभागों से संबंधित मामले उठाये गये हैं और इसके लिये सभी मंत्रियों को मालूम है और मंत्री एक दो ही बैठे हैं बाकी सब गायब हैं, जब वह नहीं हैं तो अन्य विभागों का जवाब कौन देगा? सबसे प्रथम तो मैं यह कहूंगा कि 21 वर्ष के बाद भी आज अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा मुहैय्या नहीं करा सके आगे की बात तो दूसरी रही। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 19 पर यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए कुन्ड बना रखे हैं जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है और वह कितने दिन उसमें रह सकता है यह आप सोच सकते हैं और उसी पानी को पीकर वह रहते हैं। यह इस सरकार के लिए कलंक की बात है। दूसरे जो कूओं पर पानी भरने की बात है उसमें आज भी भेदभाव बरता जाता है। मुझे मेरे क्षेत्र का पता है, वहां यह हालत है कि आज भी वहां भेदभाव बरता जाता है और कूओं पर उनको नहीं चढ़ने दिया जाता है। महतरों की स्थिति यह है कि वह अपना घड़ा लेकर कुओं पर जाते हैं और सवर्णों की इच्छा पर निर्भर करते हैं, वह चाहें तो उनके घड़े में पानी डाल दें, नहीं तो आज के दिन भी उनको पानी उपलब्ध नहीं होता है। मैं समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपने अपने मंत्रित्व काल में यह एक कार्य कर दिया और इसमें आपने असफलता प्राप्त की तो यह आपके लिए एक उपलब्धि होगी और मेरे दल के लोग भी इसको आपकी उपलब्धि मानेंगे।

(श्री गंगासहाय)

इस रिपोर्ट के पृष्ठ 26 पर समाज कल्याण प्रचार कार्य के लिए बताया गया है कि 1959-60 के अन्दर एक लाख रुपया रखा गया लेकिन उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। अन्तिम वर्ष में जाकर 4,100 रुपया खर्च किया गया । यह इन लोगों की सरकार ने उपेक्षा की है। इस बारे में मंत्री महोदय ध्यान रखें।

इसी प्रकार पृष्ठ 69 पर पंचायत समितियों को काफी धनराशि करीब 19 लाख रुपये समाज कल्याण कार्य के लिए दी गई, जो उनके खाते में लिखी हुई है। लेकिन ठीक से न तो कोई काम हुआ है और न हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं कि चाहे तो पंचायत समिति के लिए कहें या चाहे प्रधान के लिए कहें—सब इस बारे में उदासीन हैं। जब आपने शासन का विकेन्द्रीकरण किया है और पंचायत को अधिकार दिये हैं तो वहां नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रधान, सरपंच और पंचों को यह आदेश कीजिये कि वह इस कार्य के सम्बन्ध में इन लोगों के प्रति उपेक्षा न बरतें।

इसी प्रकार पृष्ठ 90 पर जो भूमि के सम्बन्ध में बताया गया है, अभी जैसा भाई शंकर लालजी ने कहा और उन्होंने जो आंकड़े दिये -वह सही हैं । तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इसमें बताया है कि 8,22,927 एकड़ भूमि दी गई है, जब कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो जन संख्या है अनुसूचित जाति के लोगों की वह पचास लाख है । पचास लाख व्यक्तियों में से जिनको भूमि दी गई है वह केवल दो लाख व्यक्तियों को दी गई है और अड़तालीस लाख व्यक्ति आज भी उपेक्षित हैं । मेरा निवेदन है कि उन को भूमि देकर सही रूप में आर्थिक रूप में उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए और उनको समानता का अधिकार दिलाना चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं उनको आप जमीन दीजिये । यदि इनको भूमि दी गई तो कृषि उत्पादन ज्यादा हमारे यहां हो सकता है और इन लोगों को भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और जो अब तक दबे हुए हैं उनको पनपा सकते हैं ! इस संबंध में एक निवेदन और है कि जो दूसरे उद्योग थे गावों में, उनको भी पुनर्जीवित किया जा सके और पनपाया जा सके—ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए । इस सम्बन्ध में काफी पैसा पहले रखा गया था लेकिन सारे के सारे फंड्स आज खत्म हो चुके हैं, और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है । कुटीर उद्योगों की आज हालत खराब है, न तो चमड़ा रंगने का काम रहा है और न कोई और धन्धा रहा है । हैंडलूम का जो धंधा चलता था वह भी आज बंद पड़ा हुआ है क्योंकि विभाग की तरफ से इन कुटीर उद्योग धंधों के प्रति हमेशा उपेक्षा बरती गई है । मैंने पहले सत्र में कहा था कि जयपुर बुनकर सहकारी समिति का एक लाख रुपया उद्योग विभाग की तरफ बकाया है, कपड़े का बाकी था लेकिन आज तक वह पैसा उस सहकारी समिति को नहीं मिला है इतना ही नहीं एक बुनकर कोलोनी के सम्बन्ध में विचार चल रहा था, इस प्रश्न की ओर मैं ने ध्यानाकर्षण भी पिछले सत्र में किया था लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया है । बड़ी मुश्किल से कुछ प्लॉट्स उनको दिये गये थे लेकिन जो भवन निमार्ण के सम्बन्ध में ग्रान्ट देने का सवाल

(श्री गंगासहाय)

है, सब्सीडी देने का सवाल है उसमें भेदभाव बरता जा रहा है। कुछ लोग जो उनके चहेते हैं उनको तो सब्सीडी दे दी गई हैं और बाकी के लोगों को आज तक नहीं दी गई है।

इसी प्रकार पृष्ठ 150 पर मेहतरों और भंगियों के उत्थान के लिए लिखा है कि सरकार ने 17.65 लाख रुपये तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखे थे। उनको मकान आदि की सुविधायें प्रदान की जायं, उनको आबाद किया जाय, उनको दूसरे धन्धे देकर आत्म निर्भर बनाया जाय —यह उसमें था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें से केवल 6 लाख रुपये खर्च किये गये और बाकी की रकम लेप्स हो गई। इसी प्रकार संचार व्यवस्था के लिए है हरिजनों के प्रति जो भिन्न भिन्न प्रकार के भेदभाव बरते जाते हैं, उनको क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए और क्या दी जाती हैं— इसकी जांच की जाय। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सात लाख रुपये का प्रावधान 1964-65, 1965-66 की योजनाओं में रखा गया था लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता ह कि 0.78 पये खर्च किये गये बाकि की रकम लेप्स हो गई। यह इस समाज के प्रति जो शासन की भावना है और जिस प्रकार उनका हित करना चाहते हैं, जिस प्रकार उनका उत्थान करना चाहते हैं—यह उसका एक नमूना है।

इसी प्रकार से पृष्ठ 183 पर राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट के सम्बन्ध में उल्लेख है। कितने ही वर्षों से राज्यपाल महोदय ने रिपोर्ट नहीं दी है और उनके द्वारा भेजी नहीं गई है। अगर भेजी गई है तो वह इतने विलम्ब से भेजी गई है कि उसका जो उल्लख इस रिपोर्ट में आना चाहिए वह नहीं आ पाया ह।

इस प्रकार से अनुसूचित जाति और जन जाति के प्रति जो उपेक्षा का भाव रहा है, जो उनके प्रति उपेक्षा का भाव रहा है और वह आगे भी रहेगा। यह समाज आज तक उपेक्षित रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक यह होता रहेगा तब तक यह समाज उपेक्षित रहेगा। वास्तव में यह सरकार इनका उत्थान नहीं करना चाहती, केवल इनको एक भ्रम जाल में डाल रखा है। आपने अच्छे अच्छे कानून और नियम बना रखे हैं क्या उनके आधार पर आप इनका पेट भर सकते हैं? यदि आपको इनका पेट भरना है तो आर्थिक दृष्टि से आप इन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिये, इनके लिए साधन जुटा दीजिये। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्रों में जायें और इनके साथ जो उपेक्षा बरती जाती है उसको देखें और यह भी देखें कि जो नियम बने हुए हैं उनका पालन होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो शासन में जो आपके बैठे हुए साथी हैं उनको कहें कि इन नियमों का पालन यदि आपने नहीं कराया तो हम आपके प्रति विद्रोह करेंगे और राज्य में विद्रोह का झण्डा खड़ा करेंगे, आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे। इतनी शक्ति दिखायेंगे, इतनी मजबूती दिखायेंगे तो मैं मानूंगा कि आप अपने समाज और अपने वर्ग के प्रति कुछ भाव रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं। अन्यथा यह शासन तो आज बीस वर्षों में पीने के पानी की समस्या को भी हल नहीं कर सका है, अब आगे समस्याओं को क्या हल करेगा—इसका अनुमान सहज ही लगा सकते हैं।

(श्री गंगासहाय)

नौकरियों के सम्बन्ध में मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था। आंकड़े हमें सब प्रकार के दिये जाते हैं--इतनी भूमि दी जाती है, इतनी छात्रवृत्ति दी जाती ह, इतने प्लॉट्स एलॉट किये गये हैं--इनके सब प्रकार के आंकड़े दिये जाते हैं। मैंने पहले भी एक प्रश्न उठाया था लेकिन दुर्भाग्य से सदन स्थगित हो गया था इसलिए वह प्रश्न नहीं आ सका था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मने प्रश्न उठाया कि जिस प्रकार से आंकड़े दिये हैं उस प्रकार से विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के लोगों को साढे बारह पर्सेन्ट नौकरी दी गई है या नहीं, इस आधार पर उनकी नियुक्ति हुई या नहीं ? इस प्रकार के आंकड़े दिये जायें इसके साथ साथ यह भी आश्वासन दें कि जिन विभागों में अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा नहीं हुआ है उसमें प्राथमिकता इन्हीं लोगों को दें बाद में किन्हीं और लोगों को लें। इस प्रकार जब तक नहीं होगा तब तक इनके साथ में अन्याय होता रहेगा ! कुछ वर्ष पहले तक न केवल मुख्य मंत्रीजी कहते थे बल्कि अन्य मंत्री महोदय भी कहते थे कि आपकी जातियों में पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, मेडीकल ग्रेजुएट नहीं मिलते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज समय आया और लोग कोशिश करने के बाद में योग्यता प्राप्त करके मैदान में आये, सर्विस प्राप्त करने के लिए सामने आये तो उनके लिए द्वार बन्द हैं, हर जगह कहा जाता है, नो वेकेन्सी, स्थान नहीं है। इस कारण से आज पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट एम०ए०, मेडीकल ग्रेजुएट मारे मारे फिर रहे हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस राजस्थान के अन्दर एक पोस्ट ग्रेजुएट को चपरासी की जगह पर नौकरी करनी पड़ रही है, यह अफसोस की बात है।

भूमि के एलॉटमेंट के सम्बन्ध में भेद-भाव होता है। अच्छी अच्छी भूमि तो दूसरे लोगों को देदी जाती है और खराब भूमि अनुसूचित जाति के लोगों को देते हैं। और वह भी एक जगह नहीं, टुकड़े टुकड़े में देते हैं जिसको न तो वह बो सकते हैं और न काट सकते हैं, इसलिए उनको उसे छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार की समस्या और भी है, यहां पर राजस्व मंत्री जी नहीं हैं। मैंने उनको एक पत्र लिखा था, अनुसूचित जाति के लोग जिस जमीन को पिछले पचास वर्ष से बोते आ रहे हैं उस पर गैर हरिजन कब्जा किये हुए बैठे हैं। जो कब्जा किये हुए बैठे हैं उनके खिलाफ तहसील में रिपोर्ट गई, और राजस्व मंडल में पहुंच गई हैं लेकिन वह कभी इधर आती है और कभी उधर जाती है। पांच छः वर्ष हो गये हैं मुकद्दमेबाजी करते करते। और, मुकद्दमे बाजी में उनको फुटबाल बना रखा है। उनके साथ न्याय नहीं होता है। जब तक यह चीज चलती रहेगी, इस समाज के साथ न्याय नहीं हो सकता है।

भाई शंकर लालजी ने बताया था कि हरिजन जाति के लोगों की भूमि दूसरे लोगों के नाम से रजिस्टर हो रही है--इसकी रिपोर्ट है। लेकिन भूमि दूसरे लोगों के नाम से रजिस्टर आज भी हो रही है। मैं सदन की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक गांव है, उसके सरपंच कांग्रेसी हैं। यह गांव सौंख के नाम से मशहूर है। इन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ा और उसमें हार गये। उन्होंने जाली नाम से हरिजन की जमीन दूसरे के नाम से

(श्री गंगासहाय)

रजिस्टर कराई हैं। और अब हरिजनों को आतंकित किया जा रहा है, उनको घमकियां दी जा रही हैं। एक तो उनकी भूमि को दूसरे के नाम से रजिस्टर किया और अब उनको आतंकित करते हैं कि तुमको इस गांव से भगा दिया जाय। मारने-पीटने की घमकियां उनको दी जा रही हैं...

श्री बी० एन० जोशी : कौनसा गांव बताया ?

श्री गंगासहाय : सौंख, कठूमर क्षेत्र के अन्दर गांव है।

श्री लादूराम सुलानियां : वहां जायेंगे क्या आप ?

श्री बी० एन० जोशी : अवश्य अवश्य !

श्री गंगासहाय : इसके अलावा कठूमर में एक कालावाड़ी गांव है, वहां पर हरिजनों के यहां तीन चार चोरियां हो चुकी हैं। एक चोरी के अन्दर तो चोर को पकड़ कर थानेदार के सुपुर्द किया गया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि चोर के साथ चोर जैसा व्यवहार नहीं किया गया और उसको सजा देने के बजाय जमानत लेकर छोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार थानेदार सांठ गांठ करके चोर को फ्री छोड़ देंगे तो व हरिजनों के साथ और अत्याचार करेंगे। इस प्रकार की घटनायें दिन रात हमारे प्रान्त में होती रहती हैं। जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, जो ऋण दिया जाता है उसमें भी भेदभाव बरता जाता है, यह भी मैं बता देना चाहता हूं। अलवर जिले में एक सहकारी भूमि बन्धक बैंक है, उसमें सैंकड़ों हरिजनों की दर्ख्वास्तें गई ह लेकनि उनको किसी न किसी प्रकार का बहाना वना कर टाल दिया गया है, छः छः महीने और एक एक साल हो गया है लेकिन हरिजनों को लोन नहीं मिलता है, ऋण नहीं मिलता है जब कि यह कहते हैं कि काश्तकारों को कृषि की उपज बढ़ाने के लिए लोन देते हैं।

(4 म० प०)

यह स्थिति वहां पर हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि सब मन्त्री यहां पर होते तो सब सुनते। कठिनाइयों का समाधान करते। यह विचार होता रहा है और होता रहेगा। कुछ इस तरह के प्रश्न और हैं। हरिजनों की सर्विसेज के मामले में सरकार का यह कानून है कि जिनकी छः महीने की सर्विस हो चुकी है, उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कठूमर में और यहां जयपुर में आठ आठ महीने म हटाया गया है। कृषि विभाग में एक चपरासी है। केवल गजटेड छुट्टी अवेल करने के कारण, वह घर चला गया था, डायरेक्टर ने उसको नौकरी से हटा दिया। मन्त्री महोदय के कहने पर भी डायरेक्टर ने आर्डर में परिवर्तन नहीं किया। उसको निकाल दिया गया है। जब कि कानून में यह दिया गया है कि किसी को सर्विस से हटाया जाये तो एक महीने का नोटिस दिया जाय। एक महीने की एडवांस पे दी जाये। लेकिन ये सब उपेक्षित लोग हैं। इसी तरह की घटनाएं और भी हैं, जो भी क्षेत्र यहां अनुसूचित जाति के हैं या और किसी जाति के हैं, यहां सब स्कूलों में हरिजन विकास फण्ड के नाम फीस ली जाती है। जो हरिजन 50 प्र० श० या 51 प्र० श० है, उनसे भी विकास की फीस ली जाती है। अगर उसको पढ़ाना है तो वह फीस देगा। मजबूरी है। इस तरह की एक और घटना है। लक्ष्मणगढ़ स्कूल में एक लड़का फर्स्ट डिवीजन

Page No. 107

(श्री गंगासहाय)

में पास जिसको वहां सांइस में प्रवेश देने से मना कर दिया था। लेकिन मैं स्वयं वहां मौजूद था। उनको लेना पड़ गया। मैंने ये जो कुछ तथ्य रखें हैं, माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, मैं ने जो भी मुद्दे उठाये हैं, उन पर वह शान्तिपूर्वक विचार करेंगे और उनका निवारण करेंगे। समाज कल्याण विभाग का जो महकमा खोल रखा है, समाज कल्याण के नाम पर उन लोगों ने भजन मंडली बना रखी है। मैं स्वयं इस विभाग में रह चुका हूं। वहां उपेक्षा की जाती है। अगर सचमुच में समाज कल्याण विभाग को सही रूप में कार्य करना है तो ब्रजसुन्दर शर्मा होते तो मैं कहता कि समाज कल्याण विभाग में कार्य करने वाले पिछड़ी जातियों वाले होते तो कितना विकास करते।

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक 1968 की प्रवर समिति

श्री उपाध्यक्ष : एक सूचना है। राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, 1968 की प्रवर समिति:–

(1) श्री जयकृष्ण शर्मा सदस्य
(2) श्री अमीलाल यादव ,,
(3) श्री किशनलाल वर्मा ,,
(4) श्री गोकुल प्रसाद शर्मा ,,
(5) श्री जयनारायण लसाड़िया ,,
(6) श्री दीपचन्द छंगानी ,,
(7) श्रीमती मदन कौर ,,
(8) श्री शंकर लाल ,,
(9) श्री रामकुमार नन्दवाना ,,
(10) श्री शिवनाथ सिंह सदस्य
(11) श्री सांवरमल बासोतिया ,,
(12) श्री दुर्जन सिंह ,,
(13) श्री गणेशलाल ,,
(14) श्री देवीलाल मीणा ,,
(15) श्री गंगासहाय ,,
(16) श्री लाभचन्द वैद ,,
(17) श्री दुर्गालाल बाढ़दार ,,
(18) श्री हरिवल्लभ शर्मा ,,
(19) श्री केदारनाथ ,,
(20) श्री हरजीराम बुरड़क ,,
(21) श्री बनवारी लाल ,,
(22) श्री मनोहरसिंह मेहता ,,

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

श्री कल्याण मल

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री कल्याणमल : (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति को ऊंचा उठाने के लिए जो कदम इस सरकार ने उठाये हैं, वह बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये जातियां जिनकी जुबान पर ताले लगे हुए थे। और उनको बोलने का भी अधिकार नहीं था, बोलने तक की भी स्वतन्त्रता नहीं थी आज वह हमारे सामने आये हैं। वह बड़ी

(श्री कल्याणमल)

स्वतन्त्रता है अपनी किसी भी कठिनाई में वह समस्या को हल करने के लिए सरकार ने सुविधा दी है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि कई प्रमोशनों के मामले को लेकर यानि नियुक्तियों के मामलों को लेकर पक्षपात तथा अनियमितता होती रहती है, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि एक माधोसिंह नाम का सब-इन्स्पेक्टर था, जिसका लिस्ट में 9 नम्बर में नाम था। उसका ऊपर 9 नम्बर से रिवर्सन किया गया।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आप कृपया जोर से बोलें।

श्री कल्याणमल : 9 नवम्बर से ऊपर से उन्हें रिवर्ट किया गया सब-इन्स्पेक्टर की पोस्ट पर थे, 9 आदमी उनसे जनियर थे, उनको रिवर्ट न कर के अनुसूचित जाति का होने के कारण, तथा उनको कोई पैरवी नहीं करने वाला होने की वजह से, उनको रिवर्ट किया गया। इस तरह की हरकतें अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के साथ होती हैं।

इसके साथ ही साथ अभी अभी का किस्सा है, श्री तुलसीराम रेगर एन्फोर्समेंट इन्स्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे, अभी अभी उन्हें सूचना मिली है कि एक महीने के अन्दर अन्दर उनको रिवर्ट कर दिया जायेगा। एन्फोर्समेंट इन्स्पेक्टर की पोस्ट पर अनुसूचित जाति का यही एक आदमी है जो काम कर रहा है, रिवर्ट करने का सवाल आया तो उसी आदमी को रिवर्ट करने का सरकार को मौका मिला। क्या इस प्रकार का पक्षपात और अनियमितताएं अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के साथ होती हैं? इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दे कर इन लोगों के साथ बरते जा रहे पक्षपात और अनियमितताओं को जल्दी से जल्दी दूर करें।

इसी प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वसूली के मामलो को देखें, वसूली के मामले में भी जो सख्ती अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ बरती जा रही है, वह बड़ी ही दुखपूर्ण है। मनमाने ढंग से इन लोगों से ब्याज लिया जा रहा है और किसी प्रकार की तकावी बाकी नहीं होने पर मीणे लोगों के खिलाफ डिक्रियां की गई हैं। इस संबंध में कई बार सरकार को सूचना देने पर भी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की अनियमितताएं और सख्तियां इन लोगों के साथ हो रही हैं, उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

शिक्षा के मामले में मैं निवेदन करूं कि शिक्षा के मामले में भी कई छात्रों क प्रवेश के समय पक्षपात किया जाता है। जो अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उन छात्रवृत्तियों को अध्यापक लोग बीच में ही किसी न किसी बहाने से काट लेते हैं और इस तरह से ये गरीब अनुसूचित जाति और जन जाति के लड़के छात्रवृत्तियों से वंचित रह जाते हैं। जहाजपुर तहसील की ईटून्दा मिडिल स्कूल में रामनारायण पुत्र पेमा, दूसरा रामनारायण पुत्र लकमा को पन्द्रह 2 रुपयों की छात्रवृत्तियां मिलीं उसको बीच में ही काट लिया और बिना, दस्तखतों से रसीद दे दी। इसकी सूचना

(श्री कल्याणमल)

आज से दो महीने पहले रसीदों की नकल के सहित एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को दी पर आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस तरह गरीब छात्रों के साथ बरताव किया जाय, उनका गला घोटा जाय तो सरकार को इसकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान अवश्य देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं नियुक्तियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि नियुक्तियों के मामलों में भी अनुसुचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ किस तरह का भेदभावपूर्ण बरताव किया जाता है। अभी कुछ दिन हुए, पहले सेशन के टाइम की बात है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति यहां पर टेम्प्रेरी तौर पर काम कर रहा था, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में तीन चार पोस्टें खाली थीं, उसने भी एप्लाई किया, कई आदमियों को जो सवर्ण जाति के थे, उनको तो ले लिया और तीन महीने तक भी उन लोगों के मामले पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वे अनुसूचित जाति के थे । इस तरह नियुक्तियां होती हैं, इनमें इन जातियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरह का गलत बरताव इन लोगों के साथ किया जाता है, इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ मैं आदिवासी छात्रावास, जहाजपुर के बारे में निवेदन करूंगा। एक गरीब छात्र उस छात्रावास में पढ़ कर तैयार हुआ और उसी छात्रावास में उसे व्यवस्थापक के पद पर रख दिया गया था, अब तक उसका 7 महीने का वेतन बाकी है, उसको अभी तक वेतन नहीं दया जा रहा है और उसको बिना कसूर के निकाल दिया गया है, इस बारे में कई बार सरकार को लिखा गया लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

छात्रावासों को सहायता दी जाती है, वह साल भर गुजर जाने के बाद भी नहीं दी जाती है, विभाग की ओर से टाइम पर रकम मिल जाती है पर आदिम जाति सेवक संघ की तरफ से सहायता देने में ढिलाई होती है। इसके परिणामस्वरूप गरीब छात्रों को कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है क्योंकि गरीब छात्र ही तो इन छात्रावासों में आते हैं। इस प्रकार की कई समस्याएं हैं इनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

वैसे इन जातियों के फायदे के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं, उनके लिये तो धन्यवाद देना ही चाहिये ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री विट्ठल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 10 बार खड़ा हुआ हूं और मेरी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब इस समस्या पर बोलूं तो मुझे खुद को भी लगता है कि मैं भंगी कष्ट मुक्ति के बारे में निवेदन कर रहा हूं। आज तक तो भंगी मेरे घर पर आता है और मैले की टोकरी सिर पर उठा कर ले जाता है। मैं यह संकल्प यहां रखता हूं कि 2 अक्टूबर, 1968 के बाद मेरे घर से भंगी सर पर टोकरी उठा कर मैला नहीं ले जायगा चाहे ट्रेन्च लेट्रिन हो चाहे ड्राई फलश लेट्रिन हो, कुछ न कुछ करूंगा, तभी मुझे इस पर कहने का हक होगा ।

(मनोहरसिंह मेहता)

जब मैं यह देखता हूं गलियां गन्दी हैं, टोकरी मैले से भर कर महतरानी सिर पर उठा कर ले जाती है, मला टोकरी में से टपकता जाता है और उसके कपड़े भीगते जाते हैं तो मुझे यह देख कर बड़ा दुख होता है और यह विचार पैदा होता है कि आजादी के 20 वर्ष बाद भी क्यों नहीं इस सम्बन्ध में कदम उठाये गये, क्यों नहीं चिंतन किया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन है कि गांधी शताब्दी आ रही है, महतर आज भी सिर पर मैले की टोकरी ढोकर ले जाता है, इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

जो अच्छे पढ़े लिखे महतर हैं, उनको तो अच्छी जगह दी ही जानी चाहिये, इसमें तो किसी भी तरह की त्रुटि नहीं की जानी चाहिये लेकिन इसके साथ ही साथ जो महतर पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी प्याऊ पर जो महाराज पानी पिलाता है उसकी जगह पर रखें और जो पीने से मना करे उसको यदि सर्विस से भी निकालना पड़े तो उसे सर्विस से निकालने की व्यवस्था करें। आज पानी के लिये यह अधिकारियों को आदेश निकालना पड़े कि एक आदमी के सिवाय कोई दूसरा मटकी को नहीं छूएगा तो इससे साफ जाहिर है कि उनमें छूआछूत की भावना है। इस छूआछूत को मिटाने के लिये यह तत्काल करना चाहिये।

आज आप छात्रालयों को अलग अलग चलाते हैं तो इससे मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि आज भी अलग अलग जातियों के अलग अलग छात्रावास क्यों हैं? चाहे आदिवासी हों, चाहे हरिजनों के छात्रालय हों, उनको आप एक दम बन्द कर दीजिये और जो दूसरे छात्रालय चलते हैं उनमें इन हरिजनों को और आदिवासियों को प्रवेश दीजिये और वहां का खर्चा वे लोग चला सकें इसके लिए उन्हें पचास या साठ रुपया मदद के रूप में देना चाहिए।

एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां हरिजन उत्थान के प्रचार के लिये एक लाख रुपया रखा है वहां 4 हजार खर्च हुआ है लेकिन आज यदि देखा जाय तो आदिवासी और हरिजन किसी चीज से ज्यादा पीड़ित हैं तो वे सबसे ज्यादा शराब से पीड़ित हैं, पर केवल 500 रुपया शराब बन्दी के लिये रखा हुआ है। आज समाज कल्याण विभाग में 70-80 जीपें हैं, अधिकारियों का ढेर है, वहां शराब बन्दी के प्रचार के लिये केवल 500 रुपया रखा हुआ है, और वहां भी खर्च नहीं होता है...

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है, जैसा कि आपने कहा 70-80 जीपें हैं, यह सही नहीं है, 20 जीपें हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने मदद प्राप्त संस्थाओं में अलग अलग जीपें देखी हैं, अपने काम के लिये जीपों का उपयोग होता है, जिन संस्थाओं को आप मदद देते हैं, उनके पास जीपें हैं, हो सकता है कि केवल राज्य की 20 जीपें हों पर हरिजन और आदिवासी सभी की जीपें हैं, उनको आप इनमें क्यों नहीं शामिल करते, क्योंकि आप उनको एड देते हैं, और एड भी सेन्ट पर्सेन्ट देते हैं कुछ आपके यहां से तो कुछ सेन्टर से। पब्लिक से चन्दा नहीं करते। कृपा कर उनको भी गिन लीजिये। अधिकारी भी ऐसे हों जो निष्ठा रखते हों, हरिजनों और

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

आदिवासियों के लिये जिनके मन में पीड़ा हो और जो कुछ काम करना चाहते हों उनके लिये। शराब पीने वाले अधिकारी तो हरगिज भी नहीं होने चाहिये। जो अधिकारी शराब पीता है वह हरिजनों और आदिवासियों को शराब नहीं छुड़ा सकता। ऐसी स्थिति लाईये कि यह जो पिछड़ा पन है वह दूर करें। जिनको आप एम० एल० ए० बनाते हैं वे बारबार एक ही एक न हों। हम पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये कि बारबार वे ही चुनकर न आयें। हरिजनों पर विशेषतौर से ध्यान रखिये। विधान सभा में भी यहां ऐसे चुन कर आते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं जो अपने दस्तखत भी 'ऊ' की मत्रा लगा कर नहीं कर सकते हैं, तो फिर हरिजन और आदिवासियों के लिए काम किया है यह क्यों कहा जाय। कहा जा सकता है कि पांच 'मम्मे' है जिन के बल पर आप जीत कर आते हैं: महाजन, मेहतर, मुसलमान, महिला और मुलाजिम। इन पांचों के बल पर ही आप अक्सर जीत कर आते हैं। हरिजन और मेहतर तो सत्ताधारी पार्टी को जिता कर लाने के लिए आधारभूत हैं। जिन के बल पर आप जीत कर आते हैं उनके ऊपर पूरा पूरा ध्यान दीजिये मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल काम नहीं हुआ है। काम तो हुए हैं पर अभी बहुत कम काम हुए हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

मैंने थोड़ी ही बातों की ओर आपका ध्यान खींचा था। मैं आपका अधिक समय नहीं लूगा लेकिन मैं चाहूंगा जैसे कुओं के माने में हर पंचायत समिति ने मदद दी। जहां कुओं के लिए मदद दूसरों को देते हैं तो मेहतर को भी मदद दें। हरएक कुए पर मेहतर के जाने का अधिकार होना चाहिये। इसके लिये आपको सख्त कदम उठाना चाहिए। वरना हरिजन वहीं का वहीं रहेगा और हम वहीं के वहीं रहेंगे। भेद भाव मिटाना है तो कड़ाई से पालन कीजिये। जिससे भेदभाव और छूआछूत छूटे। कठोर हुए बिना काम चलेगा नहीं। यहां विधान सभा में एम० एल० ए० या मंत्री बन कर आजाने से इस समस्या का निराकरण होगा नहीं।

जमीन के मामले भी आप कड़ाई से पालन कीजिये। बालाबाला मंत्रीजी जमीन अलॉट कर भेजते हैं पर किनको? जो हाथ से खेती नहीं करते हैं उनको। हरिजन लोग एक एक भुट्टे के लिए तरसते हैं, जब हमारे बच्चे भुट्टे खाते हैं तो उनके बच्चे भुट्टों के लिए तरसते हैं। चालीस चालीस बीघा जमीन जिनके पास होते हुए भी राजनैतिक पीड़ितों के नाम से उनको और दे रहे हैं। कमान्ड एरिया की जमीन देनी है अच्छी से अच्छी तो उनको दीजिये जो हरिजन हैं। जो घटनायें मैंने आज सुनीं वे तो बड़ी दुखदायी हैं। जिनको प्रवेश नहीं मिलता वे मेघवालों के पुत्र बन जाते हैं। मेहता भी लिखा देंगे मेहतर में नाम क्योंकि मेहता और मेहतर में क्या फर्क है? बच्चों के प्रवेश के लिए हरिजनों में घुसते हैं तो सजा देनी चाहिए। यदि सचमुच मेघवाल हैं तो मेघवाल की लड़की से शादी करें वरना तो नाजायज फायदा उठाना है तो नहीं उठाने देना चाहिये और इसका कड़ाई से पालन कराना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने दुविधा है। जो मैंने रात भर काम किया

Page No. 112

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उसको सदन के समक्ष रक्खूं रिपोर्टों के आंकडों को या आम बातें समाज कल्याण विभाग के विषयक हैं वह रक्खूं। समय बहुत कम है। कैसे मैं एडजस्ट हो सकूंगा यह आपकी मेहरबानी पर निर्भर करता है। जितना भी मैं कम समय लगा कर मसले रख सकूंगा रखने की कोशिश करूंगा।

जिन रिपोर्ट्स पर आज यहां सदन में विचार कर रहे हैं वे 64-65 एवं 65-66 की हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दो तीन साल पहले की रिपोर्टों पर डिस्कशन करें तो उनका कोई महत्व नहीं रहता है। सरकार इतनी कमजोर है हर साल में, साल की एन्ड में या नैक्स्ट ईयर में आयुक्त की रिपोर्ट्स प्रस्तुत हो जाती हैं तो फिर यहां पेश करने में सरकार को क्या दिक्कत है। फिलहाल मैं आंकडों से ऊपर उठ कर उस पर टाइम रहा तो निवेदन करूंगा, वरना मैं तो जनरल बातें ही निवेदन करना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और अनिवार्य हैं।

अब तक की रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी सिफारिशें सरकार द्वारा फोलो करने के लिये कमीशन ने दीं उन पर सरकार ने पालन नहीं किया है। फिर अगर यही सरकार की प्रवृत्ति रही, रिपोर्ट्स छप कर हमें वितरित हो जायें, हम यहां पर एक दो दिन डिस्कस कर लें, और सरकार उन सिफारिशों का पालन न करे तो सदन के दो दिन का समय बेकार होने का कोई मतलब नहीं है। मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में आंकड़ों के आधार पर संकेत दें कि अब तब जितनी रिपोर्ट्स कमीशन ने पेश की हैं उन के ऊपर जितनी सिफारिशें की गई हैं उन में से कितने प्रतिशत पर अमल किया गया और नहीं किया तो क्या मजबूरियां थीं। इस प्रकार के आंकड़े आवेंगे तो अन्दाज लगेगा कि रिपोर्ट्स को सरकार कितनी सिन्सियरिटी से देखती है, इसका अन्दाज नहीं लगा सकते तो फिर ये रिपोर्ट्स बेकार हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग से जो रुपया खर्च करने का तरीका है उसके सम्बंध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि शिक्षा के बिना कोई समाज, प्रान्त या देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी भी यही मान्यता है कि समाज कल्याण विभाग को सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिये। आज तक इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने जो रुपया खर्च किया है, उसकी संख्या, मात्रा, हम बजट में देखते हैं या सरकारी आंकड़ों के द्वारा मालूम होता है वह पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लेकिन इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी रिजल्ट क्या निकलता है? वह शून्य प्रायः ही है। कहीं न कहीं बीच में, ऐसा महसूस करता हूं मैं, रुपया खर्च करने और प्रगति के बीच में कोई खन्दक जरूर है जिससे रुपया खर्च करने के बावजूद भी जहां तक हम को बढ़ना चाहिए वहां तक नहीं बढ़ पाते हैं। विभाग का खर्चा होता है, कितना प्रतिशत वेतन में खर्च होता है, कितना गाड़ियों पर खर्च होता है, कितना प्रतिशत पेट्रोल पर खर्च होता है, कितना प्रतिशत टी०ए० और डी०ए० पर खर्च होता है और मेन जो काम है, कुए बनाने के लिए, छात्रावास खोलने के लिए उन पर कितना प्रतिशत खर्च होता है–इनमें कोई समानता नहीं है। व्यवस्था का पर्सेन्टेज ज्यादा है तो सरकार को विचार करना होगा कि व्यवस्था के

(श्री जयनारायण सालोदिया)

खर्च में कमी होनी चाहिये और वास्तविक रूप से जिन कामों के लिए यह विभाग कायम हुआ है उनकी ओर सरकार को बढ़ना चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यों तो डिसेन्ट्रेलाइजेशन के नाम पर छात्रवृत्ति के माने में यह नाम मात्र का विभाग रह गया है । समय समय पर सरकार से प्रार्थना करता रहा हूं, आपकी मार्फत माननीय उपाध्यक्षजी, और सदन की मार्फत भी मैंने सरकार से यह कहा कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन के मार्फत इस विभाग की जितनी बरबादी हुई है उतनी दूसरे विभाग की बरबादी नहीं हुई है । इसलिए विभाग के अफसर उतने के उतने, क्लर्क्स उतने के उतने, मकान किराये का उतना का उतना लेकिन काम उनके पास कुछ नहीं । काम खत्म हो गया कुछ काम शिक्षा विभाग को दे दिया गया, कुछ काम लोकल बोडीज् को और कुछ काम विकास विभाग को दे दिया गया । हमारा काम डिवाइड हो गया लेकिन खर्चा वहीं का वहीं । व्यवस्था में वहुत फर्क आ गया । मैं छात्रवृत्ति के बारे में ही बता दूं पैसा समाज कल्याण का और वह डिस्ट्रिब्यूट होता है शिक्षा विभाग द्वारा, फार्म उसी के द्वारा दिये जाते हैं और वही छात्रवृत्ति वितरित करता है । जब से समाज कल्याण विभाग से यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के पास गयी तो वह पचास प्रतिशत भी छात्रवृत्ति इन जाति के लोगों को नहीं मिल पायी । जब समाज कल्याण विभाग के पास यह छात्रवृत्ति देने का अधिकार था तब कुछ न कुछ तो छात्रों को मिलती ही थी । आज स्थिति यह है कि समय पर फ़ार्म नहीं मिलते और फ़ार्म मिल जाते हैं तो उनको भरकर उदयपुर, बीकानेर या जयपुर कहां भेजा जाय यह पता तक नहीं रहता । इसके अलावा समय पर फार्म न मिलने से उनको समय पर नहीं भर पाते इस विषय में सरकार की अजीबो-गरीब स्थिति है । दोनों के आपस के झगड़ों के कारण समाज कल्याण विभाग खोखला हुआ है । अगर आप इसी प्रकार के सुधार से संतुष्ट हैं तो आप सन्तुष्ट होइये हमें तो इससे किसी प्रकार का सन्तोष नहीं । आज समाज कल्याण विभाग पर उतना का उतना खर्चा फिर यह शिक्षा विभाग को देने में आपको क्या लाभ हुआ । पैसा खर्च होता है सरकार का और वह हमारे तक पहुंच नहीं पाता, लेप्स होकर कहां चला जाता है यह आपको पता होना चाहिये । इस गड़बड़ी की वजह से डेफीनेटली मैं निवेदन करना चाहता हूं इस साल 66-67 की छात्रवृत्ति पूरे टोंक डिस्ट्रिक्ट में एक भी छात्र को नहीं मिली, पूरे साल में एक भी पैसा इस जिले के किसी छात्र को :नहीं मिला । क्यों नहीं मिला यह समाज कल्याण वाले बता सकते हैं । वे कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं । शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कार्यालय इस जिले के लिये करौली में है. सवाई माधोपुर टोंक उसी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनसे जब पूछा गया तो वे कहने लगे कि हमने तो सारा पैसा सवाई माधोपुर जिले में बांट दिया है । इस गडवड की वजह से एक सारे डिस्ट्रिक्ट के किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी । इसके न मिलने से कई छात्र आगे शिक्षा पाने में असमर्थ होगये और वे घर पर बैठ गये ।

दूसरी बात म यह निवेदन कर ना चाहता हूं कुछ विशेष स्कूलों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जिसमें वनस्थली, उदयपुर, हटूण्डी, सेण्ट जेवियर इन स्कूलों में पढने के लिये विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है । पहले तो समाज कल्याण विभाग द्वारा यह छात्रवृत्ति दी जाती थी लेकिन इसके लिये समाज कल्याण और शिक्षा विभाग दोनों के अधिकारी बैठकर तय करते थे । लेकिन होता क्या है कि स्कूल खुल जाते हैं उसके एक महीना डेढ महीना बाद इस छात्रवृत्ति के बारे में निर्णय लिया जाता है । दो महीने बाद जब स्वीकृति दी जाती है तो बाद में इन स्कूलों में छात्रों को भरती नहीं करते । छात्र जाते हैं तो उनको कहा जाता है नो वेकेन्सी । हमारे यहां कोई जगह नहीं है टाइम पर नहीं आये अब जगह नहीं है । वनस्थली में जाते हैं तो वहां भी कह दिया जाता है कि अब स्थान खाली नहीं है । इस कारण 67 में किसी भी स्कूल में इस छात्रवृत्ति से कोई लड़का या लड़की भरती न हो सकी । एक तारीख को जब भरती होती है तो उसके डेढ महीने बाद मीटिंग करने से क्या फायदा । यह सब समाज कल्याण के काम को डिसेन्ट्रेलाइज करने से हुआ है इस बारे में सरकार को सोचना चाहिये । मैं तो यही कह सकता हूं यह दोनों विभागों की साजिश है और सरकार की साजिश है । एक तरफ दिखावे के लिए तो कहा जाता है इतना रुपया देते हैं लेकिन असलियत में एक जिले के एक भी छात्र को नहीं मिल पाये इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : किस साल में आप फर्मा रहे हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : 67-68 में । टोंक डिस्ट्रिक्ट के एक भी छात्र को नहीं मिली ।

इसके अलावा बाहर भी छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति देकर पढने को भेजती है । सरकार ने इस संबंधी अनेक प्रश्नों के उत्तर इसी विधान सभा में दिये उनके अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं । एक भी छात्र को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देकर बाहर नहीं भेजा गया । गत दो तीन सालों में किसी भी अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्र को इस प्रान्त के बाहर छात्रवृत्ति देकर नहीं भेजा गया । जब आम लोगों को प्रान्त के बाहर भेजा जाता है फिर भी इन जाति वालों को किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी गई । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हुं इसके पीछे जो भावना है वह सरकार की हीन वृत्ति की है । चन्द लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति दे देते हैं और वे अधिकारी इन को देते हुए भी यह महसूस करते हैं ये नीची जाति के लोग हैं, भिखमंगे लोग हैं वे इसी हीन भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं । आप लोग जो यह सोचते हैं कि हम ही पढने लिखने वाले लोग हैं लेकिन आपको यह याद रखना चाहिये आप जो यहां नजर आते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई में हमारा योग था । हमारी कुर्बानी से आप योग्य हो गये हैं । हम भी पढे थे राजस्थान की रियासतों में पढे थे हम लोग भी योग्य थे । आप इसके लिये चन्द छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं उससे आप सोचते हैं कि हम इन पर एहसान करते हैं ये हमारे मर्जी के पात्र हैं, यह जो आपकी विचारधारा है दकियानूसी विचारधारा है ।

एक माननीय सदस्य : कोई ऐसा नहीं करता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको पता नहीं हम जानते हैं हमारे साथ इन लोगों का किस तरह का व्यवहार है ।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आप लोगों की इतनी हीन भावना के बाद भी इतनी समस्याओं से गुजरने के बाद भी हमारा जो भी छात्र पढ़कर निकलता है उसके लिए आगे नौकरी के लिए कोई न्याय नहीं होता। जितना प्रतिशत कोटा इसके लिये तय किया है उसमें से एक भी विभाग ने राज्य सरकार के किसी विभाग ने किसी ने अपना कोटा पूरा नहीं किया केवल म्यु-निसिपैलिटी को छोड़कर। आप एक भी विभाग राजस्थान का बता दें जिसमें 12½ प्रतिशत कोटा आपने पूरा किया हो ? बाबुओं की टोटल संख्या को आधार मान कर आप एक भी विभाग बता दें ?

श्री बी० एन० जोशी : राज्य का जीवन बीमा विभाग है जिसमें आपके पर्सेन्टेज से भी ज्यादा हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : पर्सेन्टेज निकालने का मापदण्ड क्या है ? आपका जो पर्सेन्टेज निकालने का आधार है वह ठीक नहीं है। एक कार्यालय में पांच सौ क्लर्क्स हैं उसका साढे बारह प्रतिशत आप निकालिये। आप करते क्या हैं पांच जगह निकालते हैं उसमें आप एक जगह लेते हैं और तीन जगह निकालते हैं वहां आधा थोड़े ही लेंगे। इस तरह से अनुपात निकालते हैं यह गलत है। एक विभाग में जितने बाबू होते हैं उसके हिसाब से पर्सेन्टेज निकालिये। मेरा आप से निवेदन है कि जब तक पर्सेन्टेज पूरा नहीं होता है नई भर्ती आप न करें। आखिर चौथाई आदमी थोड़े ही होता है। इस तरह का माप दन्ड ठीक नहीं है। 5 जगह खाली हुई एक ले लें और कह दें पूरा कर लिया योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इस तरह की जो भावना है......

श्री गिरधारी लाल व्यास : चाहते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स कहां हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : शिड्यूल्ड कास्ट्स को गांधी जी के चित्र के नीचे बेवकूफ बना रखा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह व्यास भी हरिजन हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जितने व्यास हैं, हरिजन हैं। मुझे मालूम है इसका मुझे अनुभव है व्यासों का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्सेन्टेज के हिसाब से यह कह रहा था कि जितने बाबुओं की संख्या हो और जिस डिपार्टमेन्ट में हो उसके आधार पर जब तक हमारा कोटा पूरा नहीं हो जाता साढे बारह पर्सेन्ट का तब तक नये आदमियों को भर्ती नहीं किया जाना चाहिये। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यह सुनने को इच्छुक हूं कि वे समाज कल्याण के आंकड़ों को देखें, जीवन बीमा निगम के आंकड़ों को नहीं देखें। समाज कल्याण के जो आंकड़े हैं मैं उसका इच्छुक हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी उनके ट्रान्सफर और प्रमोशन में आज भी दफ्तरों में भेद भाव होता है। ट्रान्सफर और प्रमोशन के बारे में समाज कल्याण में भेदभाव होता है। मैं इसके फेक्ट्स दे सकता हूं। मेरे पास फैक्ट्स हैं आपके समाज कल्याण विभाग में प्रमोशन और ट्रान्सफर में भेदभाव होता है। हमारे जयपुर दफ्तर में होता है इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। जिस विभाग में हमारा उत्थान होता है उसमें पर्सेन्टेज नहीं, उसमें प्रमोशन नहीं मिलता उसमें ट्रान्सफर इस तरह होते हैं तो मंत्री महोदय आपसे क्या अपेक्षा करें कि आप हमारा भला करने वाले हैं ? इसी तरह, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री जयनारायण सालोदिया)

महोदय, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक यह नौकरी का प्रश्न हल नहीं होगा तब तक बोर्ड और कमेटियों की जो बात है उसमें हमारे प्रतिनिधि नहीं होंगे जैसे लोक सेवा आयोग, यातायात निगम, खादी बोर्ड जिनमें हजारों आदमी काम करते हैं। इस तरह के बोर्ड और संस्थाएं है उनमें हरिजनों का होना आवश्यक है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आवश्यक है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कौनसा योग्य आदमी है और कौनसा योग्य आदमी नहीं है। यह योग्यता तो एक विडम्बना है। मुझे यह गौरव है कि हमारे छात्र और छात्राएं इतनी मुसीबत के बाद भी अच्छे नम्बरों से पास होते हैं। छात्रावासों की जो व्यवस्था है उसमें अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी रोशनी नहीं मिलती फिर भी हमारे लड़के और लड़कियां अच्छे नम्बरों से पास होते हैं जब कि वे लोग मक्खन का नाश्ता करके जाते हैं और हमारे बच्चे भूखे पेट जाते हैं, उनको गाड़ियां छोड़ने जाती हैं और हमारे बच्चे पैदल जाते हैं और फिर आप कम्पीटीशन चाहते हैं। हमें भी मौका दीजिए। हमारे ऊपर लिमिट हैं, सीमाएं हैं और फिर नौकरी में कम्पीटीशन करते हैं। एक बच्चा जो सेन्ट जेवियर में पढता है उसका मुकाबला आप एक साधारण लड़के से करना चाहते हैं। हमारे लड़कों को भी आप सेन्ट जेवियर में भेजिये फिर हम दिखायें कि कौनसा लड़का तेज निकलता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप कम्पीटीशन की भावना रखते हैं, नौकरी में कम्पीटीशन हो तो हमें भी समान अवसर दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : समय सीमा निर्धारित किया हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जो विकास के रास्ते हैं, उनको रोक रखा है। हमें समान अवसर दीजिये फिर देखिये कि आप आगे होते हैं या हम आगे होते हैं। यह मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के संबन्ध में क्योंकि यह शिक्षा से संबन्धित मामला है जैसा मैंने निवेदन किया जो छात्रावास आपके विभाग द्वारा चलाये जाते हैं उनमें अच्छी व्यवस्था नहीं है। समय समय पर ध्यान आकर्षण प्रस्तावों द्वारा और प्रश्नों के द्वारा इस तरह की बातें आपके सामने आती हैं लेकिन मुझे यह हैरानी है कि आपके सामने समस्या क्या है? क्या समस्या है, आपके पास। इसमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, आपके पास स्टाफ है फिर छात्रावासों की समस्या हल क्यों नहीं होती है? क्या मुसीबत है। आपके सामने क्या मुसीबत है। मुझे मालूम है आपके क्या सामने मुसीबत है। आपके अधिकतर छात्रावास उन स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा चलाये जाते हैं जैसा मेहता साहब ने कहा जैसे छात्रावास संघ, आदिम जाति संघ और न जाने क्या क्या संघ कोई ढपोल संघ जो हमारे नाम से पैसा ले लेते है और खर्च नहीं करते हैं। वे मक्खन खाते हैं और हमारे बच्चों को 10 नये पैसे रोज का नास्ता देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सोचेंगे कि 10 नये पैसे में क्या नास्ता होता है। मैं निवेदन कर रहा था छात्रावासों की व्यवस्था के बारे में जैसा मुझे मालूम है कि एक जिला कमेटी बनाई है। श्री नारायणसिंहजी से डिस्कस हुई थी कि हम जिले में इस तरह की कमेटियां बना रहे हैं जो समाज कल्याण

(श्री जयनारायण सालोदिया)

के बजट को चैक-अप करेगी । इस तरह की कमेटी की गई बार घोषणा की थी लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं वह कमेटियां बिलकुल ऐक्टिव नहीं है, न उनको कोई अधिकार हैं । इस तरह की कमेटी सरकार में ज़िलों ने गठित की हैं । यह समाज कल्याण से सम्बन्धित बजट खर्च करने वाली समितियों को अधिकार दिये जाने चाहिये और उनको एक्टिव काम किया जाना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है । मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला हैं तथा मुझ से बाद वाले वक्ता भी इस पर प्रकाश डालेंगे । सबने यही कहा हैं कि कुल मिलाकर व्यवस्था अच्छी नहीं हैं । कहीं खाने की ठीक व्यवस्था नहीं हैं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हैं, कहीं रोशनी आदि की व्यवस्था नहीं है । मैं तो इसमें एक ही व्यवस्था को समझता हूं कि आदमी की भावना शुद्ध नहीं हैं, जब तक उनकी भावना शुद्ध नहीं होगी, उनको अच्छा खाना और अच्छे कपड़े नहीं मिल सकते हैं । ये आपके नौकर हैं इनकी भावना शुद्ध नहीं है । यह तो आप करही सकते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक और निवेदन कर देना चाहता हूं जब हम समाज कल्याण विभाग को .....

श्री मूलचन्द डागा : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय निर्धारित किया है । लेकिन किसी को 40-40 मिनट दे रहे हैं और किसी को 10 मिनट ही दिये है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज मैं समझ गया आपकी बात, आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : स्थान तो ग्रहण कर लूंगा, हुकुम , लेकिन किसी को 10 मिनट और किसी को 40 मिनट, यह क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । यह आप गलत समझ रहे हैं कि किसी को 10 मिनट दे रहे हैं और किसी को 40 मिनट ।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : आप नजीर बता दीजिये (व्यवधान) आर्डर प्लीज । आप उदाहरण दीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : शंकर लालजी को 40 मिनट दिये, इनको 40 मिनट हो गये और कल्याण मल जी को 10 ही मिनट दिये ।

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट किसको दिये ....

श्री मूलचन्द डागा : कल्याण मल जी को ....

एक माननीय सदस्य : वह तो अपनी इच्छा से ही कम बोले हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों में इसमें दिलचस्पी, मेरे समाज में कम है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका स्वागत करता हूं। ये मेरे बुजुर्ग है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग, राजस्थान में पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है । हर ज़िले में अनुसुचित जातियों

(श्री जयनारायण सालोदिया)

और अनुसूचितआदिम जातियों के पढे-लिखे बेकार लोगों का सर्वे होना चाहिये। इस तरह का सर्वे हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस किस योग्यता के, कितने कितने पढे लोग बेकार हैं। उनकी लिस्ट बने, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने एस० टी० सी० ट्रेण्ड हैं, कितने मैट्रिक पास हैं। इस तरह की लिस्ट जिलेवार सर्वे करके बनाई जाय। हर जिले में इस तरह की लिस्ट बनाई जाये कि कितने आदमी अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के बेकार हैं? उनमें से कितनों को रोजगार मिल चुका है? कितने बेकार हैं? इस तरह से बेकार लोगों को रोजगार दिलाने में सुविधा होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का सर्वे होकर जिलेवार लिस्ट होगी, तो सर्वे से एक चित्र सामने होगा कि राजस्थान में इतने लोग बेकार हैं? इतने हरिजनों को काम देना है। आज तो हम अन्धाधुन्ध तरीके से, कोई मालूम नहीं है अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों के कितने एम०ए०, एम०एड, बी०ए०, बी०एड० हैं, कितने मैट्रिक पास हैं और कितने एस० टी० सी० ट्रेन्ड लोग बेकार हैं? वे कब से बेकार हैं? इस प्रकार के आंकड़े सरकार के पास रहने चाहियें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) (शोरगुल) मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बहुत लोगों ने, जैसा कि बताया गया है, मेडिकल कालेज म भर्ती होने के लिये, खासतौर से इसके लिये, मैडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, नाम बदलकर हमारे स्थानों पर भर्ती होने के लिये गलत नाम से दाखिले लिये हैं। इस तरह से ये लोग हमारा हक हमसे छीनना चाहते हैं। आदिवासी छात्रों के लिये भी स्थान सुरक्षित हैं उनको भी डागाजी जैसे होशियार आदमी हरिजनों से छीनना चाहते हैं। मैं उनका···

श्री मदनसिंह दांता : लड़की होकर भर्ती हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट में अपनी बात समाप्त कीजिये ?

श्री जयनारायण सालोदिया: मैं जितनी जल्दी होगा करूंगा। मैं आपकी आज्ञा से ही बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। छुआछूत कानून के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह कानून बना हुआ है। मेरी जानकारी है कि इसको बने बहुत साल हो गये लेकिन आज तक हमने इस कानून का विभाग के द्वारा प्रचार नहीं कराया। इस कारण किसी को यह जानकारी नहीं है कि इस तरह का भी कानून है? इसमें दूसरी बात है। इससे स्पष्ट होता है कि आज तक जो छुआछूत करने वाले लोग हैं, जो इस हाउस में में भी बैठे हैं, उनके खिलाफ मुकदमें बनाने चाहिए। वे नहीं बनते हैं। यह समाज कल्याण विभाग की उदासीनता का प्रमाण है। इस हाउस में छुआछत होती है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : छुआछूत हाउस में कैसे होती है? कौन करते हैं? उनके नाम बताइये ?

श्री जयनारायण सालोदिया : यह चोर की दाढ़ी में तिनका है मैं इसका प्रमाण देता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप नाम बताइये ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे बोलने दिया जाय···

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप नाम बता दें.....

श्री जयनारायण सालोदिया : बता रहा हूं, सुन लीजिये......

श्री मदनसिंह : आप मिठाई मंगवाइये और हाउस में ही हमारे सामने इनको खिलाइये.......

श्री जयनारायण सालोदिया : ये तो XXX उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि......

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, XXX ये शब्द वापस लिये जायं। (शोरगुल अश्रव्य) ये अनपार्लियामेंट्री है......

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं बता रहा हूं। सुनिये......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बातें करते हैं, XXX कौन है?

श्री उपाध्यक्ष : इन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाय। कार्यवाही से इन शब्दों को हटा दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, कि इस हाउस में छुआछूत होती है और वह इस तरह से होती है, कि जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, उनको पीछे बिठाया जाता है उनके योग्य होते हुए भी। और इन अगूंठा छाप लोगों को, जिनमें पचास तरह के ऐब हैं, वे आगे बैठते हैं। यह छुआछूत नहीं तो क्या है? उनके साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और उनको अच्छा स्थान नहीं दिया जाता है। आप इसका जवाब दीजिये। अगर आप में हिम्मत है। जवाब दीजिये। हमारे मंत्रिमण्डल में भीखा भाई, अमृतलाल जी यादव मन्त्री हैं। वे पीछे बैठते हैं और आपके जो ये अगूंठा छाप आदमी हैं, आगे बैठते हैं। इसके क्या कारण है? यह खुला छुआछूत है। उनको अच्छे विभाग नहीं दिये जाते? अच्छी मोटर नहीं दी जाती, अच्छा मकान नहीं दिया जाता, अच्छे नौकर नहीं दिये जाते हैं। यह छुआछूत है इनके प्रति। और यहां फिर इस तरह की बात करते हैं। यह जो समाज है, इस समाज ने आज इसी तरह की भावना पैदा कर रखी है हरिजन समाज के प्रति। यह समाज नहीं चाहता कि हरिजन का लड़का पढ़े, उसका लड़का नौकरी करे। ये सोचते हैं कि हरिजन का लड़का पढ़ेगा तो मेरी जमीन को कौन काश्त करेगा? हरिजन नौकरी करने लगेगा तो मेरे घर पर काम कौन करेगा? मेरे को कौन सलाम करेगा, चरण स्पर्श करेगा। इस तरह यह समाज हरिजनों को आगे नहीं आने देना चाहता। तुमको तुम्हारी सफाई आप करनी पड़ेगी।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय आगे बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घण्टा के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो हमको नौकर समझते थे, जो हमसे खुशामद कराते थे, चरण स्पर्श कराते थे, वह देख रहे हैं हरिजन समाज प्रगति कर रहा है, वह जाग्रत हो रहा है। वे आगे जा रहे हैं। इसलिये ये समाज वाले सोच रहे हैं कि अब कौन हमारे चरण छूअेगा, कौन हमारी गाय को बान्धेगा, नौकरी करेगा, हमारी

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जमीन की काश्त करेगा। इसलिये इस समाज को हमसे चिढ़ है, चिढ़ होना स्वाभाविक है।

(5.म.प)

मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं आपको इस जमाने में खुद को काश्त करनी पड़ेगी, अपने कपड़े आपको धोने पड़ेगें, अपने जूतों पर पालिश आपको करना होगा। इस तरह की बातें ज्यादा चलने वाली नहीं हैं। हम संगठित हैं हमने भी हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने में आपसे किसी हद तक कम योग नहीं दिया है, हमने भी आजादी प्राप्त करने में उतना ही सहयोग दिया है, आपसे कहीं ज्यादा दिया है केवल आप इसको अपनी बपौती मानकर बैठें तो यह चलने वाली नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शराब बन्दी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपको अब शिकायत करने का अवसर नहीं आयगा अब तो ब्राह्मण लोग भी शिडयूल्ड कास्ट वालों का एडोप्शन लेकर मेडिकल कॉलेज में भरती हो रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

शराबबन्दी के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज कल्याण विभाग पर आप जितना खर्च करते हैं उससे जितना फायदा हमारा नहीं होता उससे कई गुना नुकसान इस शराब की वजह से हमारा हो रहा है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिये शराब की आय जो आपको आती है वह ज्यादातर आय हम लोगों के जेब से आती है। हम बिना पढ़े लिखे हैं, मजदूर लोग हैं, चारों तरफ की विपत्तियों से परेशान हो जाते हैं, अपनी स्थिति से जब परेशान हो जाते हैं तो उस परेशानी से बचने के लिये हम लोग शराब को पीते हैं जिसकी दुकानें मोहल्लों में, गलियों और सड़कों पर उपलब्ध हो जाती हैं। अपनी परेशानियां मिटाने के लिये हम शराब पीते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम अपने लिये मकान नहीं बनवा सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इस कारण हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा है। मैं तो यह कहने को भी तैयार हूं कि आप इससे होने वाली आमदनी का त्याग नहीं कर सकते तो समाज कल्याण विभाग बन्द कर दीजिये, लेकिन शराबबन्दी लागू कर दीजिये हमारा समाज का कल्याण हो जायगा हम अपने आप उन्नत हो जायेंगे, हमें किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। यह बन्द हो जायेगी तो हमारे पास पैसा होगा हम अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकेंगे, उनको योग्य बना सकेंगे, हम अपना स्टेंडर्ड ग्रॉफ लीविंग बढा सकेंगे। आप एक तरफ समाज कल्याण विभाग से पैसा खर्च कर रहे हैं दूसरी तरफ यह शराब हमारे पीछे लगा दी ताकि हम उन्नति न कर पायें। यह जो आपकी दोहरी नीति है वह गलत है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आप हमारी उन्नति सही मायने में चाहते हैं तो इस शराब को बन्द कीजिये।

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं एक तरफ पढे लिखे लोग बेकार फिर रहे हैं। आपने म्युनिसिपैलिटी में हमारे लोगों को साढे बारह प्रतिशत से भी अधिक स्थान दे रखे हैं। आप सफाई के काम में हमें भेजते हैं, उच्च वर्ग के लोगों को

(श्री जयनारायण सालोदिया)
सफाई के काम के लिये क्यों नहीं लगाते? आप सफाई के काम को एक तरफ कहते हो बहुत ऊंचा काम है आदर्श का काम है तो आपको यह शोभा क्यों नहीं दता ? यह महत्वपूर्ण काम हमसे क्यों कराते हो ? हम छोटे लोगों से क्यों कराते हो ? आपको अब यह भी तय करना पड़ेगा साढे बारह प्रतिशत से अधिक सफाई के काम में हरिजनों को नहीं लगाया जायगा बाकी स्थान अन्य जाति वालों से भरे जायेंगे'

श्री रामानन्द अग्रवाल : जयपुर की नगरपालिका में अब हरिजनों की जगह सफाई के काम के लिये ब्राह्मण भी भर्ती होने लग गये हैं आप क्यों फिक्र कर रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : भर्ती होने के कारण भी हम जानते हैं। अब उनसे और क्या होगा वे अब सफाई ही करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब मैं मकान सहायता के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मकान सहायता के लिये आपके विभाग से ऋण दिया जाता है इसमें भी घोर पक्षपात किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी रामानन्दजी ने कहा राजस्थान सरकार का इरादा है हैं कि छुआछूत को कम किया जाय। उन्होंने कहा कि हरिजनों को मन्दिर का पुजारी भी बनाया जाय उनम भी साढे बारह प्रतिशत इनको लिया जाय। हम नहीं चाहते पुजारियों में हमें भर्ती किया जाय, पुजारी आप चाहें जिसे रखें जो भी योग्य हो उसे रखें। लेकनि मैं इतना तो निवेदन करना चाहता हूं जो इनकी व्यवस्था के लिये बोर्ड बना हुआ है उसमें हमारा एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाय। मन्दिरों की पूजा की व्यवस्था जिसे आप योग्य समझें उसके हाथ में दें।

जमीन अलॉटमेंट का मैं जिक्र कर रहा था इस बारे में जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिये गये हैं वे बिल्कुल गलत हैं फर्जी हैं। जितनी जमीन हमें दी जा रही है उतनी जमीन वास्तव में हमारे पास होती तो आज एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जन जाति का बेजमीन नहीं होता। यह जो जमीन के आंकड़े बताये हैं वे थोथे हैं, वे फर्जी हैं, झूठे हैं, केवल धोखा देने के लिये हैं।

सिवाय चक की भूमि जो अलॉट की जाती है पहले तो पटवारी से उसका नम्बर लेना पड़ता है। पटवारी से किसी तरह नम्बर ले लिया तो क्या होता है, सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी, तहसीलदार जिनके लिये उनकी राय होती है या वे किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं उस व्यक्ति को कह दिया जाता है तुम जाकर उस पर काश्त कर लेना। होता यही है उनके पास पट्टे के अभाव में उन लोगों को उकसाया जाता है। वे जाकर उस पर काश्त करने लग जाते हैं और इस तरह से उससे लेकर दूसरे को कब्जा दे दिया जाता है। ये जो बातें हैं इन पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिये। यह एक प्रकार का षड़यन्त्र है इस जाति के लोगों के साथ सरकारी कर्मचारियों का षड़यन्त्र है। ऐसे पटवारी तहसीलदार जो सरकारी नौकर हैं वे मिल जुलकर इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। सरकार जो भी निश्चित कार्यक्रम उठाये उसको पूरा करना चाहिये। यही मैं कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृपापूर्वक जो समय दिया है। उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर इस प्रकार से जो जातीय मामलों पर प्रश्न उठाये गये हैं ब्राह्मण, चमार, क्षेत्रीय आदि जातियों का जो उल्लेख किया गया है वह न होकर नया वर्ग, नया समाज हम आज बसाना चाहते हैं । हमारे संविधान की यह इच्छा थी । संविधान के द्वारा जो हमने अपना उद्देश्य रखा था उसके संबन्ध में आज जो बातें रखी गई हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं ।

संवाल सबसे बड़ा यह था कि उद्देश्यों को साधनों में परिभाषित नहीं किया गया । और इसी कारण वर्ग वर्ग में आक्रोश है, असन्तोष है और व्यापक विद्रोह है ।

आपने इन लोगों को पीछे ही डाल रखा है । राजस्थान में नगरपालिकाओं की तनख्वाहें क्या हैं ? उनके स्केल देखें हैं ? 20-1-25 वेतन मान है । इससे क्या गुजारा हो सकेगा इस मंहगाई के जमाने में उनका जो रात दिन आपका मैला ढोते हैं । यह हैड लोड सिस्टम खतम कर दो । आपने जागीरदारी खतम की, कई प्रथाएं खतम की । राजस्थान में पहला कानून होना चाहिये कि जो सिर पर मैला ढोते हैं उसे बन्द कर दें । मलकाना कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि राजस्थान में हरिजनों की यह प्रथा खतम कर दो । पर कर नहीं पाये ।

आज समाज कल्याण विभाग अपने बोर्डिंग में हरिजन छात्र को सुबह के नाश्ते के लिये दस पैसा देता है और फिर उम्मीद करते हैं कि वह फर्स्ट क्लास मार्क ओब्टेन करके मैडिकल कौलेज में दाखिल हो जावेगा । मेहरबानी करके इसे सुधारिये ।

आपने आज नजूल कमेटी की जमीन देने का कानन बनाया है 1.75 पैसे से, किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे । मैं पूछता हूं आप बताएं कि आपने हरिजन जातियों को कम कीमत में जमीनें दी हैं । नगरपालिकाएं योजना बनाती हैं, कहां आप उनको जमीन देते हैं । मैं तो सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के तमाम बन्धनों को ही तोड़ दीजिये । अनुसूचित जाति, जन जाति, विमुक्त जाति और न जाने कौन कौन सी जाति इनके ये सारे बन्धन तोड़ दीजिये । आपस में इनको मिलने दीजिये । इन सारी जातियों को आप एक कर दीजिये । इन अलग अलग जातियों के कारण हम दुःखी हैं । अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थी भर्ती नहीं होना चाहते, विमुक्त जाति के होस्टल में भर्ती नहीं किये जाते, अन्य अनुसूचित जाति वाले ।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : आन ए पोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन । माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है । शिड्यूल्ड कास्ट्स होस्टल में 25 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों को लेना लाजिमी हो सकता है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अलग अलग क्यों हैं ये ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हो सकता है, पर होता क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : अनुसूचित जाति का होस्टल है फालना में । शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र भर्ती किये जावेंगे तो मुमानियत करेंगे । कारण यह है कि ऐसा नियम बना हुआ है । मैं तो सरकार से यह घोषणा चाहता हूं कि एक स्ट्रोक ऑफ पैन से आप इन होस्टलों को

(श्री मूलचन्द डागा)

ही समाप्त कर दीजिये और सब को राजस्थान सरकार के जो जनरल होस्टल हैं उसमें सबको भर्ती कर दीजिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ।

श्री मूलचन्द डागा : यह अनुसूचित जाति का होस्टल है, यह अनुसूचित जन जाति का है, यह सवर्णो का है, यह क्या भेदभाव आपने बना रखा है ? जहां सरकार के होस्टल हैं वहीं सबको भर्ती करिये, वहां अस्सी रुपया, सौ रुपया माहवार का देकर भर्ती करिये । अलग अलग जातियों के नाम से होस्टल खोलना यह बहुत गन्दा और गलत तरीका है । आज के इस प्रगतिशील युग में यह जातिवाद घृणित वस्तु है । इससे कोई भी तरक्की किसी की भी हम करने वाले नहीं हैं ।

मैंने तो फालना के होस्टल के लिए यहां तक कहा कि आप यहां होस्टल चलाते हैं और हजारों रुपया सरकार व्यर्थ में उस पर खर्च करती है और उसका कोई उपयुक्त लाभ नहीं मिलता । इस होस्टल को पाली में सरकार ले आवे तो वहां सरकार के कालेज हैं, स्कूलें हैं वहां होस्टलों में उन बच्चों को रखा जा सकता है और अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं है । इस तरह से लगभग पांच हजार रुपया सरकार का मासिक बच सकता है जो वहां बच्चों को स्कालरशिप देने में खर्च किया जा सकता है । इस अर्थ प्रधान युग में इस प्रकार का व्यर्थ का खर्चा हमारे दिमाग में उचित नहीं लगता ।

हैड लोड का जो तरीका है वह समाप्त करिये । इसकी तस्वीर खींची थी मनोहर सिंहजी साहब मेहता ने । वह हिन्दुस्तान की अन्य महिलाओं की तरह की एक महिला सिर पर हमारा मैला लेकर निकलती है और वह गन्दा मैला कभी कभी उस के मुंह पर, गाल पर, कपड़ों पर गिरता जाता है । यह कलंक है। लांछन है। इस को बन्द करना चाहिये।

आप कहते हैं धीरे धीरे हटायेंगे । धीरे धीरे का काम कभी पूरा नहीं हो सकता । ये काम धीरे से पूरे नहीं हो सकते । आज तक का तजुर्बा हमारा है । आपने बहुत धीरे धीरे कई काम किये, पर उनका परिणाम सिर्फ जीरो निकला है, भ्रष्टाचार बढ़ा है । समाज में मुर्दनी आई है । जिन्दा दिली, लगन, उत्साह और काम की उमंगें समाप्त हो गई हैं । सुधार की हमारी शक्ति कुंठित हो गई है । तो इसलिए सख्ती से और तेजी से काम करिये जब आपको करना है तो ।

मैं एक बात कहता हूं, एग्रीकल्चरल लैंड के अलाटमेन्ट के बारे में समाज कल्याण विभाग से पांच बातों का जवाब चाहता हूं, सहकारी कानून के भंग या दुरुपयोग में आपने कितने केस चलाये, सागड़ी प्रथा के भंग करने वालों पर कितने मुकद्दमे चलाये, मिनिमम वेजेज के अन्तर्गत इस कानून की अवहेलना करने वालों का कितनों का आपने चालान किया, हरिजन भाइयों के साथ भेदभाव बरतने पर कितने मुकद्दमे आपने चलाये और इनके लिये आप ने क्या कोई कोडीफाई लॉ बनाया है ? आप यह कब तक करते रहेंगे, हर साल ये रिपोर्ट छापते रहें और बहस करते रहें । करने धरने को कुछ नहीं । यह दिखावा आप कब तक करते रहेंगे ? यह धोखा धड़ी कब तक चलती रहेगी ? बीस साल बाद भी इन लोगों को क्या आप ऐसे ही रहने देंगे । आप आज ही

(श्री मूलचन्द डागा)
कह क्यों नहीं देते हैं कि चालीस प्रतिशत भी नम्बर अगर ये लावेंगे तो मेडीकल में इनको एडमिशन मिल जावेगा, 33 पर्सेन्ट भी लावेंगे तब भी मिल जावेगा। पर कभी भी दुनिया में शोषण करने वाले लोग यह नहीं चाहेंगे कि हमारे से नीचे जो पड़े हुए हैं वे ऊंचे आ जावें।

आप एक प्रकार से इन जन जातियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मख़ौल कर रहे हैं। आप इनको चालीस रुपया स्कालरशिप देना चाहते हैं, अस्सी कर दें इसके लिये आपकी सराहना की जानी चाहिये। पर सरकारी नौकरियों में भी इनको पूरा हिस्सा लेने दें। आज कोई भी सरकारी अधिकारी तैयार नहीं है अनुसूचित जाति के आदमी को अपने यहां नौकर रखने में। आज भी उसका दिमाग उसी पुरानी परम्परा के संस्कार लेकर चल रहा है। उसको खतम करना आपका काम है। नये ढंग की हम कोई नई व्यवस्था नहीं चाहते। केवल यह चाहते हैं इनको भी अन्य भारतीय जातियों में एकाकार कर दिया जाय। इसका एक तरीका है यह अलग अलग जाति की अलग अलग स्कूल, होस्टल, बस्ती, कुएं आदि समाप्त कर दिये जावें। सबके साथ इनका प्रबन्ध किया जाय। अनुसूचित जाति के लोग हैं, सारे पानी पीने की जो आपकी व्यवस्था है, प्लाऊ हैं उन पर इनको लगा दिया जाय सबको। दूसरे को किसी को इस व्यवस्था में नौकर न रखा जावे। मैं समझता हूं कि इससे नयापन आयेगा। इसके अलावा जो मैं बड़ी बात कहना चाहता था वह यह है कि कई जगह आपने मकान बनाये हैं। मैं पाली के लिए बताना चाहता हूं कि वहां आपने एक कालोनी का निर्माण किया वह अधूरी पड़ी है। वहां पर अभी सड़कें और नालियां बननी हैं। जब आप ने 11 घरों के लिए तो लोन दे दिया और 9 को नहीं दिया और उसको रोक दिया तो उससे सारा काम बन्द कर दिया। मेघवालों की बस्ती के लिए जो काम शुरू किया-वह समाप्त भी कीजिये। मैं समझता हूं कि आप एक दफा ऐलान कीजिये कि मकानों के लिये जो लोन है वह सारा का सारा लोन इन पिछड़ी जातियों के लिए दिया जायेगा। आफिसर्स के बंगले नहीं बनने चाहियें। वह सारा का सारा पैसा इसी स्कीम में मिलना चाहिए और हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लिए सारे मकान बनने चाहिएं। मालदारों के मकान नहीं बनने चाहिएं, एम०एल०एज० के मकान नहीं बनने चाहिएं और पिछड़ी जातियों के लिए सब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाये। आपके 'सी' स्कीम में मकान बने हैं, पाली में बने हैं और जिलों में बने हैं आप लाखों रुपया निर्माण के लिए देते हैं। आप एक बड़ा काम करते हैं लेकिन वह सारी धनराशि जब तक पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं दी जाये तब तक सारी दौलत इनकी तरफ बहा दी जाये और दूसरे सवर्ण लोगों को वह रकम नहीं दी जाये। पहले उनके मकान बन जायें और ऊंचे लोगों को रुपया नहीं दिया जाये।

आप स्वयं देखते हैं कि जब एक बंगला आज 40-50 हजार का बनता है तो हरिजन को जो आप एक हजार रुपया लोन देते हैं उसमें वह कैसे मकान बना सकेगा? आपकी नीति यह है कि पक्के मकान बनाये जायें उसको भी आप बदलिये।

आप जो ओल्ड एज पेन्शन देते हैं उसका काम आपने कलेक्टर को क्यों सौंप दिया?

(श्री मूलचन्द डागा)
वह समाज कल्याण विभाग का काम था। लेकिन वह काम भी आपने बदल दिया।

हम तो कहते हैं कि जो जातियों के अलग अलग नाम हैं उनको खतम करने की बात आप सोचिये। एग्रीकल्चर के अन्दर जो अलॉटमेन्ट्स का प्रश्न पैदा होता है राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में धारा 42 आपने लागू कर दी है। सवाल यह है कि आपकी बड़ी उपजाऊ जमीन है, नहरी जमीन है उसमें आप किस किस को जमीन अलॉट करना चाहते हैं। ये पूंजीपति और पूंजीपति बनना चाहते हैं। इनको खतम किया जाना चाहिये। आपकी नीति है कि मीनार पर बैठे हुए व्यक्ति को आप नीचे लाना चाहते हैं और जमीन पर बठे हुए आदमी को आप ऊपर लाना चाहते हैं–यही तो समाजवाद है और अगर यही रास्ता आपने अख्तियार नहीं किया तो जो नीचे वाले आदमी हैं वह कभी ऊपर नहीं उठ सकेंगे। समाज में इम्प्रूवमेन्ट होना चाहिए। फ्रान्स की घटनायें होती हैं कभी कभी हम लोग हंसते हैं। क्या बात है सेक्रेटरी का लड़का अच्छे पद पर चला जाता है और मिनिस्टर का लड़का आगे बढ़ता है, एम० एल० ए० का लड़का इन्जीनियर बन जाता है, किसी का लड़का डाक्टर बन जाता है ? क्या वह दिन भी आयेगा जब कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लड़के डाक्टर और इन्जीनियर बनेंगे ? आप कहते हैं पूंजीवालों को और पूंजी देंगे और गरीबों को और गरीब करेंग। एक जगह आप 15 हजार रुपये का लोन देते हैं और दूसरी तरफ आप सिर्फ एक हजार देना चाहते हैं इससे कैसे समाजवाद आयेगा ? साधनों का जब तक ठीक बंटवारा नहीं होगा तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमने साधनों का बटवारा सही नहीं किया। कांग्रेस के आने के बाद हमारा जो पिछड़ा हुआ तबका है वह बहुत ऊंचा उठा है और जो विरोधी दल कहते हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। प्रत्येक एम० एल० ए० का काम है कि वह इन जातियों का केवल आर्थिक उत्थान ही नहीं करे लेकिन हम चाहते हैं कि विचारों में परिवर्तन हो और वह तब हो सकता है जब कि हम उस तरफ सोचें। कांग्रेस जिस कदम पर चल रही है मैं चाहता हूं कि उसमें तीव्र गति हो और तेजी से आगे बढे। एग्रीकल्चरल लेण्ड को अलॉटमेन्ट का काम समाज कल्याण विभाग को सौंपना चाहिए। उसको सारे गांवों की सूची बनानी चाहिए कि कितने आदमी ऐसे हैं कि जो भूमिहीन हैं। आप कहते हैं कि यह काम समाज कल्याण विभाग से नहीं हो सकता है लेकिन मैं एक नयी चीज चाहता हूं। आप सूची बनायें और जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उनके पास सूची होनी चाहिये कि इतने आदमी भूमिहीन हैं और उनको जमीन मिलनी चाहिए। जमीन मिलने के बाद भी लोग उनको कब्जा नहीं करने देना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप उन लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उनका शोषण करने के बजाय आप उनको ऊंचा उठायें। आज जो ऊंचे उठे हुए लोग हैं वह बर्दाश्त नहीं करते कि यह भी ऊपर उठें। उनका नैतिक और मानसिक उत्थान करने की गरज से हम चाहते हैं कि समाज में समाज कल्याण विभाग एक नयी दिशा दे। हमारे नये मंत्री अपनी गांठ से नई चीजें रखें, नया सपना रखें। वह पुरानी बातों को छोड़ें क्योंकि अब पुराने मूल्य खतम हो गये हैं और नये मूल्य आ रहे हैं। जिन लोगों में मिशनरी की तरह काम करने की भावना हो उनको

(श्री मूलचन्द डागा)

आप समाज कल्याण विभाग में रखें। जिनमें जनसेवा की भावना नहीं है उनके लिए समाज कल्याण विभाग में स्थान नहीं है, नहीं है और उन लोगों को हटा दिया जाये जो अपनी जिन्दगी को समाज कल्याण में खपाना चाहते हैं, जो अपने जीवन का बलिदान देना चाहते हैं-वही समाज कल्याण विभाग में रहें। आज भी इन लोगों के लिये विधान-सभाओं और राज्य सभाओं में सुरक्षित सीटें नहीं हैं-मैं तो कहता हूं भारत सरकार को और राज्य सरकारों को कि जो विधान परिषदें हैं उन परिषदों में इनकी सुरक्षित सीटें रखी जायें। यह आज भी नहीं हैं और यह कई सालों के लिए रखनी चाहिएं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बजकर 29 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1968 के प्रात: 11 बजे तक स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची)

DUTIES ALLOTTED TO THE CHIEF NURSING SUPERINTENDENT OF MEDICAL & HEALTH DIRECTORATE, RAJASTHAN, JAIPUR.

(A) Establishment of all Non-Gazetted Nursing Staff.	[Through Dy. D. M. H. S. (Medical)]
(B) TRAININGS OF P. N. R. C. Male and Female L. H. V/Aux-Nurse/Midwives Dais.	—do—
(C) Short training of Compounders etc. Nursing College.	—do—
(D) Complaints etc. pertaining to Nursing Staff supervision of Nursing Services.	—do—

DUTIES ALLOTTED TO THE PRINCIPAL COLLEGE OF NURSING

To look after the work of Administration of the College of Nursing, Supervision and Teaching.

DUTIES ALLOTTED TO THE REGISTRAR OF RAJASTHAN NURSING COUNCIL

He/She shall exercise in respect of the office of the Council such powers as are exercised by the Head of office under the Government of Rajasthan and performed such duties as under:—

He/She shall also be responsible for the safety of the property of the Council and the control and management of the office, accounts and correspondence and shall see, that the office staff attend punctually, and generally fulfil all such duties as may be required of him/her by the Council for the purposes of the Act. He/She shall attend and take notices of the proceedings of meeting of the Council and any sub-Committee.

प्रश्न के भाग 4 में चाही गई संबंधित सूची

महिला नर्स	सं०	पुरुष नर्स
मेट्रन श्रेणी प्रथम	7	—
मेट्रन श्रेणी द्वितीय	7	—
सहायक मेट्रन	8	—
सिस्टर ट्यूटर	20	17
सिस्टर	104	—
स्टाफ नर्सेज	755	—
कम्पाउण्डर श्रेणी प्रथम	3	513
कम्पाउण्डर श्रेणी द्वितीय	3	994
कम्पाउण्डर तृतीय श्रेणी	4	1,396
	911	2,920

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायतों के चुनाव

134. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के आम चुनाव कराने का कोई प्रोग्राम सरकार ने निश्चित किया है ?

(2) यदि नहीं, तो चुनाव न कराने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इन संस्थाओं का कार्यकाल और बढ़ाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों की भूमि

135. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत-पाक संघर्ष के समय व उसके पश्चात् पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों की किस किस तहसील में कितनी कितनी भूमि सरकार के अधिकार में कब कब आई है ?

(2) इस भूमि में से कितनी भूमि का कब कब आवंटन किया गया है ?

(3) शेष भूमि में काश्त के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ?

(4) कितने व्यक्तियों ने जिनकी भूमि उनके पाकिस्तान में चले जाने के कारण संबंधित तहसीलों के अधिकार में आ गई थी, तहसीलों तथा एस० डी० ओ० के यहां उस भूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिये आवेदनपत्र दिये हैं ?

(5) यह आवेदन-पत्र कितनी भूमि के लिये और कब कब दिये गये और उन पर किस किस विभाग या अदालत से क्या क्या निर्णय हुए और इस प्रकार कितनी भूमि वापस लौटा दी गई ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

आऊवा डिस्पेन्सरी के डाक्टर का रिक्त स्थान

136. **श्री सुरेन्द्रसिंह** (खारची) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) डिस्पेन्सरी आऊवा, तहसील खारची, जिला पाली में डाक्टर कितने समय से नहीं है ?

(ख) इतने समय से किस कारण से डाक्टर को नहीं भेजा गया है ?

(ग) क्या इस डिस्पेन्सरी में दवाईयों की कमी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यहां मिक्स्चर भी कई बार नहीं मिलते हैं ?

(घ) सरकार यहां डाक्टर कब तक भेजेगी ?

उत्तर

(क) इस डिस्पेन्सरी में दिनांक 1-8-65 से डाक्टर नहीं है।

(ख) राज्य में डाक्टरों की अत्यधिक कमी के कारण डाक्टर की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

(ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) डाक्टर के उपलब्ध होते ही प्राथमिकता के अनुसार नियुक्ति करदी जावेगी।

घग्घर बाढ़ कार्य पर अधिक भुगतान

137. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के वर्तमान एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर इरिगेशन (श्री ओ० पी० गुप्ता) ने घग्घर बाढ़ कार्य पर 20,000 रु० का अधिक भुगतान किया ?

(2) क्या यह सही है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर इरिगेशन श्री हरीसिंह की रिपोर्ट से उक्त 20 हजार का अधिक भुगतान किया जाना सिद्ध हो चुका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग ने इनको दोषी मानकर इनको निलंबित किये जाने की सिफारिश सरकार से की है ?

उत्तर

(1) व (2). अधिक भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर मामले की छान बीन करवाई गई जिसमें 20 हजार रु० से अधिक रकम का भुगतान हुआ मालूम देता है।

(3) श्री ओ० पी० गुप्ता को निलम्बित करने की सिफारिश सरकार को नहीं की है बल्कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्लासीफीकेशन, कन्ट्रोल एन्ड अपील रूल्स के तहत डिपार्टमेन्टल कमिश्नर के द्वारा जांच की कार्यवाही करने को लिखा है।

भीलवाड़ा में कृषि भूमि का अकृषि भूमि में परिवर्तन

138. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि भूपाल माइनिंग भीलवाड़ा ने कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित कराया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि सन् 62 से लगातार अब तक कई लोगों ने भीलवाड़ा नगरपालिका सीमा क्षेत्र में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित कराया ?

(3) यदि हां, तो किन किन लोगों ने ऐसा परिवर्तन कराया ? उनके नाम एवं भूमि की एकड़ों में संख्या की सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि जिन लोगों ने कृषि भूमि का आबादी में परिवर्तन कराया उन्होंने अपनी जमीन के प्लॉट बनाकर अन्य लोगों को बेच दिये ? यदि हां, तो किन को किस ने बेची ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार की केबिनेट ने ऐसे निर्णय समय समय पर लिए हैं कि जो कृषि भूमि आबादी

(श्री विजयसिंह)
में परिवर्तित की जाए वह व्यक्तियों को फुटकर न बेची जाकर जनहित में कालोनी आदि के निर्माण के लिए ही बेची जाय ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय।

(6) व्यक्तियों को बेची गई उक्त जमीन के संबंध में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्या अब भी कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सूची संलग्न है।

(4) सूची के अनुसार जो भूमि आबादी में परिवर्तन हुई उन सबके प्लाट बनाकर नहीं बेचे गए हैं जितनी भूमि के प्लाट बनाकर बेचे गए हैं उसकी सूची संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(6) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

तहसील पदमपुर के हरिजन काश्तकारों को भूमि

139. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में चक 7 ई० ए० के मुरब्बा नं० 81, 83, 70, 69, 15, 52, 27 और 29 हरिजन काश्तकारों के कब्ज में थे ?

(2) क्या यह सही है कि इन मुरब्बों का पुख्ता (परमेनेन्ट) अलॉटमेंट कर दिया गया है ?

(3) यदि हां, तो किस किस काश्तकार को मुरब्बे दिये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि मुरब्बा नं० 27 व 29 जिस बहादुर के नाम से दिया जाना मंजूर हुआ है, वह पहले 25 बीघे नहरी जमीन का चक 58 एल० एन० पी० के मालिक हैं ?

(5) क्या यह सही है कि बाकी सब मुरब्बे हरिजनों से छुड़ाकर गैर काश्तकारों को अलॉट किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सूची संलग्न है।

(4) यह आंशिक रूप से सही है कि मु० नं० 27 का 15) बीघा तथा मु० नं० 29 का 19।।) बीघा स्थाई आवंटन किया है किन्तु यह बात सही नहीं है कि भादर चक 58 एल० एन० पी० की 25) बीघा नहरी भूमि का मालिक है बल्कि वह 15।।।) 1 नहरी छः मासी का खातेदार है।

(5) मु० नं० 27, 69, 72, 52 / 15) 14) 7।।) 5) यह मुरब्बे लिखमाराम, उदाराम, चौखाराम,

(उप-निवेशन मंत्री)
किशनाराम को 1960 में स्थाई आवंटन हुये थे मगर 1966-67 तक किश्तें जमा नहीं कराने से इनके नाम से खारिज किया जाकर दीगर काश्तकारान को स्थाई आंवटन किया गया है बाकी मुरब्बे जिनके कब्जे में थे उन्हीं को अलाट किये गये हैं।

सूची काश्तकारान जिन को भूमि चक ई०ई० ए० तहसील पदमपर में स्थाई रूप से आवंटन का गइ है

विधान सभा प्रश्न संख्या 81 रा० मं०

क्र० सं०	नाम काश्तकार मय वल्दियत, कौमियत	मुरब्बा नं०	तादाद रकबा	दिनांक आवंटन
1.	श्री डूंगरमल पुत्र रघुनाथ राम महाजन साकिन गजसिंहपुर	83 69	25) 14)	13-9-1966
2.	श्री जुगल किशोर पुत्र रघुनाथ राम महाजन साकिन गजसिंहपुर	70 81	25) 22)	13-9-1966
3.	श्री ठाकर राम पुत्र जीवन राम चमार	69	11)	29-4-1960
4.	श्री दीवान सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाट सिख	52	9)	8-2-1967
5.	श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह जाट सिख	52 15	12) 221)1	24-2-1967
6.	श्री भादर राम पुत्र नानूराम जाट साकिन 58 एल० एन० पी०	27 29	15) 1911)	14-9-1967
7.	श्री शिवजीराम पुत्र पूरणराम जाति चमार	81	3)	29-4-1960
8.	श्री बख्ताराम पुत्र जीवन	52	311)	11-6-1966

चीनी का कोटा

140. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर सु०) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जहाजपुर की विकास पंचायत इटुन्दा और शक्करग को माह जुलाई, 1968 की शक्कर दी गई तो पंचायत जामोली एवं बीलेठा के परमिटों पर तहसीलदार ने शक्कर देने से क्यों इन्कार किया ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील द्वारा पंचायतों को समय पर शक्कर उठाने

(श्री कल्याणमल मीणा)

की सूचना नहीं देने के कारण माह मई, जून एवं जुलाई के अन्त में काफी शक्कर क्रय विक्रय सहकारी समिति जहाजपुर में पोते रही और उस रकम का ब्याज समिति को देना पड़ा ? यदि हां, तो कितने रुपयों की शक्कर पोते रही ? कितना ब्याज देना पड़ा और इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

उत्तर

(1) तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पंचायत समिति जासोली एवं बिलोठा हेतु उक्त पंचायतों में सहकारी समिति या प्राइवेट रिटेलर न होने के कारण शक्कर का कोटा माह जुलाई 68 हेतु सरपंचों को नहीं दिया गया। इटुन्दा व शक्करगढ़ पंचायतों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी लेकिन वहां के सरपंच श्री कल्याण मल मीना द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि वे माह अगस्त 68 से रिटेलर की व्यवस्था कर देंगे, तहसीलदार द्वारा जुलाई 68 का कोटा दिया गया।

(2) जी नहीं, पंचायतों को तो शक्कर उठाने की सूचना समय पर ही दी जाती रही है। लेकिन डीलर्स अथवा सहकारी समिति जो कि पंचायतों में रिटेलर्स का काम करते हैं समय पर माल नहीं उठाती हैं। इसके परिणामस्वरूप क्रय विक्रय समिति जहाजपुर के पास चीनी पोते रह जाती है। अतः जो ब्याज समिति को देना पड़ा उसका उत्तरदायित्व उन डीलर्स पर आता है जिनके द्वारा समय पर शक्कर का कोटा नहीं उठाया जाता है।

बीकानेर जिले की तहसीलों में भूमि आवंटन

141. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर ज़िले की तहसील नोखा, तहसील कोलायत, तहसील लूनकरणसर व तहसील सदर, इन चारों तहसीलों में 1 जनवरी, सन् 1960 से अब तक कितने भूमिहीन किसानों ने प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्तुत किये ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बीकानेर ज़िले में किन किन तहसीलों में कितने कितने फौजियों को भूमि अलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) पिछड़ी जाति के किसानों ने कितने प्रार्थना-पत्र किस किस तहसील में प्रस्तुत किये तथा किसानों को कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(4) ज़िले की उपरोक्त तहसीलों में से प्रत्येक में कितनी कितनी आराजी भूमि है जो कि काबिले अलॉटमेंट है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

कैथून पंचायत के वार्डों में निर्माण कार्यों पर व्यय

142. **श्री ब्रजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत कैथून, तहसील लाडपुरा में सन् 66-67, 67-68 में वार्डों में निर्माण कार्य हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्माण कार्य एक ही ठेकेदार द्वारा हुआ है ?

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

(3) क्या इसके लिये टेन्डर निकाले गये थे ?

(4) यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों द्वारा टेन्डर दिये गये और वे किस किस रेट के थे ?

(5) सबसे कम टेण्डर किस व्यक्ति का था ?

(6) किस किस वार्ड में कितना कितना रुपया खर्च हुआ ?

(7) किस किस वार्ड में कितना कितना रुपया लोगों द्वारा पंचायत को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(5) श्री गंगाधर ठेकेदार का ।

(6) वार्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 में निर्माण कार्य हुआ जिसमें कुल 48,210)रू० खर्च हुआ । प्रत्येक वार्ड का अलग हिसाब नहीं रखा गया ।

(7)

वार्ड नं०	रुपया
2	50)
3	260)
5	50)
6	70)
10	50)
11	155)
12	1,225)
योग :	1,860) प्राप्त हुए

ठेकेदारों द्वारा दी गई रेट की सूची

क्रम सं०	नाम कार्य	हजारी लाल ठेकेदार के रेट	रामकरण धाकड रामकरण ठेकेदार के रेट	नवयुवक श्रम ठेकेदार सह० समिति लि० उछन नयापुरा कोटा	गंगाधर ठेकेदार हीरालाल का रीगर के रेट
1	2	3	4	5	6
1.	मिट्टी खुदाई	45) रु० हजार	50) रु० हजार	6) प्रति सैंकड़ा वर्ग फुट मिट्टी खुदाई मय मिट्टी उस जगह से दूसरी जगह डालना ।	40) सैंकड़ा

2. मिट्टी मिलाई चूने में	90) सैंकड़ा से	85) सैंकड़ा	80) सैंकड़ा वर्ग फीट	74) सैंकड़ा
3. चुनाई बुनाद की	90) सैंकड़ा फुट	92) सैंकड़ा	—	82) सैंकड़ा
4. चुनाई ऊपर की	90) सैंकड़ा	90) सैंकड़ा	—	90) सैंकड़ा फुट
5. खरन्जा पत्थर चुना भराई नाप	120) सैंकड़ा	115) सैंकड़ा	150) प्रति सैंकड़ा फुट	98) सैंकड़ा फुट भराई नाप
6. घटाई नाप फर्श कातला	85) सैंकड़ा	85) सैंकड़ा	2) वर्ग फीट	75) सैंकड़ा फुट भराई नाप
7. खंरवा की दर सीमेन्ट की	15) सैंकड़ा	15) सैंकड़ा	12) सैंकड़ा	11) सैंकड़ा फुट
8. वर्ग फर्श या नाली की	फर्श दर्ज 8) सैंकड़ा	दर्ज फर्श व नाली 6) सैंकड़ा	12) सैंकड़ा	4) सैंकड़ा फुट
9. पत्थर संगीन 4-5 इंच का भराई नाप	3॥) ६० फुट	3॥) फुट	—	2॥) फुट भराई नाप
10. नाली बनाई लेने नाप	3॥) फुट	2॥) फुट	—	1½ 1 फुट
11. चुनाई दोनों बार	115) सैंकड़ा		—	—
12. अन्य नोट :—		अन्य जो भी काम होगा उसकी रेट अलग देनी होगी।		
13. फारशिंग कम्पलीट फर्शिंग	—	—	75) प्रति सैंकड़ा फीट	—
14. सीमेन्ट प्लास्टर	—	—	40) प्रति सैंकड़ा फीट ½ इन्च से एक इन्च थिक।	—

चित्तौड़गढ़ जिले में आवंटित भूमि का कब्जा

143. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सन् 1965-66 के साल में भूमिहीनों को आवंटित की गई भूमि अभी तक भूमिहीनों के सुपुर्द नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? और ऐसे भूमिहीन कितने हैं जो भूमि पर कब्जा नहीं प्राप्त कर सके हैं ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में सन् 1968-69 के वर्ष में जो भूमि अलॉटमेंट कमेटी द्वारा भूमिहीनों को आवंटन की गई क्या उस भूमि को भूमिहीनों के सुपुर्द किया जा चुका है ? यदि हां, तो तहसीलवाइज आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) भूमि आवंटन संबंधी अपीलें तथा एलॉटमेन्ट सम्बन्धी शिकायती पत्र कलेक्टरी कार्यालय में कितने पेन्डिंग हैं और कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(प्रश्न स्थगित किया गया)

पंचायत सहायकों की पदोन्नति

144. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवक पद से पंचायत सहायक पद पर ग्राम सेवकों को पदोन्नत किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितनों को और उनको पंचायत सहायक के पद पर कार्य करते हुए कितना समय हो गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम सेवक जो पंचायत सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनका कन्फरमेशन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत सहायकों से जूनियर ग्राम सेवकों का कन्फरमेशन हो गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ ग्राम सेवक पंचायत प्रसार अधिकारी और पंचायत सहायक के पद पर 8 या 10 वर्ष से कार्य कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि उनके सर्विस रूल्स अभी तक नहीं बने हैं ? क्या यह भी सही है कि ये रूल्स विभाग के सामने विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से और अब तक विचार न करने का क्या कारण रहा ?

(5) क्या पंचायत सहायकों की इस पद से आगे पदोन्नति का कोई प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्य यह भी सही है कि अन्य प्रसार अधिकारियों के पदोन्नति के लिये 25 प्रतिशत का प्रावधान है ? यदि हां, तो पंचायत सहायकों के लिए क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति उनके अपने जिलों में नहीं की जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम सेवकों के पद से पंचायत प्रसार अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की गई । बाद में पंचायत प्रसार

(सामुदायिक विकास मंत्री)

अधिकारी के पद समाप्त होने से इन्हें पंचायत सहायक नियुक्त किये गये । इस प्रकार सन् 1961 में 51 ग्राम सेवकों को पदोन्नति दी गई । ये वर्तमान पद पर 7 वर्ष से कार्य कर रहे हैं ।

(2) जी हां, क्योंकि ये 2 अक्टूबर, सन् 1959 को पंचायत समितियों में ग्राम सेवक के पदों पर कार्य नहीं कर रहे थे ।

(3) जी हां । 1,355 ग्राम सेवकों का कन्फर्मेशन हो गया है ।

(4) जी हां, सर्विस नियमों को अन्तिम रूप देने के पहले कुछ नीति संबंधी प्रशासनिक निर्णय लेना आवश्यक होने से अब तक विचाराधीन है।

(5) नियमों में पदोन्नति का प्रावधान किया जा रहा है ।

(6) जी हां । प्रशासनिक कारणों से निवास के जिलों में नियुक्ति नहीं की जाती है।

शराब बन्दी प्रचार पर व्यय

145. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य सरकार द्वारा चालू बजट में शराब बन्दी के प्रचार के लिए जो एक लाख रुपये की धनराशि रखी गई है उसका क्या और किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

शराब बन्दी के प्रचार के लिय एक लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान पूरक बजट में किये जाने का प्रस्ताव है । इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जावेगा इस संबंध में निर्णय अब लिया जावेगा ।

————

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची)

[वन विभाग राजस्थान सरकार]

वन खण्ड में वनोषधि उत्पादन केन्द्र स्थापित करने हेतु भूमि लीज पर दिये जाने का इकरारनामा।

यह इकरारनामा आज दिनांक 18, माह जून, सन् 1968 प्रथम पट्टा में राजस्थान के राज्यपाल महोदयजी, आगे इस इकरारनामे में सरकार कहे जावेंगे और द्वितीय पट्टा में:–नाम वैद्य श्री दुर्गेश जोशी पिता श्री जैरामजी पालीवाल, निवासी उदयपुर, जिला उदयपुर जो आगे पट्टाधारी (Lessee) नाम से पुकारे जावेंगे जिनमें उनके कहे उत्तराधिकारी तथा अधिकृति अभिहस्तांकित सम्मिलित हैं। दूसरे कक्ष में परस्पर लिखा गया है:—

1. राजस्थान सरकार की आज्ञा संख्या 7, 222, रा० क०168 दिनांक 7-6-68 केड़ अनुसार नाहर मगरा वन खण्ड के अधीन आराजी नं० 407 व 433 उदयपुर रेंज की 30 एक वन भूमि माफिक नक्शा हाजा जो इस इकरारनामे के साथ शामिल है। पट्टाधारी (Lessee) को प्रथम तरीके पर दस वर्ष के वास्ते दी जाती है। जिसकी अवधि सरकार की इच्छानुसार फिर बढ़ाई जा सकेगी।

2. पट्टाधारी (Lessee) उक्त भूमि पर जो भी पक्का ईमारती काम बनावेंगे उसके लिये बनाने के पूर्व राज्य सरकार की ईजाजत लेना आवश्यक होगा।

3. उक्त भूमि में चारों ओर डिमारकेशन सरकार द्वारा कराई जावेगी।

4. उक्त 30 एकड़ भूमि वनोषधि उत्पादन केन्द्र के नाम से रहेगी। इस भूमि पर पट्टाधारी (Lessee) का निजी स्वामित्व नहीं होगा। और इस पर खड़े वृक्षों पर तथा अन्य वन सम्पदा अलावा (वनोषधि के पौध के जो कि नर्सरी में लगाये जायेंगे) इनका अधिकार कभी नहीं होगा।

5. पट्टाधारी (Lessee) को इस भूमि के किसी भाग या कुल भाग को किसी अन्य व्यक्ति को ठेका पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा और जिस मकसद के लिए भूमि दी गई है उसके अलावा किसी और काम में नहीं ली जावेगी।

6. पट्टाधारी (Lessee) इस भूमि पर केवल वनोषधि केन्द्र स्थापित कर सकेंगे और आयुर्वेद में शोध खोज के लिए वनोषधि की पौध उगा सकेंगे व अलावा वनोषधि उत्पादन करेंगे इस कार्य के लिये नर्सरी लगा सकेंगे। तथा माली व मजदूरों के रहने के लिए टेम्परेरी (अस्थायी) टापरिये बना सकेंगे।

7. इस भूमि पर जो भी वृक्ष खड़े है उनका नम्बरिंग करा सूची तैयार कर पट्टाधारी (Lessee) को सौंपे जावेंगे । जो वृक्ष कुआ बनाने व मजदूरों की टापरियां दीगर वृक्षों को कटवाकर वन विभाग को सुपुर्द करेगा ।

8. पट्टाधारी (Lessee) अपने वनोषधि उत्पादन केन्द्र के लिए लगाये गये पौधों की रक्षा करने व उनका उत्पादन कार्य करने के लिए स्वयं को पक्का प्रबन्ध करना होगा ।

9. पट्टाधारी (Lessec) वनोषधि के लिए लगाये गये पौधों के लिए पानी का सन्तोषजनक पर्याप्त प्रबन्ध स्वयं करेंगे ।

10. जो भूमि दी जा रही है इस पर काश्त करने की इजाजत नहीं दी जावेगी ।

11. वन खण्ड नाहर मगरा की आराजी नं० 407 व 433 में से 30 एकड़ भूमि वनोषधि उत्पादन केन्द्र स्थापित करने दस वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दी जा रही है उसका प्रीमियम रेन्ट राज्य सरकार के आदेशानुसार श्रीमान जिलाधीश महोदय, उदयपुर जो भी निश्चित करेंगे पट्टाधारी (Lessee) प्रति वर्ष समय पर जमा कराता रहेगा ।

12. इस इकरारनामे की शरायत की खिलाफवर्जी की सूरत में सरकार को अधिकार होगा कि यह मुहायदा केवल आज वक्त मनसूख किया जा सकेगा । ऐसी परिस्थिति में पट्टाधारी (Lessee) को यह भूमि अन्दर मयाद 1 (एक) माह तारीख मिलने नोटिस के बीला किसी उजर के खाली करना होगी। बसूरत दिगर यानि खाली न करने की सूरत में मारफत अदालत यह भूमि खाली कराई जावेगी। और जो सरफा इस बिना पर सरकार को करना पड़ेगा उसकी देनदार पट्टाधारी (Lessee) होगा । लिहाजा यह इकरारनामा लिखा दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे ।

ह० वैद्य दुर्गेश जोशी
हस्ताक्षर पट्टाधारी

ह० अ० ला० सांखला
18-6-68
राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षर किया ।

गवाह नम्बर 1—————— तारीख माह सन 1968
गवाह नम्बर 2——————

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 131 की सूची)

Districtwise list of Major and Medium Schemes sanctioned which have been Surveyed.

S. No. Name of Project	Tehsil	Appro-ximate cost (in lac)	Proposed irrigable area (acre)	Remarks
Bhilwara District 1. Jetpura Irg. Project	Mandalgarh	31.00	5233	
Udaipur District 2. Jakham Main Dam	Lasadia	233.00	32800	
Sirohi District 3. Angore Irrigation Project	Sirohi	18.00	4230	
Kota District 4. Gopalpura Project	Kishanganj	31.00	6320	
Ajmer District 5. Lassaria Project	Kekri	20.00	4390	
Udaipur District 6. Sei Project	Kotra	115.00	18664	
Alwar District 7. Sahi Irrg. & Flood Control Scheme	Behror	240.55	3741	48.00 Raj. Share.
Bhilwara District 8. Meja Feeder	Bhilwara	177.00	12000	
Dungarpur District 9. Somkamla Amba Irg.	..	161.00	18200	
Alwar District 10. Landowa Nalla Flood Control Scheme	Alwar	54.27		
		917.00	..	

Of Minor Irrigation Schemes Surveyed.

S.No.	Name of Project	Tehsil	Proposed irrigable area (Acre)	Approximate cost (in lacs)	Remarks
Udaipur District					
1.	Manas Irg. Project	Jhadol	168	2.55	
2.	Athani Irg. Project	Gogunda	817	7.20	Kept in
3.	Barodi Irg. Project	Gogunda	154	1.50	abeyance
Bhilwara District					
4.	Anwasa Irg. Project	Mandalgarh	602	6.21	
5.	Barla Polia Irg. Project	Jahazpur	400	4.19	
6.	Rupalia Irg. Project	Bhilwara	280	3.77	
7.	Samelia Irg. Project	Shahpura	4500	24.00	Kept in abeyance.
Dungarpur District					
8.	Akrolka Naka Irg. Project.	Dungarpur	1000	9.21	
9.	Manjola Irg. Project	Dungarpur	108	1.77	
10.	Varandah Irg. Project	Dungarpur	300	2.02	
Banswara District					
11.	Ghoradhar Irg. Project	Khusalgarh	227	5.88	
12.	Biyapada Irg. Project	Khusalgarh	820	10.88	
Sirohi District					
13	Kher Irg. Project	Pindwara	736	7.46	
14.	Nadia Irg. Project	Pindwara	1400	6.53	Kept in abeyance.
Jhalawar District					
15.	Sarankheri Irg. Project	Jhalarapatan	1183	12.87	
Kota District					
16.	Bhagdeo	Shahbad	237	3.17	
Jaipur District					
17.	Panchudola	Bairath	144	2.042	
Pali District					
18.	Ghoradhara	Pali	...	6.89	
19.	Siriyari	Kharchi	610	4.90	Kept in abeyance.
Bundi District					
20.	Gudha Gokalpura	Hindoli	360	6.978	
Chittor District					
21.	Sadi Project	Chittor	570	3.98	
			Total..	133.968	

Say Rs. 134.00 lacs.

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची)

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 4(4)68।2984 दिनांक 20-2-68 रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स एवं उप-श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर की ओर से सचिव। अध्यक्ष, आर० एस० ई० एग्जीक्युटिव वर्कर्स यूनियन, कटेवा भवन, एम० आई० रोड, जयपुर को—

विषय:—इन्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अन्तर्गत यूनियन पंजीयन करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र ।

प्रसंग:— आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-1-1968 ।

चूंकि सहायक अभियन्ता राज्य सेवा के अन्तर्गत आते हैं और ये केवल तकनीकि कर्मचारी ही नहीं है तथा इन्हें व्यवस्थापक के अधिकार भी कहीं अधिक प्राप्त हैं इसलिए इन्हें प्रबन्धक की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये कामगार की परिभाषा जैसी इन्डियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट, 1926 में दी हुई है के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः यूनियन का पंजीयन करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

टिप्पणी

आर० एस० ई० बी० एग्जीक्युटिव वर्कर्स यूनियन ने इन्डियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट, 1926 के अन्तर्गत इस कार्यालय में उक्त यूनियन के पंजीयन के लिये दिनांक 3-1-1968 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। उक्त यूनियन का गठन दिनांक 18-12-67 से होना बताया गया है। यूनियन की सदस्यता संख्या 143 कही गई है इस प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 600 बताई गई है। इन एसिस्टेन्ट इन्जीनियर्स को सुपरवाइजरी अधिकारों के अतिरिक्त मेनेजिरियल नेचर के अधिकार भी प्राप्त हैं इसलिये ये वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 125 की सूची)

Extract copy of the Rajasthan Forest Manual Volume I of Chapter III 'Miscellaneous'.

Section 87 of Rajasthan Forest Act, 1953.

87. *Act not to affect or impair certain rights of Rulers.*—Nothing in this Act shall impair or otherwise affect such shooting fishing or other rights of the Rulers of the covenanting States or the members of their families as have been recognised in shikargarhs, forests or other local areas by virtue of covenants entered into with the Rulers or documents collateral thereto.

Extract copy of the Rajasthan Forest Manual Volume I of Chapter Shooting Rules Act, 1953.

Rule 4 of Forest (Hunting Shooting, Fishing and Water Poisioning) Rules 1957.

---

4. *Formation of Blocks.*—The Chief Conservator of Forests shall divide the reserved and protected forests into different shooting blocks and fix the number of any species that may be shot in any one block and restrict shooting so as to prevent the number so fixed being exceeded. These restrictions shall apply to both permit holders and exempted persons but shall not apply to the Rulers of the covenanting States of Rajasthan and their families in respect of the area in which they have exclusive shooting rights.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची)

वन विभाग राजस्थान

वर्षवार बकाया राशि की स्थिति का मानचित्र जो 31 मार्च 1968 को बकाया रही ।

नं० क्र०	वर्ष	भूतपर्व राजाओं में	जागीरदारों में	राजकीय विभागों में	स्वास्थ्य संस्थाओं में	राजकीय कर्मचारी में	ठेकेदारों में	वन श्रमिक सहकारी समितियों में	अन्य पद	योग कुल बकाया	विवरण
1	प्रीमर्जर	5.69	890.96	17,661.87	17,542.18	5,397.62	1,11,145.00	..	20,593.92	1,73,237.24	
2	1950-51	8,500.62	..	4,715.84	6,347.70	..	24,183.24	..	4,442.58	48,189.98	
3	1951-52	..	..	...	1,030.00	..	8,196.87	..	2,499.70	11,726.57	
4	1952-53	..	..	..	..	..	7,529.36	..	5,266.48	12,795.84	
5	1953-54	..	..	..	..	..	2,902.05	..	6,541.97	9,444.02	
6	1954-55	..	..	..	..	..	24,659.58	615.80	6,741.61	32,016.99	
7	1955-56	..	..	—	..	..	2,887.19	8,932.77	2,340.15	14,160.11	
8	1956-57	..	..	288.25	..	..	6,006.25	5,254.00	2,509.65	14,058.15	
9	1957-58	..	..	..	..	..	14,071.38	181.98	59.87	14,313.23	
10	1958-59	..	..	..	..	..	592.02	597.84	399.52	1,589.38	
11	1959-60	..	..	..	..	..	4,117.00	16,729.68	159.37	21,006.05	
12	1960-61	..	..	..	..	..	6,344.59	7,484.91	80.02	13,909.52	
13	1961-62	..	..	..	..	..	2,320.00	32,942.26	..	35,271.26	
14	1962-63	..	..	..	..	..	23,386.86	1,08,348.93	..	1,31,735.79	
15	1963-64	..	..	..	..	..	12,919.89	28,817.43	..	41,737.32	
16	1964-65	..	..	..	..	..	65,076.65	1,39,409.51	..	2,04,486.16	
17	1965-66	..	..	..	..	..	5,744.62	54,855.32	..	70,599.94	
18	1966-67	..	..	..	..	..	1,33,543.94	1,72,933.97	..	3,06,477.91	
19	1967-68	..	..	..	..	..	6,17,173.52	4,95,016.51	..	11,12,190.03	
	योग	8,506.31	890.96	22,656.96	24,919.88	5,397.62	10,72,809.01	10,82,120.91	51,634.84	22,68,945.49	

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 133 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 21/स्वा० मं० की संलग्न सूची

जयपुर में स्थित रिपैकिंग लाईसेन्सीज की सूची :–

1. मैसर्स राजस्थान फार्मास्यूटीकल लेब्रोरेटरी, जयपुर ।
2. मसर्स पी० एस० केमिकल वर्क्स, जयपुर ।
3. मैसर्स बिनय केम० लेबोरेटरी, जयपुर ।
4. मैसर्स ऐवन फार्मास्यिूटीकल, जयपुर ।
5. मैसर्स जय केमिकल एण्ड फार्मास्यूटीकल वर्क्स, जयपुर ।
6. मैसर्स एलाईड केमिकल एण्ड फार्मास्यटीकल प्रा० लि०, जयपर ।
7. मैसर्स केमी० टेक० लेबोरेटरी, जयपुर ।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या 33 द्वारा श्री राम चन्द्र आर्य के द्वारा पूछे गये प्रश्न के संबंध में एलोपैथिक दवाईयों की निर्माण शालाओं की सूची:-

1. मैसर्स होफल केमिकल्स, उदयसागर रोड़, उदयपुर।
2. ,, विक्ट्री केमिकल वर्क्स, सेठों का बाग, जयपुर।
3. ,, मेक्शन लेब्रोरेटरीज, सूरज पोल, उदयपुर।
4. ,, बीनेय केम० लेबोरेटरीज, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
5. ,, केसला लेबोरेटरीज, रघु मार्ग, अलवर।
6. ,, आयुर्वेद सेवाश्रम प्रा० लिमिटेड, उदयपुर।
7. ,, रीलिफ ड्रग हाऊस, आबू रोड़।
8. ,, अपर इण्डिया केमिकल वर्क्स, डीडवाना।
9. ,, सांघी ओक्सीजन कम्पनी, इन्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
10. ,, एस० फा० लेब० प्रा० लिमिटेड, बनी पार्क, जयपुर।
11. ,, सुभाग लेबोरेटरीज, जयपुर।
12. ,, सांभर केमिकल, सांभर लेक।
13. ,, पेस्टीसाईज इण्डिया लिमिटेड, उदयपुर।
14. ,, वार्डन केमिकल वर्क्स, बनी पार्क, जयपुर।
15. ,, राम रसायनशाला, कोटपूतली।
16. ,, एम० आर० एण्ड सन्स, अजमेर।
17. ,, कोटन प्रोडक्ट ऑफ इण्डिया, उदयपुर।
18. ,, प्रिन्स ड्रग्स लेबोरेटरी, न्यू कालोनी, अलवर।
19. ,, धरती धन प्राईवेट लिमिटेड, स्टेशन रोड, उदयपुर।
20. ,, राजस्थान फार्मेसिया, सरदारपुरा, जोधपुर।
21. ,, जय केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटीकल वर्क्स, वाली गार्डन, जयपुर।
22. ,, केम० टेक० लेब्रोरेटरी, आदर्श नगर, जयपुर।
23. ,, इम्पीरियल केमी० को० (इण्डिया), सांगानेरी दरवाजे के पास, जयपुर।
24. ,, अलाईय केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटीकल प्रा० लिमिटेड, हाथी बाबूजी का बाग, जयपुर।
25. ,, कैमीकोज, केशर गंज, अजमेर।
26. ,, ड्यूफल लेबोरेटरी, पोलो विक्टरी सिनेमा के पास, जयपुर।
27. ,, प्रकाश पल्वेराईजिंग मिल्स, इन्डस्ट्रीज एरिया, अलवर।
28. ,, सांभर साल्ट लि०, सांभर लेक।
29. ,, थिओ फार्मा, फालना।
30. ,, स्टेनले लेबोरेटरीज, राजा पार्क, जयपुर।

31. मैसर्स एलफोज लेबोरेटरी, आदर्श नगर, जयपुर ।
32. ,, बंगालिया ब्रादर्स, स्वर्ग रोड, अलवर ।
33. ,, डीलक्स फार्मा, आबू रोड ।
34. ,, कृष्णा माईनर्स एण्ड ट्रेडर्स, इन्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।
35. ,, कृष्णा माईनर्स एण्ड ट्रेडर्स, इन्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।
36. ,, मैटल उद्योग प्राईवेट लि०, इन्डस्ट्रीयल एरिया, उदयपुर ।
37. ,, राजस्थान प्लास्टर एण्ड इन्डस्ट्रीज, गंगा गेट, बीकानेर ।
38. ,, राजस्थान फार्मास्यूटीकल लेब्रोरेटरी, बापू नगर, जयपुर ।
39. ,, राजस्थान पेन्ट्स, कलर एण्ड वार्निस वर्क्स, अलवर ।
40. ,, इण्डियन रेमेडीज, तिलक नगर, जयपुर ।
41. ,, जे० एस० फार्मा, अलवर ।
42. ,, एवन फार्मेस्यूटीकल्स, जयपुर ।
43. ,, लोकोपकारक लेबोरेटरीज, अलवर ।
44. ,, नारंग ड्रग हाऊस, जयपुर ।
45. ,, ऐसेज केमिकल, जोधपुर ।
46. ,, जी० एस० केमिकल्स, जयपुर ।

वर्ष 1967-68 के लिये राज्य में स्थित औषधियां निर्माण एवं रिपेकिंग करने वाली फर्मों की सूची जिनको राजकीय अस्पतालों में औषधियां सप्लाई करने हेतु **approve** किया गया :-

1. मसर्स होफल केमिकल्स, उदयपुर ।
2. काटन प्रोडक्ट ऑफ इण्डिया, उदयपुर ।
3. राजस्थान फार्मेसिया, सरदारपुरा, जोधपुर ।
4. जय केमिकल एण्ड फार्मास्यूटीकल वर्क्स, जयपुर ।
5. पी० एस० केमिकल्स, जयपुर ।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 147 की सूची)

क्रम सं०	कार्य का नाम	ठकेदार का नाम
1	अ. सीकरी बांध व फिडर चैनल की मजबती तथा सफाई कार्य 0 से 400 चैन	
	ब. 400 चैन से 540 चैन	सर्वश्री देवकीनन्द, वृह्म्नारायण ।
	स. 540 चैन से 580 चैन	सर्वश्री काशी राम
2	क्वारी चैनल	सर्वश्री कौररं ठेका सहकारी समिति कौरर ।
3	बडवाली चैनल	सर्वश्री तिलवार श्रमिक सहकारी समिति ।
4	साकी चैनल	सर्वश्री काशीराम
5	महरादी चैनल	सर्वश्री कौरर श्रमिक ठेका सहकारी समिति कौरर ।
6	नगर डाईवरसर चैनल	सर्वश्री देवकीनन्द, वृह्म्नारायण
7	चमार वाली चैनल	सर्वश्री सीकरी श्रमिक ठेका सहकारी समिति
8	नक्टी चैनल	सर्वश्री तिलवार श्रमिक सहकारी समिति
9	वल्ली चैनल	सर्वश्री कौरर श्रमिक ठेका सहकारी समिति
10	वंजरवाली चैनल	सर्वश्री सीकरी श्रमिक ठेका सहकारी समिति ।
11	ढाकावाली चैनल	सर्वश्री नब्बीखान
12	अंध कैनाल	सर्वश्री तिलवार श्रमिक सहकारी समिति ।
13	नई झंझर कैनाल	श्री नब्बी खान
14	हुसेपुर दो मोरा (नई शाखा)	सर्वश्री कौरर श्रमिक ठेका सहकारी समिति
15	सूतवाली चैनल	सर्वश्री सीकरी श्रमिक ठेका सहकारी समिति ।
16	हतमी कैनाल	—
17	हुसेपुर दो मोरा (पुरानी शाखा)	—
18	काला मोरा	—
19	सुकती कनाल	—
20	जलालीवा कैनाल	—
21	गूलर वाली कैनाल	—
22	जयश्री दो मोरा कैनाल	—
23	हेलारी कैनाल	—
24	आलमपुर विडिंग कैनाल (चौमोरा)	—
25	पीपलवाली कैनाल	—
26	मंडार कैनाल	—
27	डेहरी नहर की सफाई का कार्य	—
28	दारौला वाली चैनल	—
29	हथड़ी रेगूलेटर की वंदली (हजारी बांध) पर	सर्वश्री देवकीनन्द, वहम्नारायण ।
30	जयश्री रे ूलेटर पर बंदली	"
31	महररावी रेगूलेटर पर बंदली ।	श्री नब्बी खां ।

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची)

पंचायत समिति का नाम	संख्या न्याय व ग्राम पंचायत	धनराशि जो रिपोर्ट के आधार पर वसूली के लिय तहसील को लिखा	नोटिस दिया या नहीं
1	2	3	4
(1) सोजत	36	4578.08	सरपंचों को नोटिस दिया गया है ।
(2) रानी	3	–	"
(3) रायपुर	12	387.50	–
(4) बाली	36	–	जिलाधीश को मार्जिन भेज दिया गया है ।
(5) रोहट	17	–	मार्जिन अब भेजे जावेंग ।
(6) पाली	20	14714.06	जिलाधीशों को मार्जिन भेज दिया गया है ।
(7) सुमरपुर	19	–	पंचायत समिति द्वारा मार्जिन निश्चित राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 67141 के तहत किया ।
(8) खारची	सूचना अभी तक नहीं आई है ।		

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 154 की सूची)

पंचायत समिति, पाली द्वारा गायें व भेड़ों के लिये दिये गये ऋणों की सूची सन् 1967-68 तक (आज तक)

क्र० सं०	णी का नाम व स्थान	ऋण की राशि	प्रयोजन	ऋण देने का दिनांक	सही उपयोग में लिया या नहीं हां नहीं	यदि उपयोग में नहीं लिया तो की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री केशरसिंह पुत्र देवीसिंह, रूपावास	4,000)	पशु प्रजनन केन्द्र	3-3-1960	हां	—
2	श्री भूरसिंह पुत्र समरथसिंह, उतवन	4,000)	„ „	21-4-1960	हां	—
3	श्री पेमसिंह पुत्र श्री जोरसिंह, मनिहारी	4,000)	„ „	11-11-1960	हां	—
4	श्री भूरसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह, गुडा प्रतापसिंह	4,000)	„ „	17-11-1960	नहीं	वसूली की कार्यवाही जारी है।
5	श्री देवीसिंह पुत्र श्री फतेसिंह, डेंडा,	4,000)	„ „	31-1-1961	हां	—
6	श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री देवीसिंह, डिरी	4,000)	„ „	27-3-1961	हां	वसूली की कार्यवाही जारी है।
7	श्री आसूदान पुत्र श्री पाबूदान, रेबारी की ढाणी	1,000)	भेड़ प्रजनन केन्द्र	7-11-1963	हां	—
8	श्री हरीसिंह पुत्र श्री रामसिंह, डिरी	1,000)	„ „	15-3-1963	हां	—

9	श्री मथुरादास पुत्र श्री गणेशदास, दयालपुरा	4000)	पशु प्रजनन केन्द्र	15-3-1963	नहीं	वसूली की कार्यवाही जारी है।
10	श्री भवानीसिंह पुत्र श्री आइदानसिंह, डिगाई	1000)	भेड प्रजनन केन्द्र	30-3-1963	हां	—
11	श्री सीताराम पुत्र श्री रामप्रताप, पाली	4000)	पशु प्रजनन केन्द्र	24-3-1953	नहीं	वसूली की कार्यवाही जारी है।
12	श्री भवानीसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह, डिगाई	4000)	" "	25-6-1963	हां	—
13	श्री गणेशराम पुत्र श्री मूलोजी, केरला	1000)	भेड प्रजनन केन्द्र	28-12-1963	हां	—
14	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री रणछोड़दान, रूगावास	1000)	" "	7-1-1964	हां	—
15	श्री हरीसिंह पुत्र श्री मंगसिंह, रूगावास	1000)	" "	23-1-1964	नहीं	वसूली की कार्यवाही जारी है।
16	श्री पनिया पुत्र श्री पूनम, मनिहारी	1000)	" "	24-2-1964	हां	—
17	श्री हकीम खां पुत्र श्री खेरदीन खां, पाली	500)	" "	21-5-1964	हां	
18	श्री अमीन खां पुत्र श्री मीरू खां, निम्बाड़ा	5000)	भेड़ प्रजनन केन्द्र	22-5-1964	हां	—
19	श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री बिरदसिंह, गोदावास	1000)	" "	5-6-1964	हां	—
20	श्री जीवराजसिंह पुत्र श्री कुशालसिंह, सुन्देलाव	1000)	" "	5-6-1964	हां	—
21	श्री टीकमराज पुत्र श्री जसाराम, गुरडाई	1000)	" "	30-7-1964	हां	—
22	श्री भोमाराम पुत्र श्री नवलाराम, गुरडाई	1000)	" "	18-8-1964	हां	—

1	2	3	4	5	6	7
23	श्री वेना पुत्र श्री सादूल, मण्डली	750)	भेड़ प्रजनन केन्द्र	9-9-1964	हां	—
24	श्री जबरसिंह पुत्र श्री खेतसिंह	1000)	" "	11-9-1964	हां	—
25	श्री दुर्गाराम पुत्र श्री कानाराम, बल्दो की ढाणी	1000)	" "	1-10-1964	नहीं	वसूली की कार्यवाही जारी है।
26	श्री नाहरसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह, डिगाई	1000)	" "	29-6-1964	हां	—
27	श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री रमवर्चसिंह, भालेलाव	2000)	पशु प्रजनन केन्द्र	5-7-1965	नहीं	वसूली की कार्यवाही जारी है।
28	श्री कानसिंह पुत्र श्री भगवतसिंह, भालेलाव	2000)	" "	5-7-1965	नहीं	" "
29	श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह, भालेलाव	2000)	" "	5-7-1965	नहीं	" "
30	श्री शंभूसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह, भालेलाव	2000)	" "	5-7-1965	नहीं	" "
31	श्री वनदान पुत्र श्री भीकदान, रूपावास	1000)	भेड़ पालन केन्द्र	6-8-1965	हां	—
32	श्री बगताराम पुत्र श्री मोडाराम, केरला	1000)	" "	14-10-1965	हां	—
33	श्री मानसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह, डिगाई	4000)	पशु प्रजनन केन्द्र	30-5-1965	नहीं	वसूली की कार्यवाही जारी है।
34	श्री चावण्डसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह, डिगाई	4000)	" "	24-11-65	नहीं	" "

35	श्री जमालूदीन पुत्र श्री इनायत खां, सिंधियों की ढाणी, नया गांव	1000)	भड़ प्रजनन केन्द्र	18-1-1966	हां	—
36	श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह, डिगाई	1000)	,, ,,	22-6-1965	हां	—

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2	5	55(1)	(1) 55
4	अंतिम से 9	सदस्या	सदस्य
5	,, 7	ह	हैं
6	,, 6	एयूज्केटर्स	एज्यूकेटर्स
6	,, 4	ह	हैं
7	14	ह	हैं
15	शीर्षक	श्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
17	6	मने	मैं
18	अंतिम से 7	ूंदी	बूंदी
25	11	दुकान वाल	दुकान वालों
29	15	श्री जयनारायण सालोदिया	125.श्रीजयनारायण सालोदया
30	अंतिम	लए	लिए
52	13	ह	हैं
53	अंतिम से 5	उसन	उसने
54	9	मदरणा	मदेरणा
55	18	फारमेलि टीज	फारमेलिटीज
58	9	उसका	उसको
61	22	ह	हैं
61	अंतिम से 5	जयनारायण	चैनाराम
62	11	सग्शन	सेंक्शन
66	अंतिम से 4	इ में	इसमें
67	,, 5	सी० ई० एफ०	सी० सी० एफ०
70	,, 10	सव	सर्वे
71	,, 16	म	में
72	,, 12	पूनियन का रजिस्ट्रशन	यूनियन का रजिस्ट्रेशन
75	शीर्ष	(श्री अमीनुद्दीन)	—
86	8	ैषधियों	औषधियों
95	7	झालरा पाटना	झालरा पाटन

1	2	3	4
104	अंतिम से 8	राहट	रोहट
109	16	कयां	क्यों
112	5	होत	होते
114	10	ह	है
116	15	म	में
125	1	अपमान को	अपमान
125	अंतिम से 2	पें	में
148	अंतिम से 7	तक तब	तब तक
165	7	चेल चाटी	चेले चांटी
169	7	परिणित	परिणत
169	13	म	में
169	16	तक की	तक
171	अंतिम से 4	चप	चुप
173	4	हे	है
176	अंतिम से 9	अपन	अपने
193	5	ह	है
197	7	इसम	इसमें
198	अंतिम से 10	मालम	मालूम
200	अंतिम से 4	म	में
201	10	आदि	आदिम
201	अंतिम से 4	ह	हैं
202	,, 2		में
203	10	सों	पैसों
207	अंतिम से 12	ह	हैं
207	अंतिम से 12	पये	रुपये
209	5	ह	है
211	अंतिम से 9	व	वे
211	,,	ह	है
212	17	म	में
217	17	जनियर	जूनियर
219	4	मला	मला
220	16	हआ	हुआ
223	अंतिम से 9	छय	छप

1	2	3	4
226	अंतिम से 3	म	में
232	,, 16	आपके क्या सामने	आपके सामने क्या
232	,, 10	करत	करते
232	,, 6	नय पैसे	नये पैसे
235	,, 8	मं	में
241	6	दता	देता
244	2	कानन	कानून
272	अंतिम से 11	क्य	क्या
295	4	मजबती	मजबूती